लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

5th

LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र
Ninth Session]

[खंड 32 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XXXII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 8, बुधवार, 21 नवम्बर, 1973/30 कार्तिक, 1895 (शक)

No. 8, Wednesday, 21 November, 1973/30 Kartika, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
ता० प्र० संख्या S.Q. No.		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
141 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया जाना	Arrest of a Pakistani Spy at Allahabad, U.P.	1
142 राजकोट, गुजरात में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव	Proposal to establish T. V. Station at Rajkot, Gujarat . . .	3
143 लघु उद्योग क्षेत्र में "टिनी" क्षेत्र की स्थापना	Setting up of "Tiny" Sector within the Small Scale Sector . . .	4
144 साम्प्रदायिक घटनाओं को रोकने में असफलता पर कार्यवाही	Action for failure to prevent communal incidents	4
146 स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्र-पत्र देना	Award of Tamrapatras to Freedom Fighters	9
149 औद्योगिक लाइसेंसों के लिए अनिर्णीत आवेदन-पत्र	Pending Applications for Industrial Lincences	12
150 खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में डाईंग प्रिंटिंग और स्टिचिंग कार्य	Dyeing Printing and Stitching work in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	14
151 स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए पात्रता	Eligibility for Pensions to Freedom Fighters	16
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
145 पांचवीं योजना के लक्ष्यों के बारे में योजना आयोग और मंत्रालयों के बीच मतभेद	Clash between Planning Commission and Ministries over Fifth Plan Targets	17

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
147	राज्यों में 'पैकेज कंसलटसी सर्विस'	'Package Consultancy Service' in States	18
148	सरकारी कार्य में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Official Work	19
152	टायर और ट्यूब उद्योग के विकास में विदेशी कंपनियों का योगदान	Participation of Foreign Companies in Development of Tyre and Tube Industry	20
153	"यू० एस० फाइनेंस्ड रिसर्च यूनिट—ए सिक्योरिटी हजार्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News-Item "U.S. Financed Research Unit—A Security Hazard"	20
154	आदिवासियों को आवास भूमि का आबंटन	Allotment of Residential Land to Adivasis	21
155	विदेशों से टायरों का आयात	Import of Tyres from Foreign Countries	21
156	यू० एन० आई० तथा राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों को सरकारी निगमों में परिवर्तित करना	Conversion of U.N.I. and National News Agencies into Public Corporations	22
157	केन्द्रीय उद्योग सलाहकार परिषद् की बैठक	Meeting of Central Advisory Council of Industries	22
158	डाक तथा रेल डाक सेवा विभागों के कार्यकरण में सुधार	Improvements in working of Postal and R.M.S. Departments . . .	23
159	किराया खरीद सुविधाओं को प्राप्त करने के पश्चात् पिछड़े क्षेत्रों से उद्योगों को स्थानान्तरित करना	Shifting of Industries from Backward Areas after availing Hire Purchase Facilities .	24
160	उपग्रह वाहन	Satellite Carrier Vehicle . .	25
अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.			
1403	भागलपुर टेलीफोन एक्सचेंज के एक कर्मचारी का गायब हो जाना	Disappearance of an Employee of Bhagalpur Telephone Exchange .	25
1404	रोहतक रोड, दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in various Colonies, on Rohtak Road, Delhi . .	26
1405	केरल के पिछड़े जिलों के विकास की योजना	Scheme for Development of Backward Districts of Kerala . . .	26
1406	केरल सर्किल में टेलीफोन	Telephone Connections in Kerala Circle	26
1407	स्वतंत्रता सेनानियों को समाचार पत्रों के समाचारों के आधार पर पेंशन की मंजूरी	Sanction of Pensions to Freedom Fighters on Basis of Newspaper Reports .	27

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1408	आकाशवाणी के स्टाफ आरटिस्टों द्वारा हड़ताल की धमकी	Threat of Strike by Staff Artistes of A.I.R.	27
1409	राजस्थान में बेरोजगार इंजीनियरों तथा तकनीशियनों के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for unemployed Engineers and Technicians in Rajasthan	28
1411	ब्रिटेन से अंतरिक्ष राकेट उपकरणों की खरीद	Purchase of Space Rocket Equipment from UK	29
1412	दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में टेलीफोन मकेनिक्स के स्थायी तथा अस्थाई पद	Permanent and Temporary posts of Telephone Mechanics in Delhi Telephone District	29
1413	दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में टेलीफोन मकेनिक्स के रिक्त पद	Vacant posts of Telephone Mechanics in Delhi Telephone District . .	30
1414	हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यकरण की समीक्षा के लिये समिति	Committee to review the Functioning of Hindi Teaching Scheme . .	31
1415	पर्यावरण संबंधी सुरक्षा	Environmental Safeguards .	31
1416	देश में रडियो सेट	Radio Sets in the Country . .	32
1417	पांचवीं योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास	Development of Infra-structure in backward areas during Fifth Plan .	33
1418	बेरोजगारी संबंधी समिति की सिफारिशों के संबंध में निर्णय	Decision on the recommendations of Committee on Unemployment.	33
1419	राज्यों को सीमेंट का आवंटन	Allotment of cement to States . .	34
1420	फसलों के उत्पादन से आय में वृद्धि	Increase in Income from Crop Production	34
1421	सितम्बर-अक्तूबर, 1973 के दौरान दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग एककों में उत्पादन में हानि	Loss of production in Engineering Units in Delhi, Punjab and Uttar Pradesh during September-October, 1973	35
1422	तारीक अब्दुल्ला के लिये भारतीय नागरिकता के हेतु प्रार्थना	Request for Indian Citizenship f or Tariq Abdullah . .	35
1423	स्थानीय लोगों 'सन्स आफ दी सायल' को नौकरियां देने के लिये विधान	Legislation on jobs for "Sons of the Soil"	36

अता० प्रा० संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1424	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा शिक्षित व्यक्तियों में बेरोजगारी का सर्वेक्षण	Survey by C.S.I.R. on unemployment among Educated Persons . .	36
1425	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज का विस्तार	Expansion of Indian Telephone Industries	37
1426	पाकिस्तान द्वारा दिल्ली समझौते के पश्चात् सीमा का अतिक्रमण	Violation of Territory by Pakistan after Delhi Agreement	37
1427	देश में घड़ियों का उत्पादन दुगना करने की योजनायें	Plans to double watch production in the country	37
1428	राजस्थान राज्य से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा बल में भर्ती	Recruitment in the Central Reserve Police and Border Security Force from Rajasthan . . .	38
1429	भारत में पाकिस्तानी नागरिकों का निर्धारित अवधि से अधिक ठहरना	Overstay of Pak Citizens in India	38
1430	कागज बनाने के लिये कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Material for Manufacture of paper	38
1431	बेरोजगारी का सामना करने के लिए केन्द्रीय सहायता देने हेतु कसौटी	Criteria for Providing Central Assistance to States to deal with Unemployment . . .	39
1432	बड़े औद्योगिक गृहों के कार्यकरण में सरकार आयोग का प्रतिवेदन	Report of Sarkar Commission regarding working of Large Industrial Houses	40
1433	मूल्य वृद्धि आन्दोलन के संबंध में प्र ान मंत्री के निवास स्थान पर महिलाओं की गिरफ्तारी	Arrest of women at Prime Minister's residence in connection with price rise agitation	41
1434	उत्तर प्रदेश और तमिल नाडु में लघु और माध्यमिक उद्योगों की स्थापना में विलम्ब	Delay in setting up small and medium Industries in U.P. and Tamil Nadu	41
1435	केन्द्रीय मंत्रियों पर यात्रा भत्ता/ निक भत्ता के रूप में व्यय	Expenditure on T.A./D.A. of Central Ministers	41
1436	शा वैलेस एंड कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of foreign exchange regulations by Shaw Wallace & Co.	42
	ौर उपकरणों के लिए दिया जाना	Release of Foreign Exchange for books and equipments	42

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1438	धनी और निर्धन के बीच विद्यमान अंतर कम करने के लिए की गयी कार्यवाही	Steps taken to bridge the gap between the rich and the poor . .	43
1439	आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के कलेक्टर के निवास स्थान पर छापा	Raid on the residence of the Collector of West Godavari District, A. P.	44
1440	जापान की सहायता से निर्यात प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना	Promotion of Export Oriented Industries with the help of Japan	44
1441	हरिजनों को भूमि के आवंटन तथा सेवाओं में उनके आरक्षण के बारे में हरियाणा के भूतपूर्व उप-मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य	Statement by former Deputy Chief Minister of Haryana regarding allotment of land to Harijans and policy of reservation in services .	44
1442	संरचना इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, रुड़की	Structural Engineering Research Centre, Roorkee . .	45
1444	छुआछूत की घटनाएं	Incidence of Untouchability . .	46
1445	नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिज़ाइन, अहमदाबाद के कार्य की समीक्षा करने के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee to review working of National Institute of Design, Ahmedabad . .	47
1446	निर्माण सामग्री के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना	Setting up of a National Commission for construction material . .	48
1447	हरिजनों और अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए गृह निर्माण योजना	Housing Scheme for Harijans and Scheduled Castes .	48
1448	कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Offices	49
1449	उच्च न्यायालयों के प्रांतीय भाषाओं में निर्णय	Judgments of High Courts in regional languages . . .	49
1450	कोटा परमाणु बिजली घर, राजस्थान को प्राथमिकता	Priority for Kota Atomic Power Station, Rajasthan . . .	50
1451	मैसूर भूमि सुधार विधेयक, 1973 पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Mysore Land Reforms Bill, 1973 . . .	50
1452	फिल्मों के सैंसर के लिये प्रक्रियात्मक संरक्षणों का उपबंध	Provision of Procedural Safeguards to make Film Censorship	50

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1453	टैक्नोलौजी में विदेशी सहयोग को समाप्त करना	Dispensing with Foreign Collaboration in Technology	51
1454	घाटे की अर्थ-व्यवस्था तथा जनता से ऋण लेने पर प्रतिबंध	Restrictions on deficit financing and Public Borrowings .	52
1455	पांचवीं योजना के लिए संसाधनों की स्थिति का मूल्यांकन	Assessment of Resources position for Fifth Plan .	52
1457	फिल्मों संबंधी नई राष्ट्रीय नीति	New National Policy on Films .	53
1458	पांचवीं योजना के दौरान नई टेलीफोन लाइनें लगाना	New Telephone Lines during Fifth Plan . . .	3
1459	तिमारपुर, दिल्ली में एक अध्यापिका तथा दो व्यापारियों का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of a Lady Teacher and two Businessmen in Timarpur, Delhi	54
1460	प्रतिष्ठानों, केन्द्रों अथवा स्थानों का नेताजी सुभाषचन्द्र की यादगार में नामकरण	Establishments, Centres and Places named after Netaji Subhash Chandra Bose . . .	54
1461	राज्यों के लिए पंचवर्षीय योजना का प्रारूप	Draft Fifth Plans for States	54
1462	टेलीविजन सुविधाओं के विस्तार के लिए भारत और सोवियत संघ के बीच करार	Agreement between India and USSR for Expansion of Television facilities	55
1463	आंध्र प्रदेश से एक ईसाई मिशनरी को निकाल देने की मांग	Demand for Expulsion of a Christian Missionary from Andhra Pradesh .	55
1464	'कैपिटल' उपकरण के आयात के लिए लाइसेंसों के आवेदन पत्रों का निपटान	Disposal of Applications for Licences for Import of Capital Equipment	56
1465	तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा लाइसेंसों के आवेदन पत्रों की जांच करने में विलम्ब	Delay in Scrutiny of Applications for Licences by D.G.T.D.	56
1466	लाइसेंसिंग समिति की बैठक के कार्यवाही सारांश जारी करने में विलंब	Delay in issuing Minutes of meeting of Licensing Committee	57
1467	विदेशी फर्मों तथा बड़े औद्योगिक गृहों के द्वारा अनधिकृत उत्पादन	Unauthorised Production by Foreign Firms and Large Industrial Houses .	57

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1468	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में मैनेजर की नियुक्ति	Appointment of Manager in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	58
1469	बम्बई के लिए टेलीफोन परामर्श-दात्री समिति	Telephone Advisory Committee for Bombay .	58
1470	बम्बई में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Bombay	9
1471	देश में शिक्षित बेरोजगार	Educated Unemployed in the Country	59
1472	आदिवासियों के विकास के लिए आदिवासी आयोग	Adivasi Commission for Development of Adivasis .	59
1473	मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries in Adivasi Area of M.P.	60
1474	जे० स्टोन एंड कम्पनी द्वारा कलकत्ता एकक का विस्तार	Expansion of Calcutta Unit by J. Stone & Co. . . .	60
1475	टायरों और ट्यूबों के लिए एक अनुसंधान विकास केन्द्र की स्थापना	Setting up of a Research Development Centre for Tyres and Tubes . .	60
1476	मणिपुर में विद्रोही नागाओं की गतिविधियां	Activities of Naga Hostiles in Manipur Area . . .	61
1477	महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2 अक्तूबर को आम छुट्टी (सार्वजनिक अवकाश) घोषित न किया जाना	2nd October not declared a Public Holiday by Maharashtra Government	61
1478	हापुड़ टेलीफोन विभाग में कथित धांधली	Alleged Irregularities in Hapur Telephone Department	62
1479	पांचवीं योजना के दौरान इलेक्ट्रोनिक्स उद्योग में पूंजी निवेश	Investment in Electronics Industry during Fifth Plan . . .	62
1481	गुजरात के लघु ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रीय कार्यालय	Regional Offices for Development of Small rural areas in Gujarat . .	62
1482	गुजरात राज्य को अखबारी कागज का आवंटन	Allotment of Newsprint to Gujarat State	63
1483	पांचवीं योजना के प्रति नया दृष्टिकोण	New Approach to Fifth Plan .	64
1484	"दि फार्स दैट इज डी० आई० आर०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News Report captioned "The Farce that is D.I.R."	65
1485	राजकोट में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Rajkot	65
1486	लघु उद्योगों में पोलिथीन पाउडर की कमी	Shortage of Polythene Powder in small scale Industries . . .	65

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1487	बंगलौर में डाक-तार लेखन सामग्री की कमी	Shortage of Postal stationery in Bangalore	66
1488	मंत्रालय में मितव्ययिता संबंधी उपाय	Measures for Economy in the Ministry .	66
1489	आकाशवाणी के रांची केन्द्र से विशेष समाचार बुलेटिन का प्रसारण	Broadcast of Special News Bulletin from A.I.R., Ranchi	67
1490	पांचवीं योजना के दौरान इलेक्ट्रोनिक उद्योगों की स्थापना	Setting up of Electronics Industries during Fifth Plan	67
1491	कानपुर में 'टेफको' का आधुनिकीकरण	Modernisation of TAFCO in Kanpur .	67
1492	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स में उत्पादन	Production in Hindustan Teleprinters .	68
1493	अमरीकी निर्माताओं से व्यापार संबंधी पूछताछ और व्यवसाय संबंधी प्रस्ताव	Trade Enquiries and Business Proposals from American Manufacturers	68
1494	निर्वाह स्तर से नीचे रहने वाले लोग	People living below ubsistence level	
1495	देश में नौकरशाही व्यवस्था में परिवर्तन	Change in Bureaucratic System in the Country . .	69
1496	प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत और जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच सहयोग	Collaboration between India and German Democratic Republic in Technological field	70
1497	औद्योगिक विकास मंत्री का अमरीका का दौरा	Visit of Minister of Industrial Development to America .	70
1498	लंदन में भारतीय फिल्म केन्द्र खोलने का प्रस्ताव	Proposal for opening an Indian Film Centre in London . .	71
1499	पांचवीं योजना में उत्पादन के लिए औद्योगिक नीति	Industrial Policy for production during Fifth Plan	71
1500	चार पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान घाटे की अर्थ-व्यवस्था	Deficit Financing during Four Five Year Plans . . .	71
1501	केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित अफसरशाही विरोधी मार्च (एन्टी-ब्यूरोक्रेसी मार्च)	'Anti-Bureaucracy March' organised by representatives of Central and State Government Officials	72

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1502	कलकत्ता के प्रधान डाक-घर में पार्सलों तथा डाक के थैलों का इकट्ठा हो जाना	Accumulation of Parcels and Mail Bags in G.P.O., Calcutta . .	72
1503	पश्चिम बंगाल में औद्योगिक संकट	West Bengal Industrial Malaise .	73
1504	पांचवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in West Bengal during Fifth Plan	73
1505	चौथी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में उद्योगों का स्थापित किया जाना और विकास दर	Setting up of Industries in West Bengal during Fourth Plan and Growth Rate	73
1506	अमरीकी पूंजी निवेश के लिए आह्वान	Invitation to American Investment .	74
1507	जमाखोरों को दंड दिया जाना	Penalising Hoarders .	74
1508	विज्ञान संबंधी योजना का प्रारूप (ड्राफ्ट साइंस प्लान)	Draft Science Plan	75
1509	दिल्ली में 'काल गर्ल्स' और वेश्याओं को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस द्वारा छापे	Raids by Police in Delhi to Round up Call Girls and Prostitutes	75
1510	योजना ढांचे में परिवर्तन	Change in Structure of Planning	76
1511	राज्यों की अधिक शक्तियां दिये जाने की मांग	Demand for more Powers to States	76
1512	पश्चिम बंग युवा संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन	Memorandum submitted by Paschim Banga Yuba Sangh . . .	76
1513	इंजीनियरी और रासायनिक उद्योगों पर कच्चे माल की कमी का प्रस्ताव	Effect of shortage of Raw Materials on Engineering and Chemical Industries	77
1514	औद्योगिक उत्पादन में प्रौद्योगिकीय सुधार करने की आवश्यकता	Need of Technological Improvement in Industrial output .	78
1515	निम्नतर आय समूह के लिये प्रति परिवार अधिक आय के लिये विशेष कार्यक्रम	Special programme for generation of more Income per Family for Lowest Income Group . .	79
1516	नागालैंड में ईसाई जनसंख्या के पीछे रहस्य	Mystery of Christian Population in Nagaland	80

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1517	प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता	Self-reliance in Technology . .	80
1518	केरल में विदेशी स्वामित्व वाले बागानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अध्यादेश	Ordinance on Nationalisation of Foreign owned Plantations in Kerala	81
1519	केरल को पांचवीं योजना के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के लिये आवंटन	Allocations to Kerala for various programmes during Fifth Plan .	82
1520	केरल में टायरों के कारखाने स्थापित करने के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रतिवेदन	Report of N.I.D.C. in setting up of Tyre Factories in Kerala .	82
1521	पहाड़ी क्षेत्रों का विकास	Development of Hill Areas	83
1522	पहली पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित लोगों के साथ विचार विमर्श	Consultations with people connected with earlier Five Year Plans	83
1523	हिन्दी और अंग्रेजी समाचार बुलेटिनों के समय में वृद्धि	Increase in the Duration of Hindi and English News Bulletins . . .	83
1524	टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिये एन० आर० डी० सी० से तकनीकी जानकारी खरीदने वाली फर्मों द्वारा रायल्टी का भुगतान बंद करना	Stoppage of Payment of Royalties by Firms which had bought Know-How from NRDC for manufacture of T.V. Sets	84
1525	पुलिस द्वारा कालीकट, केरल की हरिजन युवतियों के साथ बलात्कार	Rape of Harijan Girls of Calicut, Kerala by Police	84
1526	डाकतार विभाग में डाक्टरी इलाज के लिये कर्मचारियों में अंतर	Distinction between Employees of P. & T. Department for Medical Treatment	84
1527	देश तारों (केवल) का उत्पादन	Indigenous Production of Cables	85
1528	टेलीफोन ऐक्सचेंजों में रक्षित टेलीफोनों की प्रतिशतता का अध्ययन	Study of Percentage of Reserve in Telephone Exchanges	85
1529	फिल्म वित्त निगम द्वारा बच्चों की फिल्मों का निर्माण	Production of Children's Films by Film Finance Corporation	86
1530	फिल्म डब्बिंग प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a Film Dubbing Laboratory	86
1531	अन्य देशों से अंतरिक्ष उपकरणों का खरीदा जाना	Purchase of Space Equipments from other countries . . .	87

अता० प्र० संख्या U.S.Q.No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1532	पांचवीं योजना में निर्यातोन्मुख इलैक्ट्रोनिक उद्योगों में 'पूंजीनिवेश'	Investment in Export-oriented Electronic Industries during Fifth Plan	87
1533	अल्प विकसित क्षेत्रों में उपग्रह टेलीविजन के लिये 'कलस्टरों' के चयन का प्रस्ताव	Proposal for Selection of Clusters for Satellite Television in the Under-Developed Areas . .	87
1534	नरोरा परमाणु बिजली घर	Narora Atomic Power Station	88
1535	गोरखपुर में माइक्रोवेव स्टेशन	Microwave Station at Gorakhpur	88
1536	आकाशवाणी में प्रोड्यूसरों के रिक्त पद	Posts of Producers lying vacant in All India Radio . .	88
1537	उपग्रह परीक्षण	Satellite Tests	89
1538	दिल्ली पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना	Grant of Scholarships to the Children of Delhi Police Employees .	89
1539	मुस्लिम लीग की साम्प्रदायिक गतिविधियां	Communal activities of Muslim League	90
1540	केरल सर्किल में एस० डी० ओ० (फोन्स) के खिलाफ आरोप	Allegations against SDO (Phones) in Kerala Circle	90
1541	हिन्दुस्तान लीवर द्वारा इडली तथा गुलाब जामुन बनाने में काम आने वाली खाद्य सामग्री का बिना लाइसेंस बेचा जाना	Marketing of Idli and Gulabjamun Food Mixes by Hindustan Lever without Licence .	90
1542	राष्ट्रीय आय की वृद्धि-दर	Rate of growth of National Income	91
1543	पांचवीं योजना में दिल्ली में शिक्षित व्यक्तियों को रोजगार	Employment for Educated Persons in Delhi during Fifth Plan .	91
1544	मैसर्स शार्पएज द्वारा सेफ्टी रेजर ब्लेडों के निर्माण में विदेशी नाम का प्रयोग	Use of Foreign Name in manufacture of Safety Razor Blades by M/s. Sharpedge	91
1545	इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज पेपर सोसायटी की समाचारपत्रों का विक्रय मूल्य बढ़ाने के लिये मांग	Demand from Indian and Eastern Newspaper Society for increase in sale price of Newspaper . .	92
1546	दिल्ली में टेलीफोन कालों के गलत बिल बनाना	Wrong Billing for Telephone Calls in Delhi	93
1547	पिछड़े क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन	Formation of Backward Region Development Authority .	93

अत० ० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1548	कर्मचारियों की हड़तालों से प्रभावित नागरिकों को मुआवजा	Compensation to Citizens affected by Strikes of Employees . .	94
1549	स्व-नियोजन योजनाओं के लिए बैंकों से सहायता	Assistance from Banks for Self-Employment Schemes . . .	94
1550	पांचवीं योजना के लक्ष्यों को कम करना	Cutting down Targets of Fifth Plan .	94
1551	विदेशों से लौटने वाले भारतीय वैज्ञानिकों, तकनीकी जानकारों, इंजीनियरों और डाक्टरों को रोजगार देने की योजना	Scheme to provide Employment to Indian Scientists, Technologists, Engineers and Doctors returning from Abroad	94
1552	चिनसुरह, चन्द्रनगर और त्रिवेणी एक्सचेंजों में ट्रंककाल प्रणाली में परिवर्तन	Change in Trunk Call System of Chinsurah, Chander Nagar and Tribeni Exchanges	95
1553	कलकत्ता तथा अन्य महानगरों में डाक व्यवस्था	Mailing System in Calcutta and other Metropolitan Cities . . .	95
1554	मध्य प्रदेश को लाइसेंस देना	Issue of Licences to M.P. . . .	96
1555	केरल के नारियल जटा उद्योग को पुनर्गठित करने के लिये सहायता	Assistance to Re-organise Kerala's Coir Industry . .	96
1556	केरल में टिटेनियम कारखाने के विकास के लिये भारत और जापान के प्रतिनिधियों में बातचीत	Talks between Representatives of India and Japan for Development of Titanium Factory in Kerala	97
1557	विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, केरल के विस्तार के लिये भूमि	Land for expansion of Vikram Sarabhai Space Centre, Kerala . . .	98
1558	केरल के नारियल जटा उद्योग में मशीनों का प्रयोग	Use of Machine in Coir Industry, Kerala	98
1559	नारियल जटा उद्योग में मशीनीकरण का रोजगार पर प्रभाव	Effect of Mechanisation in Coir Industry on Employment	98
1560	कोयले की कमी का सीमेंट के उद्योग पर प्रभाव	Effect of Shortage of Coal on Cement Industry	99
1561	कलकत्ता में फिल्म संस्थान का स्वतंत्र एकक स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal for having an Independent Unit of Film Institute at Calcutta .	99
1562	श्वेत 'टाइगर' के चित्र वाला डाक टिकट	Postage Stamp on White Tiger .	100
1564	दक्षिण राज्यों के अनुसूचित जातियों/जनजातियों के सम्मेलन में पारित संकल्प	Resolution passed at Southern States Conference of Scheduled Castes/Tribes	100

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1565	अन्दमान का नाम बदल कर सुभाष द्वीप रखना Renaming of Andamans as Subhash Dwip	101
1566	नये प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति Appointment of a new Administrative Reforms Commission . . .	101
1567	जमाखोरों और कालाबाजार करने वालों के विरुद्ध भारतीय रक्षा नियमों का प्रयोग करने के बारे में राज्यों को अनुदेश Instructions to States on Use of D.I.R. against Hoarders and Black Marketeers	102
1568	नागालैंड के शिक्षा और वन मंत्री पर घात लगा कर हमला किया जाना Nagaland Education and Forests Minister ambushed by Naga Hostiles .	103
1569	नरेला के थाना इंचार्ज द्वारा दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी पर गोली चलाया जाना D.T.C. man allegedly shot by Narela S.H.O. .	103
1570	मिजो विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए कार्यवाही Operation to put down Mizo Rebels .	104
1571	स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में 15 अगस्त, 1973 के बाद प्राप्त हुए आवेदन-पत्र Applications for Grant of Pension to Freedom Fighters received after 15th August, 1973 .	104
1572	जिंक आक्साइड निर्माता उद्योग Zinc Oxide manufacturing Industry .	106
1573	अर्थ संबंधी अपराधों के लिये मारुति लिमिटेड के अंशधारियों के विरुद्ध जांच Inquiries against Shareholders of Maruti Limited for economic offences	106
1574	टायरों की चोरबाजारी तथा कमी Blackmarket and shortage of Tyres .	107
1575	तारापुर परमाणु बिजलीघर का कार्यकरण Functioning of Tarapur Atomic Power Project	107
1576	राजस्थान परमाणु बिजली घर परियोजना द्वारा सरकार को नियतकालिक रिपोर्ट पेश किया जाना Submission of periodical reports to Government by Rajasthan Atomic Energy Project	108
1577	मधुबनी, बिहार में नेपाली कांग्रेस के नेता तथा नेपाल की भंग संसद के एक सदस्य की हत्या Murder of Nepali Congress Leader and a member of dissolved Parliament of Nepal in Madhubani, Bihar	108
1578	बाजपत्ती, रुन्नीसैदपुर और सीतामढ़ी में छोटे स्वचलित एक्सचेंज Mini auto-exchange at Bajpatti, Runnisaidpur and Sitamarhi	109

ता०प्र०संख्या U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1579	योरुपीय आर्थिक समुदाय और कमकोन के देशों के विकास संबंधी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजना को बनाना	Formulation of Fifth Plan keeping in view developmental plans of E.E.C. and Comecon countries .	109
1580	केरल में लघु उद्योगों और औद्योगिक बस्तियों के परिव्यय का उपयोग	Utilization of outlay in Small Scale Industries and Industrial Estates in Kerala	109
1581	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की गृह निर्माण समितियों के लिये केरल को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala for House Building Societies for S.C., S.T. and other Backward Classes	110
1582	केरल के विभिन्न जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन पत्र	Applications for telephone connections in various Districts of Kerala . .	111
1583	टेलीविजन सेटों और मैगनैटिक टेपों का निर्माण	Production of T.V. Sets and Magnetic Tapes	111
1584	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि० द्वारा की गई बिक्री	Sales made by Indian Telephone Industries Limited	111
1585	नैनी स्थित टेलीफोन उपकरण कारखाना	Telephone Instruments factory at Naini	113
1586	राज्यों के बीच सीमा संबंधी विवाद	Boundary disputes between States .	113
1587	मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये की गई कार्यवाही	Steps to encourage the use of Hindi in the Ministry	113
1588	बड़ौदा-बम्बई और बड़ौदा-दिल्ली के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct dialling between Baroda-Bombay and Baroda-Delhi . . .	114
1589	कम्प्यूटर लगाने के कार्यक्रम के लिये विदेशी तकनीकी जानकारी का बुलाया जाना	Import of foreign know-how for computerisation Programme	114
1590	ग्रामीण शिल्प विकास परियोजना आरंभ करने के लिये पश्चिम बंगाल से परियोजना संबंधी प्रतिवेदन	Project Report from West Bengal to start Rural craft development Project . . .	115
1591	ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में मध्य वर्ग के परिवार	Middle-Class families in rural and Urban areas	115
1592	कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन-पत्र	Applications for Telephone Connections in Calcutta	116

अता० प्र० संख्या U.S.Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1593 पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग को ऋण	Loan to small industries in West Bengal	116
1594 चम्बल घाटी का विकास	Development of Chambal Valley	117
1595 ग्राम उद्योगों का विकास	Development of Village industries	118
1596 स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार	Jobs for 'Sons of the Soil' . .	118
1597 भूतपूर्व टेलीफोन सलाहकार समिति द्वारा बम्बई के लिये किया गया कार्य	Work done by previous Telephone Advisory Committee for Bombay .	119
1598 सीमा सुरक्षा बल पर किया गया व्यय और उपलब्धियां	Expenditure incurred on B.S.F. and the achievements . . .	119
1599 प्रशासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की रोकथाम	Check on increasing corruption in administration	119
1600 प्रधानमंत्री के दौरों पर हुआ खर्च	Expenditure on Tours performed by Prime Minister	120
1601 स्कूटरों और कारों के आवंटन के बारे में मुख्य कार्यकारी पार्षद और उप-राज्यपाल के बीच विवाद	Controversy between Chief Executive Councillor and Lt. Governor regarding allotment of Scooters and Cars .	121
1602 महत्वपूर्ण क्षेत्र (कोर सेक्टर) की वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Increase in prices of core sector items .	121
अतारांकित प्रश्न संख्या 5017 दिनांक 28-3-73 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 2505 दिनांक 8-8-73 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले विवरण	Correcting statements to U.S.Q. No. 5017 dated 28-3-73 and U.S.Q. No. 2505 dated 8-8-1973	122
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	123
उर्वरकों की भारी कमी का समाचार	Reported acute shortage of fertilizers .	123
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo . . .	123
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed . .	124
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	128
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति—33वां प्रतिवेदन	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—Thirty-third Report	131
मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-confidence in the Council of Ministers	131
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu	131
श्री बी० आर० भगत	Shri B. R. Bhagat	139
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukherjee	142

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अकिनीडु, श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी, श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फिरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथूराम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बांसरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन्, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)
उरांव, श्री टुना (जलपाईगुड़ी)
उलगनम्बी, श्री आर० पी० (वैल्लौर)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
एंगती, श्री बीरेनु (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रुगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरेना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन् (कासरगोड)
कतामुनु, श्री एम० (नागापट्टिनम्)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्णसिंह, डा० (उधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम्, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायर, श्री मोहनराज (पोलाची)
कस्तूरे, श्री ए० एस० (खामगांव)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पंढरपुर)
कांबले, श्री टी० डी० (लातूर)
काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामराज, श्री के० (नागरकोइल)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
काले, श्री (जालना)
कावड़े, श्री वी० आर० (नाशिक)
काहनडोल, श्री जैड० एम० (मालेगाव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनहीघाट)
कुरेशी, श्री मुहम्मद शफी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)

कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैण्ड)
कोलाशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कौपा, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन्, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन्, श्री एम० के० (पोन्नानि)
कृष्णन्, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री एम० वी० (हस्कोटे)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नन्दुरबार)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फतहसिंहराव (बड़ौदा)
गायत्री देवी श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फिरोजपुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरौना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरुण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनोराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरीधर (कोरापुट)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोयेन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरी)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)
चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (एटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा बीरबासप्पा, श्री टी० वी० (शिमोगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री यशवंतराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चावला, श्री अमरनाथ (दिल्ली सदर)
चिक्कलिंगय्या, श्री० के० (मांड्या)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (निल्लपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिब (बराहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (हौशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौधरी, श्री मोइनुल हक (धुबरी)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (चैल)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफर शरीफ, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री वरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहजहानपुर)
जूल्फिकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ, श्री एम० एम० (पीरमाडे)
जोरदर, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (शाजापुर)
जोशी, श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी, श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जायनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झंझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ़)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तिरिक मनीपुर)

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० बी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूलचन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लो, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी० (नांदेड़)
तुलसीराम, श्री वी० (पेद्दापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री के० एन० (बेतिया)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)
तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभाल मनी (बलरामपुर)
तेवर, श्री पी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तैयब हुसैन, श्री (गुड़गांव)

द

दंडपाणी, श्री सी० टी० (धारापुरम)
दत्त, श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते, प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह, श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दलीप सिंह, श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी, श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास, श्री अनादि चरण (जाजपुर)
दास, श्री रणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच विहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गंगाचरण (खंडवा)
दीक्षित, श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे, श्री ज्वाला प्रसाद (भंडारा)
दुराईरासु, श्री ए० (पैरम्बलूर)
देव, श्री शंकर नारायण सिंह (वांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)

देव, श्री राज राज सिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी राव एस० (परभणि)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धूमिया, श्री अनंत प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवंत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (केथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फुलबनी)
नायक, श्री बी० वी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाड़मेर)
निंबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह (गढ़वाल)

प

पंडा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एम० टी० (भीर)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरविन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढंडुका)
पटेल, श्री नटवर लाल (मेहसाना)
पटेल, श्री नानूभाई एन० (वलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री रामूभाई (दादरा तथा नगर हवेली)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पलोडकर, श्री मानिकराव (औरंगाबाद)
पस्वान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीलाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री राम सहाय (राजनंद गांव)
पांडेय, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दोली)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० बी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एम० बी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जलगांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पार्णिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्रनगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपेट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्णन (मावलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूम)
पेजे, श्री एम० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढवाल)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधान, श्री धनशाह (शहडोल)
प्रधानी, श्री के० (नौरंगपुर)
प्रबोध चन्द्र, श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली, बाबू, श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी, श्री एम० एम० (कानपुर)
बनर्जी, श्रीमती मुकुल (नई दिल्ली)
बनेरा, श्री हमेन्द्र सिंह (भीरवाड़ा)
बड़े, श्री आर० पी० (खारगोन)
बरूआ, श्री वेदव्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)

बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमंड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बहुगुणा, श्री हेमवतीनन्दन (इलाहाबाद)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल, श्री गुरदास सिंह (फाजिल्का)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुजा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अलमोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकारलाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा श्री (झालावाड़)
ब्रह्मनन्द जी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतन लाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहबाद)
भट्टाचार्य, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (घाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु (गिरिडीह)
भागीरथ भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री वशेश्वर नाथ (अजमेर)
भार्गवी, तनकप्पन, श्रीमती (अडूर)
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीनराव, श्री एम० (नगरकुरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री मानसिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तयार सिंह (रोहतक)
मंडल, श्री जगदीश नारायण (गोंड्डा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
मधुकर, श्री कमल मिश्र (केसरिया)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती, श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगड़ा)
महाता, श्री देवेन्द्र नाथ (पुरूलिया)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिपी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
मांझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी, श्री गजाधर (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड, सिंह श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री० के० डी० (डुमरियागन्ज)
मायावन, श्री वी० (चिदाम्बरम)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री एल० एन० (दरभंगा)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगुसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुत्तुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रिय रंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनतम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवेली)
मुर्मू, श्री योगेशचन्द्र (राजमहल)
मेनन, श्री वी० के० कृष्ण (त्रिवेन्द्रम)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)

मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पोलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (देवरकपुर)
मोहम्मद खुदा बख्श, श्री (मुर्शिदाबाद)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसुफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानवेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेंद्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबहादुर सिंह, श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिंकील)
राउत, श्री भोला (बगहा)
राज बहादूर, श्री (भरतपुर)
राजदेवसिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उमद सिंह (रायगढ़)
राणा, श्री एम० बी० (भड़ौच)
राधाकृष्णन्, श्री एम० (कुड्डलूर)
रामकंवर, श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
रामदेव सिंह, श्री (महराजगंज)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (छपरा)
राम सूरत प्रसाद, श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (राबर्टसगंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सुहोदराबाई (सागर)
राव, श्री मती वी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्रीनागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडु प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्रीकाकुलम)
राव, श्री डा० वी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछारिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई० ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोडंडा रानी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिन्हा (चित्तूर)
रेड्डी, श्री पी० वायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० वी० (कावली)
रेड्डी श्री वी० एन० (निरायलगूड़ा)
रोहतगी, श्रीमति सुशीला (बिल्लौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)

लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)
लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्रीपरेम्बदूर)
लम्बोदर, बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी भाई, श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (कैरीमगंज)
लिमये, श्री मधु (बांका)
लुतफल हक श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री रामसिंह भाई (इंदौर)
वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटलबिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजयपाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ़)
विश्वनाथन, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुट्टूकोटै)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुबय्या, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ़)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोड़ी)
शंकर दयाल सिंह (चतरा)
शफकत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ, श्री (सैदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (वक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज़ खां, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय. श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुंझनू)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलौर)
शेर सिंह प्रो० (झज्जर)
शैलानी, श्री चंन्द्र (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरुचेंडर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (मिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्कादीव मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महाराजगंज)
सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलिभाना, श्री (मिजोरम)
सांधी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री बसन्त (अकोला)
साधूराम, श्री (फिलौर)
सामन्त, श्री एम० सी० (तामलुक)
सामिनाथन्, श्री पी० ए० (गोवीचे टिट्टपलयम)
साल्व, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आवला)

साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपूर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरभंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिन्हा, श्री० आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्यन्द्र नारायण (औरगांबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपूर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, श्री (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावेलु, श्री (मयुरम)
सुरेन्द्र पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सेकरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसाट)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, श्री स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजाबूर)
सोलंकी, श्री सोमचंद (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहनलाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुजा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंदर)
स्वमीनाथन, श्री आर० वी० (मदुरै)
स्वामी, श्री सिद्धरामेश्वर (कोप्पल)
स्वैल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिल)

ह

हसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तया, श्री के० (बंगलोर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरी सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द्र (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)

लोक सभा

अध्यक्ष

डा० जी० एम० ढिल्लों

ऊपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री के० एन० तिवारी

नरेन्द्र कुमार साल्वे

श्रीमती शीला कौल

डा० सेरदीश राय

श्री इरा सेझियान

महा सचिव

श्री शयामलाल शकधर

भारत सरकार

मंत्री मण्डल के सदस्य

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री	श्री मती इन्दिरा गांधी
कृषि मंत्री	श्री फखरुद्दीन अली अहमद
वित्त मंत्री	श्री यशवन्तराव चव्हाण
रक्षा मंत्री	श्री जगजीवन राम
विदेश मंत्री	श्री स्वर्ण सिंह
पैट्रोलियम और रसायन मंत्री	श्री देवकान्त बरुआ
योजना मंत्री	श्री डी० पी० धर
गृह मंत्री	श्री उमाशंकर दीक्षित
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
रेल मंत्री	श्री ललित नारायण मिश्र
भारी उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री	श्री टी० ए० पाई
संसदीय कार्य मंत्री	श्री के० रघुरामैया
संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
निर्माण और आवास मंत्री	श्री भोला पासवान शास्त्री
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नौवहन और परिवार मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी

राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री नीतिराज सिंह चौधरी
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मोहन धारिया
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री के० आर० गणेश
सूचना और प्रसारण मंत्री	श्री आई० के० गुजराल
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री आर० के० खाडिलकर
पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० श्रीमती सरोजिनी महिषी
संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नुरुल हसन
सिंचाई और विद्युत मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पंत
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एम० बी० राना
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री	प्रो० शेर सिंह
विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह

उप-मंत्री

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री वेदव्रत बरुआ
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री कोंडाजी बासप्पा
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुबोध हंसदा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० किस्कु
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रणब कुमार मुखर्जी
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
सिचाई और विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री बी० शंकरानन्द
भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री केदार नाथ सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वैंकटस्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बालगोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री एन० के० पी० साल्वे	Shri N. K. P. Salve	144
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	146
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandrajit Yadav	150
मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण (श्री एल० एन० मिश्र)	Personal Explanation by Minister (Shri L. N. Mishra)	150

लोक सभा
LOK SABHA

बुधवार, 21 नवम्बर, 1973/30 कार्तिक, 1895 (शक)
Wednesday, November 21, 1973/Kartika 30, 1895 (Sak)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफतार किया जाना

*141. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 अक्तूबर, 1973 को श्री एस० आर० हसन को पाकिस्तानी जासस होने के संदेह में इलाहाबाद में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या दिनांक 27 अक्तूबर, 1973 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार श्री हसन ने अपराध स्वीकार करते हुए यह कहा था कि वह दिल्ली के एक उद्योगपति के निंदेशों पर काम कर रहा है और उसने महत्वपूर्ण रक्षा सम्बन्धी रहस्य पाकिस्तान को भेजे हैं;

(ग) क्या उसके द्वारा यह माने जाने का भी समाचार है कि उसका दिल्ली के एक उद्योगपति के माध्यम से पाकिस्तान से सम्पर्क है, उसे बहुत बड़ी राशि मिलती है और उसके पास डिफेन्स कालोनी नई दिल्ली में एक किराये का फ्लेट है; और

(घ) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों और उद्योगपति विशेष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अपने को एस० आर० हसन कहने वाला सैनिक वर्दी में एक व्यक्ति इलाहाबाद में 18-10-1973 को गिरफ्तार किया गया था । भारतीय दण्ड संहिता की धारा 140/147 तथा भारत सुरक्षा नियम 1871 के नियम 7/56/58 के अन्तर्गत उसके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है । जैसा कि प्रैस रिपोर्ट में कहा गया है उसने कोई बात नहीं मानी है । मामले की जांच पड़ताल की जा रही है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : देश में बढ़ती हुई जासूसी गतिविधियों और दंगों को जो कश्मीर में हो रहे हैं तथा जिन्हें तोड़फोड़ करने वाले पाकिस्तानी एजेंट करा रहे हैं, देखते हुए मैं जान सकता हूं कि क्या इस मामले में समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित यह समाचार सच है कि इस व्यक्ति का संबंध बड़े-बड़े व्यक्तियों से है तथा पाकिस्तान में वरिष्ठ सैनिक और पुलिस अधिकारियों से उसकी जान पहचान है तथा वह उत्तर प्रदेश के एक सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक का पुत्र है और उसका दिल्ली में किसी उद्योगपति से संबंध है ? सरकार को उसके बारे में क्या समाचार मालूम है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : यह व्यक्ति जिसका नाम श्री वासिम मुजफ्फर हसन है, एक आप धोकेबाज है । उसने स्वयं स्वीकार किया है कि वह 12 वर्षों तक जेल में रहा था । वह लगभग आठ मामलों में दोषी पाया गया है क्रमशः बम्बई और इलाहाबाद में उसके विरुद्ध दो मामले विचाराधीन हैं। वह भूतपूर्व उप पुलिस अधीक्षक का पुत्र है । जिस मकान में वह रह रहा था उसके दूसरे भाग में दो सैनिक अधिकारी रह रहे थे । कुछ समय पश्चात उसका गलत व्यक्तियों से संपर्क हो गया था । संकट से बचने के लिए वह या तो अन्य व्यक्तियों पर जासूसी करने का आरोप लगाता अथवा स्वयं को जासूस बताता था । इस समय तक प्राप्त सूचना के अनुसार वह किसी जासूसी गतिविधि से संबंधित नहीं है।

पूछताछ के दौरान उसने जासूसी गतिविधि में केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो के एक अधिकारी का नाम लिया था । बाद में वह अपने कथन से मुकर गया । उसका तरीका ऐसा मालूम पड़ता है कि जब वह अपने आप को किसी गंभीर संकट में पाता है तो वह कहता है कि मुझे पाकिस्तान के बारे में महत्वपूर्ण बातों की जानकारी है और तब पुलिस कुछ देर के लिए उसे मान लेती है और वह संकट से बच जाता है । इस प्रकार वह अनेक व्यक्तियों को बेवकूफ बनाता है । वह एक कुख्यात धोखेबाज है ।

जहां तक इस मामले में जासूसी का संबंध है मैं अभी तक प्राप्त सूचना के आधार पर कह सकता हूं कि माननीय सदस्यों को इस बात के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : पाकिस्तान मध्य पूर्व के देशों में "ब्लैक सितम्बर" की भांति एक 'स्युसाइड स्क्वैड" बना रहा है, मैं जान सकता हूं कि क्या इस व्यक्ति का ऐसे स्क्वैड के साथ कोई संबंध है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : मेरे ध्यान में ऐसी बात नहीं आई है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित समाचार में जिसके आधार पर हमने यह प्रश्न पूछा था, यह स्पष्ट कहा गया है कि यह व्यक्ति मंत्री महोदय के अनुसार जो एक साधारण धोखेबाज है खास धोखेबाज नहीं, डिफेंस कालोनी के एक मकान में रह रहा था जिसका प्रयोग दिल्ली में एक उद्योगपति द्वारा पाकिस्तान को सूचना भेजने में हो रहा था । समाचार पत्रों में किये गये रहस्योद्घाटन के अनुसार चाहे उसने स्वीकार किया है अथवा नहीं, मैं जानना चाहूगा हूं कि क्या यह मामला उचित जांच के लिए केन्द्रीय गुप्तचर विभाग को सौंपा जायेगा क्योंकि इसमें दिल्ली का एक उद्योगपति अन्तर्ग्रत है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : उसके स्वयं के वक्तव्य तथा अब तक की गई पूछताछ के परिणामस्वरूप अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सूचना के अनुसार उसने दिल्ली के तथाकथित उद्योगपति से 5000 रुपये ठगे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह उद्योगपति कौन है ?

श्री उमाशंकर दीक्षित : हम इस समय उसका नाम नहीं बता सकते हैं, वह एक छोटा उद्योगपति है जो कोई छोटा मोटा व्यापार चला रहा है । संबंधित व्यक्ति के नाम, गतिविधियों आदि के बारे में कोई सनसनीखेज बात नहीं है । इस बारे में पूछ ताछ चल रही है । माननीय सदस्य मेरी बात पर विश्वास करें कि इस समय संदेह का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्रीमान, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

इस मामले में मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि एक उद्योगपति से 5000 रुपये ठगे गये हैं, हमारी सूचना के अनुसार, यह विशेष उद्योगपति श्री हसन का उपयोग अपने उद्देश्यों, व्यापार तथा पाकिस्तान को कुछ सूचनाएं भेजने के लिए करता था । इसलिए उसने उसे 5000 रुपये दिये थे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विशेष उद्योगपति को गिरफ्तार किया गया है अथवा नहीं ? वह इस कांड से संबंधित है ।

एक माननीय सदस्य : क्या उससे पूछ ताछ की गई है ।

श्री उमाशंकर दीक्षित : उससे पूछताछ की गई है । इस समय प्राप्त जानकारी के अनुसार वह उसकी धोखेबाजी का शिकार हुआ है ।

श्री शंकर राव सावन्त : आपराधिक प्रक्रिया संहिता में अपराध स्वीकृति का अर्थ मैजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध स्वीकृत करना होता है। इस व्यक्ति ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध स्वीकृति नहीं की है। उसने पुलिस के समक्ष अवश्य अपराध की स्वीकृति होगी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसने पुलिस के समक्ष अपराध स्वीकृति की है और यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : उसने इतने परस्पर विरोधी बयान दिये हैं कि उससे माननीय सदस्यों का मनोरंजन हो सकता है परन्तु सच्चाई का पता नहीं चलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इतना पर्याप्त है ।

राजकोट गुजरात में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव

*142 **श्री अरविन्द एम० पटेल :**
श्री डी० पी० जवेजा :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट, गुजरात राज्य में टैलीविजन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Arvind M. Patel: The hon. Minister has replied in a very usual way that the question does not arise. I want to know the reasons for the indifference shown towards Saurashtra region in this respect ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई०के० गुजराल) : प्रश्न सौराष्ट्र क्षेत्र की उपेक्षा करने का नहीं है। प्रश्न बड़ी संख्या में टेलीविजन केन्द्रों को स्थापित करने का है। दुर्भाग्यवश पांचवीं योजना के प्रारूप से लगता है कि हम अनेक स्थानों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित न कर पायेंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या यह इस कारण है कि सरकार गुजरात के कुछ अन्य स्थानों में टेलीविजन केन्द्र स्थापित कर रही है ?

श्री आई० के० गुजराल : यह विभाग नाडियाड के निकट कम शक्तिवाला स्टेशन स्थापित कर रहा है गुजरात के कुछ भाग को बाद में उपग्रह प्रसारण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जायेगा। टेलीविजन केन्द्रों के नक्शों में गुजरात को लाया जायेगा।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that there is no question of establishing TV Stations in Gujarat. As for the rest of the Country, has the Government decided as to in which States the TV Stations will be established and when they will start functioning ?

Shri I. K. Gujral : The Fifth Plan has not been finalised yet but only two or three Stations will be established under this Plan. At present Patna, Hyderabad and Cuttack are under consideration.

लघु उद्योग क्षेत्र में "टिनी" क्षेत्र की स्थापना

*143. **श्री आर वी० स्वामीनाथन्** :

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु उद्योग क्षेत्र में 'टिनी' (लघुतम) क्षेत्र नामक ऐसा क्षेत्र स्थापित करने का विचार कर रही है जिसमें, ऐसे उद्योगों को सम्मिलित किया जाएगा जिनसे एक लाख रुपये से कम मूल्य के स्थापित संयंत्र और मशीनें हों ?

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक किया जाएगा ; और

(ग) ऐसा करना किस सीमा तक सहायक होगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठते।

श्री आर० बी० स्वामीनाथन् : मैं जान सकता हूं कि सरकार का विचार इन (लघुतम) उद्योगों को कहां तक सहायता देने का है ?

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : ये उद्योग लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और इन उद्योगों को सहायता देने के लिए उपलब्ध सभी सुविधाएं इन लघुतम उद्योगों को भी उपलब्ध की जाएंगी।

साम्प्रदायिक घटनाओं को रोकने में असफलता पर कार्यवाही

*144. **श्री एच० एम० पटेल** :

श्री विश्वनाथ झुंझनवाला :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक, 20 सितम्बर, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि किसी भी राज्य सरकार ने देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक

घटनाओं को रोकने में असफलता पर अभी तक मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक जैसे किसी प्रवर अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की है ।

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस बारे में राज्य सरकारों से यदि कोई रिपोर्ट मिली है, तो वह क्या है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी हां, श्रीमान्।
(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीय एकता परिषद् ने सिफारिश की थी कि साम्प्रदायिक दंगों को न होने देने अथवा रोकने के लिये तुरन्त कार्यवाही करने हेतु जिला मजिस्ट्रेटों तथा पुलिस निरीक्षकों को निजीरूप में उत्तरदायी ठहराना चाहिए और तुरन्त तथा कारगर कार्यवाही करने में उनके असफल रहने पर उनके अपने कर्त्तव्यों की अवहेलना समझा जाना चाहिए और तदनुसार संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। उपयुक्त कार्यवाही करने के लिये सिफारिश को यथोचितरूप से राज्य सरकारों को बता दिया गया था।

2. साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के संबंध में विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में सूचना प्रस्तुत करने के लिये समय समय पर राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था। जनवरी, 1967 से जून, 1973 तक की अवधि के बारे में कुछ राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्र प्रशासनों से पूर्ण सूचना प्राप्त हो गई है और इन राज्यों में वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा अनुलग्न क-1 में दिया जाता है।

अनुलग्नक–1

21 नवम्बर, 1973 को उत्तर के लिये लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 144

राज्य का नाम	अधिकारी का पद	की गई कार्यवाही
1. आंध्र प्रदेश	1. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट	(1) चेतावनी दी गई
	2. पुलिस उप-निरीक्षक	(1) चेतावनी दी गई
2. मध्य प्रदेश	1. पुलिस उप महा निरीक्षक	(1) इन अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये हैं तथा मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।
	2. सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट	(1)
	3. पुलिस निरीक्षक	(2)
3. महाराष्ट्र	1. सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी	(2) (1) भविष्य में अधिक सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई (1) मामले की जांच हो रही है।
4. केरल	1. पुलिस उप-निरीक्षक	(1) निलंबित किया गया है।

टिप्पणी : (1) असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है।

(2) अन्य राज्यों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के संबंध में उपलब्ध सूचना से प्रतीत होता है कि बिहार सरकार छः मजिस्ट्रेटों के मामलों पर विचार कर रही है, तथा गुजरात सरकार ने एक जिला मजिस्ट्रेट से कहा है कि भविष्य में अधिक सावधानी रखें। एक पुलिस उप महा निरीक्षक की भर्त्सना की गई है और एक पुलिस निरीक्षक को फटकारा है ।

श्री एच० एम० पटेल : विवरण से स्पष्ट है कि वरिष्ठ अधिकारियों को कोई दंड नहीं दिया गया जबकि कनिष्ठ लोगों को दंडित किया गया और अनेक बार काफी कर्मचारियों की सेवाएं और पदोन्नतियां समाप्त की गई हैं। विवरण में यह भी नही बताया गया कि जिन्हें चेतावनी दी गई है, वह कब-कब दी गईं और जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था वह कब-कब मांगा गया और गड़बड़ी कब आरंभ हुई और स्पष्टीकरण मांगने की स्थिति तक कितना समय लगा—यह सब सूचना न होने के कारण विवरण अपूर्ण हैं—जैसे मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है कि पुलिस के उप महानिरीक्षक और सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट आदि से स्पष्टीकरण मांगा गया था और मामला राज्य सरकार के पास लंबित है—तो वहां गड़बड़ी कब हुई और स्पष्टीकरण कब मांगे गए और राज्य सरकार इन पर कब से विचार कर रही है ?

श्री रामनिवास मिर्धा : राष्ट्रीय एकता परिषद् की सिफारिश थी कि जिला अधिकारियों, अर्थात् जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक, जो शांति और व्यवस्था के प्रभारी हैं, साम्प्रदायिक दंगे रोकने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने के लिए व्यक्तिगत रुप में जिम्मेदार ठहराया जाये और यदि ये दंगे हों तो उन्हें सख्ती से दबा दिया जाये।

राज्य सरकार को ये अनुदेश दिये जाने के बाद, वे इन सिफारिशों की भावना के अनुसार कार्यवाही कर रही है और जैसा कि विवरण के परिशिष्ट से स्पष्ट है वरिष्ठ अधिकारयिों के विरुद्ध समय-समय पर कार्यवाही की जाती रही है न केवल कनिष्ठ अधिकारियों अपितु, अनेक मामलों में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जिलाधीश, उप-महानिरीक्षक, पुलिस आदि के विरूद्ध भी कर्तव्यों का पालन न करने के कारण कार्यवाही की जाती रही है।

जहां तक इन मामलों में विलम्ब की बात है, इस संबंध में जानकारी मेरे पास नहीं है, मध्य-प्रदेश के बारे में भिलाई में 26 जनवरी 1970 को हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में राज्य सरकार ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा था और यह मामला अभी विचाराधीन है। नवम्बर, 1971 में सियूनी में हुए दंगों के बारे में राज्य सरकार ने एक डी आई जी, एक पुलिस अधीक्षक और एक सबडिविजनल मजिस्ट्रेट से स्पष्टीकरण मांगा था और यह मामला अभी विचाराधीन है ।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय एकता परिषद की सिफारिश पढ़ कर सुनाई है परन्तु उसके जो शब्द ध्यान देने लायक हैं वे यह हैं :

".....सिफारिश की जाती है कि साम्प्रदायिक दंगों को न होने देने या उन्हें रोकने के लिए तुरन्त कार्यवाही करने के लिए जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप में जिम्मेदार ठहराया जाये और निरोधात्मक और प्रभावी कार्यवाही न करने पर इसे कर्तव्य की उपेक्षा समझते हुए तदनुसार कार्यवाही की जानी चाहिए।"

मध्य प्रदेश के बारे में 1970 और 1971 में हुए दंगों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने की कार्यवाही को ऐसे दंगें रोकने के लिए क्या तुरन्त की गई कार्यवाही माना जा सकता है ? दूसरे उन्होंने कहा है कि सभी राज्यों में की जा रही कार्यवाही का अनुलग्नक में स्पष्ट उल्लेख है ।

विवरण के अनुसार :

"असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा और संघ राज्य क्षेत्रों में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।"

निःसंदेह विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रीय एकता परिषद ने जिस प्रभावी कार्यवाही की अपेक्षा की है, वह की जा रही है।

अतः मंत्री महोदय स्वयं ही बतायें कि क्या की गई कार्यवाही वास्तव में प्रभावी और तुरन्त की गई है और क्या इनसे भविष्य में ऐसे दंगे रुक जाएंगें ?

श्री राम निवास मिर्धा : विवरण में मैंने बताया है कि असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा और संघ राज्य क्षेत्रों में अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है परन्तु यह कहना कि राज्य सरकारों ने ढील बर्ती है संभव नहीं है क्योंकि यद्यपि उन राज्यों में गंभीर घटनाएं हुई हैं और वहां अधिकारियों ने पूर्ववर्ती कार्यवाही नहीं की है तरन्तु इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है और उनके विरुद्ध किसी कार्यवाही को न किया जाना यह बात सिद्ध नहीं करता।

श्री एच० एम० पटेल : क्या वह यह कह सकते हैं कि जांच की गई थी और उन्हें अपने कर्त्तव्य का पालन न करने का दोषी नहीं पाया गया। यह स्पष्ट बात ही हमें संतुष्ट कर सकती है। यह कहना कि 'कोई कार्यवाही नहीं की गई' का अर्थ बिल्कुल भिन्न है।

श्री राम निवास मिर्धा : इन राज्य सरकारों ने हमें सूचना दी है कि अधिकारियों के विरुद्ध किसी कार्यवाही का न किया जाना इस बात का द्योतक नहीं है कि कर्त्तव्य की गंभीर उपेक्षा के बावजूद भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। जहां तक गुजरात का संबंध है, राज्य सरकार ने एक जिलाधीश को आगे और सतर्क रहने, एक डी०आई०जी०, पुलिस को कर्त्तव्यशील रहने और एक पुलिस अधीक्षक की निंदा करने की कार्यवाही की है रेड्डी आयोग ने उक्त दंगों के बारे में कर्फ्यू लागू करने में जिलाधीश द्वारा विलम्ब किया गया बताया है। तथापि आयोग के अनुसार "जिलाधीश ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई है जो शायद उसके अनुभवहीन होने और उसके यह समझने के कारण है कि उच्चतर अधिकारियों की प्रतीक्षा करना बेहतर होगा. . . . अनुभव न होने से यह कार्यवाही जानबूझकर की गई नहीं मानी जा सकती अतः हमें यह मामला यहीं ठप्प कर देना चाहिय।" प्रत्येक मामला अपनी प्रकार का होता है और उस पर वैसे ही कार्यवाही की जाती है। राज्य सरकारें उचित जांच के बाद जहां आवश्यक होता है कार्यवाही अवश्य करती है।

श्री एच० एम० पटेल : अन्य राज्यों के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है क्योंकि विवरण में केवल यही लिखा है कि कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री पीलू मोदी : मंत्री महोदय ने कहा है कि कार्यवाही न किए जाने का अर्थ किसी कार्यवाही का न किया जाना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Has the Central Government advised the State Governments not to conduct judicial enquries on Communal riots and where such enquires have been completed, then reports may not be published. Is it aware that judicial enquiry was held on Jabalpur riots and its report has yet to be published ? Same is the case of Tellicherry riots.

Shri Ram Nivas Mirdha: No Sir, it is not correct. It is upto the discretion of State Governments to decide when to publish enquiry reports or not to publish them at all. They do as they deem fit.

प्रधानमंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैं श्री पटेल से इस बात पर सहमत हूं कि राज्यों के स्तर पर जिस प्रकार इन पर कार्यवाही होती है हम उससे संतुष्ट नहीं हैं। कठिनाई यह है कि राज्य सरकारों के कार्यकरण में हम कहां तक दखल दे सकते हैं। हमने अधिक कठोर कार्यवाही और शीघ्र रोकथाम करने के उपाय करने के लिए अनुदेश दे रखे हैं परन्तु इन पर अमल न हो तब हमें आगे क्या करना है इस पर शायद हम जैसाकि मैं पहले भी सुझाव दे चुकी हूं विपक्षी दलों के नेताओं के साथ चर्चा कर सकते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं ताकि हमारी कार्यवाही को हस्तक्षेप न समझा जाए।

श्री एच० एम० पटेल : मैं प्रधान मंत्री के वक्तव्य का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि यही बात खुले आम कही जाये और सरकार का ऐसे प्रश्नों पर यही रवैया होना चाहिये ताकि विपक्षीदल और विधायक इस बात पर अपनी-अपनी सरकारों पर बल दे सकें। इसका बहुत अच्छा प्रभाव होगा परन्तु यदि यही कह कर बात समाप्त कर दी जाये कि 'कोई कार्यवाही नहीं की गई' तो यही लगता है कि राज्यों में सब ठीक है इसका तो बिल्कुल उलटा प्रभाव पड़ेगा।

श्री पीलू मोदी : प्रधान मंत्री के वक्तव्य के संदर्भ में क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : उनका वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट है। अब हमें अगले प्रश्न पर आना चाहिये।

श्री पीलू मोदी : मेरा सुझाव है कि इस महत्वपूर्ण मामले पर केन्द्र में सत्तारूढ़ दल राज्यों में अपने दल पर पर्याप्त प्रभाव डाल सकता है और क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है अतः इस पर राष्ट्रीय मत तैयार करके उस पर अमल करना चाहिये।

श्री समर गुह : मैं काफी समय से आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहा हूं। गृह मंत्रालय को दिए गए आंकड़ों के अनुसार इन दंगों की संख्या 1970 में 521, 1971 में 321; 1972 में 240 और 1973 में जून तक 104 है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनमें कितने व्यक्ति हताहत हुए, कितनी सम्पत्ति की हानि हुई, कितने व्यक्ति पकड़े गये और कितने को दंड दिया गया और विभिन्न राज्यों में अधिकारियों द्वारा.....

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत नहीं है।

श्री पीलू मोदी : श्री गुह जानना चाहते हैं कि कर्त्तव्य की उपेक्षा के लिए कितने व्यक्तियों को दंड दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में श्री गुह का यह आशय नहीं है। क्या वह यही जानना चाहते हैं ?

श्री समर गुह : जी नहीं। मैं इस संदेह में जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों ने दोषियों को पकड़ कर दंड देने की कार्यवाही की है, यदि हां, तो कितने व्यक्ति पकड़े गए तथा दंडित किए गए हैं, और राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा निर्दिष्ट सिद्धांतों के अधीन विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम निवास मिर्धा : वास्तव में यह एक अलग श्न है और इसकी सूचना मिलने पर ही मैं इसका उत्तर दे सकता हूं।

श्री समर गुह : क्या हुआ, श्रीमान्।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। मूल प्रश्न अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के बारे में था न कि दोषी व्यक्तियों के बारे में। आपने बाद में अपना प्रश्न बदल दिया और इसी प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री समर गुह : मैं की गई कार्यवाही का ब्यौरा चाहता हूं। कर्त्तव्य की उपेक्षा कोई हवाई चीज नहीं है। इसका आधार कतिपय घटनाएं हैं। यदि उन घटनाओं के आधार पर आंकड़े दिए गए हैं तो हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कर्त्तव्य की उपेक्षा हुई या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं बहस में नहीं पड़ता मंत्री महोदय इसका उत्तर दें।

श्री रम निवास मिर्धा : मेरा उत्तर यही है कि मूल प्रश्न वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में हैं। जहां तक दंगों की संख्या और की गई कार्यवाही का प्रश्न है इस का पृथक सूचना मिलने पर ही मैं उत्तर दे सकूंगा।

Award of Tamrapatras to Freedom Fighters

***146. Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the total number of Tamrapatras awarded so far in connection with the 25th Anniversary of Independence indicating the names of the persons awarded Tamrapatras;

(b) whether the attention of Government has been drawn to a news-item published in the 'Sewagram dated the 30th July that 35 per cent persons out of them are not eligible for being awarded Tamrapatras;

(c) whether the Criminal Investigation Department of Delhi Police is conducting inquiries against 36 persons who got Tamrapatras; and

(d) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) According to information so far available, 33529 Tamrapatras have been awarded till the 31st October, 1973. It is not possible to give the names of all these persons. However, names and other details regarding the recipients of the award are given due publicity by the State Governments/Union Territory Administrations at the time of presentation.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) Investigations in regard to a complaint alleging that 36 persons from Delhi who were not eligible had been sanctioned pensions or Tamrapatras, are being conducted by the Delhi Administration through Delhi Police. The investigations have not been completed. Suitable action will be taken in each case in the light of the enquiry report.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, I congratulate Shri Mohsin for his reply in very good Hindi. Many many congratulations to him.

Shri Lalji Bhai: In this process 33529 Tamrapatras have been awarded till 31 October, 1973 while 35 per cent people out of them were not entitled to this award. May I know the reasons for this lapse ?

Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dixit): He has said that 35 percent of the people were not entitle to these Tamrapatras. But we have not said that 35 per cent people to whom Tamrapatras have been issued are not entitled to these. The cases in respect of which complaints have been received are being looked into. We will be able to inform him as soon as the inquiries are complete.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, The hon. Minister has not replied to the question as to the criteria adopted for the award of Tamrapatras.

Shri Lalji Bhai: May I know the number of Congressmen as well as non-congressmen out of those 36 cases against whom inquiry is being conducted ? Secondly, may I know the action taken by the Government to see that there is no such lapse in future ?

Shri Uma Shankar Dixit: It is not possible for us to give these details untill we get information about these 36 cases.

Shri P. G. Mavlankar: May I know the number of those who have declined to accept the award of Tamrapatra and the reasons for not accepting the award ?

श्री एफ० एच० मोहसिन : हमारे पास ऐसे आठ व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने ताम्रपत्र स्वीकार नहीं किये हैं ।

Shri P. G. Mavlankar: After the hon. Minister was congratulated I started asking in Hindi with the hope that he will reply in Hindi to a Question asked in Hindi.

Shri F. H. Mohsin: I may reply in Hindi if the hon. Member so likes. We have got a list of 8 persons who have declined to accept the award. I may give the names if the hon. member likes.

Shri P. G. Mavlankar: Kindly tell us the names.

Shri F. H. Mohsin: 1. Shri Ghasi Ram (Rajasthan)

2. Shrimati Anjana Devi Chaudhury
3. Shri Jagannath Kakkar
4. Shri Narayana Pallai
5. Shri P. K. Kunju
6. Shri Achyuta Nandan
7. Haryana Government have not given names but there one person has declined to accept
8. Mir Mushtaq Ahmed.

Shri P. G Mavlankar: For what reasons they have declined ?

Shri F. H. Mohsin: It will take much time. If time is allowed I may give these reasons.

Shri Piloo Modi: May I know the number of those cases who have applied for this award and have furnished their particulars but have not been awarded Tamra Patras ? May I know the reasons for which Tamra Patras have not been awarded to those in respect of whom cases have already been verified ?

Shri F. H. Mohsin: All those who are freedom fighters and are getting pensions should be awarded Tamra Patras. Besides those, the people with more than 5 thousand income should also be awarded Tamra Patras. Statewise lists have been prepared in espect of those people who have been awarded Tamra Patras. Tamra Patras are awarded by the State Governments not by Central Government.

श्री पीलू मोदी : प्रधानमंत्री, श्रीमति इंदिरागांधी ने बहुत से ताम्रपत्र दिये हैं ।

Shri F. H. Mohsin: Prime Minister had distributed Tamra Patras for the first time on 15th August, 1972. After that there has been no function here and Tamra Patras are being distributed by the State Governments.

Shri Piloo Modi: We do not want function. We need Tamra Patras.

Shri F. H. Mohsin: Let me complete my reply. In those States where the distribution of Tamra Patras has not been undertaken in a proper wa , Home Minister has instructed them about the need of distributing Tamra Patras.

प्रो० मधु दंडवते : क्या 1946 की क्रांति में भाग लेने वाले रायल इंडियन नैवी के किसी सदस्य को ताम्रपत्र दिया गया है ? यह देश के लिये बड़े शर्म की बात है कि रायल इंडियन नैवी के किसी भी सदस्य को ताम्रपत्र नहीं दिया गया है । मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण दें । (**व्यवधान**) यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है । मंत्री महोदय इसका उत्तर दें । (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं भी यही प्रश्न पूछना चाहता था । यह उन लोगों के विषय में है । जिन्होंने ब्रिटिश शासकों के समय में यहां क्रांति की । ब्रिटिश शासकों ने इसे गदर कहा । क्या यह सच है कि जिन लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया था उनमें से किसी को भी ताम्रपत्र नहीं दिया गया है वे लोग रायल इंडियन नैवी के सदस्य थे । क्या यह सच है अथवा नहीं ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : मैं इस विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं । क्योंकि प्रत्येक मामले का सही महत्व निश्चित करना संभव नहीं था इसलिए श्री शाहनवाज खां की अध्यक्षता में इन मामलों पर ध्यान देने के लिए एक समिति बनाई गई । आजाद हिंद फौज के सैनानी सिविलियन.... (**व्यवधान**)

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं रायल इंडियन नैवी की बात कर रहा हूं ।

श्री उमा शंकर दीक्षित : मुझे खेद है ।

श्री एफ० एच० मोहसिन : जिन लोगों को ताम्रपत्र दिये गये हैं उन सभी की सूची हमारे पास उपलब्ध है । इन लोगों की अलग से कोई सूची हमारे पास नहीं है ..... (**व्यवधान**)

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : आजाद हिंद फौज के सैनानी तथा रायल नैवी दोनों को पेंशन योजना में सम्मिलित किया गया है और इसलिये वे भी ताम्रपत्र प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उन्हें ताम्रपत्र दिये गये हैं अथवा नहीं, यह बात हमें राज्य सरकारों से मालूम करनी पड़ेगी ।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिए अनिर्णीत आवेदन पत्र

*149. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित श्रेणियों के औद्योगिक लाइसैंसों के लिए अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्रों की वर्तमान स्थिति क्या है, (i) तीन माह से अधिक तथा 6 माह से कम से अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र, (ii) 6 माह और इससे अधिक परन्तु एक वर्ष से कम समय से अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्र ; (iii) एक वर्ष तथा इससे अधिक समय से अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र ; और

(ख) एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े आवेदन-पत्रों पर कब तक निर्णय किये जाने की आशा है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 1 नवम्बर, 1973 को तीन माह से अधिक किंतु 6 माह से कम के आवेदन पत्र 724, 6 माह से अधिक किन्तु 1 वर्ष से कम समय से अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र 881, तथा एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र 1472 थे।

(ख) इन आवेदन पत्रों को निपटाने के हर संभव यथाशीघ्र प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री के०एस० चावड़ा : सरकार ने 1 नवम्बर, को तथा इसके पश्चात् प्राप्त हुये आवेदन पत्रों के निपटान के लिये एक संशोधित प्रक्रिया निर्धारित की है। क्या मंत्री महोदय 1 नवम्बर, 1973 से पूर्व प्राप्त हुइ अपीलों तथा आवेदनों के निपटान के लिये एक विशेष तंत्र की स्थापना करेंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय औद्योगिक लाइसेंसों के लिये अनिर्णीत आवेदन पत्रों के निपटान के बारे में सावधिक, महीने में एक बार, प्रेस नोट जारी करने की वांच्छनीयता पर विचार करेंगे ?

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : जहां तक नई प्रक्रिया की बात है, तंत्र ने दोनों, औद्योगिक तथा परियोजना अनुमति के लिए सचिवालय के रूप में 1 नवम्बर, 1973 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है। वे समिष्ठ आवेदनों पर विचार करेंगे, और समय सीमा पहले ही निर्धारित कर दी गई है। यह प्रेस में अधिसूचित कर दिया गया है कि समिष्ठ आवेदनों की स्वीकृति में एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की मंजूरी सहित तथा मंजूरी के बिना कितना समय लगेगा।

अनिर्णीत मामलों के संबंध में पूंजीगत वस्तुओं आदि की मंजूरी के मामलों में 90 दिन, एकाधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की मंजूरी के बिना 120 दिन तथा मंजूरी सहित 150 दिन का समय लगेगा। अनिर्णीत आवेदन पत्रों की स्थिति बताते हुए मासिक प्रेस नोट जारी करना उचित नहीं होगा।

श्री विक्रम महाजन : यदि सरकार द्वारा निर्धारित समय में आवेदन पत्रों पर निर्णय नहीं किया जाता है तो सरकार का विचार सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है, दूसरे शब्दों में उन्हे क्या दंड दिया जायेगा ?

श्री प्रणवकुमार मुखर्जी : वास्तव में जब आवेदनपत्रों पर निर्णय करने के लिये समय निर्धारित किया गया है, तब नई प्रणाली के पीछे यही धारणा है कि विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निश्चित किया जाये विलम्ब की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

डा० हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में सबसे अधिक आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं, जिन पर अभी निर्णय किया जाना है ?

श्री प्रणवकुमार मुखर्जी : जी नहीं। रसायन विभाग का सूची में तीसरा स्थान है। वाणिज्य तथा हमारे अपने मंत्रालय में अधिक आवेदनपत्र अनिर्णीत पड़े हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इन अनिर्णीत आवेदनपत्रों में पश्चिम बंगाल में उद्योग स्थापित करने के लिये कितने आवेदन हैं और इस अवधि में पश्चिम बंगाल के लिये कितने लाइसेंस मंजूर किये गये हैं ?

श्री प्रणव कुमार मुखजी : वास्तव में, गत सप्ताह में, हमने एक ऐसे ही प्रश्न का उत्तर दिया है। यह प्रश्न विभागवार अनिर्णीत आवेदन पत्रों के विषय में है। राज्यवार आंकड़े बताना मेरे लिये संभव नहीं है।

श्री भागवत झा आज़ाद : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गत वर्ष, मंजूर किये गये कुल लाइसेंसों में से 54 प्रतिशत महाराष्ट्र को, अर्थात बम्बई को, मिले हैं, 5 प्रतिशत पश्चिम बंगाल को, 10 प्रतिशत पंजाब और हरियाणा के एक प्रतिशत उत्तर प्रदेश को बिहार आसाम तथा अन्य राज्यों को एक भी लाइसस नहीं मिला है। क्या इस असंतुलन को दूर करने के लिये सरकार अनिर्णीत लाइसेंसों पर विचार करेगी ? क्या लाइसेंस मंजूर करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा ?

औद्योगिक विकास और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी सुब्रहमण्यम) : माननीय सदस्य ने जो आंकड़े दिये हैं उनके बारे में मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं। महाराष्ट्र के लिये 54 प्रतिशत लाइसस नहीं दिये गये हैं। परन्तु जो लाइसेंस तथा आशयपत्र सरकार दे रही है उनमें से निश्चय ही महाराष्ट्र को अधिक लाइसेंस मिल रहे हैं। अब हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि सभी राज्यों को उनका उचित भाग प्राप्त हो।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश को 1 प्रतिशत और बिहार, उड़ीसा, आसाम को एक भी लाइसेंस नहीं, पश्चिम बंगाल को 5 प्रतिशत पंजाब तथा हरियाणा को 10 प्रतिशत तथा सबसे अधिक 54 प्रतिशत लाइसेंस महाराष्ट्र को मिले हैं। मंत्री-महोदय कृपया सही आंकड़े बतायें।

श्री सी० सुब्रहमण्यम : मेरे विचार से ये आंकड़े सही हैं। फिर भी, यदि आप कोई अलग से प्रश्न पूछ तो मैं जानकारी दे सकता हूं।

श्री भागवत झा आज़ाद : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। मंत्री महोदय इसका उत्तर दें। अलग से प्रश्न क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : यह अनिर्णीत आवेदनपत्रों के बारे में है।

श्री सी० सुब्रहमण्यम : यह अनिर्णीत आवेदनपत्रों के बारे में है। माननीय सदस्य मंजूर आवेदनपत्रों के बारे में जानकारी चाहते हैं। यह एक अलग प्रश्न है। अतः उन्हें नया प्रश्न पूछना चाहिये।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने यह कहा है कि विभिन्न राज्यों को दिये गये लाइसेंसों में संतुलन नहीं है। सरकार का गतवर्ष का कार्य निष्पादन देखते हुए क्या सरकार इस असंतुलन को दूर करने पर विचार करेगी ? मंत्री महोदय को हाँ या ना में उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न अनिर्णीत आवेदनपत्रों के बारे में है। यह राज्यवार लाइसेंसों की मंजूरी के बारे में नहीं है। यदि मंत्री महोदय को उत्तर देना है तो वह उत्तर देने से पहले इसे देख लें। आप उसके लिये एक अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, Separate Question is not needed.

श्री के० एस० चावड़ा : वह जानकारी एकत्र करके सभापटल पर रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप विषय-सम्बद्ध प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं। प्रश्न अनिर्णीत आवेदनपत्रों के बारे में है। माननीय सदस्य ने मंजूर किये गये लाइससों की प्रतिशतता बताई है। मंत्री महोदय इसकी जांच के लिये समय चाहते हैं। वह बाद में सदन को बता सकेंगे। अगला प्रश्न।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में डाइंग प्रिंटिंग और स्टिचिंग कार्य

*150. **श्री मूल चन्द्र वर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली डाइंग, फिटिंग और स्टिचिंग के अपने कार्य को बाहर के ठेकेदारों से कराता है ?

(ख) यदि हां, तो डाइंग, प्रिंटिंग और स्टिचिंग के लिए सामान देने के लिए भवन द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसके भुगतान का क्या तरीका है; और

(ग) क्या खादी आयोग को इस बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) खादी भवन के विभिन्न सेक्शनों द्वारा बताई गई आवश्यकताओं के आधार पर प्रबन्धक छपाई, रंगाई तथा सिलाई करने के लिए ठेकेदारों को माल देने का आदेश जारी करता है। जहां तक भुगतान का संबंध है, प्राप्त किए गए माल की जांच कर लेने तथा उन से सम्बन्धित बिलों का लेखा अनुभाग द्वारा संस्थापन कर लिए जाने के बाद ठेकेदार को चेक द्वारा किया जाता है।

(ग) एक शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच पड़ताल खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा की जा रही है।

Shri Phool Chand Verma: Sir, the bon. Minister in reply to part (c) of the Question has said that a complaint has been received. May I know as to when this complaint was received and what action has been taken on it so far ? Is it a fact that the Manager Khadi Gramodhyod has purchased burnt cloth amounting to ten thousand Rupeese 1973 and the cloth was released for stitching, if so, what action has been taken in this regard ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न के विषय क्षेत्र से बहुत दूर जा रहे हैं। आपने एक प्रश्न पूछा है। आप को उस प्रश्न का ही उत्तर मिलना चाहिये।

Shri Ziaur Rahman Ansari: Sir, the Secretary of New Delhi Khadi Workers Union made a complaint through a letter to Manager Khadi Bhavan and it is alleged therein that Khadi Bhavan, New Delhi had given 40 rolls of Khadi (Ten metres each) to a firm named Gadodia to which contract has been given whereas other firms do not normally get this much of Quantity . It is further alleged that 292 rolls were kept preserved for this firm. There is another complaint that the goods worth rupees 87,000 have been given to this firm only. When this report was received by Khadi Commission, they enquired into it. The results of the enquiry has not so far been received. But Khadi Gramodyog Commission are making an enquiry in this regard.

Shri Phool Chand Verma: May I know the time by which the report of the inquiry will be received ? Is it also a fact that there are independent officers incharge of the departments of dyeing, printing and stitching but the Manager Khadi Gramodyog in utter disrespect of the advice of the officers in charge acts arbitrarily and releases the cloth to the persons who are in his good books and the Commission has to suffer a loss of lacs of rupees due to that ?

Shri Ziaur Rahaman Ansari. This is not correct that the Manager gives contract only to those persons who are in his good books. The procedure for obtaining contract is that an advertisement for tenders for printing and dyeing is given in Newspapers. These tenders are opened as scheduled in the presence of all those who have given tenders. Those who are considered competent are granted contracts and all the cloth meant for dying and printing is released to the contractors through the Manager.

Shri Phool Chand Verma : I have said that the contracts are given in utter disrespect of the advice of the department officers in charge. Has it happened ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और औद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : ऐसी शिकायत की गई है कि एक फर्म के साथ भेदभाव किया गया है। इस बात की जांच की जा रही है। इस जांच से माननीय सदस्य के इस आरोप का भी पता चल जायेगा कि नियमों का उल्लंघन भी किया गया है अथवा नहीं। मैं इस बात के लिये प्रयत्न करूंगा कि इस प्रकार की पूरी जांच हो जिससे यह पता चले कि इस आरोप का क्या कोई आधार है।

Shri Panna Lal Barupal : May I know whether this is a fact or not that the entire designing for Khadi Printing is available in big firms of Bombay while the object of khadi is that the dyeing should be done by hand ?

Mr. Speaker: What is new in it. This has already been asked by Shri Verma in his two supplementaries which have already been replied to by the Minister.

Shri Panna Lal Barupal: I have asked about printing whether this done through big industrialists.

Mr. Speaker: The hon. Minister may reply if there is any new information involved.

श्री सी० सुब्रहमण्यम : कई प्रकार की छपाई हाथ से नहीं की जा सकती। संभवतया यह मशीन से की जाती है। परन्तु इस बात का मुझे पता नहीं कि यह छपाई बड़े उद्योगपतियों से कराई जाती है।

Shri Shankar Dyal Singh: Sir, there has been enough discussion on Khadi Gramodyog Commission in this House. Discussion has also been held about the urgentanities in Khadi Gramodyog Bhavan, Delhi. May I know whether the hon. Minister proposes to set up a Committee to look into such irregularities and take action in this regard !

श्री सी० सुब्रहमण्यम : हम खादी ग्रामोद्योग भवन जैसे संगठनों के कार्यों की समय-समय पर जांच करते हैं और यदि कोई गलत बात पाई जाती है और उसके लिये जांच आयोग नियुक्त करने की आवश्यकता होती है तो निश्चित रूप से ऐसा किया जाता है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए पात्रता

*156. **श्री शंकर राव सावंत :**

श्री वाई० ईश्वर रेंड्डी :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन के पात्र माने जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है जो (एक) मुकदमे के दौरान 6 महीनों के अधिक की अवधि के लिए जेल में रहे किन्तु उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया और (दो) जिन्हें 6 महीने अथवा इससे अधिक समय की सजा हो गई किन्तु गांधी-इर्विन समझौते के परिणामस्वरूप पहले ही छोड़ दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस निर्णय से कितने आवेदन-पत्रों पर प्रभाव पड़ेगा ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री शंकर राव सावंत : सदन में इसी विषय पर पहले हुई चर्चा के दौरान मंत्री महोदय ने कहा था अपितु सदन को आश्वासन दिया था कि इन श्रेणियों के बारे में शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि अभी तक कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया। क्या मंत्री महोदय कम से कम अब यह बतायेंगे कि कितने समय में निर्णय कर लिया जायेगा ?

गृहमंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : इस प्रश्न में दो श्रेणियों के स्वतंत्रता सैनानियों का उल्लेख है। पहले वो जो मुकदमें के दौरान 6 महीने से अधिक जेल में रहे परन्तु बाद में रिहा कर दिये गये, दूसरे वो जिन्हें 6 महीने अथवा अधिक का कारावास का दंड दिया गया परन्तु गांधी-इरविन समझौते के परिणाम-स्वरूप पहले ही रिहा कर दिये गये।

जहाँ तक दूसरी श्रेणी के सैनानियों की बात है, यद्यपि कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया फिर भी सरकार इस श्रेणी को सम्मिलित करने के पक्ष में है।

पहली श्रेणी के सैनानियों के सम्बन्ध में इन सैनानियों को उन स्वतंत्रता सैनानियों में सम्मिलित करना उचित नहीं समझा गया है जिन्हें पेंशन अथवा ताम्रपत्र दिये जायेंगे। यह मालूम करना बहुत कठिन

है कि कानून की किस धारा के अन्तर्गत उन पर मुकदमा चला और बाद में किन कारणों से उन्हें छोड़ा गया, क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया, क्षमा मांगी अथवा अन्य कारणों से उन्हें रिहा किया गया। इस कारण यह बहुत कठिन है । अतः इस सुझाव को स्वीकार करना उचित नहीं समझा गया है।

श्री शंकर राव सावंत : न्यायालयों के निर्णयों से यह मालूम किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति किसी आश्वासन देने पर रिहा किया गया। अतः इसके लिये कोई कारण नहीं है कि जो व्यक्ति मुकदमे के दौरान 6 महीने से अधिक जेल में रहे और जिन पर गम्भीर अपराधों के आरोप लगाये गये और जिन पर सैशन न्यायालयों में मुकदमे चले उन्हें स्वतंत्रता सैनानियों की श्रेणी में सम्मिलित न किया जाये। उन्होंने यातनायें सही हैं और वे मुकदमे के दौरान 6 महीने से अधिक जेल में रहे हैं।

श्री उमा शंकर दीक्षित : पहली बात यह है कि वे गम्भीर अपराध क्या थे जिनके आरोपों पर उनपर मुकदमे चलाये गये। मुझे एक बात स्पष्ट करनी है। यह नहीं मान लेना चाहिये कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसने कोई सेवा की अथवा कोई यातना सही उसे इस श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। एक निश्चित समय सीमा रखी गई है और पात्र होने के लिये वह सीमा 6 महीने कारावास है । राज्य सरकारों की अपनी योजनायें हैं जिनमें उन्होंने अन्य श्रेणियां सम्मिलित की हैं । वर्तमान योजना में ही इतना अधिक समय लग रहा है और हमें गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर ताम्र-पत्र देने की गलतियों की शिकायतें मिल रही हैं। अतः हमें योजना को सीमा से अधिक व्यापक नहीं बनाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्री वाई० ईश्वर रेड्डी उपस्थित नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

Written Answers to Questions

पांचवीं योजना के लक्ष्यों के बारे में योजना आयोग और मन्त्रालयों के बीच मतभेद

145. श्री राम राज सिंह देव : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 सितम्बर, 1973 के 'इकोनोमिक टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि पांचवीं योजना के लक्ष्यों और नीतियों के बारे में योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रालय के बीच भारी मतभेद हो गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट का अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) 22 सितम्बर, 1973 के "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के बारे में योजना आयोग को जानकारी है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी नीतियों और लक्ष्यों के बारे में योजना आयोग, केन्द्रीय मंत्रालयों से बराबर चर्चा करता रहा है। इन चर्चाओं के दौरान विचारों में मतभेद होना स्वाभाविक है।

इन चर्चाओं में एकमत होने के आधार पर और उपलब्ध वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए योजना प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

राज्यों में पेकेज कंसलटेंसी सर्विस

*147. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने "पेकेज कंसलटेंसी" सर्विस की व्यवस्था करने के लिये प्रत्येक राज्य में एक एजेंसी स्थापित करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) समायोजित परामर्श सेवा के अधीन उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

निवेश पूर्व सेवायें :–

(1) भावी उद्यमियों के लिये पूंजी निवेश के अवसरों तथा खपत के तरीकों का पता लगाने के लिये बाजार सर्वेक्षण करना;

(2) उद्यमियों को अधोलिखित के संबंध में जानकारी देने के लिये डाटा बेंक का विकास करना––

(क) देश तथा सम्बद्ध राज्य में पहले से स्थापित उद्योगों की उत्पादन क्षमता के उपलब्ध आंकड़े । अनुमान लगाना; (ख) औद्योगिक विकास के लिये अपेक्षित राज्यों के विकास केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाएं तथा उनकी संभाव्यता; (ग) अपेक्षित पूंजीनिवेश के अवसर तथा वित्तीय साधन; (घ) सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों आर्थिक व ऋण संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं व संगठनों सहित केन्द्र एवं राज्य स्तर के विभिन्न संगठनों व एजेन्सियों को विभिन्न सुविधाएं व सहायता तथा उपकरण की खरीद, कच्चा माल, विपणन अवसर, बिक्री संवर्द्धन;

(3) विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिये तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययनों को शुरूकरना;

निवेश सेवाएं

(4) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर ऋण लेने के हेतु उद्यमकर्त्ताओं को बातचीत करने में सहायता करना;

(5) तकनीकी प्रबंध विषयों पर पर्यवेक्षकीय तथा प्रबंधकीय कर्मचारियों तथा कामगरों को विशष उद्यमों में प्रशिक्षण तथा नियुक्ति में सहायता प्रदान करना;

(6) वित्तीय तथा उधार देने वाले संस्थानों से तथा भूमि खरीदने के लिये बातचीत करने हेतु परामर्शदात्री सेवाओं की व्यवस्था करना;

(7) निर्माण की तकनोलोजी/तकनीकी के चयन हेतु तकनोकी सलाह की व्यवस्था करना, संयंत्रों तथा उपकरणों छोटे मोटे मुख्य कच्चे माल का चयन, मूल्य के ब्यौरे, आयात की नीति आदि सहित उनके संभरण का पता लगाना;

(8) भवन निर्माण का पर्यवेक्षण तथा संयंत्रों की स्थापना और उनका चालू करना आदि;

निवेशोत्तर सेवाएं

(9) तैयार माल के मूल्य नियत करने के संबंध में परामर्श देना;

(10) लेखा रखने, उत्पादन शुल्क तथा बिक्री कर की अदायगी कच्चे माल की स्टाकिंग आदि के संबंध में परामर्श देना;

(11) सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं, एम्पोरिया, राज्य व्यापार निगम तथा अन्य माध्यमों से देश में विपणन तथा उत्पादन के निर्यात सहित विपणन अध्ययन तथा विक्रय संवर्धन में सहायता करना;

(12) आवैधिक दौरों तथा मार्गदर्शन के माध्यम से उद्योग स्तर की उत्पादकता में सुधार लाने में कम से कम समय में ऋण देने में सहायता करना;

(13) सहायता करने के उद्देश्य से चुने हुए विद्यामान एककों में आवधिक दौरे करना :— (क) उत्पादों की किस्म में सुधार करने हेतु उत्पादन तथा प्रबंध की समस्याए दूर करना तथा (ख) विस्तार आधुनिकीकरण, तथा विविधीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोट तैयार करना तथा आम-तौर से अपने पैरों पर खड़े होने तक उद्योगकर्त्ता को दो तीन वर्षों तक सहायता करना।

Use of Hindi in Official Work

***148. Shri G. P. Yadav:**
Shri Bhagirath Bhanwar:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government's attention have been drawn to the news-item published in daily "Hindustan" dated the 20th September, 1973 regarding the ignoring of orders for use of Hindi in official work; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b) Government's attention has been drawn to the news-item published in daily "Hindustan" dated 20-9-73. The allegations made therein are not specific.

In October 72, instructions had been issued to all Ministries/Departments that no employee desirous of doing the official work in Hindi should be discouraged by superiors and Secretaries.

Heads of Departments and Heads of offices located in Hindi-speaking areas were requested to issue office orders making it clear that an employee is free to do his work in Hindi or English under the Official Languages Act, except in special cases where for want of authorised translations of statutes or rules, heads of offices may require them to be examined in English. In pursuance of these instructions most of the Ministries and Heads of Departments have issued the orders.

टायर और टयुब उद्योग के विकास में विदेशी कम्पनियों का योगदान

*152 **श्री सत पाल कपूर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डनलप, सिएट और फायरस्टोन जैसी विदेशी टायर और ट्यूब फर्मों से अपनी तकनीकी जानकारी भारतीय निर्माताओं को सौपने के लिए कहा है, यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रहीं ? और

(ख) भारत में टायर और ट्यूब उद्योग के विकास में विदेशी कम्पनियों ने कितना योगदान दिया है और इसमें उनके भावी योगदान के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जबकि सरकार ने इस मामले में कोई विशेष दृष्टिकोण नहीं अपनाया है तो भी डनलप सिएट तथा गुडइयर के संबंध में विदेशी सहयोग के पुनर्नवीकरण के अनुमोदन पर इन कम्पनियों को विदेशी सहयोगियों समेत परस्पर निर्धारित शर्तों के अनुसार समझौते के अधीन अन्य भारतीय कम्पनियों को अथवा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं को उप-लाइसेंस देने तकनीकी जानकारी, उत्पादन डिजाइन, इंजीनियरी डिजाइन देने हेतु विशेष रूप से अनुमति देकर सहमति प्रकट की है। फायर स्टेशन के मामले में विदेशी सहयोग के पुनर्नवीकरण के लिए अभी सहमति नहीं दी गई है। प्रथम दृष्टता ऐसा जान पडता है कि निर्णय उनके पक्ष में होगा।

टायर और ट्यूब के संपूर्ण उन्पादन में विदेशी प्रबन्ध की कम्पनियों का भाग 80 प्रतिशत है। विदेशी सहयोग के जारी रहने से अव्यतम तकनीक तथा आधुनिक डिजाइन प्राप्त करने में भारतीय टायर और ट्यूब उद्योग को सहायता मिलेगी। सहकारी क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र में सरकार उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने के लिए इच्छुक है। ईक्विलटी में उत्पादन संबंधी उनका अंशदान निम्न प्रकार है :--

कम्पनी का नाम	ईक्विटी में विदेशी अंश
1. मैं० डनलप इण्डिया लि०	52.54 प्रतिशत
2. मैं० फायर स्टोन	100 प्रतिशत
3. सिएट इण्डिया	50.24 प्रतिशत
4. मैं० गुड इयर	63.08 प्रतिशत

"यू० एस० फाइनैंस्ड रिसर्च यूनिट-ए सिक्यारिटी हजार्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*153. **श्री वयालार रवि :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 अक्तूबर, 1973 के "पैट्रियट" में "यू० एस० फाइनैंस्ड रिसर्च यूनिट–ए सिक्योरिटी हजार्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) : जी हां, श्रीमान् ।

(ख) समाचार में समाहित आरोपों को सिद्ध करने के लिए सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

Allotment of Residential Land to Adivasis

***154. Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is proposed to give residential land to the landless and homeless Adivasis in the Fifth Five Year Plan.

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) if not, the Government's objection to such a proposal ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Nivas Mirdha): (a) and (b) Yes, Sir. It is proposed in the Fifth Plan to provide to the extent possible, house sites to landless and homeless workers in rural areas including those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The proposals have not been finalised as yet.

(c) Does not arise.

विदेशों से ट्रायरों का आयात

***155. श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री श्रीक्रम महाजन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने विदेशों से टायर आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) वर्तमान निति के अनुसार इस समय देश में जिन आकारों के टायरों और ट्यूबों का उत्पादन नहीं हो रहा है उनके आयात की अनुमति दी जाती है ।

2 बिजली की कटौती और मजदूरों की हड़तालों आदि के कारण चालू वर्ष में टायरों और ट्यूबों के उत्पादन में गिरावटें आई हैं । बिजली की सप्लाई में सुधार हो जाने और श्रमिक संबंधों के सामान्य हो जाने से सम्भरण स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जाने की आशा है ।

3 उत्पादन में होने के फलस्वरूप उत्पादन कठिन सम्भरण स्थिति से पार पाने के लिये उद्योग द्वारा करीब 50,000 टायरों का आयात करने का सुझाव दिया गया था । सरकार ने सीमित संख्या में विशेष रूप से बसों, ट्रकों और ट्रैक्टरों के टायरों के आयात की अनुमति देने का निश्चय किया था । राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों को भी उनकी मोटर गाड़ियों के फालतू किस्मों के लाईसस पर सीमित मात्रा में

आयात करने की अनमति प्रदान की गई है। राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों और अन्य उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने के लिय राज्य व्यापार निगम के माध्यम से 25 प्रतिशत लंका और जापान से इकट्ठे टायरों का आयात किये जाने का भी विचार है।

यू० एन० आई० तथा राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों को सरकारी निगमों में परिवर्तित करना

*156. **श्री के० लक्कप्पा :**
श्री पुरुषोत्तम काकोड्कर :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यू० एन० आई० कर्मचारी संघ ने केन्द्रीय सरकार से यू० एम० आई० तथा अन्य राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों को सरकारी निगमों में परिवर्तित करने का अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : (क) : जी, हां।

(ख) मामले की जांच हो रही है।

Meeting of Central Advisory Council of Industries

***157. Shri M. G. Daga:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the number of meetings held by the Central Advisory Council of Industries during 1971 and 1972 and whether he had also attended those meetings;

(b) if so, the suggestions and grievances put forward by the Council; and

(c) the action taken by Government to accept these suggestions and redress the grievances ?

The Minister if Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) The meetings of the Central Advisory Council of Industries were held in November, 1971 and in November, 1972. The meeting held in November, 1971 was presided over by the then Minister for Industrial Development, Shri Moinul Huque Chowdhry, while the meeting held in November, 1972 was presided over by Shri C. Subramaniam

(b) In these meetings, the members expressed concern over the deteriorating rate of industrial growth and tried to identify the causes thereof. The delays in grant of industrial approvals, shortage of power and raw materials, lack of emphasis on development of indigenous R&D, development of backward areas and problems of small scale sector were some of the main points raised in the meetings.

(c) In announcing its decisions on industrial policy in February, 1973, the Government have clearly enunciated the roles of various sectors such as small and medium scale sectors, public sector, large houses and foreign companies and the joint sector. With a view to bringing in further clarity in industrial licensing, the orders regarding exemption

from industrial licensing were rationalised and a consolidated Notification was issued. The constraint of foreign exchange for import of capital goods as one of the conditions for eligibility for exemption from industrial licence has been removed. This will enable cases which hitherto required industrial licence to be submitted straightaway for consideration by the Capital Goods Committee for the import of capital goods. This measure will go a long way in expediting investment decisions.

Another step taken by Government to further rationalise and expediate investment decisions and to assist the enterpreneurs, particularly those in the small and medium sectors, to have a clear idea of the areas in which Government would like to encourage investment, is the issue of Guidelines for Industries. These guidelines bring out policies relating to industrial licensing, foreign collaboration etc. and contain information in respect of 110 industries in which , it is felt, that further scope for investment exists. These Guidelines will be updated and issued every year.

With a view to expediting the industrial approvals, a revised procedure has been introduced with effect from the 1st November 1973. A Secretariat for Industrial Approvals has been set up and time limits for clearance of licensing applications and other approvals have been prescribed. The applications for industrial licence would, according to the new procedure, be cleared within 90 days and those involving clearance under MRTP Act would be disposed of within 150 days. A Special Committee, namely, Project Approval Board, has been set up to consider composite applications

The subsidy for investment in backward areas has been raised from 10% to 15% This subsidy is now available to those investing up to Rs. 1 crore as against the limit of Rs. 50 lakh prevailing before.

Govt. are laying more stress on the development of R&D in the country. Apart from encouraging the development of inhouse R & D facilities in individual undertakings, the establishment of separate agencies for R&D for major industries such as pulp and paper is under consideration.

With a view to providing Fillip to the growth of entrepreneurship in the small and medium sectors, Government had appointed a Committee under the Chairmanship of Shri R. S. Bhatt of Indian Investment Centres. The Committee has recently submitted its report.

डाक तथा रेल डाक सेवा विभागों के कार्यकरण में सुधार

*158. **श्री प्रभुदास पटेल :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संचार मंत्रालय में हाल ही में स्थापित एक डाक प्रक्रिया सैल ने डाक तथा रेल डाक सेवा विभागों के कार्यकरण में सुधार करने के बारे में अनेक सिफारिशें की हैं, और

(ख) यदि हां, तो की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन्हें किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) डाक प्रक्रिया सैल ने डाकघर और रेल डाक-सेवा के काम काज की प्रक्रियाओं में 95 परिवर्तिन करने की सिफारिश की है। इनमें से तीस सिफारिशें मान ली गई हैं और तदनुसार आदेश जारी कर दिए गए हैं। सिफारिशों की जाच के बाद 23 सिफारिशें अस्वीकार कर दी गई हैं। डाक प्रक्रिया सैल की मुख्य सिफारिशें ये हैं :—

(i) जिन शहरों में वितरण-पर्ची प्रणाली (डिलीवरी स्लिप सिस्टम) लागू हों, वहां रजिस्ट्री डाक वस्तुओं के लिये कागज की छोटी पर्चों पर रसीद लेना बंद कर दिया जाय क्योंकि इस प्रक्रिया में दोहरा काम हो जाता है।

(ii) झंझोले साइज के डाक-घरों में बहु-उद्देश्यीय काउंटर खोले जाए ताकि एक ही काउंटर पर कोई गाहक एक ही समय में कई डाक सुविधाओं का लाभ उठा सके।

(iii) समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रेशन के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं का सत्यापन करने की प्रक्रिया समाप्त करके रजिस्ट्रेशन को प्रक्रिया आसान कर दी जाय और समाचार-पत्रों का रजिस्ट्रेशन करने अधिकार डाक-घर के मंडल अधीक्षकों को दे दिए जायें।

(iv) गैर-रजिस्ट्री डाक वस्तुओं के वितरण का प्रमाण प्रस्तुत करने की दृष्टि से "रेकार्डेड डिलीवरी सर्विस" नामक एक नई डाक-सेवा चालू की जाय।

(v) चूंकि रजिस्ट्री डाक वस्तुएं प्राप्त होने का पूरा रिकार्ड पहले से ही मौजूद रहता है, इसलिए वितरण डाकघरों में रजिस्ट्री वस्तुओं पर डाक मुहर की छाप लगाने की पद्धति समाप्त कर दी जाय।

उपर्युक्त सभी सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं और सिर्फ रेकार्डेड डिलीवरी सर्विस संबंधी सिफारिश को छोड़ कर, जिसकी जांच की जा रही है, बाकी सभी प्रक्रियाएं लागू करने के संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

रेल डाक-सेवा शाखा के बारे में डाक प्रक्रिया सैल ने ये सिफारिशें की थीं—(i) रेल डाक सेवा के ट्रेनों में काम करने वाले अनुभागों (रनिंग सैक्शन) से रजिस्ट्री का वह काम हटा लिया जाय जिससे वितरण के संबंध में कोई लाभ नहीं होता बल्कि उस से सैक्शन का काम और ज्यादा बढ़ जाता है (ii) उप-रेकार्ड कार्यालयों में वर्क-पेपरों की दूसरी जांच की प्रक्रिया खत्म कर दी जाय और (iii) उन हवाई डाक थैलों का काम बन्द कर दिया जाय जिनकी अन्तर्वस्तुओं की डिलीवरी उनके गंतव्य स्थान पर करने में इससे कोई लाभ नहीं होता। ये सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और तदनुसार आदेश जारी कर दिए गए हैं।

किराया खरीद सुविधाओं को प्राप्त करने के पश्चात् पिछड़े क्षेत्रों से उद्योगों को स्थानान्तरित करना

*159 **श्री सरजू पांडे** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किराया खरीद सुविधाओं को प्राप्त करने के पश्चात् कुछ उद्यमकर्त्ताओं के पिछड़े क्षेत्रों में स्थिति अपने उद्योगों को अधिक लोभप्रद क्षेत्रों में स्थानान्तरित कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

उपग्रह वाहन

*160. **श्री सी० जनार्दनन :**
श्री सी० के. चन्द्रप्पन :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में थम्बा स्थित राकेट छोड़ने वाले केन्द्र में अब एक उपग्रह वाहन तैयार किया जा रहा है ।

(ख) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) थम्बा से उपग्रहों को छोड़ने के लिए भारत निर्मित उपग्रह-वाहन को कब तक उपयोग में लाया जाने लगेगा; और

(घ) क्या यह विदेशी सहयोग से तैयार किया जा रहा है ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, हां ।

(ख) उपग्रह प्रक्षेपण वाहन परियोजना की अभिकल्पन प्रावस्था पूर्ण हो गयी है और इसके अन्य भागों के विकास का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(ग) प्रथम "पूरी तरह से परीक्षण" वर्ष 1978 में किसी समय श्री हरिकोट से किये जाने की आशा है ।

(घ) जी, नहीं ।

Disappearance of an employee of Bhagalpur Telephone Exchange

1403. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Shrimati Sati Bhattacharya working in the Bhagalpur Telephone Exchange disappeared in mysterious circumstances since 9th August, 1973;

(b) if so, the full facts of the incident; and

(c) the steps taken so far to trace her ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) and (b) Shrimati Bhattacharya working at Bhagalpur Telephone Exchange performed her duties from 10.00 to 17.20 hours on 7-8-73. She did not turn up for performing her duties thereafter. She is reported to be missing from her house from 8-8-73.

(c) Shri K. L. Bhattacharya husband of Shrimati Bhattacharya has lodged a report with the police that his wife has been missing from his house since 8-8-73. The depart-

mental authorities at Patna have requested Suprintendent of Police, Bhagalpur for thorough and prompt investigations. The result of the Police investigations is still awaited.

रोहतक रोड, दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में टेलोफोन कनेक्शन

1404 **श्री हरी सिंह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोहतक रोड़, दिल्ली की मदन पार्क, चुन्नामल पार्क मनोहर पार्क, जयदेव पार्क, फूल बाग, अशोक पार्क (मुख्य तथा एक्सटेंशन) तथा पंजाबी बाग कालोनियों से विशेष श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन लेने के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिन्हें अभी तक टेलीफोन नहीं दिये गये, और

(ख) उन्हें अभी तक टेलीफोन न दिये जाने के क्या कारण हैं और सरकार उन्हें कब तक टेलीफोन प्रदान करने का विचार रखती है

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 705.

(ख) टेलीफोन की 705 अनिर्णीत मांगों में से 30 मागों को पूरा करने का निर्णय पहले से ले लिया गया हैं, लेकिन जमींदोज केबिल पेयर्स की कमी के कारण इन 30 मामलों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिए जा सके। इन इलाकों में अतिरिक्त केबिल डालने का काम मार्च 1974 तक पूरा होने की संभावना है। तत्पश्चात् ये 30 टेलीफोन कनेक्शन दे दिए जाएंग। टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता सीमित है। इस कारण, जब तक कि इस इलाके के एक्सचेंज में टेलीफोन देने की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं हो जाती, और अधिक टेलीफोन कने क्शन देना संभव नहीं होगा। इस तरह की व्यवस्था करने में अभी काफी ज्यादा समय लगेगा। इसलिए इन इलाकों में काफी संख्या में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ लगाने का प्रस्ताव है।

केरल के पिछड़े ज़िलों के विकास की योजना

1405. . **श्री वयालार रवि :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के औद्योगिक विकास की कोई योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है, और

(ख) यदि हां, तो केरल राज्य द्वारा भेजे गये प्रस्तावों की रूप-रेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जिआउर रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल सर्किल में टेलोफोन

1406 **श्री वायलार रवि :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सर्किल में वर्ष 1972–73 के दौरान टेलीफोन लेने के लिए कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) इस बीच उनमें से कितने व्यक्तियों को टेलीफोन प्रदान कर दिये गये हैं और कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ग) आवेदकों को उस सर्किल में टेलीफोन उपलब्ध कराने में निरन्तर विलम्ब के क्या कारण हैं और शीघ्र टेलीफोन प्रदान कराने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्री तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 6032

(ख) दिए गए कनेक्शनों की संख्या	2448
बकाया पड़ी अर्जियां	3584

(ग) एक्सचेंज उपस्कर केबल और लाइन स्टोर की कमी की वजह से टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब हुआ है। टेलीफोन की संपूर्ण मांग को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त उपस्कर और स्टोर्स की व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों को समाचार पत्रों के समाचारों के आधार पर पेंशन की मंजूरी

1407. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत सी भूतपूर्व रियासतों, निर्जन बन्दी-गृहों में 6 मास से भी अधिक समय तक रखा गया था और पुरसने रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे मामलों पर विचार किया है और ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को उस अवधि के समाचारपत्रों के समाचारों के आधार पर पेंशन मंजूर की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) स (ग) : इस योजना का लाभ उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी पहुंचाने का निर्णय किया गया है जिन्हें भूतपूर्व रियासतों में छः महीने से अधिक अवधि के लिये जेलों में रखा गया था किन्तु उन पर वास्तव में विचारण नहीं किया गया था। प्रत्येक रियासत के लिये संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की गई अथवा स्थापित की जाने वाली एक समिति द्वारा उनकी पात्रता पर विचार किया जाएगा। तदनुसार राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इस मामले में लिखा गया है। स्वतंत्रता सेनानियों को राजनैतिक यातनाओं के अपने दावों को सिद्ध करने के लिए उस समय के समाचार पत्रों की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसे मामलों को अन्तिम रूप देने में इन समितियों की सिफारिशों पर यथोचित विचार किया जायेगा।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों द्वारा हड़ताल की धमकी

1408. **श्री विश्वनाथ झुंझुवाला** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों ने अपनी मांगों पर बल देने के लिये हड़ताल पर जाने की धमकी दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिय है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में बेरोज़गार इंजीनियरों तथा तकनीशियनों के लिये वित्तीय सहायता

1409. **श्रीमती कृष्णा कुमारी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1972 से सितम्बर, 1973 की अवधि में राजस्थान राज्य में बेरोजगार इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) इस प्रयोजन के लिये वर्ष-वार नियतन क्या है; और

(ग) आगामी योजना के दौरान बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार देने के लिए सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) **और** (ख) : प्रश्न में उल्लिखित अवधि के दौरान बेरोजगार इंजीनियरों और तकनीशियनों के लिये राजस्थान सरकार को दी गई वित्तीय सहायता के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, योजना आयोग में प्राप्त सूचना के अनुसार कई विशेष-रोजगार-स्कीमों, जिसमें इंजीनियर और तकनीशियन भी शामिल हैं, के अंतर्गत राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता के वर्षवार आंकड़े निम्न प्रकार से हैं :—

(लाख रु०)

वर्ष	इंजीनियरों और तकनीशियनों को मिलाकर शिक्षित बेरोजगारों का कार्यक्रम (1971–72 में आरम्भ) में	राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम (1972-73 आरम्भ)††	पांच लाख लोगों के लिए रोजगार कार्यक्रम (1973-1974 में आरम्भ)
1	2	3	4
1971-72	80.00	—	—
1972-73	135.81	126.00	—
1973-74	129.85	107.33	274.62†

†274.62 लाख रु० के कुल प्रावधान में से 93.52 लाख रु० की राशि को उन स्कीमों पर खर्च करने की सम्भावना है जिनसे इंजीनियरों और तकनीशियनों (अर्थात् आई० टी० आई० प्रमाणपत्र धारक व तकनीकी डिप्लोमा धारक) को रोजगार दिया जाएगा।

††1972-73 में जो विशेष रोजगार कार्यक्रम आरम्भ किया गया था, उससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षित व अशिक्षित लोगों को लाभ पहुंचने की संभावना है।

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) अभी तैयार हो रही है फिर भी, बेरोजगार इंजीनियरों को रोजगार दिलाने के लिये सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाने का प्रस्ताव है।

ब्रिटेन से अन्तरिक्ष राकेट उपकरणों की खरीद

1411. **श्री भागीरथ भंवर :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भारत का विचार ब्रिटेन से अन्तरिक्ष राकेट उपकरण खरीदने का है; यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ;

(ख) उपकरणों के लिए अनुमानतः कितना मूल्य दिया जायेगा; और

(ग) उससे क्या लाभ होंगें ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन का विचार ब्रिटेन के स्पेडियेडम स्थित "योरोपीय अंतरिक्ष वाहन प्रक्षेपक विकास संगठन" से लगभग 33,000 पौंड की लागत से जिसमें वेष्ठन एवं वहन-शुल्क प्रभार अतिरिक्त होंगें, स्थैतिक जांच व "मूल्याकंन सम्मिश्रण" हेतु संस्थिति का पता लगाने वाले दो कम्प्यूटर और उपकरण आदि खरीदने का है ।

(ग) राकेट की जांच हेतू संस्थिति का पता लगाने वाले कम्प्यूटर सामान्य ढंग से बने हुए हैं और वै स्थैतिक जांच करने व राकेट-मोटरों की परिवर्तनशील अधिक ऊंचाई पर जांच करने और पाइरो-तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने हेतु अत्यन्त उपयोगी हैं। इसके अलावा, तै किये गये मूल्यों पर उप-लब्ध वे उपकरण अच्छी परिचालित अवस्था में हैं।

दिल्ली में टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में टेलीफोन मैकेनिक के स्थाई तथा अस्थाई पद

1412. **डा० गोविन्द दास रिछारिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में टेलीफोन मेकेनिक्स की कुल संख्या कितनी है और उनमें पृथक पृथक स्थाई और अस्थाई पद कितने हैं ;

(ख) ऐसे मेकेनिक्स की संख्या कितनी है जिनका सेवाकाल पांच वर्ष से अधिक हो चुका है और वे अभी तक अस्थाई हैं और

(ग) जिन तकनीशनों का सेवाकाल तीन वर्ष से अधिक हो चुका है कम से कम उनको स्थाई बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उटाने का विचार है।

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) टेलीफोन मैकेनिक पदों की स्वीकृत संख्या

स्थायी	945
अस्थायी	91
कुल स्वीकृत संख्या:—	1036

काम कर रहे टैलीफोन मैकेनिकों की संख्या

स्थायी कर्मचारी	668
अस्थायी कर्मचारी	212
योग :—	880

(ख) 146

(ग) ऐसे सभी टेकनीशियनों को स्थायी करने के बारे में विचार किया जा रहा है जिन्होंने अपनी सेवा के तीन साल पूरे कर लिये हैं। उनके मामलों पर विभागीय पदोन्नति समिति कार्यवाही कर रही है। 13 टेक्नीशियनों को छोड़कर, जिनके मामलों पर विभागीय पदोन्नति समिति विचार कर रही है, इन टेक्नोशियनों को पहले ही स्थायित्व घोषित किया जा चुका है।

दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में टेलीफोन मैकेनिक्स के रिक्त पद

1413. **श्री गोविन्द दास रिछारिया :**
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में टेलीफोन मेकेनिक्स (तकनीशनों) को कुल संख्या कितनी है और इस समय कितने व्यक्ति वास्तविक रूप में कार्य पर लगे हुए हैं तथा उन तकनीशनों सहित जो दूसरे टेलीफोन सर्किलों में प्रतिनियुक्त किये गये हैं, और प्रत्येक एकसचेंज में, कितने पद रिक्त पड़े हैं; और

(ख) रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) :

(क) टेक्नीशियनों के पदों की स्वीकृत संख्या

स्थायी	945
अस्थायी	91
कुल स्वीकृत संख्या	1036
काम कर र टेकनीशियनों की संख्या	880
खाली जगहें	156

4 टेकनीशियन कुवैत में डेपूटेशन पर हैं।

5 टेकनीशियन तकनीकी एवं विकास सर्किल जबलपुर में डेपूटेशन पर हैं।

5 टेक्नीशियन दूसरे विभागों में डेपूटेशन पर हैं।

(ख) 124 उम्मीदवार प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दिसम्बर 1974 तक की अनुमानित जगहों को पूरा करने के उद्देश्य से 386 बाहरी उम्मीदवारों को टेक्नीशियनों के रूप में पहले ही भर्ती किया जा चुका है। 226 विभागीय उम्मीदवारों को भरती करने की कार्यवाही चल रही है। दो दलों को जिनमें कुल 64 व्यक्ति हैं, 26-11-1973 से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये आदेश दे दिए गए हैं।

हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यकरण की समीक्षा के लिये समिति

1414. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना के कार्यकरण की समीक्षा के लिये एक समिति बनाई है ;

(ख) समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं और समिति द्वारा, इस विषय के अन्य किन पहलुओं की समीक्षा किये जाने की आशा है ; और

(ग) समिति द्वारा प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्।

दिनांक 24 सितम्बर, 1973 के संकल्प की प्रतिलिपि जिसके अधीन इस मंत्रालय को हिन्दी शिक्षण योजना की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करने के लिये एक समिति बनाई गई है, सदन के पटल पर रखी जाती है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5755/73]

संकल्प में समिति के सदस्यों के नाम तथा विचारार्थ विषय दिये गये हैं। समिति को अपने गठन के छः महीनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

पर्यावरण सम्बन्धी सुरक्षा

1415. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का ध्यान महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक स्थानों, क्षेत्रीय योजना, नगरीय भीड़-भाड़ तथा अन्य पर्यावरण संबंधी पहलुओं के बारे में कराये गये अध्ययन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या योजना आयोग ने विकास प्रक्रिया को युक्तियुक्त तथा उपयुक्त बनाने तथा पर्यावरण संबंधी सुरक्षा पर पर्याप्त बल दिए जाने की आवश्यकता की ओर अन्य राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राज्यों पर इस बात के लिये बल दिया गया है कि वे वायु और जल के पर्यावरणीय दूषण के खिलाफ नियमों को कठोरता से लागू करने सहित, सामयिक तथा ठोस कार्यवाही करें।

यह देखते हुए कि रक्षोपायों के अभाव में, उद्योग पर्यावरणीय दूषण पैदा कर सकते हैं, दूषण के हानिकारक प्रभाव को कम से कम करने के लिये योजना आयोग इस समय पर्यावरणीय आयोजना तथा समन्वय पर राष्ट्रीय समिति की सहायता से औद्योगिक स्थानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्तों का एक सैट विकसित करने का काम कर रहा है। इसके अलावा, पर्यावरणीय आयोजन तथा समन्वय पर राष्ट्रीय समिति परामर्शदात्री सेवाओं और पर्यावरणीय नियंत्रण के लिए उपकरण का निर्माण समेत, पर्यावरणीय नियंत्रण पर सूचना का स्रोत की निदेशिका तैयार कर रहा है।

देश में रेडियो सेट

1416. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री राजदेव सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रति सौ व्यक्तियों पर कितने रेडियो सेट हैं तथा विकासशील देश में सामान्यतः प्रति सौ व्यक्तियों पर कितने रेडियो सेट होने चाहियें ;

(ख) क्या 1972 के दौरान भारत में नए रेडियो लाइसेंसों की संख्या में इससे पूर्व वर्ष की तुलना में केवल मामूली वृद्धि हुई है ; जबकि लाइसेंस फीस तथा अधिभार से होने वाली कुल आय घटती जा रही है ;

(ग) क्या कुछ राज्यों में रेडियो लाइसेंसों की संख्या में उल्लेखनीय कमी हुई है ; उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या मंत्रालय ने रेडियो लाइसेंसों की संख्या में हो रही कमी के कारणों का पता लगाया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भारत में प्रत्येक 100 जनसंख्या पर 2.3 रेडियो सेट हैं। यूनेस्को के मानदंडों के मुताबिक किसी विकासशील देश में प्रत्येक 100 जनसंख्या पर लगभग 5 रेडियो सेट होने चाहिए।

(ख) जी हां।

(ग) वर्ष 1972 में जम्मू व काश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी बंगाल में रेडियो लाइसेंसों की संख्या में उल्लेखनीय कमी हुई है और दिल्ली, उड़ीसा और आर्मी पोस्टल सर्विस में इनकी कुछ कमी हुई है। पूछताछ के आधार पर यह पता चला है कि रेडियो लाइसेंसों की संख्या में कमी निम्नलिखित सामान्य कारणों से हुई है :—

(i) मुख्य डाकघरों ने अपने सर्किल कार्यालयों को समेकित आंकड़े प्रस्तुत करते समय कुछ उप-डाकघरों के आंकड़े शामिल नहीं किए।

(ii) वर्ष 1971 में भारत-पाकिस्तान का युद्ध होने के कारण जम्मू व काश्मीर में रेडियो के व्यापार में भारी गिरावट आ गई । इसका प्रभाव वर्ष 1972 में भी रहा और श्रीनगर मुख्य डाकघर के रिकार्ड नष्ट हो जाने का जनता ने लाभ लठाया और अपने लाइसेंस नए नहीं कराये।

(iii) एक बहुत बड़ी संख्या में विस्थापितों के बंगलादेश को लौटने और लड़ाई के दौरान विस्थापित लेवर का बिना अपना नया पता बताए अपने गांवों के घरों को चले जाने और लाइसेंस नया न कराने के कारण रेडियो लाइसेंस के आंकड़ों में गिरावट आई है।

(घ) रेडियो लाइसेंसों के आंकड़ों में प्रतिवर्ष वृद्धि होने या कमी आने का विश्लेषण लगातार किया जाता है और जहां कहीं भी ऐसी कोई कमजोरी पाई जाती है, उसे दूर करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। सभी सर्किलों को ऐसी हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि रेडियो लाइसेंस के आंकड़ों के विवरण पत्र तैयार करते समय यह सुनिश्चत किया जाए कि विवरण पत्रों में आंकड़े सही-सही दिए जाएं। जिन सर्किलों में रेडियो लाइसेंसों से प्राप्त होने वाली आय में कमी हुई है, वहां इस आय की चोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।

पांचवीं योजना के दौरान पिछड़े क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास

1417. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के पिछड़े क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रकचर संबन्धी सुविधाओं के विकास के लिए कोई योजना बनाई गई है ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकास और आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था से संबन्धित नीति की व्याख्या "पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण" में की गई है। यह नीति पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए बुनियादी आर्थिक तथा सामाजिक आधारभत सुविधाओं जिसमें सिंचाई, संचार, ऋण, विपणन, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं, के सर्जन और विस्तार पर बल देती है।

न्यूनतम आवश्यकताओं से संबन्धित न्यूनतम कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर ग्रामीण सड़कों का विस्तार और ग्रामीण विद्युतीकरण करना है, के परिणामस्वरूप भी इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में पर्याप्त प्रगति होगी।

राज्यों से कहा गया है कि वे अपनी पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं के परिशिष्ट तैयार करें जिनमें पांच वर्ष की अवधि का जिलावार परिव्यय दिया जाये। इस बात पर जोर दिया गया है कि आवंटन करते समय पिछड़े क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखा जाय।

बेरोजगारी सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के संबंध में निर्णय

1418. **श्री एस० एम० मिश्र :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बेरोज़गारी संबन्धी समिति की सिफारिशों पर इस बीच कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं। सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को सीमेंट का आवंटन

1419. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73, 1973-74 में विभिन्न राज्यों के सीमेंट का कितना-कितना आवंटन किया गया है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सीमेन्ट का उत्पादन कितना हुआ है और आगामी तीन वर्षों के दौरान इसके उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) 1 जुलाई 1973 के पूर्व विभिन्न राज्यों को सीमेन्ट के विशिष्ट कोटे आवंटित नहीं किये गये थे । किन्तु प्रत्येक राज्य के लिये 1 जुलाई 1973 से 30 जून 1974 तक के लिये कोटे आवंटित कर दिये गये हैं । 1972 और 1973 (जनवरी-जून) की अवधि में विभिन्न राज्यों को भेजी गई सीमेंट का विवरण अनुबन्ध-1 में दिया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5756/73] 1 जून 1973 से 30 जून 1974 तक की अवधि के लिये राज्य सरकारों को आवंटित कोटा अनुबन्ध II में दिखाया गया है । [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5756/73] यह केन्द्रीय सरकार के विभागों की आवश्यकता जिसकी पूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा अलग से की जायेगी, के अलावा है ।

(ख) पिछले तीन वर्षों का सीमेंट का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

1970-71 . . .	14.30 मी० टन
1971-72	15.00 ,,
1972-73	15.50 ,,

आगामी तीन वर्षों का अनुमानित उत्पादन निम्नलिखित है :—

	चालू वर्ष
1973-74 .	16.8 मी० टन
1974-75 . . .	17.35 ,,
1975-76	18.28 ,,
1976-77	18.78 ,,

फसलों के उत्पादन से आय में वृद्धि

1420. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की आय पिछले दशक में फसलों के उत्पादन से बढ़ी है ?

(ख) यदि हां तो कितने प्रतिशत;

(ग) राजस्थान, मैसूर और उड़ीसा राज्यों में आय में किस दर से वृद्धि हुई है; और

(घ) किस राज्य की वृद्धि की दर सबसे अधिक थी और अन्य राज्यों में भी अधिकतम वृद्धि की दर प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं अथवा करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) स्थिर (1960-61) भावों के आधार पर कृषि से होने वाली शुद्ध घरेलू आय में 1960-61 स 1970-71 के दशक की तुलना में 20.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ग) स्थिर भावों की दर से कृषि से होने वाली आय की औसत वार्षिक वृद्धि राजस्थान के लिए 2.31 प्रतिशत, उड़ीसा के लिए 4.40 प्रतिशत तथा मैसूर के लिए 1.97 प्रतिशत है।

(घ) पिछले दशक की तुलना में कृषि संबन्धी आय में हरियाणा तथा पंजाब राज्यों की वृद्धि दर सबसे अधिक रही। अन्य राज्यों, विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों के विकास को तीव्रतर करने (तथा वृद्धि दर को बढ़ाने) के लिए योजना में साख सुविधाओं के विस्तार छोटे कृषक विकास अभिकरण के कार्यक्रम के अन्तर्गत शुष्क तथा अनुर्वर क्षेत्रों का विकास, और सीमान्त कृषक एवं खेतिहर मजदूरों संबन्धी स्कीम, कृषि उत्पादनों के लिए उचित मूल्य ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण तथा अन्य प्रसार सिंचाई कार्यक्रमों को तीव्रतर करना, चुने हुए महत्वपूर्ण क्षेत्रों का समेकित विकास आदि जैसे उपाय किये जा रहे हैं।

सितम्बर-अक्तूबर, 1973 के दौरान दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग एककों में उत्पादन में हानि

1421. **श्री पी० जी० मावलंकर:** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: सितम्बर और अक्तूबर 1973 के महीनों में बिजली संयंत्रों के इंजीनियरों द्वारा हड़तालों सहित बिजली की असफलता के कारण दिल्ली पंजाब और उत्तर प्रदेश में इंजीनियरिंग एककों में उत्पादन की कितनी हानि हुई ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : केवल बिजली की कमी के कारण ही उत्पादन में हुए नुकसान के विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतएव बिजली के संयंत्रों में इंजीनियरों की हड़ताल व बिजली की कमी के कारण दिल्ली, पंजाब व उत्तर प्रदेश में सितम्बर व अक्टूबर 1973 के महीनों के उत्पादन के नुकसान का सही पता लगाना संभव नहीं है।

Request for Indian Citizenship for Tariq Abdullah

1422. Shri Rana Bahadur Singh: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Sheikh Abdullah's son Tariq Abdullah, who had indulged in anti-India tirade in United Nations as Member of Pakistan Delegation, has requested for Indian Citizenship; and

(b) whether the Sheikh has also made a request to the Prime Minister in this connection ?

The Minister of Home Affairs (Shri Uma Shankar Dikshit): (a) The Government of India have not received any application from Shri Tariq Abdullah, son of Sheikh Abdullah, for grant of Indian citizenship.

(b) No, Sir.

स्थानीय लोगों (सन्स ऑफ दी सायल) को नौकरियां देने के लिये विधान

1423. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय लोगों के लिये नौकरियां सुनिश्चित करने संबन्धी सिद्धान्त पर विधान बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां तो इसके क्या कारण है; और

(ख) इसका राष्ट्रीय अखंडता पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा शिक्षित व्यक्तियों में बेरोज़गारी का सर्वेक्षण

1424. **श्री बनमाली पटनायक :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा किये गये एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रत्येक पांचवां शिक्षित व्यक्ति बेरोज़गार है;

(ख) यदि हां तो इसके लिए कौन- से तत्व उत्तरदायी हैं; और

(ग) भारत में अनुमानतः छः लाख बेरोज़गार व्यक्तियों को रोज़गार उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) के वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिक प्रभाग द्वारा देश की बेरोज़गारी संबन्धी स्थिति का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया लेकिन 1971 की जनगणना में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर देश के तकनीकी कार्मिक और अन्य स्नातकों की बेरोज़गारी का अध्ययन किया गया था। यह अनुमान लगाया गया है कि अप्रेल 1971 में उस समय के अनुमानित तीस लाख योग्य कार्मिकों में से छः लाख व्यक्ति इंजीनियरी, चिकित्सा, कला और वाणिज्य की विभिन्न श्रेणियों के बेरोज़गार थे।

(ख) कुछ तत्व निम्नलिखित रूप से प्रतीत होते हैं :—

(अ) शैक्षिणिक सुविधाओं की वृद्धि के परिणामस्वरूप शिक्षा संस्थाओं से निकलने वाले व्यक्तियों की वृद्धि काफी हद तक हुई है। उसी अनुपात से रोज़गार के सुअवसरों की स्थिति में कोई वृद्धि होती मालूम नहीं होती।

(आ) हमारे बहुत से शिक्षित व्यक्ति सफेद पोशी के कार्य करना पसन्द करते हैं और शहरों में ही कार्य करना चाहते हैं । ग्रामीण रोजगार और विकास कार्यक्रमों ने अभी जोर नहीं पकड़ा है ।

(इ) आर्थिक विकास की धीमी प्रगति द्वारा रोजगार की स्थिति पर काफी असर हुआ है ।

(ई) बिना प्राथमिकता के क्षेत्रों में विदेशी सहयोग अथवा जहां स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है के परिणामस्वरूप रोजगार की स्थिति में कमी हुई है ।

(ग) शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों से सरकार का संबन्ध है और रोजगार के सुअवसरों को उन्नत करते हुए निरन्तर प्रयास जारी है । इस दिशा में जो उपाय पहले ही किये गये हैं का एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी० 5757/73]

इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज का विस्तार

1425. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज की सरकारी क्षेत्र की बड़ी परियोजना के विस्तार के लिये कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इससे निर्यात को कितना बढ़ावा मिलेगा ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी हां। इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज के बंगलौर कारखाने और नैनी के पारेषण कारखाने के विस्तार के अलावा एक नया टेलीफोन स्विचिंग कारखाना रायबरेली में और एक उपकरण कारखाना नैनी में लगाया जा रहा है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन स्विचिंग और पारेषण उपस्कर तथा टेलीफोन उपकरणों आदि के लिए नए कारखाने लगाने का भी प्रस्ताव है । आशा की जाती है कि पांचवीं योजना के अन्त तक इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज की बिक्री तथा निर्यात दुगुना हो जाएगा।

पाकिस्तान द्वारा दिल्ली समझौते के पश्चात् सीमा का अतिक्रमण

1426. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में दिल्ली में हुए भारत-पाक समझौते के पश्चात् पाकिस्तान द्वारा कोई सीमा अतिक्रमण किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एम० एच० मोहसिन) : जी हां श्रीमान्। दिल्ली में भारत पाकिस्तान समझौते पर हस्ताक्षर होने के पाश्चात अब तक पाकिस्तानियों द्वारा सीमा उलंघन की 8 घटनाय हुई हैं ।

देश में घड़ियों का उत्पादन दुगना करने की योजनायें

1427. **श्री पी० गंगादेव** :

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घड़ियों का उत्पादन 1978 तक दुगुना करने संबन्धी योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) घड़ियों के उत्पादन का स्तर इस समय लगभग 6 लाख घड़ियां प्रति वर्ष बनाने का है । सरकार ने संगठित क्षेत्र में घड़ियां बनाने के लिए कुल 30 लाख से ऊपर घड़ियों की क्षमता की योजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान की है । संगठित क्षेत्र में ही विदेशी सहयोग से घड़ियां बनाने के लगभग 10 लाख घड़ियां प्रति-वर्ष के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं । इसके अलावा लघु उद्योग क्षेत्र में 9 एककों के लिये स्वीकृति दी गई है । इन योजनाओं से 1978 तक घड़ियों का उत्पादन दुगना हो जाने की आशा है ।

Recruitment in the Central Reserve Police and Border Security Force from Rajasthan

1428. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Home Affairs** be please to state the total number of persons from Rajasthan State recruited in the Central Reserve Police and Border Secruity Force during the year 1971-72 and 1972-73 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): Central Reserve Police—

1971-72	1972-73
1,197	501

As regards the Border Security Force, the information is being collected and will be laid on the table of the House.

Overstay of Pak Citizens in India

1429. **Shri Atal Bihari Vajpayee:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Pakistani citizens in India who came from Pakistan in 1971 and are unwilling to go back to Pakistan and District-wise number of such citizens presently staying in India; and

(b) whether they have applied for Indian citizenship and if so, the action taken so far in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कागज बनाने के लिये कच्चे माल की कमी

1430. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज बनाने के लिये प्रयुक्त कच्चे माल की अत्यधिक कमी है जिससे कागज के स्वदेशी उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा हैं ; और

(ख) यदि हां तो इस कमी पर काबू पाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Criteria r providing Central Assistance to States to deal with Unemployment

1431. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of **Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2303 on 7th March, 1973 regarding employment for educated unemployed and state:

(a) the criteria adopted for giving Central assistance to the States for providing employment to educated unemployed during 1972-73; and

(b) the measures adopted by Government to ensure that each State is equitably benefited by this assistance ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) and (b) The criteria adopted for giving Central assistance to the States for providing employment to the educated unemployed during 1972-73 are described below, programme-wise :

1. **Expansion and Improvement in the Quality of Primary Education:**

Two-thirds of Central assistance, under this scheme, was reserved for backward States and one-third for other States. The backwardness of the State was judged from the number of school going children for whom there was no provision for primary schools. The assistance was given in proportion to the enrolment of school going children in the States.

2. **Scheme for assistance to Small Enterpreneurs:**

The funds under this scheme were allotted on the basis of population of the State and due weightage was given to their backwardness.

3. **Design Units for Rural Water Supply:**

The funds were allocated to the States which had areas considered permanently disadvantaged from the point of view of rural drinking water supply, such as States having hilly areas, mountainous regions, saline tracts and arid zones.

4. **Rural Engineering Survey:**

The funds under this scheme were allocated in proportion to the number of districts in the States where the Rural Works Programme (later known as Drought Prone Area Programme) had been taken up. If however, this programme was not in operation in any district, then districts where Crash Scheme for Rural Employment was in operation were taken into consideration in allocating the funds.

5. **Survey of Irrigation and Power Projects and Advance Action for Flood Control Projects:**

Funds under this programme were allocated to the States in proportion to the drought and flood affected districts and potentialities for development of power projects in the States.

6. **Agro Service Centres:**

Funds under this scheme were allocated on the basis of entrepreneurs who were forthcoming for training in each State and the capacity of the State to set up Agro Service Centres.

7. **Natural Resources Survey:**

Funds under the Natural Resources Survey Programme were allocated on the basis of Natural Resources Survey Schemes received from the State Governments in 1972-73. All States were advised to submit schemes for Natural Resources Surveys to the Planning Commission.

8. **Special Employment Programme in States & Union Territories:**

Funds under this programme were allocated to the States and Union Territories strictly on the basis of their population.

9. **Survey ndia Programme:**

This is a Centrally sponsored scheme operated by the Survey of India. No fund were meant to be allocated under this scheme to the States and Union Territories.

As will be seen from the above, Government have ensured that funds should be allocated among the States for various schemes for educated unemployed equitably so that all States benefit from them

बड़े औद्योगिक गृहों के कार्यकरण के बारे में सरकार आयोग का प्रतिवेदन

1432. **श्री सत्यपाल कपूर** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला फर्मों और अन्य बड़े औद्योगिक गृहों के कार्यकरण की जांच कर रहे सरकार आयोग के कार्य की वर्तमान स्थिति क्या हैं ;

(ख) आयोग को इस जांच कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) क्या आयोग ने लाइसेंस संबन्धी कुछ अनियमितताओं के बारे में कुछ भूतपूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को, जितनी अवधि के दौरान वे पदासीन रहे उनकी टिप्पणियां मांगते हुए नोटिस जारी किये हैं ।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित बिड़ला फर्मों और अन्य बड़े औद्योगिक गृहों के बारे में कथित अनियमितताओं चूकों अथवा अनौचित्य कार्यों की जांच विभिन्न अवस्थाओं में है ।

(ख) इस अवस्था में रिपोर्ट यह बताना संभव नहीं है कि कब तक तैयार हो जायेगी । फिर भी, आयोग की अवधि फिलहाल 17-2-74 तक बढ़ा दी गयी है ।

(ग) आयोग ने औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं के बारे में जानकारी/स्पष्टीकरण/सफाई देने के बारे में वाणिज्यिक कम्पनियों/वित्तीय/संस्थानों और व्यक्तियों को पत्र नोटिस जारी किये हैं ।

मूल्य वृद्धि आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर महिलाओं की गिरफ्तारी

1433. **श्री जी० वाई कृष्णन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अक्तूबर 1973 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पत्नियों को प्रधान मंत्री के निवास स्थान के समक्ष गिरफ्तार किया गया था जबकि वे मूल्य वृद्धि के विरोध में आन्दोलन कर रही थीं ; और

(ख) यदि हां तो ऐसी महिलाओं की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां श्रीमान् : दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषद आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन 35 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ।

Delay in setting up small and medium Industries in U P and Tamil Nadu

1434. **Shri Atal Bihari Vajpayee**: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether due to power crisis in several parts of Uttar Pradesh and Tamil Nadu for the last one year, the setting up of many new small and medium industries has been unduly delayed for about one year;

(b) whether Government's attention has been drawn to the proposal of extending the period of providing the facility of development rebate for such industries; and

(c) if so, the reaction of Government thereto and the action taken in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) It is difficult to say precisely in how many cases delay in setting up industries is solely attributable to power crisis.

(b) Many chambers of Commerce have represented for the postponement of the date of withdrawal of development rebate with a view to mitigating the hardship arising in cases where installation of machinery and plant was likely to get delayed due to various unforeseen factors including power shortage.

(c) The representations have been carefully considered, but Government have regretted their inability to accede to the request. However, as announced by the Finance Minister in his Budget speech for the year 1973-74, with a view to providing additional resources to the concerned enterprises in the early years of their development, a provision is being made in the Income-tax Act through the Direct Taxes (Amendment) Bill, 1973 for initial depreciation allowance of 20% of the cost of machinery and plant installed in selected industries after 31-5-1974.

केन्द्रीय मंत्रियों पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के रूप में व्यय

1435. **श्री दीरेन्द्र सिंह राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1972-73 के दौरान केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक मंत्री द्वारा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के रूप में कुल कितनी धन राशि ली गई ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

शा बैलेस एण्ड कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

1436. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए मैसर्स शा बैलेस एण्ड कम्पनी के विरुद्ध जांच पूरी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन उल्लंघनों के लिए कम्पनी तथा इसके निदेशकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय और श्रमिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पुस्तकों और उपकरणों के लिए विदेशी मुद्रा का दिया जाना

1437. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा औद्योगिक परीक्षण और अनुसंधान वैधशाला के विस्तार तथा पुनर्गठन के लिए 63.75 लाख रुपए की योजना, जिसमें से 33.75 लाख संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि की सहायता से लिए जायेंगे, भारत सरकार को भेज दी गई है;

(ख) क्या उपकरणों तथा पुस्तकों के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा हेतु फार्म (प्रोफार्मा) भी प्राप्त हो गया है; और

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क), (ख) और (ग) केरल सरकार ने 1972 में यू० एन० डी० पी० कन्टरी प्रोग्राम में शामिल करने के लिये भारत सरकार को केरल औद्योगिक परीक्षण और अनुसंधान वैधशाला के पुनर्गठन का प्रस्ताव भेज दिया है जिसमें 25 लाख डालर की विदेशी मुद्रा खर्च होगी। इस प्रस्ताव को अन्य मंत्रालयों और विभागों यू० एन० डी०पी० से सहायता प्राप्त करने के हेतु अन्य बहुत सी परियोजनाओं के साथ साथ विचार किया गया है। खेद है कि इसे यू० एन० डी० पी० कन्टरी प्रोग्राम, जो कि तैयार हो गया है, में सम्मिलित नहीं किया जा सका। फिर भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने इस परियोजना संबंधी एक अधिकारी को विदेशों में प्रशिक्षण देने एवं परियोजना के लिये आवश्यक पुस्तकों और उपकरणों के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त कराने के लिये सहमत हो गया है। और उसने केरल सरकार से निवेदन किया है कि इस बारे में औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया जाये। राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

धनी और निर्धन के बीच विद्यमान अन्तर कम करने के लिए की गई कार्यवाही

1438. **श्री पी०वेंकटासुब्या** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनी और निर्धन के बीच विद्यमान अन्तर को कम करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस दिशा में अब तक कितनी सफलता मिली है; और

(ग) इस दिशा में तथा 'गरीबी हटाओ' कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) धनी और निर्धन के बीच विद्यमान अन्तर को दूर करने की दृष्टि से कृषि, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग और पशुपालन, दुग्ध उद्योग, मत्स्य-उद्योग आदि कार्य-कलापों को प्राथमिकता दी गई है ताकि गरीब वर्गों को लाभ हो। लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, बारानी खेती तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इनके अतिरिक्त पिछड़े वर्गों तथा क्षेत्रों के लाभ के लिए विशेष कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं। भूमि सुधार उपायों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए कदम उठाये गये हैं। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के छितराव तथा विकास के अतिरिक्त एकाधिकार तथा प्रतिबन्धित व्यापार प्रणाली अधिनियम और औद्योगिक लाइसेंस नीति आदि के माध्यम से आय तथा सम्पत्ति के सकेन्द्रण को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं। औद्योगिक निवेश में सरकारी क्षेत्र अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। राजकोषीय और कराधान नीतियों को बड़ी तथा अर्नाजित आयों को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया गया है। सरकारी वसूली तथा वितरण प्रणाली में सुधार किया गया है। सामाजिक सेवाओं और कल्याण के सम्बन्ध में एक विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। ग्रामीण तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार—अवसर उपलब्ध करने के लिए भी विशेष स्कीमें चालू की गई हैं।

(ख) अलग-अलग आयों से सम्बन्धित तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतः विषमताओं की कमी पर इन कदमों के स्पष्ट प्रभाव को बता पाना सम्भव नहीं है।

(ग) पांचवीं योजना अवधि में प्रस्तावित और कदम निम्न प्रकार हैं :—

(1) उत्पादक रोजगार अवसरों का विस्तार, विशेषकर कृषि तथा ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों के क्षेत्र में ।

(2) लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों से सम्बन्धित कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना तथा उनका विस्तार करना जिनमें बारानी खेती तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दिया जायेगा।

(3) भूमि सुधारों का शीघ्र कार्यान्वयन।

(4) पिछड़े वर्गों तथा क्षेत्रों के विकास के लिये प्रभावी कार्यक्रम।

(5) आम उपभोग के लिये वस्तुओं के अधिकाधिक उत्पादन पर बल।

(6) समुचित स्थायी मूल्यों पर अनिवार्य उपभोग की वस्तुओं की सुनिश्चित पूर्ति के लिये पर्याप्त सरकारी वसूली तथा वितरण प्रणाली की व्यवस्था करना।

(7) न्यूनतम आवश्कताओं के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम अपनाना जिसमें ये सम्मिलित हैं—प्राथमिक शिक्षा, पेय जल, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, भूमिहीन श्रमिकों के लिये वासभूमि, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण बिजलीकरण तथा गन्दी बस्तियों का सुधार तथा सफाई।

(8) सामाजिक सेवाओं तथा कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रमों का विस्तार।

(9) आय तथा उपभोग की असमताओं को दूर करने के लिये राजकोषीय, औद्योगिक तथा अन्य उपायों का प्रयोग।

आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के कलेक्टर के निवास स्थान पर छापा

1439. **श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो ने पश्चिम गोदावरी जिले (आंध्र प्रदेश) के क्लेक्टर के निवास स्थान पर छापा मार कर बड़ी मात्रा में सोना, चांदी तथा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पकड़े हैं; और

(ख) क्या विभागीय स्तर पर इस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी ।

जापान की सहायता से निर्यात प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देना

1440. **श्री रघुनन्द लाल भाटिया : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानियों ने यह वचन दिया है कि वह निर्यात प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु भारत में पर्याप्त पूंजी निवेश करने का विचार करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) जापान-भारत व्यापार सहयोग समिति की छठी संयुक्त बैठक में, जो सितम्बर, 1973 में क्योटो (जापान) में आयोजित की गई थी, जापानी पक्ष ने इस देश में निर्यात प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये भारत को सहायता देने की इच्छा व्यक्त की थी।

Statement by Former Deputy Chief Minister of Haryana regarding allotment of Land to Harijans and Policy of reservation in Services

1441. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of the Government has been drawn to the news item published in the Times of India dated the 20th September, 1973 regarding the statement made by the former Deputy Chief Minister of Haryana, Shri Chand Ram, that the pre-1966 orders for allotment of lands to Harijans and the policy of reservations in services have been reversed;

(b) the full facts in the matter; and

(c) the reaction of Government thereto and steps taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) to (c) The information is being collected from the State Government and will be laid on the table of the House as soon as it is received.

संरचना इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, रुड़की

1442. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 19 सितम्बर, 1973 के दि टाइम्स आफ़ इंडिया में प्रकाशित इस समाचार को देखा है कि संरचना इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, रुड़की ने निर्माण की ऐसी विधियां निकाली हैं जिस से पचास प्रतिशत इस्पात और 15 प्रतिशत सीमेंट को बचाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निर्माण कार्यक्रम में निर्माण की इन नई विधियों को शामिल करने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना समाचार की जानकारी सरकार को है और संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, रुड़की द्वारा विकसित तरीकों से अवगत हैं।

(ख) और (ग) विकसित तकनीकी तरीके और जिस कार्य के लिये उनका प्रयोग किया गया, वे इस प्रकार हैं;

(i) उच्च क्षमता वाले अभिकल्पित तरीकों के संसर्ग में प्रयोग किये गए उच्च क्षमता प्राप्त विकृत सरिये (डिफोर्मड बारस) पारंपरिक तरीकों की तुलना में 40 प्रतिशत तक इस्पात की बचत कर सकते हैं। विभिन्न निर्माण एजेन्सियां द्वारा अब इन तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है।

(ii) छत्त और फर्शों की वैफल शैल प्रणाली प्रचलित पुनर्बलित कांकरीट स्लेबों की तुलना में तीस प्रतिशत तक इस्पात की बचत कर सकता है । इस प्रणाली का उपयोग कर लगभग एक हज़ार मकान सरकारी और निजी क्षेत्र में बनाये जा चुके हैं।

(iii) पूर्वबलित कांकरीट कवी ल) और पूर्वबलित हाईपाबोल ड शैल प्रचलित इस्पात ट्रसैस की तुलना में पचास प्रतिशत तक इस्पात की बचत कर सकते हैं। इस प्रणाली का उपयोग कर कई भवन बनाये जा चुके हैं।

(iv) छत्तों और फर्शों की ट्रफ इकाइयों के द्वारा पूर्वबलित कांकरीट की तुलना में पचास प्रतिशत तक की बचत की जा सकती है। इस विधि का प्रयोग सी० एस०आई० आर० कैम्पस के एक दो मंजिले भवन में किया गया है।

(v) पूनर्बलित कांकरीट में कांकरीट फ्लैंज के साथ ओपन वैब जोइस्ट पैंतीस प्रतिशत तक इस्पात की बचत कर सकते हैं।

(vi) सीमेंट के योगिक में फ्लाई ऐश का प्रयोग कांकरीट में बीस प्रतिशत तक की बचत कर सकता है। उच्च क्षमता वाली कांकरीट में दस प्रतिशत और मोर्टर तथा प्लास्टर में लगभग तीस प्रतिशत सीमेंट की बचत की जा सकती है। सी० एस० आई० आर० कैम्पस में भी एक दुमंजिले भवन का निर्माण इसी तकनीकी के प्रयोग से किया जा चुका है।

संरचना इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र (एस० ई० आर० सी०) द्वारा विकसित इन नवीन विधियों की जानकारी नेशनल बिल्डिंग ओर्गनाईजेशन और गृह तथा शहरी विकास निगम को है।

छुआछूत की घटनाएं

1444. श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के अधिकांश भागों में छुआछूत अभी भी कायम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुई ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश के कुछ भागों में अस्पृश्यता विद्यमान होने की सूचना है।

वर्ष 1969,-1970 और 1971 में विभिन्न राज्यों में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के अधीन दर्ज किये गये मामलों की संख्या संलग्न विवरण में है।

राज्य सरकारों द्वारा अस्पृश्यता अपराध के सभी कामलों में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में निहित उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जाती है ।

विवरण

वर्ष 1969, 1970 और 1971 में विभिन्न राज्यों में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955 के अधीन दर्ज किये गये मामलों की संख्या का विवरण

राज्य	दर्ज किये गये मामलों की संख्या		
	1969	1970	1971
1. आन्ध्र प्रदेश . . .	11	24	11
2. असम . .	शून्य,	शून्य	शून्य
3. बिहार .	1	2	3
4. गुजरात .	107	125	169
5. हरियाणा . .	3	3	4
6. जम्मू और काश्मीर . . .	8	शून्य	1

राज्य	दर्ज किये गये मामलों की संख्या		
	1969	1970	1971
7. केरल .	11	24	11
8. हिमाचल प्रदेश	—	—	—
9. मध्य प्रदेश	71	—	108
10. महाराष्ट्र .	30	45	43
11. मैसूर	36	38	46
12. नागालैंड .	शून्य	शून्य	शून्य
13. उड़ीसा	5	21	12
14. पंजाब	4	5	4
15. राजस्थान	48	50	60
16. तमिलनाडू	35	30	31
17. उत्तर प्रदेश	15	13	13
18. पश्चिमी बंगाल .	1	2	शून्य
19. अंडमान और निकोबार	शून्य	शून्य	शून्य
20. चन्डीगढ़ . .	1	शून्य	1
21. दादरा और नागर हवेली .	शून्य	शून्य	शून्य
22. दिल्ली .	3	3	3
23. गोवा, दमन और दीव .	शून्य	शून्य	1
24. लक्कादीव, मिनिकाय और अमिनदीवी	शून्य	शून्य	शून्य
25. मणिपुर .	शून्य	शून्य	शून्य
26. अरुणाचल प्रदेश . .	शून्य	शून्य	शून्य
27. पांडिचेरी .	शून्य	शून्य	4
28. त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य

नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के कार्य की समीक्षा करने के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन

1445. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के कार्य की जांच करने के हेतु केन्द्र द्वारा नियुक्त समीक्षा समिति की तीन सदस्यीय उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा कब तक इस का प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) समिति ने अपनी पहली बैठक में काम चलाने के लिये प्रलेख तैयार करने हेतु एक उप-समिति का गठन किया है। इस उप-समिति की रिपोर्ट को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

निर्माण सामग्री के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना

1446. **श्री प्रसन्न भाई मेहता**

श्री वी० मायावन :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के योजना ग्रुप ने निर्माण सामग्री के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी अथवा आयोग की स्थापना की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : निर्माण सामग्री के मामले में राष्ट्रीय प्रयासों को समन्वित करने तथा नीति निर्णय लेने में सरकार को परामर्श देने के लिये आवास, नागरीकरण तथा निर्माण प्रौद्योगिकी के बारे में विज्ञान प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति के पेनल के अधीन निर्माण सामग्री के लिये योजना ग्रुप ने एक राष्ट्रीय एजेंसी आयोग की स्थापना करने की सिफारिश की है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

Housing Scheme for Harijans and Scheduled Castes

1447. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the main points of the housing schemes chalked out by the Government of India for the Harijans and Scheduled Castes and the number of Harijans and the persons belonging to Scheduled Castes benefited so far from these schemes;

(b) whether any crash programme has been included in the Fifth Five Year Plan in this regard; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Government of India has a composite scheme under the Centrally Sponsored Programme for improvement in the working and living conditions of sweepers and scavengers. Under this scheme (i) grant-in-aid is given to municipalities and local bodies through States/Union Territories for purchase of hand-carts, wheel-barrows and other implements, and protective devices; and (ii) subsidy is provided for construction of houses for sweepers,

scavengers, tanners and flayers etc. and house-sites to members of Scheduled Castes who are engaged in unclean occupations or are landless labourers. For other categories of Scheduled Castes, provision is made in the State Sector.

The cost of housing under the Backward Classes Sector is generally reckoned as Rs. 1200/- per house; it is reckoned as Rs. 1600/- in black soil areas, hilly regions and remote places; in the areas bordering the Himalayas and subject to heavy snowfall, it is reckoned as Rs. 2000/-. 75% of the cost of construction of a house is given as subsidy and the balance is to be contributed by the beneficiary in the form of cash, labour, building material etc.

Grants-in-aid for the housing schemes are given by the Centre to the States/Union Territories. No direct grant is given by the Centre to individuals.

During the first two years of the Fourth Plan, about 4317 houses and 782 house-sites were provided to the sweepers and scavengers.

(b) and (c) The Fifth Five Year Plan has not so far been finalised.

कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

1448. **श्री आर० एन० बर्मन**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी पत्र-व्यवहार में हिन्दी के प्रयोग में तेजी लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) संघ की भाषा—नीति सम्बन्धी संकल्प के अनुसार सरकारी काम-काज के लिये हिन्दी के प्रयोग और उसकी प्रगति व विकास को तेज करने के लिये सरकार प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार करती है और उसको कार्य-रूप देती है सरकारी पत्राचार समेत संघ विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रयोग तथा उसकी प्रगति व विकास के लिये पर्याप्त प्रगति की गई है । प्राप्त की गई प्रगति और वार्षिक कार्यक्रम के विभिन्न मदों के कार्यान्वयन के लिये अपनाये गये उपाय वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टों में दिये जाते हैं, जो संसद् के दोनों सदनों में रखे हैं।

Judgments of High Courts in Regional Languages

1449. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether High Courts of different States are able to deliver their judgments in their regional languages: and

(b) if so, the names of the States in which High Courts have delivered their judgments in their respective languages so far indicating the number of such judgments ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Nivas Mridha): (a) Under Article 348(2) of the Constitution read with section 7 of the Official Languages Act, 1963, the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of Hindi language, or any other language used for any official purpose of the State, in addition to English, in proceedings in the High Court having its principal seat in that State or for the purposes of any judgment, decree or order passed or made by the High Court. So far only the Government of U.P., Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan have asked for consent of the President for delivering of judgments in Hindi language. The High Courts in these four States are able to deliver their judgments in Hindi.

(b) According to the information readily available the number of judgements delivered by the High Courts of these States in Hindi are as follows:

Allahabad	7
Patna (during the quarter ending 30th June, 1973) . . .	260
Rajasthan.	11
Madhya Pradesh (excluding Gwalior Bench).	2

Priority for Kota Atomic Power Station, Rajasthan

1450. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of Atomic Energy be pleased to state whether priority would be given by Government to complete the work on the Atomic Power Station in Kota, Rajasthan ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi): Priority is being given by Government to the timely completion of all atomic power projects under construction, including the Rajasthan Atomic Power Project.

मैसूर भूमि सुधार विधेयक, 1973 पर राष्ट्रपति की अनुमति

1451. **श्री बी० बी० नायक :**

श्री एस० बी० पाटिल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर भूमि सुधार विधेयक, 1973 पर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) विधेयक के उपबन्धों पर विचार किया जा रहा है।

फिल्मों के सेंसर के लिए प्रक्रियात्मक संरक्षणों का उपबन्ध

1452. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री ख्वाजा अहमद अब्बास के मुकदमे में सितम्बर, 1970 में उच्चतम न्यायालय को यह आश्वासन दिया था कि सरकार फिल्मों के सेंसर के लिए हमारे मौलिक नियमों के अनुरूप कुछ प्रक्रियात्मक संरक्षणों का उपबन्ध करेगी ;

(ख) क्या उक्त आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया गया है और बम्बई उच्च न्यायालय ने हाल ही में 'सिनेमाटोग्राफ एक्ट' की धारा (6) को केवल उक्त आवश्वासन की पूर्ति न किये जाने के कारण असंवैधानिक करार दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने के लिए कोई जांच की है कि इस आश्वासन को अभी तक क्यों नहीं पूरा किया गया और इसके लिए उत्तरदायित्व क्यों नहीं नियत किया गया; और

(घ) सेंसर की जा चुकी फिल्मों की पुनरीक्षण और सेंसर बोर्ड के निर्णय पर अपील सुनने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक संरक्षणों सहित एक स्वतन्त्र निकाय की स्थापना करने के लिए क्या कार्य-वाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां। चलचित्र (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 का प्रारूप बनाते समय आश्वासनों को ध्यान में रखा गया है। यह विधेयक पिछले सत्र में राज्य सभा द्वारा पहले ही पास किया जा चुका है और अब इसे लोक सभा को भेजा गया है बम्बई उच्च न्यायालय ने हाल ही में चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 6 को केवल उस हद तक ही रद्द किया था जहां तक शालीनता या नैतिकता के आधार पर अधिकार का प्रयोग करने का संबंध था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चलचित्र (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1973 का लक्ष्य और बातों के साथ-साथ प्रमाणित फिल्मों के पुनरीक्षण और सेंसर बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों के निपटान के लिए आवश्यक प्रक्रिया-त्मक संरक्षणों की व्यवस्था करना है।

टेक्नोलौजी में विदेशी सहयोग को समाप्त करना

1453. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान तथा टैक्नोलौजी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने एक प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि देश में उपलब्ध उन्नत टैक्नोलौजी को ध्यान में रखते हुये इस क्षेत्र में सभी विदेशी सहयोग को शीघ्र समाप्त किया जाये;

(ख) क्या समिति ने भविष्य में और विदेशी सहयोग लेने सम्बन्धी सरकार की नीति का समर्थन नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्मा सरकार ने समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया है और क्या समिति के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इस समिति के प्रतिवेदन का जिसमें अपने औद्योगिक उद्यमों में विदेशी सहयोग और पूंजी निवेश करने की अनुमति देने के मामले में अधिक चयनात्मकता बरतने का आग्रह किया है, इस समय विचार किया जा रहा है। मुख्य सिफारिशों को सरकारी निर्णयों सहित संसद में पेश कर दिया जायेगा।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था तथा जनता से ऋण लेने पर प्रतिबन्ध

1454. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि कम से कम आगामी दो वर्षों तक अधिक घाटे की अर्थव्यवस्था न अपनाएं और यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है; और

(ख) क्या उपरोक्त उपाय के साथ-साथ देश के अन्दर अथवा बाहर से जनता से ऋण लेने के लिये कोई स्कीम निर्धारित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि किसी प्रकार का निर्णय लिया गया है, तो वह क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पिछले दो वर्षों से मुद्रा-पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि होने तथा अर्थव्यवस्था में फालतू द्रव्य की वृद्धि और मूल्यों में असमान बढ़ोतरी को देखते हुए, योजना आयोग यह महसूस करता है कि आगामी दो वर्षों में घाटे की वित्तव्यवस्था अपनाने के लिए कम गुंजाइश है। इस सम्बन्ध में आवश्यक सिफारिश योजना प्रारूप में शामिल की जाएगी, जिसे अभी अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) सभी सम्बद्ध घटकों को ध्यान में रखते हुए, पांचवीं योजनावधि के दौरान देश में जनता से ऋण लेने और भुगतान संतुलन के अन्तर को पूरा करने के लिए मांगी गई कुल विदेशी सहायता के संबंध में अनुमान तैयार कर लिये गये हैं। इन अनुमानों को अंतिम रूप देने के पश्चात् पांचवीं योजना के प्रारूप में शामिल किया जाएगा, और उसे सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

पांचवीं योजना के लिए संसाधनों की स्थिति का मूल्यांकन

1455. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय ने बढ़ती हुई मुद्रास्फीती तथा बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों की स्थिति का पुनर्विलोकन किया है, यदि हां, तो उनका मूल्यांकन क्या है;

(ख) क्या इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप से स्वीकृति देने से पहले पांचवीं योजना के प्रारूप के बारे में अर्थशास्त्रियों तथा अन्य महत्वपूर्ण एजन्सियों से बातचीत करने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या योजना में कुछ परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है; यदि हां, तो ये परिवर्तन क्या हैं; और

(घ) क्या ये परिवर्तन मुख्य मंत्रियों के परामर्श लेने के बाद किए जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पुनर्गठित संसाधन कार्यकारी दल, जिसमें अन्य व्यक्तियों के अलावा योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल थे, 1972-73 मूल्यों के आधार पर पांचवीं योजना के संसाधनों का पुनर्विश्लेषण किया है। योजना आयोग ने

पुनर्विश्लेषण पर विचार किया है और अंतिम अनुमानों को पांचवीं योजना के प्रारूप में शामिल किया जाएगा।

(ख) पांचवीं योजना के संसाधनों का पुनर्विश्लेषण तैयार करने में रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम, कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त और अन्य अधिकारियों से परामर्श किया गया है। पांचवीं योजना प्रारूप को अंतिम रूप देने से पहले, अर्थ शास्त्रियों अथवा अन्य गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ उस पर विचार करने का प्रस्ताव नहीं है। योजना प्रारूप को प्रकाशित करने के बाद इस पर हुई टिप्पणियों को पांचवीं योजना को अंतिम रूप देने के पहले विचार किया जाएगा।

(ग) जो अनेक घटनायें घटित हो रही हैं उनको ध्यान में रखते हुए योजना में आवश्यक परिवर्तन किए जायेंगे। इन परिवर्तनों का समावेश करने के बाद योजना को सभा पटल पर रख दिया जायगा।

(घ) राज्य योजनाओं के बारे में राज्य मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों के साथ विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा अंतिम रूप देने से पहले योजना के प्रारूप पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचार किया जाएगा।

फिल्मों सम्बन्धी नई राष्ट्रीय नीति

1457. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री प्रभुदास पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फिल्मों के सम्बन्ध में एक नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा शीघ्र करने का है; और

(ख) यदि हां, तो नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) सरकार ने फिल्म नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं को समय-समय पर स्पष्ट किया है जिसका उद्देश्य हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण में एक विशेष अंग के रूप में फिल्म माध्यम के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। फिल्म परिषद का स्थापना, प्रोत्साहनों को विभिन्न योजनाओं के कार्य-क्षेत्र का विस्तार, एक बहु-उद्देशीय राष्ट्रीय फिल्म निगम की स्थापना और प्रशिक्षण में सुधार, आदि जैसे कुछ प्रत्यक्षम हाथ में हैं।

पांचवीं योजना के दौरान नई टेलीफोन लाइन लगाना

1458. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :
श्री वी० मायावन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके मंत्रालय का विचार सात लाख टेलीफोन लाइन लगाने का है?

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नई लाइनों की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तमिलनाडु में कितनी नई टेलीफोन लाइनें लगायी जायेंगी ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) पांचवीं योजना के मसौदे के मुताबिक, योजना की अवधि के दौरान लगभग 7 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें बढ़ाने का प्रस्ताव है।

सीधी एक्सचेंज लाइनें बढ़ा देने के बाद, उम्मीद है कि टेलीफोन पाने में औसतन जितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वह काफी कम हो जाएगी।

(ग) आशा है कि तमिलनाडु में पांचवीं योजना की अवधि के दौरान कुल एक्सचेंज क्षमता में 70,000 लाइनें और बढ़ जाएंगी और सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या में भी लगभग 59,000 लाइनों की वृद्धि हो जाएगी ।

Arrest of a lady teacher and two businessmen in Timarpur, Delhi

1459. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the news item in the 'Nav Bharat Times' dated the 11th July, that two big businessmen and a lady teacher were arrested in Timarpur area of Delhi on the charges of supplying girls to rich persons; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) The news-item appeared in the 'Nav Bharat Times' issue dated 11thh August, 1973, and not 11th July.

(b) On 9th August, 1973, the police had conducted a raid and arrested five persons, three men and two women. A criminal case has been registered under Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956, and the case is under investigation.

Establishments, Centres and Places named after Netaji Subhas Charndra Bose

1450. **Shri Lalji Bhai:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the Central Government Establishments, Centres or places which have been named after Netaji Subhas Chandra Bose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): During the 25th Jayanti Year, the Naval Shore Establishment 'I.N.S. Hoogly Calcutta has been renamed as 'INS Netaji Subhash and the National Institute of Athletics and Sports, Patiala as 'Netaji Subhash National Institute of Sports'.

Draft Fifth Plans for States

1451. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Government have prepared the Five Year Plans of the various States; and

(b) if so, the main features thereof, State-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) and (b) All the States have submitted their Draft proposals for the Fifth Five Plan. These have also been discussed with the Governors/Chief Ministers in detail. No final decision has, however, been taken regarding the size of individual States. This will be possible only after the decision of the Government on the report of the Sixth Finance Commission and the reassessment of resources of each State.

Agreement between India and USSR for expansion of Television facilities

1462. **Shri Ramavatar Shastri:**
Shri Ram Shekhar Prasad Singh:

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether Government of India have concluded an agreement with the U.S.S.R. for the expansion of the television facilities in the country;

(b) if so, the main features thereof; and

(c) the benefits likely to accrue to India therefrom ?

the Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Singh): (a) to (c) A 'Protocol' on cooperation in the field of Radio and Television for the exchange of Radio and TV programmes between the two countries was signed on Oct. 23, 1973. The main features of this Protocol are:

1. Exchange of documentaries, informational and newsreel films, as well as programmes reflecting the life and culture of both the countries.
2. Exchange of educational programmes for children, youth and adults, musical programmes and concerts, scenarios for plays and programmes on current affairs of both the countries.
3. Exchange of Radio and TV programmes on the National Holidays of the two countries.
4. Exchange of professional personnel of both the countries on short term assignments as may be mutually agreed upon in advance to prepare features, shoot films, to share knowhow and to discuss problems of mutual interest.

Demand for expulsion of a Christian Missionary from Ahdhra Pradesh

1463. **Shri G. P. Yadav:**
Shri Hukum Chand Kachwai:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether about twenty leaders, including former Ministers of District Anantpur in Andhra Pradesh have demanded that Christian missionary K. Vincent Ferrar should be expelled from the District as well as from the State; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) and (b) Representation have been received from various quarters in support of and against the and activities of Mr. Ferraf. Enquiries are being made into the matter.

'कैपिटल' उपकरण के आयात के लिए लाइसेंसों के आवेदन पत्रों का निपटान

1464. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'कैपिटल' उपकरण के आयात के लिए लाइसेंसों के आवेदन पत्रों के निपटान में समय अन्तराल का कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो इन आवेदन पत्रों के शीघ्र निपटान तथा आयात लाइसेंसों को जारी करने के लिए क्या सरकार, अध्ययन की व्यवस्था करेगी और उचित कार्यवाही करेगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन से यह पता चला है कि आयात आवेदन पत्रों की विभिन्न प्रक्रियाओं के कारण पूंजीगत माल के आवेदनों के निपटान में विलम्ब होता है । प्रद्धति संबंधी विलम्ब को कम करने के लिए संपूर्ण प्रणाली को आसान बनाया गया है तथा यह निश्चय किया गया है कि पूंजीगत माल के आयात आवेदनों पर आयात आवेदन मिलने की तिथि से 90 दिन के भीतर स्वीकृति (या आवेदन पर सरकारी दृष्टिकोण) दे दी जानी चाहिए। इस संबंध में जहां आवेदनों को कैपिटल गुड्स समिति से गुजरना होता है उठाया गया एक प्रमुख कदम यह है कि तकनीकी विकास के महानिदेशालय को अपनी राय सीधे देनी होती है तथा इस की एक प्रति प्रशासकीय मंत्रालय को देनी होती है और इस प्रकार आवेदनों पर विचार करने की स्थितियों की संख्या में कमी की जाती है। लघु उद्योग एककों के लिए लघु उद्योग क्लीयरेंस समिति और सी० जी० तदर्थ समिति को मिला दिया गया है तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय को सी० जी० तदर्थ समिति की बैठक में मौके पर ही क्लीयरेंस देनी होती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

तकनीकी विकास महानिदेशालय द्वारा लाइसेंसों के आवेदन पत्रों की जांच करने में विलम्ब

1465. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह आम शिकायत है कि तकनीकी विकास के महानिदेशालय औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्रों की जांच करने में आवश्यकता से अधिक समय लेते हैं तथा आवेदन पत्रों के अनावश्यक पूर्व संदर्भ मांगते हैं; और

(ख) तकनीकी विकास के महानिदेशालय की कार्य कुशलता को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) हाल में मामलों के किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि कुल मिलाकर तकनीकी विकास का महानिदेशालय औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन पत्रों की जांच करने में निर्धारित अवधि का पालन करता है स्थिति को

और सुधारने के विचार से 1 नवम्बर, 1973 से औद्योगिक स्वीकृति प्रक्रियान्वयन के लिए एक नई प्रणाली प्रारम्भ की गई है।

(2) नई प्रणाली में विभिन्न प्रकार की स्वीकृति प्रदान करने के लिए समय निर्धारित किया गया है तथा प्रक्रिया की हर स्थिति पर लगने वाले समय को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने का प्रस्ताव है।

लाइसेंसिंग समिति की बैठक के कार्यवाही सारांश जारी करने में विलम्ब

1466. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाइसेंसिंग समिति की बैठक होने तथा बैठक के कार्यवाही साराश जारी करने में आम तौर पर कितने दिनों का अन्तर होता है;

(ख) क्या गत 6 महीनों के दौरान हुई बैठकों के समय अन्तराल के बारे में कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो प्रत्येक बैठक के बारे में स्थिति क्या है; और

(ग) कार्यवाही सारांश को शीघ्र जारी करने तथा लाइसेंसों के आवेदन पत्रों के निपटान में होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) गत 6 महीनों के दौरान हुई लाइसेंसिंग समिति की बैठकों की तिथियां, कार्यवृत्त जारी करने की तिथियां और कार्यवृत्त जारी करने में लगे समय को बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5758/73]

(ग) सरकार ने 1 नवम्बर, 1973 से औद्योगिक स्वीकृतियां देने के लिए एक नया तरीका लागू किया है। कुछ निश्चित समय के अंदर आवेदकों को पूर्वनिवेश स्वीकृति की सूचना दे देना इस नये तरीके की आधारभूत विशेषता है। आशा की जाती है कि नये तरीके के लागू होने से, औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के आवेदन पत्रों का निपटान करने में देरी को हटाया जा सकेगा।

विदेशी फर्मों तथा बड़े औद्योगिक गृहों के द्वारा अनधिकृत उत्पादन

1467. श्री के० एस० चावड़ा :
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी फर्मों तथा बड़े औद्योगिक गृहों ने लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक उत्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या है और उनके द्वारा किन-किन मदों का कितना-कितना उत्पादन किया गया;

(ग) ये फर्म कितने समय तक औद्योगिक लाइसेंसों की शर्तों का उल्लंघन करके अनधिकृत उत्पादन करती रही हैं; और

(घ) अनधिकृत उत्पादन के लिये सम्बद्ध फर्मों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक अनधिकृत उत्पादन के मामले सरकार के ध्यान में समय-समय पर लाये गये हैं। औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति ने लाइसस प्राप्त क्षमता से अधिक अनधिकृत उत्पादन के 45 मामले बताए थे और वे जांच के लिए सरकार आयोग को भेज दिये गये थे। 1970-71 की अवधि में समय-समय पर लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक अनधिकृत उत्पादन के अन्य अलग-अलग मामलों की सूचना भी मिली है।

सरकार का विचार देश में उत्पादन को निरुत्साहित करना नहीं है। साथ ही सरकार की यह नीति भी नहीं है कि विद्यमान नियमों, विनियमों का उल्लंघन करके विशेषकर विलासिता की तथा समृद्ध जनों के उपयोग की वस्तुएं बनाने की अनुमति दी जाये।

Appointment of Manager in Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

1468. Shri Phool Chand Verma: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi has no Manager for the last two years and his work is being looked after by the Assistant Manager, against whom a large number of complaints are being looked into by the Khadi and Village Industries Commission; and

(b) if so, the reasons why a new Manager has not been appointed so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) and (b) The Services Selection Board of Khadi and Village Industries Commission has already been asked by the Commission to select a suitable candidate for the vacant post of Manager, Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi. Action to appoint a Manager on regular basis will be taken immediately on receipt of the Board's recommendations.

बम्बई के लिए टेलीफोन परामर्शदात्री समिति

1469. श्री शंकर राव सावन्त :
श्री पो० जो० मावलंकर :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई शहर के लिए अभी तक टेलीफोन परामर्शदात्री समिति गठित नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो समिति गठित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और समिति कब की जायेगी ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) सामान्यतः सभी टेलीफोन सलाहकार समितियों के गठन और उनके कार्य चालन का पुनरीक्षण और उसमें यथावश्यक और वांछनीय संशोधन करने का प्रश्न अब हाथ में ले लिया गया है। जब तक यह पुनरीक्षण कार्य पूरा नहीं हो जाता, बम्बई की टेलीफोन सलाहकार समिति का कार्य-काल 31 मार्च 1974 तक या उस

तारीख तक जब तक कि प्रस्तावित पुनरीक्षण कार्य पूरा हो जाता है और उसके मुताबिक इस बारे में निर्णय ले लिया जाता है, इनमें से जो भी तारीख पहले हो, बढ़ा दिया गया है।

बम्बई में टेलीफोन कनेक्शन

1470. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में लोगों को टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने में वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है और यदि हां, तो इस स्थिति के क्या कारण हैं और इस स्थिति का सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस स्थिति के कारण कर्मचारियों के बीच भ्रष्टाचार फैल गया है और गैर-कानूनी कनेक्शन लगाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस आकस्मिकता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। पर्याप्त एक्सचेंज क्षमता और जमींदोज केबुल उपलब्ध न होने के कारण लोगों को काफी अर्से तक टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है । टेलीफोन की मांग निरन्तर बढ़ रही है । इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सीमित मात्रा में उपलब्ध साधनों के आधार पर समय-समय पर अतिरिक्त उपस्कर की व्यवस्था की जाती है।

(ख) और (ग) ऐसे कोई मामले सरकार की जानकारी में नहीं आये हैं। यदि भ्रष्टाचार के कोई खास मामले सरकार की जानकारी में लाए जायेंगे तो उनकी तुरन्त छानबीन की जाएगी।

देश में शिक्षित बेरोजगार

1471. **श्री बयालार रवि :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवीनतम अनुमानों के अनुसार देश में शिक्षित बेरोजगारों की कुल संख्या क्या है और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समस्या का समाधान करने के लिये सरकार द्वारा किये गए विभिन्न उपाय कहां तक सफल रहे हैं; और

(ग) इस समस्या के स्थायी समाधान के लिये सरकार द्वारा कौन-कौन से विभिन्न उपाय करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5759/73]

Adivasi Commission for Development of Adivasis

1472. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a proposal to appoint an Adivasi Commission for the proper development of Adivasis in the Fifth Five Year Plan has been accepted; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Setting up of Small Scale Industries in Adivasi Area of M.P

1473. **Shri Dhan Shah Pradhan:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the number and type of small scale industries or other industries proposed to be set up in Adivasi area of Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan;

(b) the locations thereof; and

(c) the percentage of Adivasi people proposed to be given preference in the matter of employment in these industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Ziaur Rahman Ansari): (a) to (c) The information will be available only after the Fifth Five Year Plan has been finalised and details worked out.

जे० स्टोन एण्ड कम्पनी द्वारा कलकत्ता एकक का विस्तार

1474. **श्री समर गुह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री मैसर्स जे० स्टोन एण्ड कम्पनी : (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा नये एकक खोलने के बारे में दिनांक 25 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8159 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० स्टोन एण्ड कम्पनी ने अपने कलकत्ता एकक का कोई विस्तार किया है या पश्चिम बगाल में कोई नया औद्योगिक एकक खोला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) कम्पनी ने रेलवे द्वारा अपेक्षित एयर ब्रेक उपकरणों की अपनी विद्यमान क्षमता का 10 जून, 1973 को दिये गये औद्योगिक लाइसेंस के कार्यान्वयन द्वारा 6,000 नग तक पर्याप्त विस्तार करने हेतु कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने एयर ब्रेक रेगुलेटर्स तथा खाली भार बक्सों, (एम्पटी वेट बाक्सेज) रेल में प्रकाश के लिये डाइनुमाओं और रेल में प्रकाश के लिये स्विच गेयरों की कलकत्ता में अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग करने की भी अनुमति मांगी है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

टायरों और ट्यूबों के लिए एक अनुसंधान विकास केन्द्र की स्थापना

1475. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**

श्री विक्रम महाजन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने टायरों और ट्यूबों के लिये एक अनुसंधान विकास केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना स्थल और लागत के बारे में मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) टायर तथा ट्यूब उद्योग के कृतिक बल (टास्क फोर्स) तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति के एक कार्यकारी दल ने टायरों और ट्युबों के लिये एक अनुसंधान विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु सिफारिश की थी। यह सिफारिश सरकार के विचाराधीन है। पांचवीं योजनावधि में प्रारंभिक लागत के लगभग 2 करोड़ होने का अनुमान है। वास्तविक ब्यौरों का अभी पता लगाया जाना है।

मणिपुर में विद्रोही नागाओं की गतिविधियां

1476. **श्री के० लकप्पा :**
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नागाओं ने अपनी विद्रोही गतिविधियां, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों तथा मणिपुर में बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या उनकी गतिविधियों को रोकने के लिये कोई सुरक्षा बल मणिपुर भेजे गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री फखरुद्दीन मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सुरक्षा बलों द्वारा मानसून के बाद विद्रोही गतिविधियों का प्रतिकार करने के लिये प्रबल कार्यवाही की जा रही है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

2nd October not declared a Public Holiday by Maharashtra Government

1477. **Shri M. C. Daga:** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether the Central Government have declared the 2nd October as a Public Holiday and if so, the reasons why the Maharashtra Government have not done so; and

(b) whether the State Governments are empowered not to observe the holidays declared by the Central Government?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) and (b) 2nd October is being observed by the Government of India offices/establishments throughout the country as a closed holiday on account of Mahatma Gandhi's birthday. The State Governments declare the holidays for their offices/establishments, and it is open to them not to observe the holidays declared by the Central Government. The reasons for the Maharashtra Government not observing 2nd October as a holiday for their offices/establishments are not known to the Government of India.

Alleged Irregularities in Hapur Telephone Department

1478. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to a letter published in daily "Hindustan" dated the 25th October, 1973 regarding Irregularities in Hapur Telephone Department; and

(b) if so, the steps taken in this regard ?

The Minister of Communications and Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur):

(a) Yes Sir.

(b) Steps taken include (1) A drive to improve technical maintenance and overall performance of the exchange system (2) institution of enquiry into the allegations of corruption against the officials of the Department.

पांचवीं योजना के दौरान इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग में पूंजी निवेश

1479. श्री प्रभुदास पटेल : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रोनिक्स आयोग ने बेरोजगारी कम करने तथा औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की दृष्टि से देश में आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिये पांचवीं योजना में इलैक्ट्रोनिक्स उद्योग में महत्वपूर्ण पूंजी निवेश करने का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) इलैक्ट्रोनिकी आयोग ने पांचवीं योजना अवधि में इलैक्ट्रोनिकी उद्योग के विकास के लिये एक योजना प्रतिपादित की है। योजना पर रु० 273 करोड़ के कुल निवेश का विचार है, जिससे, आशा है, 2,300 करोड़ का उत्पादन होगा तथा 3.6 लाख व्यक्तियों (दीर्घतः शिक्षित एवं कुशल) को अतिरिक्त नियोजन भी मिल सकेगा। रु० 253 करोड़ में से रु० 52 करोड़ की राशि अनुसंधान एवं विकास पर व्यय की जाएगी, जिसे इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा इस क्षेत्र से संम्बद्ध अन्य मंत्रालय, जैसे संचार मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आदि दोनों करेंगे। निजीक्षेत्र निवेश रु० 67 करोड़ होने की आशा है जबकि सरकारी क्षेत्र में निवेश रु० 134 करोड़ की कोटि का होगा। सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में पांचवीं योजना के दौरान स्थापित होने वाले नये उद्योगों के स्थानों पर अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है, किन्तु यह प्रौद्योगिक-आर्थिक विचारणाओं पर आधारित होगा तथा देश की औद्योगिक अभिवृद्धि में क्षेत्रीय असंतुलनों के समंजन को संभव सीमा तक सुनिश्चित करने पर भी दृष्टि रखी जाएगी। योजना आयोग ने योजना को सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है।

गुजरात के लघु ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्रीय कार्यालय

1481. श्री प्रभुदास पटेल :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लघु ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रयत्नों में वृद्धि करने के लिये गुजरात में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य किसी राज्य में ऐसे कार्यालय स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) ऐसा करना गुजरात राज्य के लिये किस सीमा तक सहायक होगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग सेवा संस्थानों के कार्यकलाप की अनुपूर्ति करने और उनको बढ़ावा देने के विचार से लघु उद्योग विकास संगठन ने उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्रों में चार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किये हैं जिनके मुख्यालय क्रमशः लुधियाना, पटना, जयपुर और हैदराबाद में हैं। पश्चिमी क्षेत्र का कार्यालय जिसका मुख्यालय जयपुर में है अन्य क्षेत्रों के साथ गुजरात राज्य के हित की भी देखभाल करेगा । इन क्षेत्रीय कार्यालयों का कार्य लघु उद्योग सेवा संस्थानों के कार्यों का समन्वय करना और राज्य के उद्योग निदेशकों तथा अन्य सम्बद्ध अभिकरणों के साथ संपर्क स्थापित करना है। वे क्षेत्र के उद्योगिक विभव के सर्वेक्षण की पूर्ति का सुनिश्चय और जिला प्रलेखों (डोसियरों) का रख-रखाव करते हैं। इसके अतिरिक्त वे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्यक्रम को सफलता पूर्वक चलाने के लिये विशेष अध्ययन अथवा कोई अन्य नियत कार्य करेंगे।

गुजरात राज्य को अखबारी कागज का आवंटन

1482. **श्री प्रभुदास पटेल :**

श्री प्रसन्नभाइ मेहता :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अखबारी कागज की अभी भी कमी चल रही है, यदि हां, तो गुजरात राज्य को अखबारी कागज का कितना आवंटन किया गया है;

(ख) क्या केवल गुजरात ही एक ऐसा राज्य है जो अखबारी कागज की कमी से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है; और

(ग) क्या इस कारण से ही गुजरात के अधिकांश प्रमुख दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो पाते हैं, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अखबारी कागज, जो अभी तक अल्प मात्रा में उपलब्ध है, का राज्य-अनुसार आवंटन नहीं किया जाता है, न ही उपलब्ध मात्रा का कोई भाग किसी विशिष्ट राज्य में वितरण हेतु आरक्षित रखा जाता है। समय-समय पर बनाई जाने वाले अखबारी कागज आवंटन नीति के अधीन, समाचारपत्रों को अखबारी कागज आवेदन प्रस्तुत करने पर उनकी पात्रता के आधार पर, आवंटित किया जाता है।

(ख) जी नहीं। अखबारी कागज की कमी समस्त देश में महसूस की जा रही है।

(ग) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि गुराजत में या देश में और कहीं कोई ऐसा समाचार पत्र, जिसको अखबारी कागज का कोटा मिलता हो, कागज की कमी के कारण बन्द हो गया हो। तथापि, कुछ समाचारपत्र अखबारी कागज की खपत और उपलब्धि में समन्वय स्थापित

करने हेतु स्वेच्छापूर्वक प्रकाशन को विनियमित कर रहे हैं। गुजरात में 'नूतन सौराष्ट्र', राजकोट से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र ने अल्प अवधि के लिये प्रकाशन स्थगित किया । कुछ समाचार-पत्रों द्वारा महसूस की जा रही अखबारी कागज की कमी का कारण या तो उनकी पात्रता से अधिक खपत है या आयातों में बाधा के कारण अखबारी कागज की अनुपलब्धि है। अखबारी कागज आजकल विक्रेताओं की मण्डी में होने और समस्त विश्व में इसकी अत्यन्त कमी के कारण सप्लायरों को इस बात के लिये राजी करने के प्रयास किये जा रहे हैं कि वे अख़बारी कागज शीघ्र भेजें ।

पांचवीं योजना के प्रति नया दृष्टिकोण

1483. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं योजना के प्रति नया दृष्टिकोण रखने का प्रयास किया है ; और

(ख) क्या केरल सरकार ने पांचवीं योजना के प्रति नया दृष्किोण लाने का प्रयास किया है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां। पांचवीं योजना के स्वरूप की व्याख्या योजना आयोग द्वारा जनवरी 1973 में जारी किए गए "दृष्टिकोण पत्र" में की गई है। इस पत्र की प्रतियां सभा पटल पर पहले ही रखी जा चुकी हैं । किन्तु, यह उल्लेख फिर किया जाता है कि पांचवीं योजना की मुख्य विशेषता राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकताओं से सम्बन्धित कार्यक्रम के माध्यम से समाज के निचले वर्ग के उपभोग स्तर में वृद्धि करके और रोज़गार अवसरों को बढ़ाकर आत्म निर्भरता प्राप्त करना तथा गरीबी पर सीधा प्रहार करना है।

(ख) केरल सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना के मसौदा प्रस्ताव समस्याओं, आवश्यकताओं और क्षमता के विशिष्ट विश्लेषण के आधार पर तैयार किए हैं । राज्य सरकार के मतानुसार केरल अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्यायें हैं---न्यून प्रति व्यक्ति आय, बेरोज़गारी में वृद्धि, खाद्यान्न का अभाव, सुदृढ़ औद्योगिक आधार की अनुपस्थिति तथा परम्परागत उद्योगों, जैसे जूट, काजू आदि, में प्रौद्योगिक का निम्नस्तर । राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य भी विकासस्तर में भारी असमानता है । इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केरल सरकार ने अपनी पांचवीं योजाना के प्रारूप में निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों का वर्णन किया है :---

(1) 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से कुल वार्षिक वृद्धि की उपलब्धि ।

(2) सधन कृषि तथा सांस्थानिक परिवर्तनों के माध्यम से खाद्यान्न का अधिकतम उत्पादन ।

(3) भूमि सुधार उपायों में तीव्रता ।

(4) नए उद्यमों तथा वर्तमान पारम्परिक उद्योगों का आधुनिकीकरण करके तीव्रगति से औद्योगिकीकरण करना ।

(5) समाज के गरीब वर्ग को नियोजित विकास के फल में अधिक भाग देकर उनके जीवन स्तर में सुधार करना ।

(6) राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य विकास की व्यापक असमानता को घटाना; और

(7) विभिन्न विकास क्षेत्रों में सधन रोज़गार कार्यक्रमों पर जोर देकर रोज़गार अवसरों में अधिकतन वृद्धि ।

"द फार्स दैट इज डी० आइ० आर०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

1484. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्री वाई ईश्वर रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 सितम्बर, 1973 के "ब्लिटज में" "द फार्स दैट इज डी० आई० आर०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार वे भारत रक्षा नियमों के उपबन्धों का प्रयोग जहां आवश्यक होता है, कर रहे हैं ।

राजकोट में टेलीफोन कनेक्शन

1485. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य रोजकोट में 31 मार्च, 1973 तक नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या क्या है ;

(ख) रद्द किए गए आवेदन पत्रों की संख्या क्या है ;

(ग) अभी भी विचाराधीन पड़े आवेदन पत्रों की संख्या क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 2226

(ख) कोई नहीं ।

(ग) 1800

(घ) राजकोट एक्सचेंज में अभी हाल ही में 300 लाइनें बढ़ाई गई हैं। यह एक्सचेंज इस समय अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा है । इस एक्सचेंज में 900 लाइनें बढ़ाने का काम हो रहा है । 600 लाइनें और बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी गई है । इसके लिए एक्सचेंज उपस्कर आने की प्रतीक्षा की जा रही है । आशा है कि मार्च 1974 तक भक्तिनगर में एक भू-उपग्रह (सेटेलाइट) एक्सचेंज भी चालू हो जाएगा । आजी में एक ऐसा ही एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

लघु उद्योगों में पोलिथीन पाउडर की कमी

1486. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री बेकारिया :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पोलिथीन ट्यूबों को बनाने के लिए पोलिथीन पाउडर की अत्याधिक कमी है और इस कमी के कारण बहुत से लघु उद्योग बंद हो गये है ; और

(ख) यदि हां, तो पोलिथीन पाउडर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार कौन से उपाय कर रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) देश में निर्मित प्लास्टिक के कच्चे माल जैसे निम्न घनत्व वाली पोलीथीन, उच्च घनत्व वाली पोलिथीन और पोलिविनाइल क्लोराइड की आम कमी है सरकार को इन कच्चे माल की कमी के कारण किसी एकक के बंद हो जाने के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) बड़े क्षेत्र में एक एकक को प्रतिवर्ष 80,000 मी० टन० निम्न घनत्व वाली पोलिथीन बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है। विद्यमान एकक का विस्तार हो जाने पर उच्च घनत्व वाली पोलिथीन के उत्पादन में भी वृद्धि होने की आशा है ।

बंगलोर में डाक-तार लेखन सामग्री की कमी

1487. **श्री के० मालन्ना** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के डाकघरों में अन्तर्देशीय पत्रों की कमी स्थायी हो गई लगती है ; और

(ख) गावों में भी इन्हें सहज उपलब्ध कराने के लिए इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सिक्योरिटी प्रेस, नासिक से अन्तर्देशीय पत्र कार्डों की सप्लाई न आ पाने के कारण बंगलौर में इन पत्र कार्डों की कुछ दिनों तक कमी हो गई थी । पत्र कार्डों से लदा जो डिब्बा रोक लिया गया था वह अब बंगलौर पहुंच चुका है और पत्र कार्डों की सप्लाई की जा चुकी है । वहां की स्थिति अब संतोषजनक है।

(ख) अब शहरी और देहाती सभी डाकघरों में अन्तर्देशीय पत्र कार्डों की सप्लाई कर दिए गए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों से कह दिया गया है कि वे अपने भंडार और सप्लाई की स्थिति पर विशेष निगरानी रखें ताकि ये वस्तुएं सभी डाकघरों में उपलब्ध रहें। इन वस्तुओं की सप्लाई को अखिल भारतीय स्तर पर जांच की गई है और वर्तमान स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से खास कदम उठाये गए हैं जैसे कि मुख्य डाकघरों में बफर स्टाक की व्यवस्था कर दी गई है ।

मंत्रालय में मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय

1488. **श्री झारखंडे राय**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंमालय ने हाल ही में मितव्ययिता सम्बन्धी कोई उपाय किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) उनसे अनुमानतः कितनी बचत होंगी ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) व्यय में मितव्ययिता करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं ।

(1) आकस्मिक व्यय तथा यात्रा भत्तों के सम्बन्ध में वर्तमान बजट व्यवस्था में 10 प्रतिशत की कटौती की गई है ।

(2) केन्द्रीय योजना (केन्द्र द्वारा आयातित योजनाओं समेत) के लिए बजट संबंधी सहायता में 10 प्रतिशत की कटौती की गई है ।

(3) सभी प्राधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए उन अनावश्यक इमारतों के निर्माण पर सभी व्यय बन्द करने के अनुदेश दिये गये हैं, जिनका अभी निर्माण किया जाना है अथवा समतल स्तर के बाद आगे नहीं बढ़ाया गया है ।

(4) पुलिस बल और आई० आर० बटालियनों के आधुनिकीकरण के लिए बजट में कटौती की गई है ।

(ग) इन उपायों से 673.44 लाख रुपये की बचत होने का अनुमान है ।

आकाशवाणी के रांची केन्द्र से विशेष समाचार बुलेटिन का प्रसारण

1489. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के रांची केन्द्र से विशेष रूप से छोटा नागपुर क्षेत्र के लिये कोई विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) रांची में एक समाचार यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इस विषय में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है ।

पांचवीं योजना के दौरान इलैक्ट्रोनिक उद्योग की स्थापना

1490. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितने इलैक्ट्रोनिक उद्योग स्थापित किये जायेंगे और किन-किन स्थानों पर इन्हें स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) उनमें कितने उद्योगों में टेलीविजन सैटों का निर्माण किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये जाने हेतु प्रस्तावित इलैक्ट्रोनिकी उद्योगों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । इन उद्योगों के स्थान को प्रौद्योगिक-आर्थिक विचारणाओं पर आधारित किया जायेगा तथा पूरे देश में उद्योगों की साम्यिक वितरण को, यथा सुनिश्चित करने पर भी दृष्टि रखी जायेगी ।

(ख) सम्प्रति, प्रतिवर्ष 2,94,900 टी० वी० यंत्रों की क्षमता बड़े तथा छोटे दोनों क्षेत्रों में निर्मित की गयी है । इस प्रयोजना के लिए लघु क्षेत्र में 64 यूनिट और मध्यम तथा बड़े क्षेत्र में 11 यूनिट स्वीकृत किये गये हैं । 1972 में देश में टी० वी० यंत्रों का उत्पादन 29,965 था, किन्तु चालू वर्ष के दौरान इसमें अर्थपूर्ण वृद्धि की आशा है । पूर्व स्वीकृत यूनिटों द्वारा की गयी प्रगति की समीक्षा हाल में की गयी थी, इस समीक्षा तथा पांचवीं योजना अवधि में उत्पन्न संभावित मांग (जो देश में टी० वी० सेवाओं के विस्तारण हेतु आकाशवाणी की स्वीकृत योजना पर निर्भर होगी) के आधार पर बाद में नये यूनिट अथवा विद्यमान यूनिटों का विस्तारण स्वीकृत किया जायेगा ।

कानपुर में 'टैफको' का आधुनिकीकरण

1491. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर में 'टेफ्को' के आधुनिकीकरण के लिए आगे क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) ऐसे आधुनिकीकरण के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ; और

(ग) क्या कारखाने के उत्पादन में वृद्धि हुई है ; और यदि हां, तो कितनी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) कुछ अधिक समय लेकर तीन चरणों में टेफ्कों का आधुनिकीकरण पूरा करने का विचार है । कार्यान्वित हो रहे वर्तमान चरण का कार्य मार्च, 1974 में पूरे किये जाने की आशा है । 10.78 लाख रु० मूल्य के पूंजीगत माल का आयात करने हेतु आयात के लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। और भी 7.23 लाख रु० मूल्य के पूंजीगत माल के आयात करने की स्वीकृति दे दी गई है । आधुनिकीकरण के प्रथम चरण में खर्च किये जाने वाले 58 लाख रु० में से 28.65 लाख रु० खर्च किए जा चुके हैं, तथा शेष रुपयों की 1973-74 तक खर्च किए जाने की आशा है तब ही प्रथम चरण भी पूरा होगा ।

(ग) चूंकि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया कुछ अधिक समय तक चलेगी उत्पादन पर उसके प्रभाव का अनुमान लगाना समयपूर्व होगा । 1 जून, 1973 को समाप्त होने वाली तिमाही के परिणाम के आधार पर उत्पादन का रुख बढ़ोतरी की ओर ही है ।

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स में उत्पादन

1492. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स में वर्ष 1972-73 में गत वर्ष की अपेक्षा अधिक उत्पादन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आगामी वर्षों में वृद्धि की प्रवृति को बनाए रखा जाएगा ; और

(ग) क्या हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स का उत्पादन देशीय आवश्यकताओं को पूरा करने के स्तर पर पहुंच गया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) वृद्धि की इस प्रवृति को बनाए रखने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ग) जी हां ।

अमरीकी निर्माताओं से व्यापार सम्बन्धी पूछताछ और व्यवसाय सम्बन्धी प्रस्ताव

1493. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी निर्माताओं ने हाल ही में भारत सरकार से व्यापार सम्बन्धी काफी पूछताछ की है और व्यवसाय सम्बन्धी प्रस्ताव रखे हैं ।

(ख) यदि हां, तो क्या व्यापार सम्बन्धी इस पूछताछ और व्यवसाय सम्बन्धी प्रस्तावों का सम्बन्ध लाइसेंस सम्बन्धी और पूंजीनिवेश प्रस्तावों से है ; और

(ग) क्या विदेशी पूंजी आमंत्रण की नीति में कुछ परिवर्तन आया है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र अमरीका के उत्पादकों सहित विदेशी उत्पादको द्वारा विदेशी निवेश और सहयोग की सम्भाव्यता के सम्बन्ध में समय-समय पर सामान्य पूछताछ की जाती रही है । किन्तु विदेशी सहयोग प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विद्यमान नीति के अनुरूप विचार किया जाता है ।

(ग) प्रौद्योगिकी के आयात के लिये सरकार उच्च कोटि की चयनात्मक प्रणाली अपनाती है और विदेशी निवेश की अनुमति उद्योग के केवल उन क्षेत्रों में दी जाती है जहां देशी जानकारी उपलब्ध नहीं है । सरकार की विदेशी सहयोग और विदेशी विनियोजन सम्बन्धी नीति में अभी हाल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ।

निर्वाह स्तर से नीचे रहने वाले लोग

1494. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान तथा चारों पंचवर्षीय योजनाओं में से प्रत्येक के प्रथम वर्ष में निर्वाह स्तर से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोग कितने कितने थे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : चौथी योजना के दस्तावेज में 1960-61 के मूल्यों के आधार पर 20 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति निजी उपभोग को अपेक्षित न्यूनतम उपभोग स्तर माना गया था । पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान इस स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का सामान्य अनुमान निम्न प्रकार है :–

	(करोड़)
1951-52 (प्रथम योजना) . . .	. 21
1956-57 (दूसरी योजना)	. 21
1961-62 (तीसरी योजना)	. 23

अंतिम वर्ष जिसके वास्ते राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण उपभोग से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं वह 1968-69 ही है । अतः चौथी योजना के प्रथम वर्ष अर्थात् 1969-70 तथा गत तीन वर्षों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं है ।

देश में नौकरशाही व्यवस्था में परिवर्तन

1495. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नौकरशाही व्यवस्था में सुधार करने या परिवर्तन करने की सभी ओर से लगातार मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ख) देश के प्रशासनिक ढांचे में सुधार अथवा परिवर्तन लाने के लिये विभिन्न क्षेत्रों से कभी-कभी सुझाव दिए जाते हैं । सरकार भी अनुकूलतम स्तर तक प्रशासनिक क्षमता बनाए रखने के लिये लगातार प्रयत्न करती रही है और कर रही है । इस प्रयोजन के लिये केन्द्र में भी तथा मंत्रालयों और उनके विभिन्न संगठनों में भी व्यवस्था मौजूद है तथा इन व्यवस्थाओं की कुशलता पर भी लगातार पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता है । इसके अतिरिक्त, इन प्रयत्नों को पूरा करने के लिये समय-समय पर विशेष उपाय किये जाते हैं जैसे वर्ष 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति की गई थी जिसने अब अपना काम पूरा कर लिया है । पांचवीं योजना की अपेक्षाओं से संबंधित प्रशासनिक कार्य में सुधार लाने के लिये आवश्यक परिवर्तनों पर भी लगातार विचार किया जा रहा है

प्रोद्योगिकी क्षेत्र में भारत और जर्मन जनवादी गणतंत्र के बीच सहयोग

1496. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन जनवादी गणतंत्र की सरकार ने भारत से श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी उद्योगों में सहयोग करने तथा तकनीकी उपकरणों तथा उन्नत प्रौद्योगिक के निर्यात में वृद्धि करने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न विषयों तर चर्चा करने हेतु विशेषज्ञों के कुछ दल जर्मन जनवादी गणतंत्र भेजे जाएंगे ; और

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के विशेषज्ञों के बीच चर्चा करने के लिए कौन-कौन से विषय चुने गये हैं और इस काम के कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) जर्मनी गणराज्य की मंत्रि-परिषद् के उपाध्यक्ष तथा वहां के राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष श्री गेरहार्ड सचूएरर के नेतृत्व में जर्मनी गणराज्य के प्रतिनिधि मंडल के साथ 7 अक्तुबर से 17 अक्तूबर, 1973 तक विचार-विमर्श किया गया । सहयोग के मुख्य कल्पित क्षेत्र है :– मशीनी औजार, खाद्य प्रोसेसिंग के लिए मशीनें तथा उपस्कर वस्त्र तैयार करने वाली मशीनें, कृषि मशीनें, हाथ के औज़ार, एनेमलवेर, सफाई उपकरण, इलक्ट्रानिक डेटा प्रोसेसिंग, पेरिफेरल मैग्नेटिक टैप्स, बिजली उपस्कर, यंत्र तथा बिजली फिटिंग, खनन एवं लिग्नाइट प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी कीटानाशी औषध तथा औषध-निर्माण, चुनींदा पेट्रो रसायन उत्पादन, फिल्म, रासायनिक संयंत्र, पशु चिकित्सा मशीनें, पशु प्रजनन तथा शिशु खाद्य का उत्पादन विचार-विमर्श के दौरान सहयोग के जिन क्षेत्रों पर सहमति हुई उन पर सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा आगे कार्यवाई की जायेगी ।

Visit of Minister of Industrial Development to America

1497. **Shri Devinder Singh Garcha:**

Shri K. M. Madhukar:

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether during his recent visit to America, he met many a US entrepreneurs for collaboration to manufacture sophisticated items in India; and

(b) if so, the nature of queries made by these entrepreneurs and the net success achieved by him through these talks ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam): (a) and (b) During the recent visit of the Minister of Industrial Development to USA, the Indian Investment Centre at New York had arragnged a meeting with prominent American investors for a general exchange of views. In the course of this meeting, the guidelines, as already published, regulating foreign investment and collaboration in

India were explained and our plans for developing self-reliance in all important areas of technological activity were referred to. It was further clarified that India will continue to follow a very selective approach in permitting foreign collaboration and investment in its industrial programmes but that within this framework of policy it was open to foreign entrepreneurs to invest in India.

लन्दन में भारतीय फिल्म केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

1498. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म वित्त निगम ने पश्चिम यूरोप में फिल्म समारोह आयोजित करने तथा उनके विपणन की संभावनाओं का पता लगाने के लिये लंदन में भारतीय फिल्म केन्द्र खोलने सम्बन्धी योजना सरकार को प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पांचवीं योजना में उत्पादन के लिए औद्योगिक नीति

1499. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के दौरान औद्योगिक नीति का आधार उत्पादन में वृद्धि होगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से उत्पादन का कार्यक्रम बनाया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) और (ख) औद्योगिक नीति सुझाव 1956 में औद्योगिक विकास, सामाजिक न्याय और आत्म निर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्यों की सरकारी नीति को प्रशासित करने की व्यवस्था विद्यमान है । पांचवीं योजना के संदर्भ में इन उद्देश्यों की प्राप्ति सुगम बनाने के विचार से 2 फरवरी, 1973 की प्रेस विज्ञप्ति में जिसकी प्रतियां दिनांक 21 फरवरी 1973 को अन्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 281 के अनुबन्ध के रूप में सभा पटल पर रख दी गई थी। सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंस नीति में कुछ संशोधन की घोषणा की गई थी । अन्य बातों के साथ औद्योगिक लाइसेंस नीति में बहुतायत से उपयोग में आने वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया गया है

चार पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान घाटे की अर्थ-व्यवस्था

1500. **श्री मधु दंडवते** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान घाटे की अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी आंकड़े क्या है ; और

(ख) पांचवीं योजना में घाटे की अर्थ-व्यवस्था को कम से कम करने के लिए सरकार का क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया : (क) पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं के दौरान क्रमशः 260 करोड़ रुपये, 1177 करोड़ रुपये और 1133 करोड़ रुपये की घाटे की वित्त व्यवस्था की गई। चौथी योजना (1969-70 से 1972-73 तक) के पहले चार वर्षों के दौरान घाटे की वित्त व्यवस्था की राशि 1975 करोड़ रुपये है । 1973-74 के केन्द्रीय बजट में 85 करोड़ रुपये की घाटे की वित्त व्यवस्था शामिल की गई है । वास्तविक रूप से इस वर्ष कितनी घाटे की वित्त व्यवस्था होगी इसकी जानकारी वर्ष के अन्त में ही प्राप्त हो सकेगी ।

(ख) जिन ठोस कदमों को उठाने का प्रस्ताव है उनमें सरकारी क्षेत्र द्वारा काफी मात्रा में अतिरिक्त संसाधन जुटाना आवश्यक, निजी और सरकारी उपभोग पर कड़ाई से रोक लगाना, पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था और निजी बचतों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, योजना प्राथमिकताओं के अनुसार बचत को सामाजिक दृष्टि से उत्पादक कार्यों में लगाना व ठोस राजकोषीय और मुद्रा सम्बन्धी अनुशासन इत्यादि शामिल हैं ।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित अफसरशाही विरोधी मार्च (एन्टी-ब्यूरोक्रेसी मार्च)

1501. **श्री मधु दंडवते :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 21 सितम्बर, 1973 को केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अधिकारियों की 29 श्रेणियों के प्रतिनिधियों ने जिनमें इंजीनियर, डाक्टर, वैज्ञानिक, श्रमिक , विमानन श्रमिक, अर्थशास्त्री तथा आयोजिक सम्मिलित थे, अपनी मांगों, जिनमें प्रशासनिक सुधार आयोग की कुछ सिफारिशों के क्रियान्वयन की मांग सम्मिलित थी, के बारे में उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु एक शांत अफसरशाही-विरोधी मार्च आयोजित किया ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उन्होंने मार्च करने वालों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान कोई आश्वासन दिया था ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है । [ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 5760/73]

(ग) जी नहीं ।

कलकत्ता के प्रधान डाक-घर में पार्सलों तथा डाक के थैलों का इकट्ठा हो जाना

1502. **श्री रानेन सेन :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में प्रधान डाकघर में हाल ही में पार्सलों तथा डाक के अन्य थैलों के भारी मात्रा में इकट्ठा हो जाने के कारण समूची डाक-सेवा अस्तव्यस्त होने का खतरा हो गया; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) सिर्फ 4 और 5 अक्तूबर, 1973 को कुछ पार्सल थैले इक्ट्ठे हो गए थे ।

(ख) 4 और 5 अक्तूबर, 1973 को डाक ले जाने वाली रेल गाड़ियों को रेल डाक-सेवा के कर्मचारियों को समय से सूचना दिए बगैर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर निर्धारित प्लेटफार्मों पर खड़ा करने के बदले दूसरे प्लेटफार्मों पर खड़ा किया गया इसलिए उन गाड़ियों में डाक थैले चढ़ाने में कठिनाई हुई। इसके अतिरिक्त हावड़ा स्टेशन के प्लेटफार्मों पर पूजा के यात्रियों की भारी भीड़ के कारण बंद डाक थैले अपने गन्तव्य स्थानों के लिए डिस्पैच नहीं किये जा सके और इन्हें वापस कलकत्ता के प्रधान डाकघर में लाया गया । ये बंद डाक थैले 6 व 7 अक्तूबर, 1973 को डिस्पैच किये गये । तब तक इन्हें उक्त डाकघर में ही सुरक्षित रखा गया ।

पश्चिम बंगाल में औद्योगिक संकट

1503. **श्री रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' दिनांक 5 अक्तूबर, 1973 "वैस्ट बंगाल इन्डस्ट्रियल गैलेस" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेखा की ओर गया है ; और

(ख) यदि हां तो उसके प्रति भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ही पश्चिम बंगाल राज्य में औद्योगिकरण को और बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

पांचवीं योजना क दौरान पश्चिमी बंगाल में उद्योगों की स्थापना

1504. **श्री रानन सेन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक कारखाने लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है और पांचवीं योजना के दौरान कौन से उद्योग प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) पांचवीं योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में कौन कौन से उद्योग स्थापित किये जायेंगे ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) : पांचवीं योजना की नीतियां तथा कार्यक्रम इस समय तैयारी के चरण में हैं । सरकार द्वारा योजना प्रस्तावों के प्रारूप को स्वीकृत किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल राज्य में पांचवीं योजना में शुरू किए जाने वाली केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

चौथी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में उद्योगों का स्थापित किया जाना और विकास दर

1505. **श्री रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने नये उद्योग स्थापित किए गए तथा इसी अवधि में कितने इंजीनियरी यूनिट तथा कारखाने बंद हुए, और

(ख) चौथी योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उत्पादन की दर क्या रही ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार चौथी योजनावधि में पश्चिम बंगाल में संगठित क्षेत्र में 43 नये उद्योग स्थापित किए गए तथा इस अवधि में 23 एकक बन्द कर दिए गए ।

लघु क्षेत्र में इस अवधि में (31-8-1973 तक) 26-920 एकक रजिस्टर किए गए ।

(ख) राज्यवार औद्योगिक उत्पादन का हिसाब नहीं रखा जाता । औद्योगिक उत्पादन के सरकारी सूचकांक अखिल भारतीय स्तर पर रखे जाते हैं ।

अमरीकी पूंजी निवेश के लिए आह्वान

1506. **श्री योगेन्द्र झा :**

श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राजदूत श्री टी० एन० कौल ने अमरीकी के पूंजी निवेशकों को भारत में औद्योगिक उपक्रमों में सहयोग करने का आह्वान किया है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) और (ख) : संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय राजदूत श्री टी० एन० कौल ने विदेश संबंध विषयक देनवर समिति के सदस्यों को 30 अक्तूबर, 1973 को देनवर कोलोरेडो में बताया था कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त सहयोग की सम्भावनायें विद्यमान हैं तथा निर्यातोन्मुख या आयात प्रतिस्थापन्न संबंधी अथवा उच्च कोटि की औद्योगिकी वाली वस्तुओं के लिये अमेरिकी विनियोजन का स्वागत है । उन्होंने कुछ अमेरिकी विनियोजकों द्वारा की गई बहुलांश विदेशी इक्विटी सहभागिता की मांग करने संबधी प्रयासों की निन्दा की थी ।

इससे पूर्व वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्मेलन के अधिवेशन में 24 अक्तूबर, 1973 को भाषण देते हुए श्री टी० एन० कौल ने कहा था कि विदेशी विनियोजकों को शीघ्र और आसानी से लाभ कमाने की इच्छा से नहीं अपितु भागीदार की भावना से आगे आना चाहिये ।

जमाखोरों को दंड दिया जाना

1507. **श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह :**

श्री वी० मायावन :

क्या **गृह** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का ध्यान 21 अक्तूबर, 1973 के 'टाइम्स आफ इंडिया' (अहमदाबाद संस्करण) में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जमाखोरों को दण्ड देने के लिए राज्यों ने बहुत कम काम किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जमाखोरों तथा चोर बाजारी करने वालों से निपटने के लिए आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम और भारत रक्षा नियमों के उपबन्धों का पूर्ण रूप से प्रयोग करने का राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है । राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार जहां सम्भव होता है वे कानून के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं ।

विज्ञान संबंधी योजना का प्रारूप
(ड्राफ्ट साइंस प्लैन)

†1508. **श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :**
श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये विज्ञान सम्बन्धी योजना के प्रारूप की रूपरेखा तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) पांचवीं पंचवीय योजना में सम्मिलित करने के लिये एक विस्तृत विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी योजना का प्रारूप विज्ञान और औद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति द्वारा तैयार किया गया ह ; और

(ख) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी योजना के प्रारूप में, जैसा कि इस का मूलभूत उद्देश्य है, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने और हमारे वर्तमान तथा भावी निवेशों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु अपने कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष रूप से पुनः चालू करने के लिये प्रौद्योगिकी संबंधी दक्षता का विकास, सम्मिलित है । अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे प्राकृतिक संसाधन, कृषि, ईंधन तथा बिजली तथा परिवहन, आवास, उद्योग तथा सूचना आधार आदि कार्यक्रम इस योजना में सम्मिलित हैं ।

दिल्ली में 'काल गर्ल्स' और वेश्याओं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा छापे

1509. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के आलीशान क्षेत्रों में अक्तूबर, 1973 में बदनाम 'काल गर्ल्स' और वेश्याओं को गिरफ्तार करने के लिये बहुत से छापे मारे थे ;

(ख) क्या उपरोक्त छापों के दौरान "कैबरे" नर्तकियों सहित बहुत से व्यक्तियों और अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री : (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान् । दिल्ली के विभिन्न भागों में इस अवधि में 18 ऐसे छापे मारे गये थे ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां, श्रीमन् । इन छापों में 5 कैबरे नर्तकियों समेत 55 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ।

(ग) तीन मामलों को विचारण के लिये न्यायालय में भेजा गया था। अन्य मामलों में जांच होनी है ।

योजना ढांचे में परिवर्तन

1510. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में बम्बई में कहा था कि सरकार पांचवीं योजना के ढांचे में परिवर्तन करेगी ताकि आगामी दो वर्षों में घाटे की अर्थ-व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, को प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य बात क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) योजना मंत्री ने कहा कि योजना को गैर-मुद्रास्फीति का पथ अपनाना है और परिणामस्वरूप अगले दो वर्षों में घाटे की वित्त-व्यवस्था के लिए मुश्किल से कोई गुंजाइश है ।

(ख) सार्वजनिक बचत तथा स्वैच्छिक निजी बचत करने तथा जुटाने पर अधिक निर्भर रहना होगा । पांचवीं योजना अवधि में घाटे की वित्त-व्यवस्था को उस स्तर तक नीचे रखा जायेगा जहां से अर्थव्यवस्था पर किसी प्रकार का स्वतः मुद्रास्फीतिकारी दवाब पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

राज्यों को अधिक शक्तियां दिये जाने की मांग

1511. **श्री एस० सो० सामन्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वायत्ता के मामले पर श्री करुणानिधि के इस स्पष्टीकरण पर सरकार की क्या प्रक्रिया है कि वह राज्यों के लिये स्वायत्ता नहीं, बल्कि कुछ अधिक शक्तियां चाहते हैं ; और

(ख) वे अधिक शक्तियां क्या हैं जिनकी मांग की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) संभावतया यह प्रश्न 14 अक्तूबर, 1973 को इलाहाबाद में श्री करुणानिधि द्वारा दिये गये वक्तव्य क संबंध में है । सरकार ने समाचार पत्र की रिपोर्टें देखी हैं । मामला राज्य सरकार को भेजा गया है। इस मामले में उनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

पश्चिम बंग युवा संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

1512. **मौलाना इसहाक संभली** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंग युवा संघ, कलकत्ता से सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने ज्ञापन में उल्लिखित, मामलों पर विचार किया है और यदि हां तो क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सरकार को पश्चिम बंग युवा संघ कलकत्ता से पश्चिम बंगाल में पुलिस द्वारा उग्रपंथी हिंसा पर नियंत्रण करने में प्रतिशोध और उत्पीड़न का तरीका अपनाने के बारे में और राज्य की जेलों में रहने की बुरी दशा के बारे में भी 27 अक्तूबर को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ ।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार से सम्बद्ध वास्तविक आंकड़े तथा अपने विचार भेजने का अनुरोध किया गया है ।

इंजीनियरी और रासायनिक उद्योगों पर कच्चे माल की कमी का प्रभाव

1513. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की कमी के कारण इन्जीनियरी और रासायनिक उद्योगों में उत्पादन कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन उद्योग हैं तथा किन उत्पादनों का उत्पादन कम हुआ है ;

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम कच्चे माल की कमी के लिए जिम्मेदार हैं ;

(घ) राज्य व्यापार निगम कच्चे माल की कमी को कैसे बढ़ाता है ; और

(ङ) इस संकट से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रहमण्यम) : (क) और (ख) यह बता पाना कठिन है कि सिर्फ कच्चे मालों की ही कमी के कारण कितना उत्पादन गिरा है, क्योंकि उत्पादन पर अनेक अन्य कारणों का भी प्रभाव पड़ता है । नीचे संगठित क्षेत्र के उन प्रमुख इन्जीनियरी तथा रसायन उद्योगों की एक सूची दी जा रही है, जिन में प्रमुख रूप से कच्चे माल के अभाव के कारण जनवरी, 1972 से जून, 1972 की अवधि की तुलना में जनवरी, 1973 से जून, 1973 की अवधि के दौरान अपेक्षाकृत कम उत्पादन हुआ है ।

संगठित क्षेत्र

इंजीनियरी उद्योग

1. लेथ टल्स (टूल्स किट)
2. ओ० पी० स्टोव
3. ड्राई बैटरी
4. मोपेड्स और स्कूटरलेड्स
5. वेल्डिंग एलेक्ट्रोड्स
6. ब्लैक और गल्वनाइजड पाइप तथा ट्यूब
7. स्ट्रील स्ट्रक्चरल्स
8. ब्राइट बार्स
9. क्रेन्स

रसायन उद्योग

1. फामलीहाईड
2. यू० एफ० मोल्टिंग पाउडर
3. यू० एफ० सिन्थेटिक रेजिन
4. लेदर क्लाथ
5. टीचेस्ट प्लाइवुड
6. सेफटी मैच
7. कार्क स्टापर
8. प्लास्टीसाइजर्स

लघु उद्योग क्षेत्र में निम्नलिखित उद्योगों से सम्बन्धित कारखानों ने कच्चे माल के अभाव की शिकायत की है ;

इंजीनियरी	रसायन
1. फाउन्ड्री	1. दियासलाइयां
2. फेब्रिकेशन्	2. कपड़े धोने का साबुन
3. टिन कण्टेनर	3. प्लास्टिक पर आधारित उद्योग
4. हास्पिटल इक्विपमेंट	4. रंग पदार्थ
5. तार बनाने के कारखाने और तार पर आधारित उद्योग	5. पेण्ट
6. अलौह ढली वस्तुएं और तार उत्पादन	6. कागज से बनी वस्तुएं
7. कटाई के औजार	

(ग) और (घ) कच्चे माल का अभाव राजकीय व्यापार निगम नहीं बढ़ाता । फिलहाल जो व्यवस्था है, राजकीय व्यापार निगम के जरिए सिर्फ 52 रासायनिक वस्तुओं के ही आयात को ही प्रणालीकृत किया गया है और इन में से अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन देश के अन्दर होता है । इस समय सारे विश्व में सभी रसायनों खास कर के पेट्रो रसायनों का अभाव पैदा हो जाने के कारण जिससे कुछ मामलों में 100 प्रतिशत से 300 प्रतिशत तक की मूल्य वृद्धि हो गई है । यह समस्या उठ खड़ी हुई है ।

(ङ) आयात नीति को अब काफी हद तक उदार बना दिया गया है और जहां तक राजकीय व्यापार निगम के जरिए प्रणालीकृत वस्तुओं का सम्बन्ध है उक्त निगम अब लम्बी अवधि के लिए उतने अधिक कच्चे मालों की सप्लाई का प्रबन्ध करने की कोशिश कर रहा है जितनों की सप्लाई करना सम्भव हो ।

औद्योगिक उत्पादन में प्रौद्योगिकीय सुधार करने की आवश्यकता

1514. श्री कमल सिंह मधुकर :

श्री डी० के० पंडा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्री ने हाल ही में एक वक्तव्य दिया था कि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकीय सुधार करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) गत दो वर्षों में उनका औद्योगिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) जी, हां, सरकार का मत है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए निरन्तर प्राविधिक सुधार अनिवार्य अपेक्षा है । प्राविधिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के समुह के द्वारा अनुसंधान तथा विकास

कार्य किये जा रहे हैं । निजी तौर पर चलाए जाने वाले कारखानों से इस प्रकार अनुसंधान तथा विकास कार्यों को कराने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं । उत्पादन क्षमता को बढ़ाने तथा विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वीकृति देने हेतु इस पहलू को एक शर्त के रूप में सम्मिलित किया गया है । विज्ञान तथा प्राविधि से संबंधित राष्ट्रीय समिति इस समय पांचवीं योजना के लिए विज्ञान तथा प्राविधि योजना को अन्तिम रूप देने में लगी है । प्राविधिक कार्यों पर अनुसंधान तथा विकास का प्रभाव एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा किसी स्थिति विशेष में उत्पादन पर पड़े प्रभाव के परिणाम को सही-सही आंका नहीं जा सकता ।

निम्नतर आय समूह के लिए प्रति परिवार अधिक आय के लिए विशेष कार्यक्रम

1515. **श्री नरेन्द्र सिंह : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा समाज के निमन्तर आय समूह के लिए 1972-73 के मूल्यों के आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 600 रुपये की आय जुटाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस कार्यक्रम को कब तक लागू किया जाना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवीं योजना के विकास कार्यक्रमों तथा नीतियों को समाज के निम्नतम आय वर्ग की आमदनी को 600 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष से भी कहीं अधिक करने की दृष्टि से तैयार किया जा रहा है ।

(ख) विकास कार्यक्रमों तथा नीतियों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) कुल घरेलू उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की दर से औसत वार्षिक वृद्धि की उपलब्धि ।

(2) उत्पादक रोजगार अवसरों का विस्तार, विशेष रूप से कृषि तथा ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्रों में ।

(3) छोटे किसानों, सीमांत किसानों और खेतिहर मजदूरों से सम्बधित कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण और विस्तार । बारानी खेती और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास ।

(4) भूमि सुधार उपायों का शीघ्रता से क्रियान्वयन ।

(5) जनसाधारण के उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि ।

(6) अनिवार्य उपभोग की वस्तुओं की उचित स्थिर मूल्यों पर पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वजनिक वसूली और वितरण व्यवस्था का निर्माण ।

(7) पिछड़ी जातियों तथा क्षेत्रों की उन्नति के लिए प्रभावशाली कार्यक्रम ।

(ग) संदर्भित कार्यक्रमों की पांचवीं योजना जो पहली अप्रैल, 1974 से आरम्भ की जाएगी में शामिल किया जाएगा ।

Mystery of Christian Population in Nagaland

1516. Shri M. S. Purty:

Shri Rana Bahadur Singh:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Governor of Nagaland has hinted to some mysterious facts regarding the recording of the school-going children in Nagaland as Christians;

(b) whether all the school-going children there have been recorded in the census as Chirstians and the figures in regard to other communities have not at all been recorded; and

(c) if so, the reaction of Government of India in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

प्रोद्योगिकी में आत्मनिर्भरता

1517. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजाइन इंजीनियरिंग और नए संयंत्रों को चालू करने और वर्त्तमान संयंत्रों के प्रसार के लिए भी विदेशी प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर करने के कारण अनुसंधान एवं विकास और **औद्योगिक** विकास के बीच स्पष्ट दरार पैदा हो गई है; और

(ख) क्या एक ओर यथासम्भव अधिकतम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए और दूसरी ओर बड़े पैमाने के कार्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में ही डिजाइन और इंजीनियरिंग सामृथ्य विकास के लिए बहुमुखी अभियान चलाने के लिए कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) डिज़ाइन प्रलेख तथा तकनीकी जानकारी के सम्बन्ध में विदेशी जानकारी को आयात करने के लिए सरकार की चयनात्मक नीति बनी हुई है ताकि इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि जिसके लिए देश में क्षमता उपलब्ध है उसका आयात करने की अनुमति दी जाए। सूक्ष्म वस्तुओं के क्षेत्रों में डिज़ाइन के आयात की आवश्यकता इस क्षेत्र की आवश्यकताओं में विविधता लाने तथा देश में ही मशीनों का निर्माण करने की क्षमता उत्पन्न करने के कारण पैदा होती है। डिज़ाइनों के आयात का विकल्प स्पष्टत: स्वयं मशीनों का आयात करना होगा जो विदेशी मुद्रा में बचत होने की दृष्टि से कहीं अधिक मंहगा पड़ेगा।

फिर भी सरकार देशी डिजाइन क्षमता का उपयोग करने तथा इसकी उन्नति के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों के अपने खुद के डिज़ाइन संगठन हैं तथा विदेशी सहयोग करार के लिए स्वीकृति देते समय एक शर्त यह लगाई जाती है कि करार की अवधि के भीतर भारतीय कम्पनी को अपनी खुद की डिज़ाइन और अनुसंधान सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी ताकि विदेशी सहयोग करार की अवधि के बाद विदेशी सहयोगी पर निर्भर रहने की आवश्यकता न रहे। इसी प्रकार आशयपत्रों में भी एक शर्त यह लगाई जा रही है कि योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत

रजिस्टर्ड भारतीय इंजीनियरिंग डिजाइन और परामर्शदात्री संगठन ही प्रमुख परामर्शदाता होंगे तथा सरकार केवल उन्हीं डिजाइनों और परामर्शदात्री सेवाओं को विदेशों से खरीदने के लिए अनुमति देने पर विचार करेगी जो देश में उपलब्ध नहीं हैं। आशय पत्रों के सभी उपयुक्त मामलों में एक यह शर्त लगाई जा रही है कि प्रार्थी को औद्योगिक उपक्रम की उत्पादन सुविधाओं के अंग के रूप में एक उपयुक्त डिजाइन संगठन भी स्थापित करना चाहिए तथा इसके प्रयोजन के लिए आशय पत्र को लाइसेंस में बदले जाने के पूर्व उस सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों को एक उपयुक्त योजना प्रस्तुत करनी चाहिए। मशीनी उद्योगों की कुछ कठिनाइयों की जांच करने के विचार से सरकार ने एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ इन पर भी विचार करेगा :

(1) विद्यमान डिजाइन सुविधाओं और डिजाइन सम्बन्धी ज्ञान की स्थिति की संवीक्षा करना तथा उसे उन्नत बनाने के लिए अभ्युपायों के सम्बन्ध में सिफारिश करना;

(2) एक सेन्ट्रल ब्यूरो आफ डिजाइन शाखा का गठन करने के प्रश्न की जांच करना तथा इसकी स्थापना के लिए उपयुक्त सिफारिश करना; आयातित डिजाइनों और खाकों की प्रतियां प्राप्त करने और केन्द्रीय संगठन के पास जो जानकारी वह अपने पास रखेगा उसे अन्य पार्टियों को उपलब्ध कराने के प्रश्न पर भी विचार करना;

(3) हमारी डिजाइन और ड्राइंग सुविधाओं की कमी की एक विशद सूची तैयार करना तथा उसे सूची में होने वाली घटबढ़ को सम्मिलित करके उसे अद्यतन बनाए रखने के बारे में सुझाव देना।

केरल में विदेशी स्वामित्व वाले बागानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अध्यादेश

1518. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री केरल में विदेशी स्वामित्व वाले बागानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अध्यादेश के बारे में 25 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 468 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में विदेशी स्वामित्व वाले बागानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अध्यादेश के विभिन्न पहलुओं पर ब्यौरेवार विचार कर लिया गया है और इस अध्यादेश के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) केरल सरकार द्वारा विदेशी स्वामित्व वाले बागानों के राष्ट्रीयकरण के इस प्रश्न के सम्बन्ध में किये गये विशिष्टि अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले पर निर्णय करने में केन्द्रीय सरकार को किन मुख्य बाधाओं या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अन्तिम निर्णय शीघ्र लिये जाने की संभावना है।

(ख) केरल सरकार ने इच्छा व्यक्त की है कि रिपोर्ट को गुप्त रखा जाये। इसलिये सिफारिशों को बताना संभव नहीं है।

(ग) नीति संबंधी उलझनों तथा व्यापक प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के अनेक संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से प्रस्ताव पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। इन पहलुओं की व्यापक जांच पूरी हो गई है तथा सरकार के अन्तिम निर्णय के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

केरल की पांचवीं योजना के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटन

1519. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न में वृद्धि करने, परम्परागत उद्योगों को सुदृढ़ बनाने, वन उद्योग तथा मत्स्य-पालन उद्योग के विस्तार और अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण के विचार से केरल के लिये पांचवी योजना के योजना आवंटन के अतिरिक्त कोई विशेष योजना मंजूर की गई है और धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने ऐसी कोई योजना पेश की है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) पांचवी योजना अवधि के लिए अलग-अलग राज्यों की योजनाओं के कुल आकार के सम्बन्ध में अन्तिम रूप से विचार, छटे वित्त आयोग की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा निर्णय ले लेने के बाद, किया जायेगा। केरल में प्रारम्भ किए जाने वाले अलग-अलग कार्यक्रमों के बारे में सूचना, केवल इस संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिए जाने के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी।

(ख) केरल सरकार ने योजना के केन्द्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित स्कीमें प्रस्तावित की हैं :

	(करोड़ रुपये)
1. नारियल-जटा उद्योग का पुनरोद्धार	44.08
2. मछली पकड़ने वाले बन्दरगाहों का विकास	22.00
3. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	1.24

केरल में टायरों के कारखाने स्थापित करने के बारे में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रतिवेदन

1520. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री केरल में सूक्ष्म उपकरण कागज तथा टायर के कारखाने लगाने के बारे में 25 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 467 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने केरल में सरकारी क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित टायरों के कारखाने के बारे में व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) क्या उन्होंने तकनीकी जानकारी प्राप्त करने की सम्भावनाओं का भी पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने केरल में कारखाना स्थापित करने के बारे में अन्तिम रूप से निर्णय ले लिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित टायर कारखाने के बारे में सम्भाव्यता रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की है।

(ख) तकनीकी जानकारी उपलब्ध करने की संभाव्यताओं की छानबीन की जा रही है।

(ग) अन्तिम व्यवस्था नहीं हुई है।

(घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित कारखाने के स्थान के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

पहाड़ी क्षेत्रों का विकास

1521. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) इस परियोजना के अंग के रूप में कौन सी योजनाएं आरम्भ करने का निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना में उस प्रस्तावित 'हिल हाइवे' योजना को भी सम्मिलित करने का है जो वर्ष 1965 में कन्नूर जिला विकास परिषद् द्वारा आरम्भ की गई थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समेकित क्षेत्र योजनाएं बनायें।

(ग) राज्य योजनाओं को अन्तिम रूप देने के बाद 'हिल हाइवे' को अपने अधीन लेने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

Consultations with people connected with earlier Five Year Plans

1522. Shri Shankar Dayal Singh: Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether in finalising the draft Fifth Five Year Plan, the Planning Commission would consult those people also who were connected with the last four plans in some way or the other;

(b) whether the Planning Commission is of the view that certain members or officers have been responsible for non-achievement of the objectives of the previous plans in full; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia): (a) In formulating the Draft Fifth Plan, on which the Planning Commission has been working for quite some time now, consultations have been held with Members of Parliament, leaders of political parties and eminent experts and specialists in different fields. In these discussions, certain persons who were connected with the previous Plans were also present.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Increase in the duration of Hindi and English News Bulletins

1523. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Information** and **Broadcasting** be pleased to state:

(a) the steps being taken by Government to increase the duration and improve the presentation of Hindi and English news bulletins and to broadcast them as early as possible; and

(b) the number of News-readers in All India Radio ?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha): (a) Innovation and periodic review in professional techniques, including news presentation, is constant endeavour of All India Radio. No firm date can be fixed for changes that may be introduced from time to time.

(b) There are ten Newsreaders for English and four Newsreaders and eight News-readers-cum-Translators for Hindi at Delhi and 14 News-readers-cum-Translators for Hindi at All India Radio Stations outside Delhi which originate regional news bulletins in Hindi.

टेलीविजन सैटों के निर्माण के लिए एन० आर० डी० सी० से तकनीकी जानकारी खरीदने वाली फर्मों द्वारा रायल्टी का भुगतान बन्द करना

1524. **श्री एम० सुदर्शनम्** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन कुछ फर्मों ने, जिन्होंने टी०वी० सैटों के निर्माण के लिए एन० आर० डी० सी० से तकनीकी जानकारी खरीदी थी, समझौते के अनुसार रायल्टी देना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रामण्यम) : (क) जी हां।

(ख) लाइसेंस प्राप्त फर्मों ने दावा किया है कि वे सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पिलानी द्वारा विकसित डिजाइनों का उपयोग नहीं कर रहीं हैं और उन्होंने सर्किट बदल दी है। इस बीच बातचीत द्वारा समझौते की चेष्टा की जा रही है।

पुलिस द्वारा कालीकट, केरल की हरिजन युवतियों के साथ बलात्कार

1525. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 अक्तूबर, 1973 के "ब्लिटज" में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है कि कालीकंट, केरल की तीन हरिजन युवतियों के साथ पुलिस द्वारा थाने के अन्दर बलात्कार किया गया;

(ख) क्या इनमें से दो युवतियों ने शर्म के मारे आत्महत्या करली है; और

(ग) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : **(क) से (ग)** सरकार ने 6 अक्तूबर 1973 को "ब्लिटज" में प्रकाशित तत्सम्बन्धी समाचार देखा है। राज्य सरकार से तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

डाक-तार विभाग में डाक्टरी इलाज के लिए कर्मचारियों में अन्तर

1526. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति ने डाक-तार विभाग द्वारा 500 रुपये मासिक या इससे अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों और इससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों में किए जाने वाले अन्तर की

जांच करने का सुझाव दिया है जिसके अनुसार पहली श्रेणी के कर्मचारियों को औषधालयों या राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित प्राधिकृत चिकित्सालयों से इलाज कराने का विकल्प प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में जुलाई, 1973 में आवश्यक आदेश जारी किए गए थे। इन आदेशों के अनुसार जिन जगहों पर डाक-तार चिकित्सालय होंगे, वहां के डाकतार विभाग के सभी कर्मचारी, चाहे उनका वेतन कुछ भी क्यों न हो, उन चिकित्सालयों से ही चिकित्सा परामर्श लेंगे और अपना इलाज करायेंगे। वहां के किसी भी कर्मचारी के लिए यह विकल्प नहीं होगा कि वह चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी प्राधिकृत चिकित्सक से चिकित्सा के लिए परामर्श प्राप्त करे।

देश में तारों (केबल) का उत्पादन

1527. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मानक किलोमीटरों में तारों (केबल) की कितनी आवश्यकता होगी;

(ख) इस अवधि में देश में अनुमानित उत्पादन कितना होगा; और

(ग) क्या इससे देश में टेलीफोन कनेक्शनों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सकेगा और प्रतीक्षा सूचियां नहीं रहेंगी?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में करीब 55,000 मानक किलोमीटर केबल की आवश्यकता होने का अनुमान है।

(ख) अनुमान है कि अपने देश में वर्ष 1973-74 के दौरान मैसर्स हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड, रूपनारायणपुर से करीब 3500 मानक किलोमीटर केबल के उत्पादन की संभावना होगी।

(ग) सिर्फ टेलीफोन केबल ही एक ऐसा कारण नहीं है जो टेलीफोन कनेक्शन देने में प्रभाव डालता है। प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी मांगों पर टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए एक्सचेंज उपस्करों तथा दूसरे साज-सामान की भी आवश्यकता पड़ती है। आजकल अपने देश में इन उपस्करों आदि का जितना उत्पादन हो रहा है, वह वास्तविक मांग को देखते हुए बहुत कम है। एक्सचेंज उपस्कर एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है। इस कारण पांचवीं योजना के अन्त तक देश भर में टेलीफोन मिलने में प्रतीक्षा की अवधि घट कर करीब 1.5 वर्ष हो जाने की उम्मीद है। इस स्थिति में जाहिर है कि निकट भविष्य में प्रतीक्षा-सूचियां बिल्कुल खत्म कर पाना बड़ा मुश्किल काम होगा।

टेलीफोन एक्सचेंजों में रक्षित टेलीफोनों की प्रतिशतता का अध्ययन

1528. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक लेखा समिति ने अपने दूसरे प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में सिफारिश की है कि दूसरे देशों में टलीफोन एक्सचेजों में रक्षित टेलीफोनों की प्रतिशतता का अध्ययन किया जाए क्योंकि

टेलीफोन कनेक्शनों की पूरी न की गई भारी मांग को देखते हुए 6 प्रतिशत की संख्या अधिक लगती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह अध्ययन किया गया है और उसके क्या परिणाम हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बादुर) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में एक अध्ययन किया गया था। इसके आधार पर यह पता चला है कि इंजीनियरी आरक्षण को 6 प्रतिशत से कम करना उचित नहीं है।

फिल्म वित्त निगम द्वारा बच्चों की फिल्मों का निर्माण

1529. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म वित्त निगम बच्चों की फिल्में बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) क्या उसकी अपने को राज्य व्यापार निगम के साथ कच्ची फिल्मों के वितरण और फिल्मों के आयात और निर्यात में सम्बद्ध करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय फिल्म निगम की स्थापना होने तक, सरकार ने हाल ही में कच्ची सिने फिल्मों के आयात और वितरण तथा फिल्मों के आयात और निर्यात के लिये फिल्म वित्त निगम को माध्यम एजेंसी घोषित किया है। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

फिल्म डब्बिंग प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रस्ताव

1530. **श्री श्रीकिशन मोदी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में भारतीय फिल्मों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार का विचार एक फिल्म डब्बिंग प्रयोगशाला स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो फिल्में जिन विदेशी और भारतीय भाषाओं में डब्ब की जाएंगी उनके नाम क्या हैं; और

(ग) किन देशों में भारतीय फिल्मों की बहुत मांग है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अफगानिस्तान, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका, फिजी, हांग-कांग, ईरान, इंडोनेशिया, मलयेशिया, मारिशस, सिंगापुर, थाईलैण्ड, त्रिनिदाद, ब्रिटेन, पश्चिमी एशिया।

अन्य देशों से अन्तरिक्ष उपकरणों का खरीदा जाना

1531. **श्री आर० एन बर्मन** : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अन्य देशों से अन्तरिक्ष उपकरण खरीदने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और देशवार कौन कौन से उपकरण खरीदे जायेंगे ?

प्रधान मंत्री परमाणू ऊर्जा मंत्री इलक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) भारत सरकार के अन्तरिक्ष कार्यक्रम में, राकेटों, उपग्रहों, प्रक्षेपण वाहनों और अन्य महत्वपूर्ण अन्तरिक्ष उपकरणों के देश में ही विकसित किये जाने पर अधिक बल दिया गया है। उपकरणों, पुर्जों व सामान की केवल उन्हीं मदों को जो इस समय देश में उपलब्ध नहीं हैं, विदेशों से आयात किया जाता है और ऐसा करते समय वस्तुओं की उपलब्धता, गुणों, मूल्यों और अन्य संबंधित घटकों को ध्यान में रखा जाता है।

पांचवीं योजना में निर्यातोन्मुख इलैक्ट्रोनिक उद्योगों में 'पूंजीनिवेश'

1532. **श्री आर० एन० बर्म्मन** : क्या **इलैक्ट्रोनिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना में निर्यातोन्मुख इलेक्ट्रोनिक उद्योगों की प्रतिशतता क्या होगी; और

(ख) पांचवीं योजना में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में इन उद्योगों में कुल कितनी पूंजी निवेश करने का विचार है?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) पांचवीं योजना अवधि के दौरान इलेक्ट्रोनिकी उद्योग का कुल उत्पादन लगभग रु० 23,000 करोड़ होने की आशा है जिसमें से रु० 210 करोड़ (9.1 प्रतिशत) के निर्यात की संभावना है।

(ख) चूंकि निर्यात कुल उत्पादन का एक अभिन्न अंग है जिस पर सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में निवेश किया जाना है, अकेले निर्यात हेतु निवेशों को सुस्पष्ट रूप से पृथक करना कठिन होगा। पांचवीं योजना अवधि के दौरान उत्पादन हेतु इलैक्ट्रोनिकी में सरकारी क्षेत्र में रु० 134 करोड़ के तथा निजी क्षेत्र में रु० 67 करोड़ के निवेश किये जाने की आशा है, जिसका एक अंश निर्यात किया जाएगा। बम्बई के समीप सान्ताक्रुज में स्थापित किये जा रहे निर्यात संसाधन क्षेत्र में जो अनन्यतः इलैक्ट्रोनिक उत्पादों के निर्यात से ही सम्बद्ध है, सरकार तथा निजी उद्योग-कर्त्ताओं द्वारा किया जाने वाला रू० 18 करोड़ का निवेश भी इसमें शामिल है।

अल्प विकसित क्षेत्रों में उपग्रह टेलीविजन के लिए 'क्लस्टरों' के चयन का प्रस्ताव

1533. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्प विकसित क्षेत्रों में उपग्रह टेलीविजन के लिये 'कलस्टरों' के चयन का प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो चयन का आधार क्या है और पांचवीं योजना में कौन से क्षेत्र लिये गये हैं;

(ख) क्या गोरखपुर, देवरिया, बलिया आजमगढ़ तथा गाजीपुर जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को भी, जो कोसी परियोजना के साथ उत्तर बिहार के प्रस्तावित 'कलस्टरों' से मिले हुए हैं; इसमें सम्मिलित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) अल्प विकसित क्षेत्रों में उपग्रह उपकरण टेलीविजन प्रयोग के लिए कलस्टरों के चयन के प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन हैं और उन्हें अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

नरौरा परमाणु बिजली घर

1534. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु बिजली घर परियोजना के कार्य में विलम्ब के बारे में 29 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4753 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अध्ययन दल (विजिटिंग ग्रुप) का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस अध्ययन दल की चर्चा कर रहे हैं। तथापि, इस विभाग के इंजीनियरों का एक दल यह सिफारिश करने के लिए अगस्त, 1972 में नरौरा गया था कि बिजलीघर किस स्थान पर बनाया जाए और निर्माण, संचालन तथा अनुरक्षण कर्मचारियों की रिहायश के लिए बस्तियां कहां बनाई जायें। इन सिफारिशों के आधार पर बिजलीघर तथा रिहायशी बस्ती के ठीक स्थान का अब अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है।

गोरखपुर में माइक्रोवेव स्टेशन

1535. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोनों के कुशल और उचित कार्यकरण के लिए गोरखपुर में माइक्रोवेव स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां। डाक-तार विभाग ने नई दिल्ली-कलकत्ता के चौड़ी पट्टी वाले माइक्रोवेव मार्ग पर गोरखपुर में एक माइक्रोवेव स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है।

(ख) दिल्ली-कलकत्ता मार्ग पर 1800 चैनल क्षमता वाली चौड़ी पट्टी की माईक्रोवेव प्रणाली चालू करने की योजना पर काम हो रहा है। इस योजना के दायरे में आगरा, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, आसनसोल, खड़गपुर और कलकत्ता शहर आ जाएंगे। कनाडा के मेसर्स केथियान को रेडियो उपस्कर सप्लाई करने का आर्डर दिया जा चुका है और इस मार्ग के लखनऊ-कलकत्ता खंड में निर्माण कार्य काफी ज्यादा हो चुका है। आशा है कि वर्ष 1976-77 तक गोरखपुर के रास्ते से दिल्ली-लखनऊ-पटना-कलकत्ता मार्ग चालू हो जाएगा।

आकाशवाणी में प्रोड्यूसरों के रिक्त पद

1536. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में प्रोड्यसरों के 85 पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन्हें न भरने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या स्टाफ आर्टिस्टस यूनियन ने मांग की है कि ये पद स्टाफ आर्टिस्टों में से ही भरे जायें; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) सभी श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों की तरह, प्रोड्यूसरों के पद सिविल पदों के रूप में औपचारिक रूप से नहीं बनाए जाते। इसलिए रिक्तियों का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, आकाशवाणी की विभिन्न यूनिटों में अतिरिक्त प्रोड्यूसरों की आवश्यकता का कार्यक्रम की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में समय समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है और उन्ह भर्ती करने के लिए कदम उठाये जाते हैं।

(ख) तथा (ग) जी, नहीं । स्टाफ आर्टिस्ट्स यूनियन ने प्रोड्यूसरों के पदों को आवश्यकतानुसार भर्ती नियमों के अनुसार भरने की मांग की है ।

Satellite Tests

1537. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Space** be pleased to state:

(a) whether India is making any progress in the field of satellites;

(b) if so, the number of satellite tests likely to be conducted in the near future; and

(c) the approximate weight of the satellites and the field in which information is likely to be collected through these tests ?

Prime Minister Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) It is proposed to put into space by December 1974, a scientific satellite wholly designed and fabricated in India.

(c) The approximate weight of this satellite is 300 Kg. and it will carry three scientific experiments, on X-Ray Astronomy, solar neutron and gamma-rays and on measurement of ionospheric parameters.

Grant of Scholarships to the Children of Delhi Police Employees

1538. Shri Shiv Kumar Shastri: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to grant scholarships to the children of the Delhi Police employees from the Delhi Police Education Fund; and

(b) if so, the categories of the Police employees whose children would be benefited thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) The Delhi Police do not have a fund called the Delhi Police Education Fund.

(b) The question does not arise.

Communal Activities of Muslim League

1539. **Shri Shiv Kumar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether concern was expressed on the communal activities of the Muslim League in a meeting of the prominent Muslim Leaders and educationists held in Lucknow recently under the Chairmanship of Maulana Azmal Ullah;

(b) if so, the reaction of Government thereto; and

(c) whether Government are adopting some measures to check venomous propaganda by Muslim League ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F.H. Mohsin) : (a) to (c) Facts are being ascertained from the Government of Uttar Pradesh.

केरल सर्किल में एस० डी० ओ० (फोन्स) के खिलाफ आरोप

1540. **श्री एम० के० कृष्णन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस० डी० ओ० (फोन्स), त्रिचूर, केरल के खिलाफ जाली समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के आरोप की विभागीय जांच पूरी हो गई है ।

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं, और

(ग) क्या एस० डी० ओ० के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) उक्त अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान लीवर द्वारा इडली और गुलाब जामन बनाने के काम में आने वाले खाद्य सामग्री का बिना लाइसेंस बेचा जाना

1541. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पहले हिन्दुस्तान लीवर में बिना कोई लाइसेंस प्राप्त किए इडली तथा गुलाब जामन बनाने में काम आने वाली खाद्य सामग्री बेचना आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) विगत कुछ वर्षों से मेसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड इडली तथा गुलाब जामुन बनाने में काम आने वाली तैयार मिश्रण का विपणन कर रहे थे । क्योंकि ऐसा समझा गया कि ये वस्तुएं उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची के अधीन नहीं आती हैं अतः अधिनियम के अन्तर्गत इनके विषय में कोई लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं था ।

राष्ट्रीय आय की वृद्धि-दर

1542. **श्री जगन्नाथ राव जोशी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर क्या थी और यह दर प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में क्या थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : स्थिर (1960-61) भावों के आधार पर 1968-69, 1969-70 तथा 1970-71 के गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर क्रमशः 2.2, 5.3 तथा 4.7 है। स्थिर (1960-61) भावों के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के प्रथम वर्षों की वृद्धि दर क्रमशः 0.3, 3.4, 6.7, तथा 5.3 प्रतिशत निकलती है।

(इसके लिए अनुमान प्रकाशित हो चुके हैं)।

Employment for Educated persons in Delhi During Fifth Plan

1543. Shri Jagannathrao Joshi: Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether projects worth Rs. 179.16 lakhs for providing employment to educated persons in Delhi in the Fifth Plan were presented to the Planning Commission for approval; and

(b) if so, the decision taken thereon by the Planning Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) The Planning Commission have not so far received from Delhi Administration projects worth Rs. 179.16 lakhs for providing employment to educated persons in Delhi in the Fifth plan.

However, proposals involving an outlay of Rs. 176.96 lakhs under the Half a Million Jobs Programme for Educated Unemployed were received from Delhi Administration for the year 1973-74. These proposals have been examined in the Planning Commission and an amount of Rs. 155.85 lakhs has been allocated to Delhi Administration for implementation of various schemes in conformity with the guidelines formulated for this programme. The remaining proposals are, at present, under scrutiny.

मैसर्स शार्पएज द्वारा सैफ्टी रेजर ब्लेडों के निर्माण में विदेशी नाम का प्रयोग

1544. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी फर्मों के सहयोग से सेफ्टी रेजर ब्लेड जैसी उपभोक्ता वस्तुएं बनाने वाली फर्मों को अनुमति न देने तथा विदेशी ब्रांड के नामों का प्रयोग न करने देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मैसर्स शार्पएज विदेशी नामक का प्रयोग कर रही है और उसने नए उत्पादों के लिए भी इसी नाम का प्रयोग करने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो इस शर्त का परित्याग करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) विदेशी सहयोग से सम्बन्धित मौजूदा मार्ग-दर्शी नीतियों के अन्तर्गत सेफ्टी रेज़र ब्लेड बनाने के लिए तकनीकी सहयोग पर विचार किया जा सकता है । ब्लेड उद्योग के कुछ कारखानों को विदेशी फर्मों के साथ तकनीकी सहयोग करके सेफ्टी रेज़र ब्लेड बनाने की अनुमति दी जा चुकी है। जहां तक देश के अन्दर बेचने के लिए विदेशी 'ब्रांड' नामों के प्रयोग का सम्बन्ध है, सरकार की मौजूदा नीति देश के अन्दर बेचे जाने वाले माल पर विदेशी 'ब्रांड' का प्रयोग करने देने की नहीं है, लेकिन निर्यात के लिए बने माल पर उन का प्रयोग करने में कोई आपत्ति नहीं है।

(ख) मैसर्स शार्पएज को जुलाई, 1967 में 'इरैस्मिक' ट्रेड मार्क, के पंजीकृत उपयोगकर्ता के रूप में पंजीबद्ध किया गया था, जो फरवरी, 1978 तक के लिए वैध है। यह कारखाना रेज़र ब्लेड बनाने के लिए जनवरी, 1970 से तकनीकी विकास महानिदेशालय के यहां पंजीबद्ध है । ये लोग उस समय विदेशी सहयोग के बिना ही देश के अन्दर बनाए गए ब्लेडों के लिए इस नाम का प्रयोग करते आ रहे हैं।

स्टेनलेस स्टील के रेज़र ब्लेड बनाने के लिए फ्रांस के मैसर्स थीबांद गिव्स के साथ इन के तकनीकी सहयोग का जून, 1973 से अनुमोदन कर दिया गया है। अनुमोदन विषयक पत्र में यह निर्दिष्ट है कि देश के अन्दर बेचे जाने के लिए बने माल पर विदेशी 'ब्रांड' का प्रयोग करने की अनुमति सामान्य तौर पर नहीं दी जाएगी, हालांकि निर्यात किए जाने वाले के लिए उनका प्रयोग करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। विदेशी सहयोग के लिए आवेदन करते समय भी इन लोगों ने यह लिखा था कि वे विदेशी 'ब्रांड' नाम 'इरैस्मिक' का प्रयोग अपनी तत्कालीन उत्पादन वस्तु के लिए करते आ रहे थे। क्योंकि यह नाम सहयोग-कारियों का नहीं है, इसलिए सरकार इस पर कोई भी आपत्ति नहीं उठा सकती ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी की समाचार पत्रों का विक्रय मूल्य बढ़ाने के लिए मांग

1545. श्री जगन्नाथ मिश्र :

श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी ने समाचार पत्रों का विक्रय मूल्य बढ़ाने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) सोसायटी ने वृद्धि की वह मात्रा सूचित नहीं की है जो उसके कथनानुसार अखबारी कागज की बढ़ी लागत तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों, सेवाओं और वेतनों में वृद्धि से होने वाले अतिरिक्त व्यय को वहन करने हेतु अपनी आय में वृद्धि करने के लिये मांगी जा रही है।

(ग) सरकार समाचारपत्रों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों से सहानुभूति रखती है और यह उम्मीद करती है कि मूल्य में वृद्धि करते समय, प्रकाशक पाठकों के हित को भी ध्यान में रखेंगे।

दिल्ली में टेलीफोन कालों के गलत बिल बनाना

1546. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में टेलीफोन कालों के गलत बिल भेजने के बारे में काफी संख्या में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रत्येक डाकघर में शिकायत रजिस्टर रखने का है ताकि इस प्रकार की शिकायतें दर्ज की जा सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) ऐसी अनेक शिकायतें मिली हैं, जिनमें ज्यादा रकम के बिल भेजे जाने के आरोप लगाये गए हैं, लेकिन 1972 के आरम्भ से ऐसी शिकायतों की संख्या में धीरे-धीरे कमी होती गई है। वर्ष 1971 में जहां कुल 8715 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, वर्ष 1972 में इनकी संख्या 7979 हो गई और वर्ष 1973 के शूरू के दस महीनों में इनकी संख्या केवल 4269 थी।

जितनी भी शिकायतें आती हैं, उन में से बड़ी प्रतिशत में शिकायतें इसलिए होती हैं क्योंकि टेलीफोन उपभोक्ता यह नहीं समझ पाते कि उपभोक्ता ट्रंक-डायलिंग की जो कालें वे करते हैं, वे स्थानीय कालों में जुड़ती हैं। अनेक उपभोक्ता तो यह भी नहीं जानते कि विभिन्न ग्रुपों पर एक उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की काल स्थानीय कालों की यूनिटों के रूप में प्रति मिनट किस दर से चार्ज की जाती है। जब से उपभोक्ता यह स्थिति समझने लगे हैं, शिकायतों में भी धीरे-धीरे कमी होती गई है। शिकायतों के ऐसे मामलों का प्रतिशत बहुत थोड़ा है जिसमें उपभोक्ता के टेलीफोन की मोटर रीडिंग वस्तुतः सामान्य दर से कुछ अधिक निकली है। ऐसे मामलों की ब्यौरेवार जांच की जाती है और जो मामले जायज होते हैं उनके बिलों में संशोधन किया जाता है।

(ग) और (घ) चूंकि इन शिकायतों का सम्बन्ध डाकतार विभाग की दूर संचार शाखा से है इसलिए डाकघरों में शिकायतों का रजिस्टर रखने से कोई फायदा नहीं होगा।

पिछड़े क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन

1547. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़ा क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) अन्तर्प्रान्तीय भेद को कम करने के लिए पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु नीति निर्धारित करने के प्रश्न पर

विचार करने की दृष्टि से योजना आयोग में एक समिति की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय विकास अभिकरण की स्थापना का प्रस्ताव भी उसे विचार हेतु भेजा गया है। समिति ने अभी अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

कर्मचारियों की हड़तालों से प्रभावित नागरिकों को मुआवजा

1548. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है जिनके अधीन उन नागरिकों को मुआवजा दिया जा सके जिन पर विशेषकर आवश्यक सेवाओं में सरकारी कर्मचारियों की अवैध हड़ताल का प्रतिकूल प्रभाव पड़े और उन्हें भारी हानियां उठानी पड़े ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ एच० मोहसिन) : ऐसी कोई योजना गृह मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

Assistance from Banks for Self-Employment Schemes

1549. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether some steps are being taken in consultation with the Department of Banking, Reserve Bank and Nationalised banks to urge the banks to provide assistance for self-employment schemes immediately;

(b) if so, the outlines thereof; and

(c) the time by which it is proposed to be implemented and the progress made in this regard so far in case this scheme has been implemented?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

[Placed in Library *See* No. L.T. 5761/73]

पांचवीं योजना के लक्ष्यों को कम करना

1550. **श्री पीलू मोदी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के विभिन्न लक्ष्यों को कम कर देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां योजना के लक्ष्यों को कम कर देने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) योजना आयोग पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप देने में लगा है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में कुल प्राथमिकताओं, वित्तीय तथा भौतिक रुकावटों आदि को ध्यान में रखा गया है। योजना का प्रारूप वर्त्तमान सत्र में सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विदेशों से लौटने वाले भारतीय वैज्ञानिकों, तकनीकी जानकारों, इंजीनियरों और डाक्टरों को रोजगार देने की योजना

1551. **श्री जगदीश भट्टाचार्य** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस समय विदेशों में काम कर रहे और भारत लौटने के इच्छुक भारतीय वैज्ञानिकों, तकनीकी जानकारों, इंजीनियरों और डाक्टरों को रोजगार देने की किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो वर्त्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार अब तक विदेशों से लौटने वाले सभी व्यक्तियों को रोजगार दे पाई है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्यौगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) प्रवासी भारतीय वैज्ञानिकों में जो भारत वापिस आने के इच्छुक हैं, को रोज़गार के सुअवसर प्रदान करने के लिये जो उपाय किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :—(अ) वैज्ञानिक पूल योजना, (आ) औद्योगिक प्रतिष्टानों और वैज्ञानिक संस्थानों अधिसंख्यक पदों का निर्माण (इ) नियमित रिक्त पदों के स्थानों के लिये विदेशों में साक्षातकार आयोजित करना। चुने हुए प्रत्याशियों तथा उनके परिवारों को यात्रा के लिये खर्चा प्रदान करना बशर्ते वे प्रत्याशी तीन वर्ष अवधि की सेवा करने के लिये लिखित प्रमाण दें।

इसके अतिरिक्त, भारतीय वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकी विदों और इंजीनियरों को जो विदेशों में उत्पादन यूनिटों में कार्यरत हैं, आकर्षित करने, और वापिस आने तथा देश में अपने उद्योग शुरू करने के लिये एक सम्मिलित योजना तैयार की जा रही है। इस योजना में विशेष रूप से उत्पादन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कौशल प्राप्त व्यक्ति होंगे।

(ग) 5098 प्रवासी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, डाक्टरों की भारत वापसी तथा अन्ततः उनको देश में बसाने के लिये वैज्ञानिक पूने सहायता प्रदान की है । विदेशों में प्रशिक्षित एवं विशिष्ट योग्यता प्राप्त कार्मिक यहां वापिस आने के थोड़े ही समय बाद नियमित रोजगार प्राप्त करते हैं।

चिनसुरह, चन्द्रनगर और त्रिवेणी एक्सचेंजों में ट्रंककाल प्रणाली में परिवर्तन

1552. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को चिनसुरह, चन्द्रनगर और त्रिवेणी एक्सचेंजों की ट्रंककाल प्रणाली को बदल कर कलकत्ता और अन्य उपनगरीय क्षेत्रों की स्थानीय काल में बदलने संबंधी कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) देश भर की लम्बी दूरी की टेलीफोन कालों के चार्ज करने के संबंध में सरकार ने जो एक सामान्य नीति अपनाई है, कलकत्ता और चिनसुरह एक्सचेंज समूह के बीच होने वाली कालों का चार्ज उसी नीति के मुताबिक निश्चित किया गया है। चूंकि ये दोनों इलाके पास-पास नहीं हैं और इनमें टेलीफोन कनेक्शनों का वितरण भी एक जैसा नहीं है, इसलिए इन दोनों इलाकों की कालों के चार्ज के उद्देश्य से एक ही स्थानीय इलाका बनाना न तो आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य होगा और न ही इसका औचित्य सिद्ध होगा।

कलकत्ता तथा अन्य महानगरों में डाक व्यवस्था

1553. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में कलकत्ता तथा अन्य महानगरों के बीच डाक व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो गई है; और

(ख) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, नहीं। तथापि, अभी हाल ही में डाक भेजने में कुछ हद तक बाधा जरूर पड़ी है। इसका कारण यह था कि इंडियन एयर लाइन्स ने एव्रो विमानों की उड़ानें बन्द कर दी थीं जिससे हवाई सेवाएं रद्द करनी पड़ी थीं।

(ख) जब कि दिन की हवाई सेवाएं चालू हो गई हैं, रात की हवाई डाक सेवा अभी भी रद्द पड़ी है। दिन की हवाई डाक-सेवाओं के जरिए गंतव्य स्थानों के अनुसार डाक भेजी जा रही है या फिर जिन स्थानों को हवाई जहाज से डाक भेजना लाभदायक नहीं है, वहां उसे रेल/सड़क परिवहन के जरिए भेजा जा रहा है।

Issue of Licences to M.P.

1554. **Dr. Laxinarayan Pandeya:** Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) names of the industries for which licences were issued during the last two years in Madhya Pradesh ;

(b) the names of the firms and the date of issuing licences; and

(c) the number of the industries started ?

The Minister of Industrial Development and Science and Technology (Shri C. Subramaniam) : (a) During 1971 and 1972, 32 Industrial Licences have been granted for establishing industries in Madhya Pradesh. These relates to metallurgical industries, fuels, electrical equipment, miscellaneous mechanical and engineering industries, chemicals, drugs and pharmaceuticals, textiles, paper and pulp including paper products, food processing industries, vegetable oils and vanaspati, cement and gypsum products.

(b) Details of all industrial licences issued by the Government from time to time are published in the "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences", Weekly "Indians Trade Journal" and monthly "Journal of Industry and Trade". Copies of these publications are available in the Parliament Library.

(c) It has been observed that in practice the setting up of an industrial undertaking and the commencement of production normally takes about three to four years' time from the issue of an industrial licence. It will, therefore, be premature to expect that Industrial Licences issued during the year 1971 and 1972 would have fructified into actual production. These Industrial Licences are, at various stages of implementation.

केरल के नारियल जटा उद्योग को पुनर्गठित करने के लिए सहायता

1555. **श्री ए० के० गोपालन :**

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल के नारियल जटा उद्योग को पुनर्गठित करने के लिए तीन वर्षों की अवधि में 44 करोड़ रुपये की सहायता देने का वचन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा कुछ दिन पूर्व गठित अध्ययन दलों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर केरल की क्वायर सहकारी समितियों का पुनःस्थापन करने के लिये एक योजना तैयार की गई है। योजना का उद्देश्य केरल में क्वायर धागे की कताई करने में लगे कर्मचारियों की बढ़ती संख्या को सरकारी समितियों के क्षेत्र के अन्तर्गत प्रगामी रूप से ले आता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विद्यमान सहकारी समितियों की संवीक्षा की जायेगी और उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जायेगा (1) विकास क्षम समितियां जो अपनी कार्यकारी पूंजी की व्यवस्था संस्थागत स्रोतों से करेंगी ; (2) समितियां जो वर्त्तमान में विकास क्षम नहीं हैं पर जिनमें विकास क्षमता की संभावना है और जो ऐसा होने पर अपनी कार्यकारी पूंजी संस्थागत स्रोतों से प्राप्त करने की स्थिति में आ सकेंगी; तथा (3) समितियां जिनमें विकास क्षमता नहीं है और इस कारण या तो उनका समापन होगा या अपनी पड़ोसी संभव विकास क्षमता वाली समितियों में मिलना पड़ेगा। इस पुनस्थापन योजना के अन्तर्गत संभावी विकास क्षम एककों की अन्तरिम अवधि में जो आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, सहायता की जायेगी। सहायता करने की पद्धति में इन समितियों की इक्विटी पूंजी में अंशदान, संक्रमण काल में कार्यकारी पूंजी, इन समितियों की प्रबन्धकीय सहायता, ब्याज सम्बन्धी सहायता, उचित होने पर गोदाम के लिये ऋण आदि देना सम्मिलित है।

योजना, योजना आयोग, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया और राज्य सरकार के परामर्श से तैयार की गई है। योजना को क्रियान्वित करने के लिये सहायता की अपेक्षित राशि का अनुमान अभी तक नहीं लगाया जा सका है।

क्वायर उद्योग के विकास सम्बन्धी राज्य की योजना में राज्य सरकार ने पांचवीं योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये 44.08 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना पर होने वाले परिव्यय को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है।

केरल में टिटेनियम कारखाने के विकास के लिए भारत और जापान के प्रतिनिधियों में बात-चीत

1556. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में प्रस्तावित टिटेनियम कारखाने के विकास के लिये भारत के प्रतिनिधियों और कुछ जापानी उद्योगपतियों में बात-चीत चल रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) केरल राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में टिटेनियम उद्योग समूह की स्थापना के लिए केरल सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रोनिक मंत्री तथा आन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ) पता चला है कि केरल स्थित एक सरकारी उपक्रम, त्रावनकोर टाइटेनियम प्रोडेक्ट लिमिटेड के प्रतिनिधियों तथा कुछ जापानी उद्योगपतियों में टाइटेनियम डायोक्साइड के रंजक बनाने के लिए कुछ प्रारम्भिक बातचीत हुई है। इस सम्बन्ध में परमाणु ऊर्जा विभाग को और विस्तुत जानकारी नहीं है।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र, केरल के विस्तार के लिए भूमि

1557. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र के कुछ विकास कार्यक्रमों के लिये अधिक भूमि दिये जाने के बारे में केरल सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को अनुरोध किया गया था तथा केरल सरकार ने इसका क्या उत्तर दिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र हेतु भूमि की मांग के लिए केरल सरकार से समय-समय पर बातचीत की गयी। उस सरकार का उत्तर बहुत ही सकारात्मक था। केरल सरकार ने सूचित किया है कि वट्टीयूरकावु में 35 एकड़ भूमि शीघ्र ही प्रदान कर दी जायेगी और शेष भूमि के अभिग्रहण हेतु सक्रिय कदम उठाये जा रहे हैं।

केरल के नारियल जटा उद्योग में मशीनों का प्रयोग

1558. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केरल के नारियल जटा उद्योग के किल्का सेक्टर (किलके से फाइबर बनाना) में कितनी मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) इन मशीनों के प्रयोग के कारण कितने व्यक्तियों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार हस्किंग मशीनों के प्रयोग पर रोक लगाने का है ; और

(घ) यदि नहीं ; तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : (क) किलके निकालने की मशीनों की सही संख्या का पता नहीं है फिर भी, क्वायर बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रायः 283 मशीनें चालू हैं ।

(ख) अब तक बेरोजगार किए गए कामगारों की संख्या का सही पता नहीं है ।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने राज्य की तीन जिलों में किलका निकालने वाली मशीनों का प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध लगाया था । केरल उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दे दी गई है।

नारियल जटा उद्योग में मशीनीकरण का रोजगार पर प्रभाव

1559. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मशीनीकरण से नारियल जटा उद्योग में भारी पमाने पर बेरोजगारी बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो नारियल जटा उद्योग में विभिन्न प्रकार की मशीनों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) नारियल जटा उद्योग के 'मैट' बनाने वाले कार्य में मशीनों का उपयोग आरम्भ किए जाने के कारण कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिग्राउर रहमान अन्सारी) : (क) नारियल की जटा उतारने की स्थानीय बनी मशीनों के प्रयोग से केरल के कतिपय क्षेत्रों में कुछ बेरोजगारी हुई है।

(ख) केरल सरकार ने राज्य के तीन जिलों में नारियल जटा रेशा निकालने की मशीनों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । यद्यपि केरल उच्च न्यायालय में अब इस प्रतिबन्ध को चुनौती दी गई है।

(ग) नारियल जटा उद्योग के बिछावट बनाने वाले अनुभाग में कोई मशीनीकरण नहीं किया गया है । अतः बेरोजगारी का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयले की कमी का सीमेंट के उद्योग पर प्रभाव

1560. **श्री एस०ए० मुरुगन्तम :**

श्री पी० जनार्दन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की कमी का दक्षिण में सीमट उद्योग पर प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण में स्थित कारखानों को कोयले की सप्लाई में कमी के कारण उत्पादन में प्रति मास लगभग 75,000 मीट्रिक टन की हानि होने का अनुमान है।

कलकत्ता में फिल्म संस्थान का स्वतन्त्र एकक स्थापित करने का प्रस्ताव

1561. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि फिल्म उद्योग में कलात्मक और राष्ट्र की आधुनिक फिल्मों में पूना फिल्म संस्थान के कलाकारों से लाभ उठाने की नई प्ररेणा पाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पूना फिल्म संस्थान की स्थिति के कारण अनेक अच्छे कलाकारों को उसमें प्रवेश पाने के अवसर प्राप्त नहीं होते ; और

(ग) क्या इन कलाकारों की कला का उपयोग करने और पूर्वी क्षेत्र के छोर पर बसे लोगों को अवसर दने के लिये फिल्म संस्थान का अतिरिक्त एकक अथवा स्वतन्त्र एकक कलकत्ता में स्थापित किया जा सकता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) संस्थान में प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर किया जाता है और संस्थान का पूना में स्थित होना विद्यार्थियों को इसके प्रति आकर्षित होने में बाधक नही है ।

(ग) चूंकि संस्थान देश के सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पर्याप्त रुप से पूर्ति करता है, इसलिये अन्य एकक कलकत्ता में स्थापित करना फिलहाल आवश्यक नहीं समझा जाता।

श्वेत 'टाइगर' के चित्र वाला डाक टिकट

1562. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाइगर को सुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता पर बल दिये जाने के लिए एक ऐसा डाक टिकट जारी करने का निर्णय किया गया है जिस पर श्वेत 'टाइगर' का चित्र हो; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) अगले वर्ष जब जंगली जीवों पर बहुरंगे डाक टिकट निकालने के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा तो सफेद 'टाइगर' के चित्र वाला एक डाक टिकट निकालने के प्रस्ताव को ध्यान में रखा जाएगा।

दक्षिण राज्यों के अनुसूचित जातियों/जन-जातियों के सम्मेलन में पारित संकल्प

1564. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग और कबीले के लोगों के हाल ही में हुये दक्षिणी राज्यों के सम्मेलन में कुछ संकल्प पारित किये गये थे जिनमें केन्द्र और राज्य में एक पृथक मंत्रालय स्थापित करने की मांग की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो पारित संकल्प की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतक्रिया है और इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों का एक दक्षिण क्षेत्र सम्मेलन 28 अक्तूबर, 1973 को बंगलौर में हुआ था और सम्मेलन द्वारा पारित प्रस्ताव संलग्न विवरण में सूचिबद्ध है।

(ग) सम्बन्धित प्राधिकारियों से परामर्श किया जा रहा है और इन प्राधिकारियों के विचार प्राप्त होने के बाद सरकार कोई निर्णय करेगी।

विवरण

28 अक्तूबर, 1973 को हुए पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और धार्मिक अल्प-संख्यकों के दक्षिण क्षेत्र सम्मेलन में पारित प्रस्ताव।

(1) कुछ सम्प्रदायों की धार्मिक कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी धार्मिक संस्थाओं के प्रबन्ध का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए।

(2) हिन्दू जाति प्रणाली को समाप्त करके ही सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुधार की प्राप्ति की जा सकती है। किसी भी रूप में जाति प्रणाली पर आचरण करना प्रज्ञेय अपराध ठहराया जाना चाहिए जैसा कि अस्पृश्यता के मामले में किया गया है।

(3) सम्मेलन की जनगणना में जाति परिगणन के विलोपन पर भारी चिन्ता है, इस प्रकार विलोपन के परिणामस्वरूप हिन्दुओं में पिछड़े वर्गों के साथ बड़ा अन्याय हुआ था। अतः केन्द्र सरकार को जातियों के बारे में पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए जनगणना कार्य तुरन्त हाथ में लेने चाहिए।

(4) यदि केन्द्र सरकार धार्मिक संस्थाओं को धर्मनिर्पेक्ष करने और जाति प्रणाली को समाप्त करने के लिए तैयार नहीं है तो सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें सभी जातियों तथा सम्प्रदायों के लिए सभी शैक्षणिक संस्थाओं व सरकारी सेवाओं में उनकी अपनी-अपनी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण हो।

(5) केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति व आदिम जाति और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय नामक एक पृथक मंत्रालय का गठन किया जाना चाहिए।

(6) जातिविहीन समाज के निर्माण की राष्ट्रीय नीति को ध्यान में रखते हुए अन्तर्जातीय-विवाह करने वालों और उनकी सन्तान को नियुक्तियों में प्रोत्साहन तथा प्राथमिकता और अन्य अवसर प्रदान करके सार्वभौम स्तर पर अन्तर्राजीय-विवाह को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

अन्दमान का नाम बदल कर सुभाष द्वीप रखना

1565. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान को नया नाम सुभाष द्वीप दिये जाने के बारे में देश के अनेक भागों से मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) अन्दमान दीपसमूह को नया नाम दिये जाने के बारे में हाल में कोई मांग नहीं की गई है । किन्तु इस सदन में अनेक अवसरों पर इस द्वीप समूह का नाम "सुभाष द्वीप", "शहीद द्वीप" "भारत द्वीप" इत्यादि बदलने की मांग की गई है । गृह मंत्रालय से सम्बन्ध सलाहकार समिति की बैठकों में भी इस विवाद को लाया गया है। सलाहकार समिति का एक मत रहा है कि द्वीप समूह के नाम में कोई परिवर्तन करने से स्थानीय लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचेगी। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार का द्वीप समूह के नाम में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है ।

नये प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति

1566. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरों, डाक्टरों तथा जनता की सेवा करने वाले अन्य व्यक्तियों द्वारा की गई मांगों को ध्यान में रखते हुय केन्द्रीय सरकार का देश के लिये नये प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति करने का विचार है ; और यदि हां, तो कब तक ;

(ख) क्या पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की सभी सिफारिशें स्वीकार तथा क्रियान्वित कर दी गई हैं ; और

(ग) सरकार के विचाराधीन अभी कितनी सिफारिशे हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य-मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) तथा (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत 20 रिपोर्टों में 578 सिफारिशें की गई हैं, उनमें से 527 सिफारिशों का (जिनमें 5 आंशिक रूप से शामिल हैं) केन्द्र से संबंध है तथा शेष 56 सिफारिशों पर (जिनमें 5 आंशिक रूप से शामिल हैं) राज्य सरकारों द्वारा निर्णय लिया जाना है ।

केन्द्र से संबन्धित 527 सिफारिशों में से (जिनमें 5 आंशिक रूप से शामिल हैं) 396 पर (जिनमें 27 आंशिक रूप से शामिल हैं) निर्णय लिया जा चुका है और इनमें से--

(i) 343 सिफारिशों को (जिनमें 51 आंशिक रूप से शामिल हैं) संशोधनों अथवा बिना संशोधनों के स्वीकार कर लिया गया है, और

(ii) 85 सिफारिशें (जिनमें 37 आंशिक रूप से शामिल हैं) स्वीकार नहीं की गई हैं।

शष 153 सिफारिशें (जिनमें 22 आंशिक रूप से शामिल हैं) अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

343 सिफारिशों में से (जिनमें 51 आंशिक रूप से शामिल हैं) 274 सिफारिशें (जिनमें 50 आंशिक रूप से शामिल हैं) पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी हैं और शेष सिफारिशें कार्यान्वित किए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

जमाखोरों और कालाबाजार करने वालों के विरुद्ध भारतीय रक्षा नियमों का प्रयोग करने के बारे में राज्यों को अनुदेश

1567. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय ने जमाखोरों और कालाबाजार करने वालों के विरुद्ध भारतीय रक्षा नियमों का प्रयोग के बारे में अगस्त और सितम्बर, 1973 में राज्य सरकारों को औपचारिक अनुदेश जारी किये थे ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने इस सलाह के अनुसार कहां तक कार्य किया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में किन उपायों का सुझाव दिया था ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से जमाखोरों तथा काला बाजार करने वालों के साथ निपटाने के लिए भारत रक्षा नियम, 1971 के प्रावधानों का पूरी तरह प्रयोग करने के लिए अगस्त, 1973 में अनुरोध किया गया था।

(ख) कई राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निश्चित करने, ऐसी वस्तुओं के लाने ले जाने तथा वितरण को नियमित करने, विक्रय इत्यादी के लिए सामान्यतः रखी जाने वाली किसी वस्तु की विक्रय के लिये जमाखोरी को राकने के लिए आदेश दिए हैं।

(ग) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जमाखोरों तथा काला बाजार करने वालों की गतिविधियों पर सावधानी से नजर रखने और जमा किए गये भंडारों को निकालने और अपराध करने के लिए अपराधियों पर कानून के अन्तर्गत कारगर कार्यवाही करने की सलाह दी है।

नागालैंड के शिक्षा और वन मंत्री पर घात लगाकर हमला किया जाना

1568. श्री आर० के० सिन्हा :

श्री भागीरथ मंवर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड के शिक्षा और वन मंत्री पर नागा विद्रोहियों ने 28 अक्तूबर, 1973 को घात लगाकर हमला किया था : और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पुलिस ने जांच आरम्भ की है जो अभी जारी है । कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है । राज्य सरकार शान्ति को भंग करने के किसी प्रयत्न के प्रति अत्यधिक सतर्क है ।

नरेला के थाना इंचार्ज द्वारा दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों पर गोली चलाया जाना

1569. श्री डी० के० पंडा :

श्री मान सिंह भौरा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नरेला से इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि नरेला के थाना इंचार्ज ने दिल्ली परिवहन निगम के एक कर्मचारी पर गोली चला दी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सम्बद्ध व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 9 सितम्बर, 1973 को पुलिस थाने के अधिकारी इन्सपेक्टर अमीर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस दल प्रत्यक्ष रूप से विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये गांव शाहपुर गढ़ी गया । यह बताया गया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव के दो दलों के बीच भूमि के झगड़े के कारण गांव में शान्ति भंग होने का खतरा था। किन्तु गांव वालों को संदेह था कि पुलिस दल विवादास्पद भूमि का अधिकार एक दल को देने के लिये वहां गया था । आगे यह भी बताया गया है कि जब पुलिस दल ने विवादास्पद भूमि का अधिकार बलपूर्वक एक दल को देने का प्रयत्न किया तो दूसरे दल (दिवंगत के दल) ने विरोध किया । भगदड़ के दौरान इंसपेक्टर अमीर सिंह द्वारा ईश्वर सिंह को गोली से मार दिया गया । अमीर सिंह के अनुसार उसने आत्म रक्षा में गोली

चलाई जब कि मृतक ने उस पर हमला किया । ईश्वर सिंह की एक लड़की (लगभग 1 वर्ष की) भी कथित लाठी प्रहार से मारी गई । इन्सपेक्टर अमीर सिंह तथा पुलिस दल के कुछ अन्य सदस्यों को इस घटना में चोटें आई ।

2. इन्सपेक्टर अमीर सिंह तथा पुलिस दल के कुछ अन्य सदस्यों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/349/447/323/302 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था । बाद में शाम को एक भीड़ ने पुलिस थाने पर पथराव किया और अस्पताल को भी आग लगाने का प्रयत्न किया । इस सम्बन्ध में 9-9-1973 को पांच मामले दर्ज किये गये थे।

3. इन्सपेक्टर अमीर सिंह तथा सहायक सब-इन्सपेक्टर फतेह सिंह को गिरफ्तार किया गया तथा सभी मामलों को जांच के लिये दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंपा गया । जांच चल रही है ।

मिजो विद्रोहियों को समाप्त करने के लिए कार्यवाही

1570. **श्री डी० के० पंडा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो विद्रोहियों का पता लगाने के लिये भारतीय सुरक्षा सेनाओं ने बड़े पैमाने पर कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) और (ख) जब कि मिजोराम में उपद्रवियों की विद्रोही गतिविधि के प्रतिकारात्मक उपाय किए जा रहे हैं और सुरक्षा दलों द्वारा कड़ी सतर्कता बरती जा रही है पर उनको ढूंढकर निकालने की कोई कार्यवाहियां नहीं की जा रही हैं ।

स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देने के बारे में 15 अगस्त, 1973 के बाद प्राप्त हुए आवेदन-पत्र

1571. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वाधीनता सेनानियों को पशन देने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत 15 अगस्त, 1973 के बाद स्वाधीनता सेनानियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है ; और

(ख) सरकार का विचार सभी ऐसे मामलों पर कब तक निर्णय लेने का है और उक्त कार्य में द्रुत-गति लाने के लिए क्या अतिरिक्त कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी जाती है।

(ख) यह बताना संभव नहीं है कि सब आवेदन-पत्रों का निपटान कब तक होगा । निपटान इस पर निर्भर होगा कि सम्बन्धित आवेदन-पत्र कहां तक सब प्रकार से पूर्ण होते है तथा कितनी जल्दी अधूरे आवेदन पत्रों के संबंध में मांगी गई सूचना आवेदक भेजते हैं । अधिकतम निपटान के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ायी गई है।

विवरण

15-11-73 तक 15 अगस्त, 1973 के बाद (राज्यवार) योजना के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानियों से प्राप्त आवेदन-पत्रों का विवरण।

राज्य	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
अन्डमान और निकोबार	—
आन्ध्र प्रदेश	1552
अरुणाचल प्रदेश	—
असम	799
बिहार	3828
चण्डीगढ़	5
दिल्ली	213
गोवा	221
गुजरात	445
हरियाणा	1113
हिमाचल प्रदेश	1646
जम्मू और कश्मीर	131
केरल	1367
मध्य प्रदेश	1038
महाराष्ट्र	1128
मणिपुर	190
मेघालय	—
मिजोराम	—
कर्नाटक	1068
नागालैण्ड	—
उड़ीसा	421
पांडिचेरी	196
पंजाब	414
राजस्थान	528
तमिलनाडु	767
त्रिपुरा	8
उत्तर प्रदेश	4130
पश्चिम बंगाल	1791
जोड़	22,999

जिंक आक्साइड निर्माता उद्योग

1572. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक वर्ष से अधिक समय से जिंक के मल्य में लगातार वृद्धि होने के कारण जिंक आक्साइड निर्माता उद्योग की लागत में पर्याप्त वृद्धि हो गई है ;

(ख) क्या इससे उद्योग को क्षति पहुंची है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या मूल्यों में कमी करने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं । उल्लेखनीय है कि टिटानियम डाईआक्साइड और अन्य रंग द्रव्यों का प्रयोग करके पेंट की कई किस्मों में जिंक आक्साइड का प्रतिस्थापन किया जा चुका है । अतः जिंक आक्साइड की लागत में बढ़ोतरी होने के फलस्वरूप इन तैयार उत्पादों की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। हां, पेंट जैसे पेंट की कुछ अन्य किस्मों में जिंक आक्साइड का अभी भी प्रयोग होता है और इन उत्पादों के मामले में जिंक आक्साइड की कीमत का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है ।

(ग) इन वस्तुओं की बिक्री और वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

अर्थ संबन्धी अपराधों के लिए मारूति लिमिटेड के अंशधारियों के विरुद्ध जांच

1573. **श्री मधु लिमये :** क्या **प्रधान** मंत्री अर्थ सम्बन्धी अपराधों के लिये मारुति लिमिटेड के अंशधारियों के विरुद्ध जांच के बारे में 1 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1431 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो, राजस्व आसूचना तथा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मारुति लिमिटेड के बड़े-बड़े शेयर होल्डरों तथा निदेशकों के विरुद्ध कर अपवंचन, काला बाजारी, विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंधन तथा अन्य गैर-कानूनी बातों के बारे में की गई जांच सम्बन्धी जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और ?

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) मैसर्स मारुति लिमिटेड में जिन व्यक्तियों, अकेले व्यक्तियों तथा निगम-निकायों के रु० 10,000/- अथवा इससे अधिक के मूल्य के शेयर हैं उनकी संख्या मामूली नहीं है और ये व्यक्ति देश के विभिन्न भागों के हैं। इन व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई जांच है तो उससे संबंधित सूचना, इस प्रश्न में उल्लिखित तीन जांच एजेन्सियों द्वारा उनके फील्ड फार्मेशन्स के रिकार्डो से एकत्रित की जानी है जिनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत वे क्षेत्र आते हैं जहां ऐसे व्यक्ति रहते हैं या जहां उनके पंजीकृत कार्यालय हैं । इसके अलावा, जहां ऐसे अंशधारी निगम-निकाय हैं पहले उनके डायरकटरों और उनके पतों का निश्चय करना होता है और उनके संबंध में स्थिति की जांच उक्त तीनों जांच ऐजेन्सियों से संबंधित फील्ड फार्मेशन्स के रिकार्डो के अनुसार उपरोक्त ढंग से ही की जानी होती है । अतः इससे अन्तर्ग्रत कार्य बहुत विस्तृत है और इसको पूरा करने में समय लगेगा।

जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 1431 के उत्तर में कहा गया है सूचना एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

टायरों की चोर बाजारी तथा कमी

1574. **श्री मधु लिमये** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सभी किस्म के टायरों की भारी कमी है तथा टायर व्यापार में भारी चोर बाजारी है ;

(ख) क्या सरकारी परिवहन उपक्रमों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले भारी सामान वाहनों के टायरों के अतिरिक्त उत्पादन को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी ;

(ग) क्या वर्तमान एककों के विस्तार के परिणामस्वरूप कुल अतिरिक्त उत्पादन को सरकारी उपक्रमों को नियंत्रित मूल्य पर आवंटित किए जाने के लिए सरकार द्वारा प्राप्त कर लिया जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) बिजली की कटौतियों तथा मजदूरों द्वारा गड़बड़ियां पैदा किए जाने के कारण टायरों के उत्पादन में गिरावट आई है । इसके परिणामस्वरूप टायरों की कमी के बारे में शिकायतें मिली हैं।

(ख) जी हां, कुछ मौजूदा कारखानों को सिर्फ बसों तथा ट्रकों के टायर बनाने के लिये ही पर्याप्त विस्तार करने की अनुमति दी गई है ।

(ग) और (घ) मोटर गाड़ियों के टायरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है और अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेश में टायरों के वितरण को विनियमित करने के लिए नियन्त्रण आदेश लागू कर दिए हैं । राज्य सरकारों से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे वास्तविक उपयोगकर्ताओं को ही टायरों की सप्लाई सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से पंजीकरण पुस्तिका में बिक्री का रिकार्ड करने के बाद ही सही उपयोगकर्ताओं को टायर बेचे जाने के लिए आदेश जारी करें। सरकार ने टायर निर्माताओं से भी कहा है कि टायरों का खासकरके बसों, ट्रकों के टायरों का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त पारियों तथा छुट्टियों और रविवार के दिन भी काम कराएं। पूरी बिजली मिलने तथा मजूदरों के साथ सामान्य सम्बन्ध बन जाने से आशा है कि टायरों की सप्लाई की स्थिति में सुधार आ जाएगा । इन परिस्थितियों, में, विस्तार के परिणामस्वरूप सरकारी उपक्रमों के लिये नियतन के उद्देश्य से टायर उत्पादन का अधियाचन आवश्यक नहीं समझा गया है ।

तारापुर परमाणु बिजलीघर का कार्यक्रम

1575. **श्री मधु लिमये** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान तारापुर परमाणु बिजलीघर के कार्यकरण के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या बार-बार खराबी आ जाने के कारण बिजली के समग्र वार्षिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) उक्त संयंत्र की पूरी तरह मरम्मत करने और उसमें सुधार करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य विद्युत बोर्डों की ट्रांमिशन लाइनों में बार-बार खराबी होने के कारण जून तथा जुलाई, 1973 में तारापुर परमाणु बिजलीघर के अनुप्रयोग से तथा उसके बाद अगस्त-सितम्बर, 1973 में होने वाले अनुप्रयोग से, जिसकी इस गड़बड़ी से उत्पन्न हानि को रोकने की आवश्यकता थी, चालू वर्ष के दौरान इस बिजलीघर से होने वाला उत्पादन निश्चित रूप से कम हुआ। तथापि, इस वर्ष के दौरान अब तक इस बिजलीघर से जो कुल बिजली पैदा हुई वह वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के वार्षिक उत्पादन की तुलना में पहले ही अधिक हुई है ।

(ग) जून तथा जुलाई, 1973 में बिजलीघर को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए आवश्यक मरम्मत की जा चुकी है । इस के कारण इस बिजलीघर के दोनों यूनिट सितम्बर, 1973 में मरम्मत का काम पूरा हो जाने के बाद में चालू रहे हैं । इन यूनिटों में लगभग 99 प्रतिशत लाइनें सुलभ रही हैं।

राजस्थान परमाणु बिजली घर परियोजना द्वारा सरकार को नियतकालिक रिपोर्ट पेश किया जाना

1576. **श्री मधु लिमये** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान परमाणु बिजलीघर परियोजना से उक्त परियोजना की प्रगति के बारे में सरकार को नियतकालिक रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है; और

(ख) उक्त परियोजना को कब तक पूरी तरह चालू कर दिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा आन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकार को राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति से सम्बधित रिपोर्टें प्रतिमास प्राप्त होती हैं।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट 30 नवम्बर, 1972 को ग्रिड से जोड़ दिया गया था और आजकल उस पर संचालन सम्बन्धी परीक्षण किए जा रहे हैं। आशा है कि 1973 के अन्त तक यह यूनिट व्यावसायिक तौर पर बिजली पैदा करने लगेगा। राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट सम्भवत: 1976 में क्रान्तिकता प्राप्त कर लेगा। क्रान्तिकता प्राप्त करने के कुछ महीनों बाद इसके पूरी तरह चालू होने की आशा है ।

मधुबनी, बिहार में नेपाली कांग्रेस के नेता तथा नेपाल की भंग संसद के एक सदस्य की हत्या

1577. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मधुबनी, बिहार में नेपाली कांग्रेस नेता श्री सरोज प्रसाद कोइराला तथा नेपाल की भंग संसद के एक सदस्य की हत्या के बारे में कोई जांच कराई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उससे सम्बधित तथ्य क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सरोज प्रसाद कोइराला की हत्या के सम्बन्ध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302/114 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है । जांच की जा रही है । अब तक सात व्यक्ति गिरफ्तार किए गये है ।

बाजपत्ती, रुन्नीसैदपुर और सीतामढ़ी में छोटे स्वचालित एक्सचेंज

1578. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाजपती और रुन्नीसैदपुर, सीतामढ़ी (बिहार) में छोटे स्वचालित एक्सचेंज स्थापित करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : बाजपत्ती और रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी) में 25 लाइनों के छोटे आटोमैटिक एक्सचेंज स्थापित करने के प्राजेक्ट एस्टीमेटों को मंजूरी दे दी गई है । आशा है कि ये दोनों एक्सचेंज मार्च, 1974 तक चालू हो जाएंगे ।

योरुपीय आर्थिक समुदाय और कमकोन के देशों के विकास सम्बन्धी योजनाओं को ध्यान रखते हुए पांचवी योजना को बनाना

1579. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय योरुपीय आर्थिक समुदाय और कमकोन के देशों के विकास सम्बन्धी योजनाओं को ध्यान में रखने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करते समय यूरोपीय आर्थिक समुदाय और 'कमकोन' देशों की विकास परियोजनाओं व योजनाओं के साथ अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी सभी बातों को ध्यान में रखा गया है ।

केरल में लघु उद्योगों और औद्योगिक वस्तुओं के परिव्यय का उपयोग

1580. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में लघु उद्योगों और औद्योगिक बस्तियों के बारे में वर्ष 1973-74 के लिए निर्धारित कुल परिव्यय के चालू वित्तीय वर्षों में पूरी तरह उपयोग हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) लघु उद्योगों तथा औद्योगिक बस्तियों के बारे में निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर अन्सारी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) केरल राज्य में लघु उद्योगों और औद्योगिक बस्ती कार्यक्रम में किये गये व्यय की प्रगति निम्न प्रकार है :—

(रु० लाखों में)

(क)	चौथी योजना का पूंजी-परिव्यय	वर्ष-वार खर्च						
		1969-70	70-71	71-72	72-73 (पुर्वानुमान)	73-74 (स्वीकृत पूंजी परिव्यय)	74-75 (संस्तुत पूंजी परिव्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. लघु उद्योग	362.00	87.63	87.75	70.86	71.04	110.55	100.00
2. औद्योगिक बस्तियां	100.00	7.23	14.32	22.53	27.00	15.00	18.00

(ख) समस्त चौथी योजना अवधि के लिये लघु उद्योगों और औद्योगिक बस्तियों पर अनुमानित खर्च . . . 424.27 लाख रुपये

केरल की औद्योगिक बस्ती कार्यक्रम की प्रगति नीचे दी गई है :—

(सितम्बर, 1972 तक)

1. प्रायोजित औद्योगिक बस्तियों की संख्या	18
2. पूर्ण शेडों की संख्या	533
3. आबंटित शैडों की संख्या .	493
4. उत्पादन के लिये लिए नये शैडों की संख्या. .	464
5. जिनमें कार्य हो रहा है ऐसे शैडों की संख्या	353
6. कार्यशील एककों की संख्या .	192
7. प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त करने वालों की संख्या	3770 प्रति व्यक्ति
8. वार्षिक उत्पादन का मूल्य	4.00 करोड़ रु०

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की गृह निर्माण समितियों के लिये केरल को वित्तीय सहायता

1581. **श्रीमती भर्गवी तनकप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की गृह निर्माण समितियों के लिये केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी सहायता मांगी है तथा केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता मंजूर की है ; और

(ग) सहायता का भुगतान किस प्रकार किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) केरल सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियां के लिए राज्य विकास निगम के माध्यम से कुछ योजनायें हाथ में लेने का सुझाव दिया है । निगम के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं में से एक योजना 'हरिजनों के लिए मकानों' की है । योजना आयोग द्वारा अभी मामले पर अंतिम निर्णय लिया जाना है ।

केरल के विभिन्न जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र

1582. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में लगभग सभी जिलों में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र अक्तूबर, 1973 से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) टेलीफोन कनेक्शन देने में विलम्ब होने का कारण यह है कि एक्सचेंज उपस्कर, केबुल और लाइन स्टोर्स की कमी है । देश में समूचे तौर पर साधनों की कमी है । इसलिए अर्जियां प्राप्त होने के बाद टेलीफोन कनेक्शन देने में काफी देर लग जाना अपरिहार्य है ।

टेलीविजन सेटों और मैगनेटिक टेपों का निर्माण

1583. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या इलैक्ट्रानिक्स मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि मरफी, फिलिप्स और पोलीडोर जैसी इलैक्ट्रोनिक्स में अन्तर्राष्ट्रीय बड़ी फर्में बिड़ला बन्धुओं से सांट-गांठ करके देश में टेलीविजन सैटों तथा मैगनेटिक टेपों के निर्माण और खरीद फरोक्त को हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रही हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयत्न का मुकाबला करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) एवं (ख) मै० मर्फी, फिलिप्स और पोलीडोर में से किसी भी बड़ी कम्पनी को टी० वी० यंत्रों या मैग्नेटिक टेपों के उत्पादन हेतु लाइसेंस नहीं दिया गया है । अतः इन मदों के उत्पादन को उनके द्वारा हानि पहुँचाने का प्रश्न ही नहीं उठता । अन्य फर्म द्वारा उत्पादित मेग्नेटिक टेपों को बाजार में लाने संबन्धी इन कम्पनियों में से एक के विज्ञापन की ओर सरकार का ध्यान खींचा गया है । मामला सरकार के परीक्षणाधीन है।

इंण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि० द्वारा की गई बिक्री

1584. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 31 अक्तूबर, 1973 की अवधि के दौरान इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लि०, बंगलौर, द्वारा देश के अन्दर की गई बिक्री और विदेशों में की गई बिक्री का, देश-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) कच्चे माल अथवा उपकरण के रूप में इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज द्वारा बेची गई सामग्री के निर्माण के लिए कुल कितनी कीमत का माल आयात किया गया और उक्त आयात किन-किन देशों से किया गया ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज, लिमिटेड बंगलौर ने 1 जनवरी, 1973 से 31 अक्तूबर, 1973 के बीच लगभग 3196 लाख रुपये की बिक्री भारत में की थी । उसी अवधि में निर्यात की वस्तुओं का मूल्य लगभग 29 लाख रुपये था। इस अवधि में विभिन्न देशों को किये निर्यात की सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

(ख) इस अवधि में कच्चा माल और कलपुर्जों के आयात की लागत लगभग 645 लाख रुपये थी । इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा सामान्यतः जिन मुख्य देशों से आयात किया जाता है उनमें ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, स्वीडन, हालैण्ड, जापान, संयुक्त राज्य अमरीका, फ्रांस, हंगरी और बैल्जियम सम्मिलित हैं।

विवरण

देश	जनवरी-अक्तूबर, 1973 की अवधि में निर्यात का मूल्य
	रु०
1. आस्ट्रेलिया	2,68,000
2. अफगानिस्तान	485
3. मिस्र	1,04,000
4. बैल्जियम	3,667
5. बर्मा	1,94,000
6. भूटान	1,12,000
7. ग्रीस	33,000
8. ईराक	1,000
9. ईरान	1,861
10. कीनिया	5,83,000
11. मलयेशिया	1,16,000
12. नेपाल	7,16,000
13. सिक्किम	817
14. सिंगापुर	97,000
15. श्रीलंका	94,000
16. तंजानिया	55,400
17. यूगाण्डा	11,770
18. ब्रिटेन	2,87,000
19. रूस	2,000
20. जाम्बिया	1,98,000

नैनी स्थित टेलीफोन उपकरण कारखाना

1585. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैनी स्थित टेलीफोन उपकरणों का निर्माण करने के लिए कारखाने को चालू करने के लिए कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इसमें टेलीफोन उपकरणों का निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) कारखाने के लिए भवन निर्माण और मशीनें मंगाने का काम प्रगति पर है यद्यपि पारेषण कारखाने के साथ वाले भवन में टेलीफोन जोड़ने (एसेम्बली) का काम मार्च, 1973 से शुरू हो गया था ।

राज्यों के बीच सीमा संम्बन्धी विवाद

1586. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के बीच विद्यमान सीमा सम्बंधी विवादों को हल करने के लिए कोई मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी रूप रेखा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने संविधान में विशेष रूप से इस बात का उल्लेख करने हेतु कि राज्यों के बीच सीमा सम्वन्धी विवादों के मामले में केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम होगा, संविधान में संशोधन करने के बारे में विचार किया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) ऐसे कोई मार्ग दर्शक सिद्धान्त नहीं बनाए गये हैं ।

(ग) जहां सीमा संबंधी झगडों को निपटाने के लिए राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना आवश्यक हो, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 3 व 4 के अन्तर्गत संसद को राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान की गई है । इन उपबन्धों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए की गयी कार्यवाही

1587. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता के साथ पत्र व्यवहार करते समय मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1973 में क्या कार्यवाही की गई ; और

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक तार कार्यालयों में हिन्दी में समाचार भेजने के लिए अतिरिक्त उपकरण लगा दिए गए हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जनता के साथ पत्र-व्यवहार करते समय हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 और इस विषय पर गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करके सभी सम्भव प्रयत्न किये जाते रहे हैं । सरकारी प्रयोजनों के लिये हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बद्ध विभिन्न विषयों पर सलाह देने के लिए संचार मंत्री की अध्यक्षता में, डाक-तार हिन्दी सलाहकार समिति इस वर्ष गठित की गई है ।

(ख) मोर्स तार उपकरणों द्वारा अक्सर ग्रामीण केन्द्रों को बड़े तारघरों से जोड़ दिया जाता है जिन्हें बिना किसी कठिनाई के, अन्तर्राष्ट्रीय मोर्स कोड या देवनागरी कोड में तार भेजने के लिए काम में लाया जा सकता है ।

बड़ोदा-बम्बई और बड़ौदा-दिल्ली के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

1588. **श्री फतह सिंह राव गायकवाड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा-बम्बई और बड़ौदा-दिल्ली के बीच डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था करने की योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किस वर्ष उक्त योजना आरम्भ होगी ;

(ग) क्या बड़ौदा-बम्बई के बीच के एस० टी० डी० के लिये आवश्यक उपकरणों को कहीं और भेज दिया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बड़ौदा और बम्बई के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा देने की योजना मंजूर कर दी गई है । यह प्रणाली अहमदाबाद के नये ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज के जरिए काम करेगी । जहां तक बड़ौदा और दिल्ली के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा देने का प्रश्न है, यह सुविधा तब दिए जाने की संभावना है जब देश में राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग योजना चालू की जाएगी । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में देश में राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा देने के प्रस्ताव शामिल कर दिएं गए हैं ।

(ख) आशा है कि वर्ष 1976-77 में अहमदाबाद में नया ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज चालू हो जाने के बाद बड़ौदा और बम्बई के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा दे दी जाएगी । बड़ौदा-दिल्ली के बीच उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा वर्ष 1981 तक दे पाना सम्भव हो सकेगा क्योंकि आशा है कि तब तक पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों पर कार्यान्वयन हो जाएगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) ऊपर (ग) में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

कम्प्यूटर लगाने के कार्यक्रम के लिए विदेशी तकनीकी जानकारों का बुलाया जाना

1589. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **इलैक्ट्रानिक्स** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्प्यूटर क्षमता में तेजी से वृद्धि करने तथा देश को आई० बी० एम० पर निर्भरता से मुक्त करने के लिये सरकार का विचार कम्प्यूटर लगाने के कार्यक्रम के लिए विदेशी तकनीकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों को बुलाने का है;

(ख) यदि हां, तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी तकनीकी जानकारी तथा उपकरण मंगाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) तकनीकी जानकारी तथा उपकरण किन-किन देशों से आयात किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमति इन्दिरा गान्धी) : (क) एवं (ख) सरकार की नीति है स्वदेशी अभिकल्प एवं उत्पादन को प्रोत्साहन देना, जिससे अल्पतम संभव समय में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके । इस प्रयोजन के लिये, मई 1970 में इलैक्ट्रोनिकी आयोग ने इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, हैदराबाद में लघु से मध्यम आकार के कम्प्यूटरों के निर्माण हेतु एक कार्यक्रम अस्वीकृत किया था । इस कार्यक्रम में उक्त प्रणालियों के लिये हार्डवेअर और सोप-टवेअर का विकास शामिल है । जबकि केन्द्रीय संशोधन यूनिटों के लिये जानकारी देश में उपलब्ध है, सरकार का प्रस्ताव है कि स्वदेशी कम्प्यूटरों हेतु वैद्युत-यांत्रिक पेरीफेरल्स के निर्माण के लिये विदेश से जानकारी हासिल की जाय । पांचवीं योजना अवधि के दौरान कम्प्यूटरों एवं परिकलित्रों पर लगभग रु० 50 करोड़ से ऊपर का व्यय विचारा गया है । कम्प्यूटर पेरोफेरल्स स्मृति एवं सम्भरण हेतु निर्माण सुविधाओं का गठन, सोप-टवेअर उत्पादन एवं कम्प्यूटर अनुरक्षण के लिये अभिकरणों का गठन आदि इसमें शामिल है ।

(ग) स्वदेशी प्रणालियों के साथ परीक्षण के लिए कम्प्यूटर पेरोफेरल्स को एक श्रंखला सोवियत संघ, जी० डी० आर०, चेकोस्लोवाकिया जैसे देशों से उपलब्ध की गयी है । यह प्रस्ताव है कि उपयुक्त पायी गयी मदों के संबंध में जानकारी के लिये वार्ता की जाए ।

ग्रामोण शिल्प विकास परियोजना आरम्भ करने के लिए प० बंगाल से परियोजना संबंधी प्रतिवेदन

1590. **श्री ए० एम० इसहाक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमान्त किसान कृषि श्रमिक योजना की लघु किसान विकास ऐजेन्सी के अन्तर्गत ग्रामीण शिल्प विकास परियोजना आरम्भ करने के लिए सरकार को पश्चिम बंगाल से कोई परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है ; और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) ग्रामीण दस्तकारी विकास परियोजना शुरू करने के विषय में पं० बंगाल सरकार से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । शायद यहां संदर्भ लघु कृषक विकास अभिकरण तथा "सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों" की योजना के अन्तर्गत ग्रामीण कारीगरी कार्यक्रम से है । पं० बंगाल के लिए 5 परियोजनाएं स्वीकार की गई हैं । मूलतः इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्वतः रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करना तथा इसके द्वारा लघू सीमान्तिक कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों की आय में सुधार लाना है । ग्रामीण कारीगरी कार्यक्रम की प्रत्येक परियोजना के लिए 5.00 लाख रु० की राशि निश्चित की गई है ।

ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में मध्य वर्ग के परिवार

1591. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आमदनी के हिसाब से भारत में मध्य वर्ग परिवार की परिभाषा क्या है;

(ख) देश के नगरीय क्षेत्रों में मध्य वर्ग परिवारों की संख्या कितनी है तथा सम्पूर्ण नगरीय जनसंख्या की तुलना में उन की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने मध्य वर्ग परिवार हैं तथा सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में उसकी प्रतिशतता क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) : आमदनी के हिसाब से भारत में मध्यम वर्ग परिवार की कोई सरकारी परिभाषा उपलब्ध नहीं है।

(ख) व (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन पत्र

1592. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कुल कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं;

(ख) क्या नये कनेक्शन देने के लिए कोई कसौटी निर्धारित की गई है; और

(ग) अधिकारी टेलीफोन कनेक्शनों के आवेदन-पत्रों को साथ-साथ निपटाने की कब तक आशा रखते हैं ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तारीख 30-9-73 को टेलीफोन कनेक्शनों के अनिर्णीत-अर्जियों की कुल संख्या 60086 थी।

(ख) जी हां। एक्सचेंज से जितने भी नये कनेक्शन दिए जाने होते हैं उन्हें ओ० वाई० टी० विशेष और सामान्य श्रेणियों में क्रमशः 70, 15 और 15 के अनुपात में बांट दिया जाता है।

(ग) इस समय सभी एक्सचेंज अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहे हैं। आशा है कि वर्ष 1975-76 तक 43700 लाइनों का एक अतिरिक्त उपस्कर चालू हो जाएगा। देश में साधनों की आम कमी चल रही है और टेलीफोन कनेक्शनों की मांग दिन प्रति दिन बढ़ रही है इसलिए टेलीफोन कनेक्शन देने में कुछ समय लग जाना अवश्यम्भावी है।

प० बंगाल में लघु उद्योग को ऋण

1593. श्री ए०के० एम० इसहाक : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान सरकार ने पं० बंगाल में लघु उद्योगों को ऋण के रूप में कुल कितनी राशि मंजूर की;

(ख) ऐसे ऋण मंजूर किए जाने की मुख्य कसौटी क्या है;

(ग) क्या ऋण लेने वाले उद्योग नियमित रूप से ऋण चुका रहे हैं और यदि नहीं तो कितने लघु उद्योगों ने 6 महीनों से अधिक की अवधि से ऋण नहीं चुकाया है तथा इसकी कुल राशि कितनी है; और

(घ) बकाया ऋण को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) : पश्चिम बंगाल सरकार तथा राज्य वित्तीय निगम द्वारा विगत 4 वित्तीय वर्षों में लघु उद्यमियों में वितरित की गई धनराशि निम्न प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)
(वितरित धनराशि)

	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा	राज्य वित्तीय निगम द्वारा
1969-70	15.77	10.00
1970-71	20.48	17.00
1971-72	20.00	23.00
1972-73	(उपलब्ध नहीं)	44.00

(ख) प्रत्येक उद्यमी को सरकारी ऋण सम्बद्ध राज्य के राज्यों में उद्योग सहायता अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दिया जाता है। राज्य सरकारें तथा राज्य वित्तीय निगम अचल आस्तियां जैसे भूमि, इमारत, यंत्र तथा मशीनें आदि प्राप्त करने हेतु लघु क्षेत्रों की जरूरतों के लिए दीर्घकालीन ऋण जब कि वाणिज्यिक बैंक सामान्य रूप से आधुनिकीकरण तथा विस्तार करने के लिये कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता पूरी करने के लिए अत्यावधि ऋण देते हैं।

(ग) और (घ) सूचना इकठ्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

चम्बल घाटी का विकास

1594. श्री भागीरथ भंवर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल घाटी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के विचाराधीन कोई योजना है;

(ख) यदि हां तो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं तथा प्रत्येक योजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) राज्य तथा केन्द्र में किस प्रकार का सहयोग है तथा दोनों सरकारों द्वारा वहन किये जाने वाले खर्च का अनुपात क्या है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) डाकू ग्रस्त चम्बल घाटी क्षेत्र के व्यापक विकास की योजनाओं का सुझाव देने के लिए स्थापित संयुक्त सचिवों की समिति ने इस क्षेत्र के विकास के लिए योजनाओं का ब्यौरा बनाने के लिए चार कार्यकारी दल बनाये है। (1) बीहड़ सुधार सिंचाई तथा काश्तकारी और (2) मार्गों संबंधी कार्यकारी दलों की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। संचार संबंधी कार्यकारी दल ने अलग से इस प्रकार की रिपोर्ट तो नहीं दी है परन्तु इस क्षेत्र में संचार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 72.50 लाख रुपये की सिफारिश की है। यह धन राशि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों को केन्द्रीय ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है।

उपरोक्त दो कार्यकारी दलों की रिपोर्टों की प्रतियां पहले ही संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं। मार्गों तथा बीहड़ सुधार सिंचाई तथा काश्तकारी संबंधी कार्यकारी दलों द्वारा सुझाई गई योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं।

ग्राम उद्योगों का विकास

1595. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिचौलियों द्वारा शिल्पियों के शोषण को रोकने और ग्राम उद्योगों के विकास में सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जिआउर रहमान अन्सारी) : दस्तकारों एवं शिल्पियों को बिचौलियों द्वारा शोषण से बचाने की दृष्टि से व ग्रामोद्योग के विकास में सहायता करने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन शिल्पियों को सहकारी समितियां तथा संस्थाएं गठित करने हेतु प्रोत्साहित करता है तथा शेयर पूंजी, पूंजी निर्माण के ऋण, उन्नत औजारों तथा उपकरणों के लिए अनुदान तथा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। वह गोदाम बनाने, कच्चे माल के लिये कार्यकारी पूंजी प्रदान करने, उत्पादन, प्रक्रियान्वयन, विपणन तथा प्रबन्धकीय सहायता आदि के लिए उदार ब्याज-दर पर ऋण देता है और अन्य सुविधायें प्रदान करता है तथा सुधरे औजारों के तथा उत्पादन की तकनीकी प्रशिक्षण आदि की सुविधायें भी देता है।

स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार

1596. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के क्योंझार नामक स्थान पर 17 अक्तूबर, 1973 को दिये गये अपने भाषण में प्रधान मंत्री ने स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के विषय में बहुत कुछ कहा;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने स्थानीय व्यक्तियों के लिये रोजगार सुनिश्चित करने के लिये कोई कानून बनाए जाने से इनकार कर दिया किन्तु साथ ही साथ स्थानीय उद्यमों में रोजगार के लिये उन्हें प्राथमिकता दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया;

(ग) उपर्युक्त टिप्पणियों के संदर्भ में सरकार का स्थानीय व्यक्तियों के सिद्धान्त पर बनाए गये 6 सूत्रीय फार्मूले की आन्ध्र प्रदेश में क्रियान्वित के लिये किस प्रकार कानून बनाने का है; और

(घ) क्या सरकार को उपर्युक्त मामले में आसाम, बिहार, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के स्थानीय व्यक्तियों में व्याप्त असंतोष का पता है यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) और (घ) आन्ध्र प्रदेश के नेताओं द्वारा तैयार किए गये छः सूत्री फारमूले में अन्य बातों के साथ साथ कुल मिला कर राज्य की आवश्यकताओं पर ध्यान देते हुए यह व्यवस्था है कि सार्वजनिक सेवाओं में कुछ निम्न श्रेणी के पदों के लिए सीधी भर्ती के मामले में एक निश्चित सीमा तक स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। भर्ती के मामले में ऐसी प्राथमिकता दिए जाने के प्रयोजन के लिए ऐसे स्थानीय क्षेत्रों के विशिष्टीकरण पर भी फारमूले में व्यवस्था की गई है। फारमूले में यह भी सुझाव दिया गया है कि उपरोक्त प्रक्रिया पर आधारित उपायों के कार्यान्वयन के मुकदमेंबाजी तथा तदन्तर अनिश्चितता पैदा न हो इस हेतु संविधान में आवश्यक सीमा तक उपयुक्त संशोधन करना चाहिए। इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान नीति को प्रभावी बनाने के लिए अन्य राज्यों में ऐसा कोई विशेष कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पाई गई है।

भूतपूर्व टेलीफोन सलाहकार समिति द्वारा बम्बई के लिये किया गया कार्य

1597. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई नगर के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन पिछली बार कब किया गया था और उसका गठन कितनी अवधि के लिए किया गया था तथा उसने क्या कार्य किया ?

संचार तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : बम्बई की टेलीफोन सलाहकार समिति का दो वर्ष की अवधि के लिए गठन पिछली बार फरवरी, 1971 में हुआ था। इस समिति ने निष्पक्ष और समानता के आधार पर टेलीफोन देने में विभाग की सहायता की। इसने उपभोक्ताओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने, जनता का सहयोग प्राप्त करने और टेलीफोन की सेवा में सुधार लाने के लिए भी काम किया।

सीमा सुरक्षा बल पर किया गया व्यय और उपलब्धियां

1598. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में सीमा सुरक्षा बल पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) सीमा सुरक्षा बल की अपनी स्थापना से अब तक क्या मुख्य उपलब्धियां हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 31-10-1973 तक सीमा सुरक्षा बल पर किया गया व्यय लगभग 21.33 करोड़ रुपये है।

(ख) सीमा सुरक्षा बल निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए 1 दिसम्बर, 1965 को एक अर्ध-सेना के रूप में बनाया गया :—

(1) सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों में सुरक्षा की भावना जाग्रत करने;

(2) सीमा पार के अपराधों, भारत की सीमा से अनधिकृत प्रवेश या बाहर जाने से रोकने;

(3) तस्करी तथा किसी अन्य अवैधिक गतिविधियों को रोकने।

उपर्युक्त उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के अलावा सीमा सुरक्षा बल ने समय-समय पर विधि और व्यवस्था बनाये रखने में असैनिक प्राधिकरणों की सहायता भी की है। सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के कर्मचारी सीमा की आबादी के लिये असैनिक सहायता भी करते हैं।

1971 के भारत-पाक युद्ध में, पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों मोर्चों पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा निभायी गई भूमिका प्रशंसनीय थी।

प्रशासन में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की रोक थाम

1599. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को प्रशासन के सभी स्तरों पर बढ़ते हुये भ्रष्टाचारों की रोकथाम के लिये वर्तमान व्यवस्था की अपर्याप्ता का पता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति का प्रभावपूर्ण ढंग से मुकाबला करने के लिये क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) सरकार भ्रष्टाचार की बुराइयों की रोकथाम के लिये ऐसे उपायों को काम में लाती रही है जो समय-समय पर आवश्यक समझे जाते हैं। इन उपायों में केन्द्रीय जांच ब्यूरों को तथा मंत्रालयों/सरकारी उपक्रमों/विभागों में सतर्कता संगठनों को मजबूत बनाना, केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सर्तकता तथा भ्रष्टाचार निरोधक कार्य के वार्षिक कार्यक्रम तैयार करना और उनका लागू किया जाना शामिल है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो अन्य बातों के साथ-साथ, संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखने, अचानक छापे मारने तथा बाह्य प्रभावों से शीघ्र ही प्रभावित होने वाले विभागों में तेजी से कार्यवाही किए जाने की व्यवस्था करता है। लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, जो इस समय संसद में पेश है, यह भी इस दिशा में एक अन्य उपाय है।

प्रधान मंत्री के दौरों पर हुआ खर्च

1600. श्री समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री द्वारा गत 6 महीनों में (एक) देश के अन्दर तथा (दो) विदेशों में किये गये दौरों पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ख) इसी अवधि में इनकी सुरक्षा के लिये कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या इस अवधि में उनके देश तथा विदेश के दौरों के दौरान प्रधान मंत्री की सार्वजनिक सभाओं पर हुये खर्च का भुगतान सरकार द्वारा किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(घ) प्रधान मंत्री द्वारा किये गये सरकारी तथा गैर सरकारी दौरों तथा अन्य अतिरिक्त कार्यक्रमों के संबंध में मितव्ययिता बरतने के लिए क्या उपाय किये गये ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) तथा (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

(ग) देश के अन्दर प्रधान मंत्री के दौरों में उनके द्वारा सम्बोधित चुनाव सभाओं के अतिरिक्त सार्वजनिक सभाओं के मामले में ऐसे अवसरों पर विभिन्न प्रबन्धों के लिए किये जाने वाला व्यय संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रधान मंत्री के चुनाव सभाओं के मामले में सजावट, सार्वजनिक भाषण व्यवस्था पर होने वाला व्यय और मंच स्थापित करने के लिए मंच के निर्माण की लागत का 25 प्रतिशत तक अथवा 2,500 रुपये जो भी कम हो, संबंधित राजनैतिक दल द्वारा वहन किया जाता है। प्रधान मंत्री द्वारा विदेश में सार्वजनिक सभाओं, यदि कोई हों, का खर्च आयोजकों द्वारा किया जाता है।

(घ) प्रधान मंत्री की सुरक्षा से संबंधित नियमों में यह व्यवस्था की गई है कि व्यय में किसी फिजूल खर्च को टाल दिया जाये। हाल में सभी राज्य सरकारों को अनावश्यक खर्च को टालने की आवश्यकता पर बल देते हुए अनुदेश भी जारी किये गये हैं।

स्कूटरों और कारों के आवंटन के बारे में मुख्य कार्यकारी पार्षद और उपराज्यपाल के बीच विवाद

1601. **श्री के० लकप्पा :**

श्री पुरुषोत्तम काकोडर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों और स्कूटरों के आवंटन के बारे में मुख्य कार्यकारी पार्षद और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच कोई विवाद है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह मामला केन्द्र को सौंपा गया था और यदि हां, तो क्या इस विवाद को हल कर दिया गया है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसीन) : (क) से (ग) मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली प्रशासन ने कारों व स्कूटरों के आवंटन के संबंध में केन्द्र सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे। उप-राज्यपाल, दिल्ली, ने भी इसी विषय पर केन्द्र सरकार को पत्र लिखा। उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित निदेशनों का अनुसरण करने तथा इन निर्देशनों से विचलनों, यदि कार्यकारी पार्षद और उप-राज्यपाल द्वारा अनुमोदित कर दिये जायें, को अपनाने की सलाह दी गई थी। मुख्य कार्यकारी पार्षद द्वारा कुछ और स्पष्टीकरण मांगा गया है और मामला विचाराधीन है।

महत्वपूर्ण क्षेत्र (कोर सेक्टर) की वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

1602. **श्री एच० एन० मुकर्जी :**

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महत्वपूर्ण क्षेत्र की सभी वस्तुओं जैसे कागज, सीमेंट उर्वरक और चीनी आदि के मूल्यों में वृद्धि करने के बारे में एक नया फार्मूला अपनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लागत तथा मूल्य ब्यूरों से यह सुझाव मांगा गया है कि मूल्यों में कितनी वृद्धि की जाए; और

(घ) उनके सुझाव क्या हैं और उस पर सरकार का निर्णय क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो और प्रशुल्क आयोग से समय-समय पर विभिन्न वस्तुओं की लागत उचित मूल्य के प्रश्न की जांच करने के लिए कहा जाता है उनकी रिपोर्ट जब भी मिलती है सरकार उन पर विचार करती है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 5017 दिनांक 28-3-73 तथा अतारांकित प्रश्न संख्या 2505 दिनांक 8-8-1973 के उत्तरों में शुद्धि करने वाले विवरण

Correcting Statements to USQ No. 5017 dated 28-3-1973 and USQ No. 2505 dated 8-8-1973

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : कटिहार सब-डिवीजन के टेलीफोन राजस्व के संबंध में श्री भोगेन्द्र झा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 5017 के भाग (क) और (ख) का जो उत्तर तारीख 28 मार्च, 1973 को दिया गया था, उसमें वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 (फरवरी 1973 तक) तक के आंकड़े क्रमशः 12,84,000 रुपये, 12,69,000 रुपये और 12,89,000 रुपये बताए गए थे जबकि ये आंकड़ें क्रमशः 738891 रुपये, 12,69,969.00 और 12,89,098 रुपये होने चाहिए थे। अतः उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार माना जाये :—

(क) जी नहीं। कटिहार सब-डिवीजन में वर्षवार जो टेलीफोन राजस्व वसूल हुआ उसका विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	वसूल राजस्व
1970-71	7,38,891 रुपये
1971-72 . .	12,69,969 रुपये
1972-73 (फरवरी, 1973 तक)	12,89,098 रुपये

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

2. यह गलती पहले पकड़ में नहीं आई इसके लिए मुझे खेद है।

लोक सभा में 8 अगस्त 1973 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2505 के भाग (ग) के उत्तर में निम्न प्रकार बताया गया है :

"(ग) तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूची में दर्ज विदेशी कम्पनियों के वर्ष 1972 में हुआ उत्पादन तथा निर्माण की वस्तुएं दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।"

उपर्युक्त उत्तर में उल्लिखित विवरण-1 के रूप में संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5762/73]

उसमें दिए गये आंकड़े तकनीकी विकास महानिदेशालय की सूचना पर आधारित हैं। बाद में उन्हें पता चला है कि वर्ष के रजिस्टर में उत्पादन के आंकड़े जोड़ने में हुई भूल के कारण मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० बम्बई के टूथपेस्ट के उत्पादन के आंकड़े गलत थे। तकनीकी विकास महानिदेशालय ने बताया कि वर्ष 1972 में मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० के टूथपेस्ट के उत्पादन के सभी आंकड़े 324 मीट्रिक टन है। एक सही विवरण संलग्न है (विवरण-II)। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 5762/73]

देशी का कारण

समय पर उत्तर में दिये गये आंकड़ों की अशुद्धि इसलिये नहीं सुधारी जा सकी क्योंकि गलती का पता तब चला जब यह मंत्रालय राज्य सभा में 30 अगस्त, 1973 को पूछे जाने वाले इसी प्रकार के प्रश्न के संबंध में सामग्री एकत्रित कर रहा था।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance

उर्वरकों की भारी कमी का समाचार

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्मनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"पंजाब तथा देश के अन्य भागों में उर्वरकों की भारी कमी"

कृषि मन्त्री (**श्री फखरुद्दीन अली अहमद**) : जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, चालू रबी मौसम के दौरान उर्वरकों की उपलब्धि की स्थिति कठिन रही है। इस कठिनाई के कई कारण रहे हैं, जैसा कि बिजली की कमी के कारण देशी उत्पादन में कमी, कच्चे माल आदि की कमी और विश्व की मंडियों में उर्वरकों की भारी कमी, और इसके साथ ही जहाजों से उर्वरक भेजने के लिये स्थान की विश्वव्यापी कमी। तथापि सरकार से देशी उत्पादन बढ़ाने और विदेशों से अधिकतम मात्रा में उर्वरकों की यथाशीघ्र प्राप्ति के लिए सभी संभव प्रयत्न किए हैं । आयातित उर्वरकों को बन्दरगाह पर संभालने और उसके परिवहन के संबंध में भी संचलन सम्बन्धी भारी रुकावटें आई हैं। इसका कारण यह था कि भारी मात्रा में आयातित खाद्यान्नों की आमद के कारण स्थान की उपलब्धि पर तथा रेल द्वारा परिवहन क्षमता पर भारी बोझ पड़ रहा था। तथापि, विशेष प्रयासों और परिवहन तथा रेल मंत्रालयों के समन्वय से आयातित उर्वरकों की बन्दरगाह पर संभालने और रेल द्वारा उसके संचलन सम्बन्धी कार्य को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई है ताकि उपलब्ध उर्वरकों की यथासम्भव शीघ्रातिशीघ्र सप्लाई की जा सके।

रासायनिक उर्वरकों की कमी की दृष्टि में राज्य सरकारों और गैर-सरकारी कृषक संगठनों से कहा गया है कि वे यथासम्भव अधिकाधिक कार्बनिक खाद बनाकर उसे प्रयोग में लायें।

जहां तक पंजाब को की जाने वाली सप्लाई का सम्बन्ध है, देश के कृषि उत्पादन में और खाद्यान्नों के केन्द्रीय पूल में पंजाब के योगदान को देखते हुए वहां अधिक से अधिक उर्वरकों की सप्लाई करने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं। वास्तव में 1 अगस्त, 1973 से आगे केन्द्रीय उर्वरक पूल और देशी निर्माताओं द्वारा की गई सप्लाई की जांच करने से पता चलता है कि इन दोनों स्रोतों से पंजाब को की जाने वाली सप्लाई का एक बड़ा भाग पूरा किया जा चुका है। कठिनाइयों के बावजूद अन्य राज्यों को भी यथासम्भव अधिकतम सप्लाई करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

श्री पी० के० देव : सरकार ने खाद्यान्न सप्लाई का लक्ष्य 115 लाख टन निर्धारित किया था जिसके लिये हमें 38 लाख टन उर्वरकों की आवश्यकता होगी। हमारी उर्वरकों की कुल क्षमता 16 लाख टन है और हमें अभी भी 22 लाख टन उर्वरकों की आवश्यकता होगी । कृषि मंत्रालय के अधिकारी उर्वरक खरीदने के लिये 250 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा लेकर पूर्व यूरोपीय देशों में गये लेकिन वे देश उर्वरकों के सप्लाई करने के अपने पूर्व वचनों पर कायम नहीं रहे। रूस तथा चीन ने इस बारे में पहले ही बुकिंग कर ली थी। अतः अधिकारियों को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। यद्यपि पंजाब राज्य देश का अन्न का भण्डार है और उनको उर्वरकों की खपत प्रति हैक्टर 75

किलो है जबकि राष्ट्रीय खपत 15 किलो है फिर भी पंजाब के साथ उर्वरकों के आवंटन के मामले में उचित व्यवहार नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य को चुनाव के कारण उर्वरकों का विशेष कोटा दिया गया है। अतः उर्वरकों का आवंटन जिस पर देश की कृषि क्रांति निर्भर है राजनीतिक आधार पर किया जाता है।

उर्वरकों की देश में भारी कमी है लेकिन आगामी चुनावों के कारण कुछ राज्यों को इसके आवंटन में प्राथमिकता दी गई है।

जहां तक देश में उर्वरकों के उत्पादन का प्रश्न है सरकार उर्वरकों की कमी को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

यद्यपि पंजाब राज्य में अन्न का भंडार है फिर भी उसकी 20 लाख टन यूरिया और 20 लाख टन सुपरफोस्फेट की कमी को पूरा करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

उड़ीसा और आंध्र प्रदेश देश की चावल की बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरी करते हैं लेकिन उनको उर्वरक सप्लाई करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं चाहता हूं माननीय मंत्री मेरे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर दें।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : माननीय सदस्य ने जिस प्रतिनिधिमण्डल के विदेश जाने का उल्लेख किया है उसमें कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि नहीं थे। उक्त प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व सप्लाई मंत्रालय के सचिव ने किया था तथा उसमें वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि भी थे। यह प्रतिनिधि-मण्डल अगामी वर्ष के लिये उर्वरकों की सप्लाई हेतु विचार विमर्श करने के लिये गया था।

हमें बताया गया था कि देश में नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन 16 लाख टन होगा लेकिन दुर्भाग्य से देश में इसका उत्पादन इससे बहुत कम हुआ है। अतः हमने 8.90 लाख टन नाइट्रोजन उर्वरकों का आयात करने का निर्णय किया और इसमें से लगभग 7.38 लाख टन उर्वरक यहां पहुंच चुके हैं। अतः यह स्पष्ट है कि विदेशों से पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आयात किया गया है।

यह कहना अनुचित है कि उर्वरकों का वितरण राज्य की आवश्यकता के आधार पर न कर राजनीतिक आधार पर किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब अनाज के उत्पादन के मामले में एक महत्वपूर्ण राज्य है, उर्वरकों की सप्लाई के मामले में पंजाब राज्य को प्राथमिकता दी गई है। उत्तर प्रदेश को उर्वरकों के वितरण के मामले में कोई विशेष प्राथमिकता नहीं दी गई है।

यह सच है कि हमारे देश में उर्वरकों का उत्पादन आवश्यकता से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त हम अपनी समूची आवश्यकता के लिये करार नहीं कर पाये हैं। करार की गई मात्रा में से भी कुछ मात्रा में उर्वरक अभी भारत नहीं पहुंचे हैं क्योंकि बलगारिया और रूमानिया ने निर्धारित की गई तिथियों के अनुसार उर्वरकों की सप्लाई नहीं की है। हम इस बात के लिये प्रयास कर रहे हैं कि हम अन्य देशों से भी उर्वरक प्राप्त कर सकें। लेकिन इसकी स्थिति कठिन होने के कारण अन्य देशों से आवश्यक मात्रा में उर्वरक प्राप्त करना सम्भव नहीं।

Shri Madhu Limaye (Banka) : I have read the statement given by the hon. Minister but I am not satisfied with that. Whenever any problem is raised in the House the only reply these Ministers have : 'it is a global phenomenon'. From the statement it appears that the Government have no long term policy.

During the last year, the Government had stated that the production of fertilizer will depend upon oil, fuel oil etc. But after sometimes it was stated that its production will depend on coal. When the Government found that there was acute shortage of coal it told that now we should depend on cow dung. Thus we have come back to that old age.

The hon. Minister has stated that so far as fertilizer is concerned, the Government is giving preference to Punjab 'because of its contribution to agricultural production'. It is true that in the matter of agriculture Punjab is far advanced and preference should be given to it in the matter of distribution of fertilizers.

I want to know whether the hon. Minister is not aware that so far as the production of Sugarcane is concerned, U.P., Bihar, Maharastra and some states of South India have their own importance. Similarly West Bengal, Assam and Orissa have their importance in the matter of production of Jute and West Bengal, Orissa and Andhra in the matter of production of rice. So it is not proper to think that by simply meeting the fertilizers requirements of Punjab our target in respect of Agricultural would be fulfilled.

The Government should take into consideration the requirements of all the states.

I want to know whether the recommendations of the Pathak Committee on Fertilizer Corporation of India have since been implemented.

There is a great deal in difference of profits earned by the Gujrat Fertilizer and Dharmisi Morarji Fertilizer and the Food Corporation of India. The Gujrat Fertilizer earned 18 per cent profits in 1971-72 and the Dharmsi Morarji Fertilizer earned 38 per cent profits whereas the Food Corporation of India earned only 11 per cent profits. All the facts in this regard should be placed on the Table of the House. The Government should state the steps it is going to take in this matter.

The Government should utilise all the resources for the exploration of oil.

I want to know whether it is a fact that from the sample survey undertaken, it is revealed that ten to fifteen per cent of fertilizes samples are adultrated. The hon. Minister should make a statement to clarify the matter.

I want to know whether their has been an inordinate delay in purchasing fertilizers from abroad. There has been a fuel crisis in the world. But the Government has not done anything to increase the production of coal.

I also want to know what steps are being taken to supply fertilizers to different states according to their requirements.

Shri F. A. Ahmed: Most of the matters raised by the hon. member are not concerned with my Ministry. But I agree with the hon. member that we are not producing fertilizers according to our capacity. We were told that we will be able to get 16 lakhs tonnes of fertilizers from the Fertilizer Corporation, but according to the latest estimates received by us we would not be getting more than 11 lakhs tonnes of fertilizers. We are taking steps to increase the present capacity of our fertilizer plants.

It is not true to say that the Government do not take steps for the availability of the fertilizers before hand. We estimated a shortage of little more than a 10 lakhs tonnes of fertilizers and we were able to get 8½ lakhs tonnes fertilizer.

So far as the question of sample survey of fertilizer, it is the duty of the State Governments to make investigations regarding the quality of the fertilizers. But even then I will enquire into the matter.

It is not true to say that we have allocated more fertilizers to U.P. due to coming elections. While distributing fertilizers we take into account the production of a particular state. In the matter of distribution of fertilizers we have given first preference to Punjab than to Haryana and the last preference has been given to U.P.

श्री सेज़ियान (कुम्बकोणम) : विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में उर्वरक की खपत बहुत कम है। भारत में उर्वरक की खपत 12.3 किलो ग्राम प्रति हैक्टर है जबकि विश्व में इसकी औसतन खपत 40.11 किलो ग्राम प्रति हैक्टर है। इस बारे में मुख्य कठिनाइयां त्रुटिपूर्ण योजनाएं बनाने, आयात का पूर्व अनुमान न लगाने और उपलब्ध उर्वरकों का समय पर वितरण न करने के कारण उत्पन्न हुई हैं। केन्द्रीय सरकार को इस मामले में अपना दायित्व स्वीकार करना चाहिये। अभी भी हम अपनी आवश्यकता का 40 प्रतिशत आयात कर रहे हैं और योजना मंत्री ने यह कहा है कि वर्ष 1978-79 तक हमें अपनी आवश्यकता का 44 अथवा 45 प्रतिशत आयात करना पड़ेगा।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उर्वरक की कमी के कारण सूखा स्थिति और विद्युत् कटौती और कच्चे माल की कमी बताया है । पहले भी नाइट्रोजन और फास्फेट के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। अतः यह समस्या देश में हमेशा ही व्याप्त रही है। देश में उत्पादित क्षमता का भी पूरा उपयोग नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप देश को और अधिक संकट का सामना करना पड़ा है। उर्वरकों का वितरण उचित समय किया जाना चाहिये।

कपास और अन्य फसलों के लिये तमिलनाडु को उर्वरक देने के लिये यह उचित मौसम है। केन्द्रीय पूल से तमिलनाडु को पहले ही कम मात्रा में उर्वरकों का आवंटन किया गया है। 1 नवम्बर, से मद्रास फर्टेलाइज़र ने काम करना बन्द कर दिया है। उसके इस वर्ष के अन्त तक कार्य न करने की संभावना है।

सप्लाई मंत्रालय ने तमिलनाडु को 27,000 टन यूरिया देने का वायदा किया है लेकिन उसमें से अधिकांश मात्रा में यूरिया प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त सूचना के अनुसार दो जहाज 20,000 टन यूरिया लेकर मद्रास पत्तन पहुंच रहे हैं। माननीय मंत्री को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सच है कि जहां तक उर्वरक निगम के उत्पादन कार्यक्रम का संबंध है, इसका कार्य संतोषजनक नहीं रहा । हम इसके कार्य में यथासंभव सुधार करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं जिससे हम इसकी क्षमता अनुसार उर्वरकों का उत्पादन प्राप्त कर सकें । पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा इस संबंध में विभिन्न उपाए किए गए है और हम आशा है कि इस वर्ष अथवा आगामी वर्ष इसके कार्य में सुधार हो जायेगा ।

तमिलनाडु राज्य को पूल तथा देशीय उत्पादन में से 48 प्रतिशत नाइट्रोजन और 85 प्रतिशत फास्फेट की सप्लाई की गई और मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि जब भी अधिक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध होंगे तमिलनाडु को उनकी यथासंभव सप्लाई की जायेगी ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : राज्यों को उपलब्ध उर्वरकों का अनुचित ढंग से वितरण किया जा रहा है । वितरण के बारे में कौन निर्णय लेता है और वह किस आधार पर किया जाता है ? इसमें संदेह नहीं कि अनाज की दृष्टि से पंजाब का महत्वपूर्ण स्थान है लेकिन देश के लिये कृषि के उत्पादन के मामले में सब राज्यों का महत्व है । अतः पंजाब को पूल उर्वरकों का 95 प्रतिशत देने का कोई औचित्य नहीं है ।

देश में उर्वरक की भारी कमी है । तेल की नई स्थिति को देखते हुए देश में उर्वरक के उत्पादन में और कमी होगी और हमें उर्वरकों के आयात पर और अधिक निर्भर करना पड़ेगा । ऐसा आगामी अनेक वर्षों तक होगा । क्या सरकार ने उर्वरकों के बारे में किसी दीर्घावधि अथवा अल्पावधि नीति पर विचार किया है जो आगामी पांच वर्षों में देश के लिये उपयुक्त हो । सरकार की उर्वरकों की राज्यवार वितरण की वर्तमान नीति से खाद्यान्न के उत्पादन और कृषि सामग्री पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

सरकार को कार्बनिक और गैर–कार्बनिक उर्वरकों के बारे में दीर्घावधि नीति तैयार करनी चाहिए।

क्या देश की उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सरकार की कोई अल्पावधि नीति है ?

चीन तथा जापान जैसे देशों में कार्बनिक खाद को बरबाद करना अपराध माना जाता है । इसका उपयोग किया जाता है क्योंकि यह उपयोगी उर्वरक है ।

मंत्री महोदय को देश में बहुत अधिक उर्वरक के उत्पादन की आशा नहीं करनी चाहिये । देश में उर्वरक का उत्पादन प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है ।

जबकि देश में उर्वरकों की कमी है तो सिंगरौली परियोजना को मंजूरी देने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ।

मूल परियोजना सात वर्ष पूर्व सरकार के समक्ष थी । इसलिए मेरा पहला प्रश्न था कि क्या सरकार की कोई दीर्घकालिक नीति थी अथवा नहीं ?

सरकार की अल्पकालिक और दीर्घकालिक उर्वरक नीति क्या है ? क्या कोई नीति तैयार नहीं की गई और क्या सरकार का विचार एक नीति का निर्माण कर उसके क्रियान्वयन का है ? मेरा प्रश्न दोनों आर्गेनिक और इनआर्गेनिक उर्वरकों के संबंध में है ।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि वर्तमान स्थिति का सामना करने के लिये हमें अल्पावधि तथा दीर्घावधि नीति अपनानी चाहिये । सरकार इस बात से भली भांति अवगत है और जहां तक दीर्घावधि नीति का संबंध है सरकार ने इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की है। उर्वरकों के आयात के लिये हम ने अन्य देशों के साथ दीर्घकालिक करार किए हैं ।

जहां तक उर्वरकों की उपलब्धता का प्रश्न है वर्तमान उत्पादन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं । हम नए संयंत्रों को स्थापित कर रहे हैं ताकि हमे पर्याप्त मात्रा में उर्वरक प्राप्त हो सकें ।

उर्वरकों के आवंटन का आधार प्रत्येक राज्य की आवश्यकता पर निर्भर करता है और उसी के आधार पर उन्हें कोटा दिया जाता है । निर्धारित मात्रा तथा उपलब्ध उर्वरकों के संबंध में प्राथमिकता देने के लिये हम किसी राज्य के उत्पादन तथा केन्द्रीय पूल में उसके योगदान को दृष्टि में रखते हैं । जहां तक गुजरात का संबंध है इसे पूल में से 23 प्रतिशत नाइट्रोजन और 38 प्रतिशत फास्फोटिक और देशी उत्पादन में से 81 प्रतिशत नाइट्रोजन तथा 75 प्रतिशत फास्फोटिक सप्लाई किया गया है । इन तीनों का कुल योग 58 प्रतिशत नाइट्रोजन और 63 प्रतिशत फास्फोटिक होता है ।

जहां तक आर्गेनिक खाद का संबंध है मैंने व्यक्तिगत रूप से मुख्य मंत्रियों को पत्र भेज दिए हैं और इस मामले में गैर-सरकारी किसान संगठनों से यह सुनिश्चित करने के लिये कि 'आर्गेनिक' खाद को हमारे उत्पादन कार्यक्रम में यथा संभव अधिक मात्रा में प्रयोग में लाया जाए और विचार विमर्श भी किया है । इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं ।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

Papers Laid on the Table

श्री के० आर० गणेश : मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1971-72 के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) केन्द्रीय सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां खण्ड 1–अप्रत्यक्ष कर और खण्ड 2–प्रत्यक्ष कर की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं [ग्रन्थालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०–5743/73]

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं श्री राम निवास मिर्धा की ओर से अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राज्यपत्र दिनांक 25 अगस्त, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 905 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद–संख्या निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 अगस्त, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 906 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 25, अगस्त 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 907 में प्रकाशित हुए थे ।

(4) अखिल भारतीय सेवाएं (गोपनीय वृत) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राज-पत्र दिनांक 8 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 942 में प्रकाशित हुए थे ।

(5) अखिल भारतीय सेवाएं (गोपनीय वृत) दूसरा संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 425 (ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(6) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) चौथा संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 427(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(7) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) तीसरा संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 428(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(8) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 429(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(9) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 430(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(10) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 450(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(11) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) आठवां संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1016 में प्रकाशित हुए थे ।

(12) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1017 में प्रकाशित हुए थे ।

(13) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग के पद-संख्या निर्धारण) नौवां संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 6 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1089 में प्रकाशित हुए थे ।

(14) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 477(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(15) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 24 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 478(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(16) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 27 अक्तूबर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1157 में प्रकाशित हुए थे ।

(17) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) छठा संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1181 में प्रकाशित हुए थे ।

(18) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) नौवां संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1182 में प्रकाशित हुए थे ।

(19) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) दसवां संशोधन विनियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1183 में प्रकाशित हुए थे।

(20) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) सातवां संशोधन नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 3 नवम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1184 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिये संख्या एल टी० –5744/73]

दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मंत्रालय में उपमंत्री श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:--

(1) दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1971 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति--

(एक) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति (निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1973, जो भारत के राजपत्र दिनांक 22 जनवरी, 1973 (अंग्रेजी संस्करण) में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 25(ङ) में और भारत के राजपत्र दिनांक 24 मार्च, 1973 (हिन्दी संस्करण) में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 284 में प्रकाशित हुए थे तथा उनका शुद्धि-पत्र जो अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 319 दिनांक 31 मार्च, 1973, सा० सां० नि० 672 दिनांक 30 जून, 1973 और सा० सां० नि० 911 दिनांक 25 अगस्त, 1973 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति (निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 30 जून, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 671 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबन्ध समिति (निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण) संशोधन 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 991 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) दिल्ली सिख गुरुद्वारा नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिल्ली के राजपत्र दिनांक 27 सितम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या एफ 18 (15)/73 ज्यूडिशियल में प्रकाशित हुए थे ।

(2) उपयुक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण।

[ग्रंथालय में रख गए । देखिये संख्या एल० टी०–5745/73]

श्री धर्मवीर सिंह : मैं प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 18 के अन्तर्गत भारतीय प्रेस परिषद् के वर्ष 1972 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–5746/73]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

Committee on Private Members Bills and Resolutions

33वां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायतशासी जिले) मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 33वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

मंत्री परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे नियम 198 के अधीन श्री ज्योतिर्मय बसु तथा श्री समर गूह से मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव की दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री ज्योतिर्मय बसु द्वारा अपने प्रस्ताव में दिए गए कारण यह है कि

"सरकार की जनता विरोधी, लोक विरोधी नीतियों के फलस्वरूप मूल्यों का बढ़ना और लोगों को खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में पूर्ण असफलता और इसके फलस्वरूप भुखमरी, भूख से हुई मौतें, जनता को भारी कठिनाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र का दलगत उद्देश्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में चुनाव में उपयोग करना,सर्वत्र दमन, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों का दुरूपयोग आदि है"

जो सदस्य श्री बसु के प्रस्ताव के पक्ष में है वे खड़े हो जाएं।

खड़े हुए सदस्यों की संख्या 50 से अधिक है अतः बहस की अनुमति दी जाती है।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : प्रस्ताव पर शीघ्र चर्चा की जाए ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : The hon. speaker would agree that there should be a full dress debate on this no-confidence motion as all the parties want to express their views.

श्री श्यामनंदन मिश्र (बगुसराय) : यह मामला ढाई वर्ष से भी अधिक समय के बाद सदन के समक्ष लाया गया है अतः इस पर चर्चा का पूरा मौका दिया जाना चाहिए।

श्री समर गूह (कन्टाई) : हमें सरकार को इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए कि उसने देश को तबाही के कगार तक पहुंचा दिया है, काफी समय दिया जाए आपने कई वर्षों बाद अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह मामला कार्य मंत्रणा समिति तक छोड़ता हूं वही फैसला करेगी कि इसकी चर्चा के लिए कितना समय नियत किया जाना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं चूंकि हम सब यहां पर इस प्रस्ताव की चर्चा में व्यस्त होंगे हमारे लिए कार्य मंत्रणा समिति की बैठक जो 3.30 बजे हो रही है, में भाग लेना मुमकिन नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रतिनिधि भेज सकते हैं ।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL FOURTEEN OF THE CLOCK

मध्याह्न भोजन के उपरान्त लोक सभा दो बज कर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at three minutes past Fourteen of the Clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. DEPUTY SPEAKER IN THE CHAIR.

Shri Atal Bihari Vajpayee: News has just been received that the police has opened fire on students. The police has forced its entry into Shamlal College and manhandled the teachers and the students. I want the hon. Home Ministers to attend to this matter forthwith.

मंत्री परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव

Motion of No-Confidence in the Council of Ministers.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सभा मंत्री परिषद में अविश्वास प्रकट करती है" इसके कारण हैं सरकार की जनता विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियों के फलस्वरूप मूल्यों का बढ़ना और लोगों को खाद्यान्नों तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने में पूर्ण असफलता और इसके फलस्वरूप भुखमरी, भूख से हुई मौतें, जनता को भारी कठिनाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकारी तन्त्र का दलगत उद्देश्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में चुनाव में उपयोग करना, सर्वत्र दमन, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम तथा अन्य अधिनियमों का दुरुपयोग आदि है।

यह अविश्वास प्रस्ताव बहुत पहले से पेश कर दिया जाना चाहिए था। सरकार को सत्तारूढ़ रहने का कोई अधिकार नहीं। आज की स्थिति में सरकार को न्यूनतम श्रेय प्राप्त है। 1970 में प्रधान मंत्री ने जनता से बहुमत प्राप्त करने के उद्देश्य से संसद को भंग किया था। पुनः वही समय आ गया है जबकि उन्हें जनता से बहुमत प्राप्त करना चाहिए।

श्रीमती इंदिरा गांधी तथा उनकी सरकार ने देश के लिए कुछ नहीं किया है। वे जनता से मुख मोड़े हुए हैं और यही कारण है कि मंत्रियों की सुरक्षा गारदों की संख्या वृद्धि की जा रही है। 1967 में मंत्रियों की सुरक्षा के लिए कुल चार सब इंस्पैक्टर, तीन सहायक सब इंस्पैक्टर, 14 हैड कांस्टेबल और 45 कांस्टेबल थे। 1970 में इसकी संख्या बढ़ा दी गई। 1967 में सुरक्षा गारदों पर 3,14,620 रुपये तथा कुछ पैसे व्यय आया और 1973 में यह धनराशि बढ़कर तिगुनी अर्थात् 9,17,963 रुपये के लगभग हो गई। प्रधान मंत्री की एक सभा के लिए उन्होंने उनकी सुरक्षा पर 80,000 तथा अन्य चीजों के लिए ढाई लाख रुपया व्यय किया।

हरित क्रांति के बारे में भी बड़ा शोर मचाया जा रहा है उसमें भी क्या सफलता मिलती है बल्कि मूल्य बढ़ते जा रहे हैं। देश में मूल्यों में हुई वृद्धि अत्यंत भंयकर है। संसार में कहीं भी मूल्यों में इतनी वृद्धि नहीं हुई है और यह भी विशेष रूप से उन वस्तुओं के मूल्य में जिनका उपयोग जनसाधारण द्वारा किया जाता है। प्रधान मंत्री का कहना है कि विकाशशील अर्थव्यवस्था में ऐसा होना स्वाभाविक है पर वह इस बात को भूल रही हैं कि अन्य देशों में जहां मूल्यों में वृद्धि हुई है वहां साथ ही साथ लोगों की आय में भी वृद्धि हुई है और वे बढ़ते मूल्यों का सामना करने में समर्थ हैं। सरकार ने एकाधिकारी प्रवृत्तियां (देशी-विदेशी) के सामने हथियार डाल दिए हैं।

खाद्यान्नों का थोक व्यापार अपने हाथों में लेना एक ओर असफलता है। चावलों का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने का विचार सरकार ने त्याग दिया है। स्वयं कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया है। वसूली करना अनुचित है। इस प्रकार वे बड़े बड़े उद्योग गृहों की रक्षा करना चाहते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के चुनावों को सुरक्षित रखना है। वसूल की गई मात्रा संतोषजनक नहीं है। इसके फलस्वरूप तो गेंहूं, चीनी, खाने योग्य तेल, दूध तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं खुले बाजार से गायब हो गई हैं और काले बाजार में उपलब्ध हैं जहां इनके लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। यह हमारा रोज का अनुभव है।

नवम्बर 1972 और जून 1973 के बीच चावल की 25 लाख टन की वसूली हुई जबकि लक्ष्य 40 लाख टन था। इसी प्रकार गेंहूं की वसूली भी अपने लक्ष्य से बहुत कम हुई। अप्रैल से जून 1973 तक 43 लाख टन वसूली हुई जबकि लक्ष्य 80 लाख टन का था। इस वर्ष मौनसून ठीक समय पर हुई और फसल भी अच्छी रही पर यह आपका समाजवाद है। यह आपका कार्य निष्पादन है।

राशन के भी मूल्य बढ़ गए हैं। संविधि राशन तो केवल एक कहने की बात है। उसमें भी पूर्ण अव्यवस्था व्याप्त है और यह प्रणाली समाप्त प्रायः है आटे के नाम पर साबुन पत्थर, इमली का बीज,मूंगफली तेल की टिकिया तथा भूसी का मिश्रण बेचा जा रहा है। क्या यह शर्म की बात नहीं है। कांग्रेसशासन के 25 सालों बाद आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग गाय के गोबर में से अनपचे चने के दाने निकाल कर धोकर और उबाल कर खाते हैं। अगर विश्व को यह बात पता लग जाए तो हम शर्म के मारे सिर नहीं उठा सकते।

बच्चों के दूध, कोयला, मिट्टी का तेल, डालडा आदि सब कुछ बाज़ार में उपलब्ध है पर किस कीमत पर? यदि इनकी कमी होती तो यह बाज़ार में मिलते ही क्यों?

मुझे पता चला है कि एक विशष राजनीतिक दल को कोयले के परमिट दिए गए हैं और वह 8 रुपये प्रतिटन के हिसाब से परमिट दे रहे हैं और उस दल का नाम है 'युवा कांग्रेस'।

दिल्ली प्रशासन के मुख्य कांग्रसी कार्यकर्त्ता का क्या हाल हुआ है। उनके गोदाम पर छापा डाला गया और सील लगा दी। यह है कांग्रसी नेताओं का चरित्र और आप समाजवाद सम्पत्ति के समान वितरण की बात करते हैं।

सरकार की जमाखोर समर्थक नीति है। बम्बई में एक जमाखोर को मूंगफली के एक लाख बोरों को जमा करते हुए पकड़ा गया किन्तु उसके विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है और मूंगफली का व्यापार करने या उन्हें अपने पास जमा रखने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ये दोनों अधिनियम राज्य में 16 अगस्त से लागू कर दिए गए थे और इन नियमों के अन्तर्गत मूंगफली का तेल और शोधित तेल दोनों ही आ जाते हैं। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं।

'इक्नामिक टाइम्ज़' द्वारा इस राज़ को खोलने के बाद रातों-रात काफी सारा माल गुजरात ले जाया गया और बाकी बचे माल को बम्बई में भिन्न-भिन्न स्थानों पर रख दिया गया। यह सब काम सरकार की मदद द्वारा हो रहा है।

जहां तक वनस्पति का सम्बन्ध है इसका तेजी से विस्तार हो रहा है और इसके व्यापार में अधिक लाभ कमाया जाता है। वास्तव में सन्देह है कि बम्बई में वनस्पति उद्योग पर बड़े-बड़े उद्योग गृहों का आधिपत्य है जो कि चर्बी के आयात के कम हो जाने से साबुन का निर्माण करने लगे हैं। अधिकांश वनस्पति एकक साबुन का उत्पादन भी करते हैं इस प्रकार वे भी खाने के तेलों की कमी पैदा कर रहे हैं। वे लाभ कमाने के लिये कमी पैदा कर रहे हैं और यह सरकार आंख मूंद चुप-चाप हाथों पर हाथ रख कर बठी हुई है क्योंकि इन दोनों के बीच सांठ-गांठ है।

वनस्पति उद्योग पर विदेशियों का एकाधिकार है । क्या यह सच नहीं कि 'लीवर ब्रदर्स' 1971-72 के मुकाबले 1972-73 में दुगना लाभ कमाया । उन्हें वर्ष 1971-72 में 5 करोड़ का लाभ हुआ जबकि 1972-73 में यह दुगना होकर 10 करोड़ हो गया ।

मूल्यों में वृद्धि और मुद्रास्फीति को अलग अलग नहीं किया जा सकता --प्रत्येक वस्तु के मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं ।

घाटे की अर्थव्यवस्था और अप्रत्यक्ष कर बहुत ही गंभीर मामले बन गये हैं । प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों के बीच समुचित अनुपात होना आवश्यक है ।

1960-61 में कुल राजस्व 9 करोड़ रुपय का था । प्रत्यक्ष कर 295 करोड़ रुपये के और अप्रत्यक्ष कर 606 करोड़ के थे । इसमें प्रत्यक्ष करों द्वारा प्राप्त राजस्व की प्रतिशतता 3263 थी । कुल कर में से अप्रत्यक्ष कर की प्रतिशतता 67.37 थी । 1973-74 में कुल राजस्व 5113-56 करोड़ रुपये था जिसमें से प्रत्यक्ष कर 1314 करोड़ रुपये के तथा अप्रत्यक्ष कर 3799 करोड़ के थे और इस प्रकार इस अवधि के दौरान अप्रत्यक्ष करों की प्रतिशतता 74.3 हो गई और प्रत्यक्ष करों का अनुपात घट कर 2.57 प्रतिशत रह गया ।

यह स्थिति है क्योंकि प्रत्यक्ष करों का प्रभाव धनी वर्ग पर पड़ता है इसलिये आप उसमें वृद्धि नहीं कर सकते और इसलिये सारा बोझा आपको साधारण जनता पर डालना पड़ता है ।

जहां तक घाटे की अर्थव्यवस्था है का सम्बन्ध है पहली योजना में यह 333 करोड़ रुपये थी। दूसरी योजना में यह 954 करोड़ रूपये थी । तीसरी योजना में यह बढ़ कर 1133 करोड़ हो गई और चौथी योजना के पहले चार वर्षों में 1117 करोड़ रुपये हो गई । यदि इस प्रकार वृद्धि होती रही तो इसकी अन्तिम सीमा क्या होगी कुछ कहा नहीं जा सकता । आप दिन प्रतिदिन अधिक नोट छपवा रहे हैं ताकि आपके अनुत्पादक तथा बेकार के खर्चे पूरे होते रहें । 1960-61 में प्रशासनिक व्यय 77.37 करोड़ रुपये था और 1973 -74 में बढ़कर 279.44 करोड़ रुपये हो गया । केन्द्र को पुलिस दल रखने की आवश्यकता नहीं होती फिर भी सरकार ने केन्द्रीय आरक्षित पुलिस रखी हुई है जिस पर बहुत धनराशि व्यय की जा रही है । 1950-51 में सरकार इस पर 3 करोड़ रुपये व्यय करती थी किन्तु आज 1973-74 में इस पर 135 करोड़ रुपया व्यय किया जा रहा है ।

केन्द्र में इतनी पुलिस की क्या आवश्यकता है ।

आप एक विविध राष्ट्रीय निगम की स्थापना करना चाहते हैं क्योंकि उसमें आप देश के श्री झा जैसे कर्णधारों को स्थान देना चाहते हैं जोकि रुपये का अवमूल्यन करके देश की आर्थिक तबाही के लिये जिम्मेदार हैं ।

पिछले छः से नौ महीने के दौरान आप ने ऐसे उपकरणों के आयात पर 13 करोड़ रुपये व्यय किये हैं जिस के जरिये टैलीफोन पर हो रही दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत को सुना जा सके ।

जहां लेखा परीक्षा होती है वहां वोऊचर (voucher) नहीं पेश किये जाते और जहां लेखा रखा जाता है वहां पर वह गबन होता है।

14 करोड़ रु० की राशि अकेले एक मंत्रालय अर्थात् विदेश मंत्रालय द्वारा खर्च की गई, जिसकी कोई रसीद नहीं और न ही जिसकी लेखा-परीक्षा की जा सकती है। पिछले तीन वर्षों में यह राशि दुगुनी हो गई है। सदन को यह जानने का अधिकार है कि ऐसा होने के क्या कारण हैं ?

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर 1966-67 में 6,96,47,221 रु० खर्च होते थे और 1972-73 में यह राशि बढ़कर 37,37,85,297 रु० हो गई। सी०आर०पी० के व्यय में राज्यों ने 15.71 करोड़ रु० वहन किया, जिसमें से अकेले पश्चिम बंगाल ने 3.85 करोड़ रुपये का खर्च वहन किया। सी०आर०पी० ने 1970 में 63 बार गोली चलाई और 1971 में 104 बार गोली चलाई।

एकाधिकार में वृद्धि एक अन्य कदावार है। पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादकों में अग्रणी रक्त-शोषक 14 लाख रुपये के पोस्टर छापने वाले श्री रमाकान्त गोयन्का की बात मैं नहीं कर रहा। 1963-64 में 20 बड़े उद्योग-गृहों की आस्तियों का मूल्य 1789.93 करोड़ रु० का था, जो अब बढ़कर 3128.77 करोड़ रु० हो गया है। यह है श्रीमती गांधी का समाजवाद, जिस में गरीब लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। 1966 और 1969-70 के बीच की अवधियों में बिड़ला बन्धुओं की आस्तियों में 116 प्रतिशत, ए०सी०सी० की आस्तियों में 57.3 प्रतिशत और थापर बन्धुओं, सूरजमल नागरमल, वालचन्द, श्रीराम, मफतलाल, क्लिक, आई०सी०आई० की आस्तियों में क्रमशः 76.1 प्रतिशत, 87.8 प्रतिशत, 84.3 प्रतिशत, 114.1 प्रतिशत, 253.8 प्रतिशत, 75.7 प्रतिशत और 204.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

ए०सी०सी०, बांगड़ बन्धुओं, बिड़ला बन्धुओं, आई०सी० आई०, डन्कन बन्धुओं सहित 12 बड़े व्यापार गृहों को छः वित्तीय संस्थानों ने 34,168 लाख रुपये से अधिक का ऋण दिया। सारी नीति ही एकाधिकार समर्थक है।

इस समय देश में इक्विटी शेयर के मूल्य सूचकांक के अनुसार रिकार्ड वृद्धि हुई है। सीमेंट, सूती कपड़ा, उर्वरक, रासायनों और कागजों जैसी मूलभूत वस्तुओं के बारे में दुहरी मूल्य-नीति अपनाने की आप उम्मीद के कारण शेयरों में भारी वृद्धि हुई है। इसका कारण यह है कि लोगों को उत्पादन लागत से बीस गुनी कीमत देने के लिये बाध्य होना पड़ता है।

शेयर-बाजार में इतनी अधिक कीमत से स्पष्ट पता चलता है कि सरकार की नीति में अवश्य ही कहीं कोई खामी है।

वर्ष 1968-69 में विदेशी कम्पनियों की आस्तियों का मूल्य 1,234 करोड़ रुपये से अधिक था। तीन वर्ष की अवधि में इस राशि में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर कटने के बाद लाभ में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई। कैडबरी की प्रदत्त पूंजी 12,96,000 रु० है परन्तु वर्ष 1970-71 और 1971-72 में 59,06,000 रु० लाभ के रूप में विदेश भेजे गये।

मैंने यह साबित करने के लिये कागजात पेश किये हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी काले धन को समाप्त नहीं करना चाहती। अगर नवम्बर, 1970 में विमुद्रीकरण कर दिया जाता जबकि काले धन की मात्रा लगभग 7,000 करोड़ रुपये थी, तो कीमतों में वृद्धि रुक सकती थी। इस समय काले धन की मात्रा 15,000 करोड़ रुपये है। अगर काला धन समाप्त हो जाता तो आप चुनाव नहीं जीत सकते थे प्रधान मंत्री का अस्तित्व ही काले धन से है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल आबादी का चालीस प्रतिशत है । हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय संसार भर में न्यूनतम है । अकाल और भुखमरी अब यहां स्थायी हो गई है । बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उड़ीसा में फ्रांस की क्रांति से पहले के दिनों जैसी बदतर हालत है ।

प्रायः सूखा पीड़ित रहने वाले क्षेत्रों में राहत ऋणों और निर्माण कार्यों के लिये जो कुछ धनराशि नियत की गई थी, पिछले तीन वर्षों के दौरान उसे भी खर्च नहीं किया गया है । अब सूखा को दोष दिया जा रहा है । 27 वर्षों की आजादी के बाद भी 20 प्रतिशत से अधिक कृषि योग्य भूमि के लिये सिंचाई की व्यवस्था नहीं की जा सकी है । शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है और अगले 10 वर्षों में देश की कुल आबादी में से एक तिहाई स्वस्थ और सक्षम व्यक्ति या तो बेरोजगार होंगे या अल्प रोजगार प्राप्त होंगे । संसदीय लोकतन्त्र और सिविल अधिकार समाप्त हो चुके हैं ।

अनुसंधान और विश्लेषण पक्ष के लोगों ने पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न अभियानों में लगभग 3,000 गुप्त हत्यायें की गई हैं ।

चुनावों में धांधलेबाजी की गई है और पश्चिम बंगाल, जम्मू और काश्मीर तथा त्रिपुरा में अर्ध-फासिस्टवादी शासन काम कर रहा है । आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम को यद्यपि रद्द कर दिया गया है, परन्तु अब भी उसे इच्छानुसार लागू किया जा रहा है । 7 मई 1971 से 30 जून, 73 की अवधि में 7,604 लोगों को नजरबन्द रखा गया ।

1972 के चुनावों के बाद से मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के 90 कार्यकर्त्ताओं की हत्या की गई, जबकि कांग्रेस के 25 कार्यकर्त्ताओं की हत्या की गई ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और पुलिस की मदद से सरकार ने 300 श्रमिक संघों के कार्यालयों पर कब्जा कर लिया है ।

इस सरकार को विराट बहुमत प्राप्त हुआ था, परन्तु 1971 के चुनावों के बाद रिकार्ड संख्या में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया । यह सरकार विरोधी पार्टियों को समूल नष्ट करना चाहती है ।

अब सरकार उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के चुनावों में धोखाधड़ी करने के लिए प्रयत्नशील है । आल इंण्डिया रेडियों और अखबारी कोटे के आवंटन में गड़बड़ी करके जन प्रचार के साधनों का बेशर्मी से दुरुपयोग किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश का सीमेंट का कोटा 1,50,000 टन से बढ़ाकर 3 लाख टन कर दिया गया था । अब उसे बढ़ाकर 5 लाख टन किया जा रहा है । इस समय उत्तर प्रदेश को उर्वरक, खाद्य, सीमेंट आदि सभी चीजें भेजी जा रही हैं । चुनाव से पहले यह सब क्यों किया जा रहा है ? श्रीमती गांधी ने झांसी और लखनऊ को जोड़ने वाले पुल का राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्घाटन किया, क्योंकि अब चुनावों से पहले राष्ट्रीय एकता आवश्यक है ।

विभिन्न राज्यों के भूमि सुधार कानूनों का मैंने अध्ययन किया है । पिछले कानूनों में कुछ प्रतिबन्ध तो था, परन्तु अब तो कोई प्रतिबन्ध ही नहीं है । भूमि सुधार को मजाक बना रखा है । यही स्थिति शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा के बारे में है ।

अखबारों के स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण के बारे में श्रीमती इन्दिरा गांधी समाचारपत्रों के मालिकों को नाखुश नहीं करना चाहती । वे सरकारी वक्तव्यों और समाचार को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं । जिसके लिए उन्हें अखबारी कागज और विज्ञापन दिए जाते हैं । इसके बावजूद स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण की धमकी भी है । अब एक नई बात स्वामित्व को असम्बद्ध करने की रखी गई है । मुझे यह कहते हुए खेद है कि वर्तमान प्रधान मंत्री सभी प्रकार के भ्रष्टाचार और कदाचारों की जड़ है ।

वर्ष 1964 में सन्तानम समिति ने जो सिफारिशों की थी, उसे क्रियान्वित करना प्रधान मन्त्री के लिए अभी भी कठिन है । पिछले 27 वर्षों में कभी भी प्रधान मंत्री के बारे में विवाद नहीं उठाया गया था । पहले कभी भी व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रधान मंत्री पर सरकारी मशीनरी का उपयोग करने का आक्षेप नहीं लगाया गया था ।

मारुति बनाम छोटे किसान का मामला एक शर्मनाक घटना है । स्व० श्री जवाहर लाल नेहरू ने वर्ष 1964 में यह आश्वासन दिया था कि इस क्षेत्र में किसी भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। धारा 17(क) के साथ पढ़े जाने वाले भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अधीन 24 फरवरी, 1971 को पहला अधिनियम जारी किया गया । धारा 17(क) के अनुसार भू-स्वामियों पर आपत्ति उठाने से प्रतिबन्ध लग जाता है । इसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि उस समय आपात स्थिति नहीं थी । 20 मार्च, 1971 को महाधिवक्ता श्री डी० एस० तेवतिया ने अधिग्रहण आदेश वापस ले लिया । धारा 4 के अधीन दूसरी अधिसूचना 24 मार्च, 1971 को जारी की गई जिसमें ढुंडाहरा, मलाहेरा, शाहपुर और इनामतपुर आदि ग्रामों को शामिल कर लिया गया । मेरे पास जो प्रतिलिपि है उसके अनुसार यह भूमि रक्षा निशेध आदेश के अन्तर्गत आती है, परन्तु इसकी उपेक्षा कर दी गई । एयर मार्शल श्री ओ० पी० मेहरा के हस्ताक्षरों वाले कागज में कहा गया है कि सड़क के किनारे भूमि होने के कारण भूमि की कीमत 75,000/– रु० प्रति एकड़ से कम इस समय नहीं है और वर्तमान अधिसूचना 13 अगस्त, 1956 के भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र सं० एयर एव० क्यू०/20851/114/ओ०आर०जी०/ए एफ/7106/2/डी० (एयर स्टोर्स) और 11 जनवरी, 1969 को राजपथ अधिसूचना सं० एस० आर० ओ०–6 का भी उल्लंघन करती है, जिसके अनुसार आयुध भण्डार के 1000 गज तक सुरक्षा पट्टी रखने की व्यवस्था है ।

श्री बंसी लाल के पत्र के अनुसार भूमि का अधिग्रहण 11,776 रु० प्रति एकड़ के हिसाब से अधिग्रहण किया गया, जिसमें भूमि, झोपड़ी, कूंऐं आदि के लिए 15 प्रतिशत अधिभार भी शामिल है । किसानों को वस्तुतः 9,000 रु० प्रति एकड़ के हिसाब से कीमत की गई, जबकि बाजार भाव 75,000 रु० प्रति एकड़ था ।

श्री मिर्धा ने मेरे पत्र के उत्तर में बताया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है । प्रधान मंत्री को डिस्ट्रिक्ट जज की मेज के नीचे आश्रय नहीं लेना चाहिए । मन्त्रालय के इन अनिमितताओं के बारे में क्या विचार हैं ?

क्या प्रधान मंत्री ने लखनऊ में यह नहीं कहा था कि मैं मारुति के मामले के बारे में जांच कराने जा रही हूं । (व्यवधान) आप इस बारे में पूरी जांच क्यों नहीं कराना चाहते ? एसा काम कर भी नहीं सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में चुनाव होने जा रहे हैं ।

26 मई, 1971 को सारी 200 आपत्तियां एक साथ सुनी गई । भूमि अर्जन अधिकारी श्री यादव ने छतरपुर–सिकन्दरपुर वाया मेहरोली रोड़ पर बंजर भूमि की उपलब्धता और अधिक उपयुक्त

और कम कीमत की भूमि का सुझाव दिया था, परन्तु सरकार द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया। धारा 9 के अधीन नोटिस 24 जून, 1971 को वकील को मिला, जिसने अपने मवाक्किलों से 10 जुलाई 1971 तक या उससे पहले आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए कहा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु अब अपना भाषण समाप्त करने का प्रयास करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु: अब मारुति परामर्शदात्री सेवा शुरू की गई है, जिसका स्वामित्व प्रधान मंत्री के पुत्र और उनकी पुत्र वधु का है। कुल उत्पादन की 3% राशि परामर्श फीस के रूप में परामर्शदात्री सेवा को मिलेगी। परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1973–74 में कुल बिक्री 80 लाख रुपये की होगी और परामर्श शुल्क 16 लाख रु० होगा। 1974–78 की अवधि के दौरान 108 लाख रुपये परामर्श शुल्क के रूप में मिलेगी। इतनी राशि उस परिवार के मदस्यों को मिलेगी, जो समाजवाद में विश्वास रखते हैं। श्री सुब्रह्मण्यम अन्य परियोजनाओं के बारे में ब्यौरा नहीं देना चाहते, क्योंकि वह अभी अपने पद पर बने रहने के इच्छुक हैं।

सफदरजंग 21–11–73 ऊपरिपुल (फ्लाई–ओवर) काण्ड के संबंध में मुझे श्री भोला पासवान शास्त्री से पत्र मिलते रहे हैं कि वह इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं। शास्त्री जी ने यह तो नहीं बताया कि नया ठेका देने के कारण सरकार को कितनी हानि होगी।

मैं यहां पर जागोता और नागरवाला का मामला तो नहीं उठाता। परन्तु मुझे श्री जगत नारायण के मामले की ओर उनका ध्यान दिलाना है। उन्होंने किस तेजी के साथ धन कमाया है। उन जैसे मामलों के बारे में कपूर समिति एवं दत्त समिति के प्रतिवेदनों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है। ऐसे व्यक्तियों को श्रीमती इंदिरा गांधी हटा नहीं सकती है क्योंकि इनके माध्यम से निर्वाचनों पर लाखों रुपए लगाने सम्भव होते हैं।

श्री ललित नारायण मिश्र विदेशों में जाते रहते हैं और उन्हें उनका उपहार मिलते हैं। श्री मिश्र को इस बारे में जांच का स्वागत करना चाहिए।

श्री बी० पी० मौर्य : वह श्री सिंगला का कर्मचारी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिहार की प्राक्कलन समिति ने उन पर टिप्पणी की है। वैगनों के आवंटन द्वारा 2 लाख रुपए प्रतिदिन कमाए जाते हैं। श्री दरबारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं परन्तु उसे फिर लाइसेंस मिल गया है।

श्री के० एन० तिवारी : (बेतिया) : उनका इस प्रकार बिना प्रमाण दिये प्रधान मंत्री तथा उनके अन्य मंत्रियों पर आरोप लगाना कहां तक उचित है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे पास प्रमाण हैं। योजना मंत्री श्री धर के विरुद्ध मेरे पास फोटोस्टेट कापी है। उन्हें तार की कोड में 'पिलग्रिम' कहा जाता है।

बंगाल के गेहूं षडयंत्र की न्यायिक जांच की मांग भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा की गई थी।

अब विनाश का दिन निकट आ रहा है। पश्चिम बंगाल बंद से यह बात स्पष्ट हो जाती है।

श्रीमती इंदिरा गांधी को त्यागपत्र देकर नया निर्वाचन कराना चाहिए।

श्री बी० आर० भगत : (शाहाबाद) : बड़ी बड़ी बातों का दावा करते हुए भी माननीय सदस्य को छोटे छोटे मामलों को लेना पड़ा है । माननीय सदस्य ने सभा का 1½ घंटे का समय नष्ट कर दिया है ।

उनके वाद-विवाद का स्तर इतना नीचा है कि विस्तार से उन बातों का उत्तर देना उचित नहीं है ।

अविश्वास प्रस्ताव के बारे में माननीय सदस्य का यह सबसे बड़ा भाषण है । उन्होंने श्री एल० एन० मिश्र पर आरोप लगाया है । उनके पहले के भाषणों में यह सभी बातें देखी जा सकती हैं ।

उन्होंने मारुति के मामले पर संसदीय जांच की मांग की है । इस मामले पर कई वाद-विवादों का उत्तर प्रभावशाली ढंग से दिया जा चुका है । वह इस बात पर विश्वास रखते हैं कि यदि एक असत्य अथवा अर्द्ध सत्य को सौ बार दुहराया जाय तो लोग उसे सत्य ही मानने लगेंगे ।

उनके भाषण में प्रधान मंत्री समेत मंत्रियों के विरुद्ध दोषारोपण किया गया है ।

यहां विरोधी नेता जनता की इच्छा को विभाजित कर रहे हैं । बेशक उन्हें अविश्वास प्रस्ताव रखने का अधिकार है ।

उन्होंने मूल्य का मामला उठाया है । बेरोजगारी का उल्लेख किया गया । इन मूल भूत समस्याओं पर उन्होंने विस्तार से चर्चा नहीं की है । सरकार तथा प्रधान मंत्री इसे स्वीकार करते हैं कि कई वर्षों से हम कठिन समय का सामना कर रहे हैं । तथ्यों के आधार पर है । परिस्थिति का सामना करने को सदा तैयार हैं ।

यह सच है कि मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है । एक वर्ष के भीतर मूल्यों में 21 प्रतिशत वृद्धि हुई है । हमारे यहां मुक्त अर्थ-व्यवस्था है और हमारा विस्तृत अंतराष्ट्रीय व्यवहार है ।

माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े बढ़ते हुए घाटे की अर्थ–व्यवस्था दिखाने के लिये रखे हैं । यह ठीक है कि हमने कुछ बचन दिये थे । कठिन परिस्थितियों में भी सरकार ने विश्वास से कार्य किया है । अप्रैल से जून तक 108 लाख टन खाद्यान्न वितरित किया गया ।

विरोधी पार्टियों पर मेरा आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रीय संकट के समय संवार व्यवस्था को भंग करने की चेष्ठा की थी और एसी स्थिति पैदा की थी कि खाद्य ढंगे हुए । इन्होंने कठिन समय में जनता की सहायता करने के स्थान पर स्थिति को और भी बिगाड़ने में सहायता दी । यह देश की राष्ट्रीय समस्या थी जिसका आपत-स्थिति के समान मुकाबला किया जाना चाहिए था ।

सत्ताधारी दल को अकेले की राष्ट्रीय संकट का सामना करना पड़ा । विरोधी दलों के कुछ सदस्यों ने अवश्य हमारा समर्थन किया । हमें आप लोगों की कठिनाइयों का पता है । हमने अपनी कमियों को स्वीकार किया है और जनता को आश्वासन दिया है कि उनके सहयोग से हम भरपूर यत्न कर रहे हैं । स्वाधीनता के 25 वर्षों में, 1973 के अंतिम महीने तथा पूरा 1973 का पूरा वर्ष हमारे इतिहास में कठिनतम समय रहा है । हमने कभी कठिनाइयों को छिपाया नहीं है । प्रधान मंत्री ने अपनी प्रत्येक बैठक में लाखों लोगों को विश्वास में लेते हुए उन्हें अपने अभावों से सूचित किया है । साथ ही हमने जनता की आत्मा जागृत करने की चेष्टा की है और उसमें हमें सफलता भी मिली है ।

खाद्यान्न के उत्पादन बढ़ाने एवं वितरण में सुधार के लिये अनेकों उपाय किये गये हैं । यह सच है कि गहूं की कमी है तथा उसके मूल्य बढ़े है परन्तु तिलहनों एवं दालों के मूल्यों में कमी आ गई है । जब किन्ही वस्तुओं के मूल्य गिरते है तो हमारी नीति मूल्यों को बनाये रखने की रहती है ।

विरोधी सदस्य यह कहते हैं कि सरकार मूल्यों के कम करने में विफल रही है। परन्तु क्या उनके पास स्थायी रूप से मूल्य कम करने का कोई उपाय है।

हमें आम उपयोग की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाना है। तिलहन के मूल्य में 200 रु० प्रति टन कमी हुई है।

हमारी विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मूल्यों की वृद्धि मांग के कारण नहीं हो रही है और न ही यह वृद्धि आप में वृद्धि के कारण हुई है। यदि हम आवश्यक उपयोग्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा पाते हैं तब हम मूल्यों को स्थिर कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि पांचवीं योजना के आरम्भिक वर्षों में मूल्यों में ऐसी वृद्धि नहीं होगी। योजना आयोग और वित मंत्री ने कहा है कि पांचवीं योजना के पहले दो वर्षों में घाटे को अर्थ-व्यवस्था नहीं रखी जायगी। मैं कह नहीं सकता कि वे कहां तक इस पर दृढ़ रहते हैं। मैं समझता हूं कि 50 से 70 करोड़ रुपये तक को घाटे की अर्थ-व्यवस्था से कोई अनुचित प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खाद्यान्नों की वसूली का कार्य अच्छी तरह चल रहा है। अब तक हम सात लाख टन वसूली कर पाये हैं और उम्मीद है कि इस वर्ष हम वसूली का लक्ष्य प्राप्त कर पायेंगे।

हमने रूस से 60 लाख मीटरीक टन खाद्यान्न का आयात किया है। अतः इस बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। देश में ऐसी विचारधारा फैलाने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार खाद्य स्थिति के मामले में असफल रही है। विपक्ष के सदस्यों ने देश में ऐसा आतंक फैलाया है कि सरकार खाद्यान्नों के वितरण में असफल रही है। ऐसी विचारधारा नहीं फैलायी जानी चाहिये। आगामी महिनों में हम वितरण की स्थिति भी संभाल लेंगे और इस विषय में चिन्तत होने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश को अधिक सीमेंट, चीनी तथा अन्य वस्तुयें देने की बात कही गयी है। उत्तर प्रदेश राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्य है। देश की जनता का पांचवां भाग उत्तर प्रदेश में है। यहां चीनी का सबसे अधिक उत्पादन होता है। माननीय सदस्य कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को अधिक चीनी इसलिये दी जा रही है कि वहां निर्वाचन समीप है (व्यवधान)। उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन में बहुत पीछे है। इस राज्य को प्रगति के लिय उन्हें बहुत कुछ दिया जाना चाहिये। प्रधानमंत्री, केन्द्रीय सरकार वहां के मुख्य मंत्री के नेतृत्व में राज्य ने पिछले दो वर्षों में इतनी प्रगति की है जितनी पिछले 20 वर्षों में भी नहीं की जा सकी। अतः माननीय सदस्यों को इन बातों का विरोध नहीं करना चाहिये।

विरोधी पक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के पीछे दो उद्देश्य हैं। विपक्षी दलों का एक उद्देश्य तो छोटी छोटी बातों को पहाड़ बनाना तथा बड़े नाटकीय ढंग से कुछ सदस्यों पर लांछन लगाना है। यह उद्देश्य उन्होंने पूरा कर लिया है। दूसरा उद्देश्य उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा के निर्वाचन है। उन्होंने इसमें पांडिचेरी तथा मनीपुर को क्यों नहीं जोड़ा। इसलिये कि वे जानते हैं कि सत्तारुढ दल का सामना करने के लिये उनके पास कोई संगठित नीति नहीं है।

विपक्ष का दृष्टिकोण क्या है यह अविश्वास प्रस्ताव से स्पष्ट है। विपक्ष दल यह नहीं बताता कि राष्ट्रीय संकट के समाधान के लिये क्या करना चाहिये। वह बात भी नहीं बताते (व्यवधान) कि सरकार की अमुक असफलतायें हैं। इसके उपरान्त वे लोगों में भेद-भाव की भावना पैदा करते हैं उनकी कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है अतः इस सबके विकल्प स्वरूप वे छोटी छोटी बातें उठाकर चरित्रों

पर लांछन लगाने में व्यस्त हैं । विपक्ष लोगों की प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने तथा प्रधान मंत्री पर लांछन लगाने में व्यस्त है । इन चीजों से कुछ नहीं होगा । माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि यह सरकार लोकतंत्र विरोधी है । वे लोग यह बात कहते हैं जो आस्थिरता पैदा करते हैं, पश्चिमी बंगाल में जिनकी सेवा का रिकार्ड सर्वविदित है । लोगों ने इन्हें सदैव के लिये ठुकरा दिया है क्योंकि इस देश के लोगों की अपनी परम्पराऐं हैं, ठोस राजनीति की कुछ अपनी परम्पराऐं हैं, स्थायीत्व की ओर बढ़ने के लिये कुछ परम्पराऐं हैं, लोकतांत्रिक शक्तियों को सुदृढ़ मार्ग पर ले जाने के लिये कुछ परम्परायें हैं । ऐसी परम्परा वाले देश के लोगों ने इन लोगों क सदा को लिये ठुकरा दिया है ।

हमारे प्रधान मंत्री से बड़ा लोकतांत्रिक और कोई व्यक्ति देश में नहीं है । उन्होंने देश के लोगों की लोकतांत्रिक शक्तियों को सामाजिक परिवर्तन की ओर उन्मुख किया है । लोगों में लोकतांत्रिक भावना जागी है और अब उसे कोई नहीं मिटा सकता । लोग उनका साथ नहीं देते जो पहले तो खाद्य पदार्थों के लिये झगड़े कराते हैं और बाद में गम्भीर संकट पैदा करते हैं । लोग उनका साथ नहीं देते जो आर्थिक प्रगति के विरोधी हैं । लोग उनके साथ हैं जो तीव्र प्रगति के लिये संगठनात्मक, प्रशासनिक तथा राजनैतिक शक्तियों को गतिशील बनाने हैं । प्रधानमंत्री अपने दल के साथ इसी मार्ग के अनुसरण का प्रयास कर रही हैं ।

लोगों के अधिकारों की बात की जाती है । आर्थिक स्वतंत्रता, भूख से छुटकारा तथा अच्छा जीवन बिताने के अधिकारों से बड़ी अधिकार कौन सा हो सकता है ।

विपक्ष चाहे जो कहे परन्तु लोंगों की गरीबी तभी मिटाई जा सकती है जब हम अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ें । यदि आप पांचवीं योजना को ही देखें तो पुलिस व्यय पर कुछ लाख रुपयों की वृद्धि के साथ साधारण व्यक्ति के कल्याण पर करोड़ों रुपयों व्यय करने की योजना है । आर्थिक संकट के उपरान्त भी पिछड़े क्षेत्रों की सभी योजनायें आरम्भ की जायेंगी । इन में कोई भी कटौती नहीं की जायेगी । क्या यह लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति है ?

यह बड़े कार्यक्रम में छोटी-छोटी बातों का कोई महत्व नहीं है । बड़े कार्यक्रमों से लोगों को शक्ति और चेतना मिलती है । अविश्वास प्रस्ताव से इन लोगों की भ्रष्टता प्रदर्शित होती है । सत्तारूढ़ दल के सम्मुख जो समस्याएँ हैं इस समय विपक्ष को उनके सामान्य समाधान निकालने चाहियें । संसदीय पद्धत्ति में विपक्ष को मान्यता दी जाती है उन्हें राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होना चाहिये । ऐसे संकट के समय उन्हें सरकार के साथ मिलकर समस्याओं का हल निकालना चाहिये । ऐसा करने के बजाय हमारे विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल पर कीचड़ उछालने में लगे हैं । लोग उन्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे । उत्तर प्रदेश में हम भारी बहुमत से विजयी होंगे तब यह बात और स्पष्ट हो जायेगी । सरकार ने इस कठिन समस्या का विश्वास और दृढ़ता से सामना किया है । हम अपनी कार्यप्रणाली में और सुधार करेंगे और देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेंगे । निकट भविष्य में ही हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जायेंगी । सामाजिक न्याय रोजगार तथा अन्य बातों के मामलों में हमें सफलता मिलेगी । गतवर्ष हमने तीन लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया । हमने कहा था कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे और इसके लिये 100 करोड़ रुपयों की राशि नियत की गई थी । जैसे अर्थव्यवस्था में प्रगति होती है विकास की दर बढ़ती है । पांच वर्षों में बेरोजगारी दूर हो जायेगी । हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना है, कार्यक्रमों को तेजी से क्रियान्वित करना है, राज्यप्रशासन में गतिशीलता लानी है तथा उसके कार्य में सुधार करना है । यदि हम ऐसा कर लेते हैं ती देश के भविष्य को अन्धकारमय बताने वाले लोग पूर्ण प्रमाणित हो जायेंगे और लोगों द्वारा ठुकरा दिये जायेंगे ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इस समय सरकारी असफलताओं को बड़े प्रभाव तथा अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । यह सर्वविदित है कि आज प्रशासन असफल है, अकार्यकुशलता तथा भ्रष्टाचार जीवन अस्तव्यस्त हो गया है । जब जीवन के अस्त व्यस्त होने की बात सामने आती है । इसके उत्तरदायित्व के लिए सरकार को अंगुली उठानी पड़ती है । जिस रूप में यह प्रस्ताव लाया गया है मैं और मेरा दल उससे सम्बद्ध नहीं हैं क्योंकि यह राजनैतिक कारणों से लाया गया है । यह प्रस्ताव हमारे एक मित्र देश के प्रतिनिधि के भारत आगनम की संध्या को लाया गया है ।

मैं चाहता हूँ कि हम अन्य दलों के साथ उस प्रकार मिलकर कार्य कर सकते हैं जिस प्रकार 40 वर्ष पूर्व किया था जिससे सरकारी कमियों और त्रुटियों को दूर किया जा सके ।

सरकार अपने कार्य में असफल रही है अकार्यकुशलता और भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुँच गया है और उसने जनता की स्थिति बहुत दयनीय बना दी है ।

सरकार की ओर से यह कहा गया है कि उसने जनता की स्थिति सुधारने के लिए कार्यवाही की है । उसने लोगों को खाद्यान्न सप्लाई किया है । लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि आप देश के किसी भी कोने में चले जाइये लोग सब जगह खाद्यान्न के लिए चिल्ला रहे हैं । सरकार को अपनी त्रुटियों, कमियों और असफलताओं को स्वीकार करना चाहिये ।

कभी-कभी सभा में मंत्रियों पर आरोप लगाये जाते हैं । सरकार के इन आरोपों का अवश्य उत्तर देना चाहिये । ऐसे भी अवसर आये हैं जब मंत्रियों पर आरोप लगाये गये हैं और उन्होंने हँस कर टाल दिया ।

रेल मंत्री के विरुद्ध अनेक बार कहा गया लेकिन इस सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया । मारूति के बारे में अनेक आरोप लगाये गये । मुझे मारूति से कोई लेना देना नहीं लेकिन मुझे विशेष रूप से अपने देश के प्रतिष्ठता की बहुत चिन्ता है । देश की प्रतिष्ठता से प्रधान मन्त्री की प्रतिष्ठता बहुत कुछ सम्बन्धित है । यदि प्रधान मन्त्री पर लगाये गये आरोपों का उचित ढंग से स्पष्टीकरण नहीं किया जाता तो आप इसके लिये हमें उचित तरीका बतायें । आज लोगों के चरित्र के विरुद्ध आरोप लगाये जा रहे हैं । देश संकट में है । देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है । मूल्य बढ़ रहे हैं ! खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है । पावर की अत्यधिक कमी है । लोगों को क्या हो गया है ।

सरकार की आर्थिक नीतियां कभी स्पष्ट दिखाई नहीं देती है । एकाधिकार गृहों की संख्या तथा उनकी राशि में भी वृद्धि हुई है । अन्तर्राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के रूप में काम करने वाली विदेशी कम्पदियों को अधिकार में लेने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई हैं ।

सब मिलाकर देश की विदेश नीति उचित रही है । अनेक ऐसी बात हो सकती हैं जिन्हें हम ठीक नहीं समझते हैं । लेकिन सब मिलाकर विदेश नीति ठीक रही है ।

जहां तक आन्तरिक नीतियों का सम्बन्ध है इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि यदि लोगों को दशा को ही मानदण्ड माना जाये तो इस देश की सरकार को लोगों की ऐसी हालत के लिये दोषी ठहराया जायेगा ।

पांचवी योजना का अभी कोई अता-पता नहीं है । यह योजना केवल कागजों तक ही सीमित है । सरकार जनमानस को छू नहीं पाई है क्योंकि देश के शासक जनता के बीच नहीं रहते। योजना कार्य में जनता का समर्थन प्राप्त नहीं किया जाता ।

अभी कुछ दिन पूर्व जमाखोरी को समाप्त करने के लिये जो हमने कार्यवाही की थी उसमें प्रशासन ने हमें कोई सहायता नहीं दी । अतः पुलिस हमारे रास्ते में आ गई और सब कार्यवाही रोक देनी पड़ी । यह किस प्रकार का समाजवाद है ।

देश की वर्तमान हालत में परिवर्तन अनिवार्य हैं । देश को, अपने को उस परिवर्तन के अनुरूप बनाना होगा। इसके लिये न केवल कुछ व्यक्तियों को इधर-उधर करना होगा बल्कि विभिन्न स्तरों पर प्रशासन के साथ लोगों को सम्बन्ध स्थापित करना होगा ।

सरकार को अपनी सभी नीतियों विशेष रूप से आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करने के बारे में जबाब देना होगा ।

किसी मन्त्री विशेष के विरुद्ध लगाये गये विशेष आरोपों का उत्तर दिया जाना चाहिये । यह सरकार अपना कार्य करने में तब तक सफल नहीं होगी जब तक यह देश की जनता में नई स्फूर्ति पैदा नहीं करेगी ।

यदि सरकार आर्थिक योजना बनाना चाहती है तो उसे किसी भूल आधार पर बनाये और उसके लिये यदि किसी त्याग की आवश्यकता हो तो उसे उचित तरीके से दे जिससे लोगों में यह विश्वास उत्पन्न हो सके कि उच्च वर्ग के लोग भी कठिनाई में है और उन्हें नये समाज के निर्माण में उनका सहयोग प्राप्त है ।

वे समय-समय पर हड़ताल की बातें करते हैं । लेकिन वे कभी इस बात का प्रयास नहीं करते कि वे ऐसे लोगों को भोग-विलास की जिन्दगी व्यतीत करने से रोकें, जबकि एक ओर लोग भूख से मर रहे हैं । इसके लिये उच्च वर्ग के लोगों द्वारा मितव्ययता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये । यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो आप लोगों में जोश उत्पन्न नहीं कर सकेंगे ।

केवल भाषण देने से काम नहीं चलेगा । यदि कांग्रेस दल वास्तव में स्वतन्त्रता संग्राम के समय की भांति लोगों के दिल में अपनी धाक बैठाना चाहता है और केवल मात्र शक्ति में बने रहना नहीं चाहता तो उसे सच्चे समाजवाद की नीति का अनुकरण करना होगा। धन की सत्ता हमारे जीवन को कुरेद रही है और इससे हमारी सभ्यता और आशाओं को खतरा पहुँच रहा है, यदि वे समझते हैं कि उनके विरुद्ध की गई आलोचनाएँ गलत हैं तो वे इनका उत्तर दे सकते हैं । धन की सत्ता को और अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए नहीं तो हम किसी भी प्रकार की प्रगति न कर पाएंगे । इस परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक समस्याओं को हल किया जाना चाहिये । यह परिप्रेक्ष्य श्री ब्रेजनेव की यात्रा से और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है । रूस और भारत की मैत्री एक ऐसा प्रकाश स्तम्भ है जो अन्य देशों को दिशा-निर्देश दे रही है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भी हमारी दृष्टि रूस की ओर रही थी, आज समाजवाद में एक तिहाई जनता की आस्था है, यदि हम समाजवाद के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं तो उससे आम आदमी को नई आशा मिल सकती है ।

सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी प्रकार से लगाए गए आरोपों का उत्तर दे, विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया जा सकता है यदि सरकार इन आरोपों का उत्तर देती है तो इससे वह अपनी प्रतिष्ठा तथा आत्मसम्मान की रक्षा कर सकेगी, यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसके नैतिक बल का ह्रास होता चला जाएगा, इसलिए अपने नैतिक बल के उत्थान के लिए उसे इन आरोपों का खंडन करना चाहिए, सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह सभी प्रगतिवादी तत्वों को एक जुट करने में सहायता दें, कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं जो हमारी विचारधारा से मेल खाते हैं। कुछ ऐसे भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो देश को प्रगति की दिशा में बढ़ने के मार्ग में रोड़ा अटका रहे हैं, मेरा मार्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टी से अनुरोध है कि वे दक्षिणपंथी दलों से दूर रहे, उन्हें अपनी ही राजनीति खेलने दें, हम आपस में मिलकर इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इस देश का समाजवादी आन्दोलन विभाजित है और कांग्रेस दल में दक्षिणपंथी तत्वों ने अपने पांव जमा रखे हैं, यदि इस देश में समाजवादी आन्दोलन मिलकर चलता है तो दुनिया की कोई ताकत हमें कमजोर नहीं बना सकती है। आशा है कि भारत-रूस मैत्री और सहयोग समाजवाद और लोकतंत्र को लाने में सहायक सिद्ध होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री इस विवाद को दिए जाने वाले समय के आबंटन के बारे में कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय की सूचना देंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय किया है कि चूंकि आज सांय छः बजे सेठ गोबिन्द दास का अभिनन्दन किया जाना है इसलिए यह वाद-विवाद कल प्रश्नोत्तर काल के उपरान्त भी चलता रहेगा और कल आठ बजे म० प० को समाप्त होगा।

श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए

SHRI. K. N. TIWARY IN THE CHAIR

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : विपक्षी दलों के निंदात्मक प्रस्ताव को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार वे अपने कथन में कुछ गंभीर है, परन्तु उनकी आपत्तिजनक बातों को सुनकर मेरी यह आशंका दूर हो गई है, इस प्रस्ताव के प्रस्तावक को अपने राजनीतिक विरोधियों की कटु आलोचना करने की आदत पड़ गई है, विपक्षी दलों ने यह नहीं सोचा है कि इस नाजुक अवसर पर देश के लिए बेहतर और स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करना उनका कर्त्तव्य है यदि निंदात्मक प्रस्ताव लाने के पीछे जन कल्याण की भावना होती तो यह बात समझ में आ सकती थी कि विपक्षी दल इस बारे में गंभीर हैं, यदि निंदात्मक प्रस्ताव लाने का उद्देश्य ही हल्ला ही मचाना है तो यह संसदीय लोकतंत्र के लिए दुखद अवसर है। निंदात्मक प्रस्ताव लाने का उद्देश्य स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करना है और इसके लिए अनिवार्य शर्त्त है कि कम-से-कम संयमित भाषा का प्रयोग किया जाये, दुर्भाग्यवश यहां ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जो न सभा की गरिमा को बढ़ाता है और न वाद-विवाद में जान डालता है, आवश्यकता इस बात की है कि आज हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करें। यदि इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया जाता है तो इससे सरकार को अपनी नीतियां तथा कार्य को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। यदि निंदात्मक प्रस्ताव का उपयोग चरित्र हनन के लिए किया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उद्देश्य विफल हो जाता है और इस पर उत्तर देने के लिए कुछ नहीं रह जाता।

प्रोफेसर हीरेन मुखर्जी ने अपने भाषण का प्रारम्भ अच्छे ढंग से किया था परन्तु अंत में जो उन्होंने यह कहा है कि सत्तारूढ़ दल को इन आरोपों को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसा करना उनका कर्त्तव्य है इससे मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या विपक्षी दल के लिए अपने कर्तव्य को समझना आवश्यक नहीं है ? हमारा दायित्व विपक्षी दलों के दायित्व से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उनमें से 50 प्रतिशत असंबद्ध हैं और शेष 50 प्रतिशत समझ से परे हैं, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि आज हम एक नाजुक और अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, प्रश्न यह है कि क्या इस स्थिति से निबटने के लिए हम जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक है या नहीं, यदि प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है तो हम भी विपक्षी दलों से यह जानना चाहेंगे कि हम कहां भूल कर रहे हैं, हम देश में इस स्थिति के लिए जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही स्थायी सरकार बनी रह सकती है । उनके नेतृत्व के अभाव में देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है, अन्य देशों में लोकतंत्र एक के बाद एक ठहता चला गया । परन्तु यहां लोकतंत्र में स्थायित्य है जो ढह नहीं सकता है, साथ ही साथ मैं यह नहीं कहता हूं कि हमसे गलती नहीं हो सकती है, हम गलतियां भी कर सकते हैं और हमने की है, हमें दूसरों के विचार सुनने चाहिए तथा लोगों की कठिनाइयों को दूर करना चाहिए, आप मारुति के बारे में चर्चा कर रहे हैं जबकि इस पर पहिले ही चर्चा हो चुकी है, मारुति के बारे में जो कुछ कहा गया है उसमें सत्यांश जरा भी नहीं है, यह अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित नहीं है । इस प्रस्ताव में ऐसी कोई गंभीर बात नहीं कही गई है जिसका उत्तर दिया जा सके । प्रस्ताव के पहले भाग में सरकार पर अविश्वास प्रकट किया गया है क्योंकि उसकी गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई सार नहीं है और ऐसी भाषा में मनमाने आरोप लगाये गये हैं जो असंयमित तथा तथ्यों से परे हैं । इन आरोपों में कोई सत्यता नहीं है । प्रस्ताव का दूसरा भाग महत्वपूर्ण है परन्तु यहां भी गंभीर समस्या की उपेक्षा की गई है और नकद-नारायण जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है । मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसा करके निंदात्मक प्रस्ताव के प्रति न्याय नहीं किया गया है । प्रस्ताव के दूसरे भाग में कहा गया है कि खाद्य तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने में असफलता के कारण सरकार में अविश्वास प्रकट करने के लिए निंदात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हम बड़ी ही संकट-ग्रस्त आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं और वस्तुओं के अभाव से, जो कृत्रिम है, स्थिति और भी विकट हो गई है, मुझे इस कटु वास्तविकता को स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं है ।

अब हम इस मामले के दो बातों पर चर्चा करेंगे यथा यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, यह राहत की बात है कि इस देश में स्थायी सरकार है अन्यथा पता नहीं यहां क्या हो जाता । इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि मूल्यों में अभूतपूर्व वृद्धि विश्वव्यापी है और हम इनसे अलग नहीं हो सकते हैं ।

आज कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है । हम आवश्यक कच्चे माल का आयात करते हैं, आज अन्य देशों में इनका थोक मूल्य बहुत बढ़ गया है । इसका एक प्रमुख कारण विभिन्न देशों में विदेशी मुद्रा में मनमाने रूप से सट्टेबाजी का चलना है । इस प्रकार और भी अनेक कारण हैं । यदि अन्य देशों में कच्चे माल के मूल्य बढ़ रहे हैं तो क्या हमारे देश में मूल्य वृद्धि नहीं होगी ?

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) : क्या यह सच नहीं है कि उन देशों में प्रति व्यक्ति आय तथा क्रय शक्ति बहुत अधिक है ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :—आप मेरे तर्क को समझिये, यदि आपके आयातित माल के मूल्य उन देशों में बढ़ रहे हैं तो क्या उसका प्रभाव यहां पर नहीं पड़ेगा ।

श्री श्यामनंदन मिश्र : (बेगुसराय) :—वे देश भी अनेक वस्तुओं का आयात कर रहे हैं परन्तु फिर भी उनके मूल्यों में इतनी वृद्धि नहीं होती है ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :—हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है । यदि देश में फसल खराब होती है तो समूची अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, हरित क्रांति के होने से हम निश्चित से हो गए थे हम भविष्य के बारे में न जानते हुए कुछ वर्ष पूर्व खाद्यान्न का निर्यात करने की बात करने लग गए थे । मेरे राज्य महाराष्ट्र में सत्तारुढ़ दल के कारण इस स्थिति से सफलता के साथ निबटा गया था और वहां भूख से एक भी मौत नहीं हुई थी, देश की अर्थव्यवस्था को अस्तव्यस्त करने के लिए अन्य कारण भी उत्तरदायी हैं जैसे यातायात समस्या बिजली की कमी, श्रमिक प्रबंधक के बिगड़ते संबंध आदि यदि देश में काले धन के प्रसार को न रोका गया तो इससे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जायेगी । सुदृढ़ नीतियों और कठोर परिश्रम से अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है । श्री ज्योतिर्मय बसु ने ऐसी कोई बात नहीं की है जिसका उत्तर दिया जा सके । मैं स्वीकार करता हूं कि देश में बेरोजगारी की समस्या विद्यमान है । सरकार ने इसके हल के लिए आगामी योजना में 63 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है । इसके अलावा खाद्यान्न जैसे आवश्यक सामग्री का आयात किया जा रहा है ताकि जनता के समक्ष अभाव की समस्या उत्पन्न न हो । मेरी गैर सरकारी क्षेत्र के प्रति शिकायत है क्योंकि उसने जनता के दुखों की ओर ध्यान न देकर लाभ अर्जित करने को अपना लक्ष्य बना रखा है । मैं इन शब्दों में अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि भविष्य के इतिहासकार कल के मतदान दिवस को याद रखेंगे कि इस दिन देश में लोकतंत्र को स्थायित्व मिलेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I want to make it clear that the visit of Shri Brezhnev has no connection with our No Confidence Motion. He is paying a visit here as a respectable Guest of ours. The whole country wants that the Indo-Soviet friendship should be strengthened. But this friendship should be between two equals.

We have brought this No Confidence Motion because the country is passing through economic crisis. This crisis is man made. It is regretted that other factors are held responsible for it. Surprisingly talks on C.I.A. are not taking place these days.

Our friends in ruling party are looking for scapegoats to hide their failures. The people are now wise enough and they will not be impressed by their uttarances. In the year 1970, the Prime Minister assured the people that the Government would provide food, shelter and jobs to them. That is why by elections were held. Now why the Prime Minister is failing to fulfil her pledges given to the people. The Prime Minister herself warned that the people would take recourse to violence to remove economic and social inequalities. To day the people are taking recourse to violence and the political parties are being held responsible for it. The Prime Minister cannot escape from the responsibilities for all these ills like spiralling prices, unemployment etc.

Now I will draw your attention to an insignificant event. On August 15, 1973, the day of Independence Jubilee, a blind learned man Shri Ved Mehta was invited for Telivision interview. On reply to a question when he stated that there was no leadership in the Country, the Television was at once switched off. Such is the misuse of Television media. The

Prime Minister has rejected the recommendation of Chanda Commission regarding converting of All India Radio and Television into a Public Corporation. Similarly Home Guards were asked to join Congress workers' rally on August 15, 1972. I have ample proof to substantiate it. In another incident, the Bar Association of Supreme Court had asked for Vigyan Bhawan to convene a conference there. Although their application was received first, Vigyan Bhawan was given to some other advocates. But they held conference at Vithalbhai Patel House. The Bar Association had to convene its conference at Ashoka Hotel.

The Vigyan Bhawan remained vacant on that date. Not only this the Prime Minister invited those advocates, who held conference at Vithalbhai Patel House, for dinner because they supported the Government's step.

I want to quote one more instance. On 24th October some employees of Central Food Squad went to South Delhi' shops to seize adulterated stuff. The shopkeepers refused to give samples and clashes between the two parties took place. The Central Food Squad called the Police but the Police took action against the employees, because they were bribed by the shopkeepers. I have a tape recorder to substantiate it. Talks among Shri Jethanand Malik, the Assistant Sub Inspector of Police, Shri Ahluwalia, Field Asstt. of Central Food Squad and Doctor Vinod are taped in this tape recorder.

Mr. Chairman : As you are quoting the names of officers, this should be done before taking permission under rules from the speaker.

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : (कलकत्ता दक्षिण) : हमें आपके व्यवस्था देने में कोई विरोध नहीं है । परन्तु दोषी अधिकारियों को अवश्य ही दंड दिया जाना चाहिए ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

सभापति महोदय : चूंकि माननीय सदस्य मेरी अनुमति लिये बिना बोल रहे हैं । इसलिए कार्यवाही वृतांत में उनका वक्तव्य नहीं लिया जायेगा ।

श्री समर गुह...*

Shri Madhu Limaye (Contd.): What is the difference between these two ?

Mr Chairman : Shri Ravi Babu has raised this issue. I shall give my ruling later on. I have followed the points raised by Shri Limaye.

पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : जब मेरे पास स्वास्थ्य मंत्रालय था उस समय की एक घटना का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है । अब तक जो कुछ बताया गया है वह सही है । हमारा आरक्षी दल वहां गया था । ऐसा आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने, हमारी सहायता करने की जगह, उन्हें गिरफ्तार किया और पीटा । जब मुझे तथ्यों का पता लगा तो उसके तुरंत बाद मैंने गृह मंत्री श्री कृष्णचन्द्र पन्त तथा राज्य के राज्यपाल के साथ संपर्क किया तथा मजिस्ट्रेट

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*Not recorded.

जांच का आदेश दे दिया गया है और सम्बन्धित अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है । अतः यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह मामला विचाराधीन है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: This is a serious matter and it should not be taken lightly. (*Interruptions*). I have been challenged and therefore I have brought it.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : What is your ruling on tape-recorder. You keep it with you.

Mr. Chairman : Please do not force me. I shall not give my ruling at this time.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Some portions of the talk are there in this tape-record and the Ex-Health Minister is aware of it. My point is that how corrupt the police administration has become in the capital. This is its proof. (*Interruptions*).*

सभापति महोदय : मैं इस की अनुमति नहीं दे रहा हूं । जब तक मैं अनुमति नहीं दुंगा, तब तक कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Which rule prohibits me in bringing Tape-recorder here ?

Mr Chairman : Rule 389 is there which reads as under;

"All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such a manner as the Speaker may, from time to time, direct."

Shri Atal Bihari Vajpayee: After exercising residuary powers in this way, you are giving a ruling which has no relevance with the rules.

Mr. Chairman: I request you to remove it and then speak.

Shri Atal Bihari Vajpayee : It will not be removed.

I have brought it because I have been challenged. I am putting it below the table.

I want to put before the House, a portion of talk which took place between a police officer and Central Food Squad officer.

Wh en asked, did you arrest the Central Food Squad Inspector and forced him to enter the Van of the police, the police officer says:

"Jethanand understands the meaning of arrest and if he....

("he" is being used by him for his superior police officer).

"....Says to anybody that 'you are under arrest' then he will put him in the lock-up and may release him on bail".

In this connection, the Government is starting a stringent drive against adulteration. The laws are being amended by what machinery will implement that law. The hon. Minister of Health referred this matter to the Home Minister in a serious way but his expectations have not been fulfilled.

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

*Not recorded.

I want to cite one more instance. In Sonepat District, one thousand bags of wheat were seized from a big farmer. That wheat was deposited in warehouses. The farmer had an access to high-ups in the Government and he managed to get his sold as seed to a firm in Maharashtra at the rate of Rs. 2.50 per Kilo.

All these instances show that the Government is responsible for this sorry state of affairs.

The Government has failed on the food front. They have committed inadvertence in taking over the whole-sale trade in foodgrains and paying less price to the farmer. It has resulted in artificial scarcity. Efforts have been made to improve the policy about rice. But that improvement is not enough because the ruling party has a vested interest in control, corruption and black-money.

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Speaker in the Chair.]

The Government has failed in curbing the black-money which is used for purchasing luxury-items.

The Provisions of the Constitution are being misused whenever there is crisis in the Congress Party, the Article 356 is exercised. The policies of the Government are neither production oriented nor distribution-oriented, they are only election-oriented. In the economic field, certain policies are adopted to win cheap popularity and in the political field, decisions are taken with a view to catching votes. For the sake of votes, the National Integration Council can be wound up, it can be revived only for catching votes.

The Government follow different criteria for different people in tackling corruption. In the Chief Ministership of Shri Bansi Lal, atrocities are being committed on the Harijans but the Government has taken no action against Shri Bansi Lal.

Shri L.N. Mishra has come. Serious charges have been levelled against him by the Opposition as well as his own party colleagues. An inquiry should be held to go into those charges.

It is regrettable that licence cannot be issued for setting-up of a cement factory in the country and Tatas have to wait for five years for licence for Mithapur Project. There is wide spread discontent among the people. People's faith in democracy is being shaken.

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : आज दोपहर में श्री ज्योतिर्मय बसु ने मुझ पर कुछ आरोप लगाये हैं जो निराधार तथा झूठे हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह प्रस्ताव मंत्री परिषद के विरुद्ध है अतः इसका उत्तर प्रधान मंत्री द्वारा दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : उनका उल्लेख नाम लेकर किया गया था अतः उन्हें स्पष्टीकरण देने का अधिकार है ।

श्री एल० एन मिश्र : मुझे ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त हुई है । ज्ञापन में उल्लिखित प्रत्येक बात पर मैं अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करूंगा ।

बिहार प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है । इस बारे में मैंने सदन में एक वक्तव्य दिया है । किसी भी प्रतिबेदन में मेरे विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है ।

उनकी तीसरी बात दत्ता आयोग के बारे में है । जब श्री कर्पूरी ठाकुर की सरकार समाप्त हुई उसके तीन दिन पहले यह आयोग गठित किया गया था ।

इसके पश्चात यह आरोप लगाया गया है कि दरभंगा के चुनावों में लाखों रुपये खर्च किये गये हैं । उच्चतम न्यायालय में एक चुनाव याचिका मेरे विरुद्ध विचाराधीन पड़ी हुई है अतः उन्हें इस मामले में इस प्रकार बात नहीं करनी चाहिए ।

जहां तक श्री दरबारी की नियुक्ति का प्रश्न है, उसका कार्य श्रमिकों की स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करना है । कतरनों और वैगनों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

माननीय सदस्य ने केदार पांडे सरकार के गिरने का उल्लेख किया और कहा कि 10–15 लाख रुपये खर्च हो गये हैं । यह पूर्णतया गलत है । बिहार कांग्रेस दल ने लोकतांत्रिक साधन से अपने नेता को बदला है ।

मेरे पास जब विदेश व्यापार मंत्रालय था तो यह आरोप लगाया है कि, मैंने स्टेनलेस स्टील के लिये आयात लाइसेंस जारी करने में मैसर्स कर्नाटक एक्सपोर्टज लिमिटेड के पक्ष में कार्यवाही की । स्टेनलेस स्टील का आयात करने का निर्णय 7 अक्तूबर, 1969 को किया गया और मैंने जून, 1970 में विदेश व्यापार मंत्रालय का कार्य संभाला, अतः मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

यह भी कहा गया है कि मैं प्रेस को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा हूं । यह कहना गलत है । प्रेस देश के लिए अच्छी सेवा कर रहा है ।

कुछ समय पहले से मेरे विरुद्ध सुसंगठित और नियमित रूप से चरित्र हनन अभियान चल रहा है । विरोधी पक्ष, विशेष रूप से दो या तीन दल इस कार्य में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं । मैं यह अवश्य कहूंगा कि चाहे जो कार्यक्रम मैं चला रहा हूं । उन्हें निर्भीक भाव से चलाया जायेगा (**व्यवधान**)

Shri Atal Bihari Vajpayee: One point has not been clarified. Why did Shri Miohra brought the officer in the Ministry along with him when there was report against that officer.

Shri L.N. Mishra: There was neither adverse report against him in Character role nor in record. His name was referred to us in panel through Department of Personnel. He was selected by the Railway Board (*Interruptions*).....

मंत्री-परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव—जारी

Shri Chandrajit Yadav (Azamgarh) : In order to create a political stunt, the Opposition has brought this no-confidence motion. The opposition parties have repeated the

points which have been said during the last two or three years, the same charges or counter charges have been levelled. The opposition parties have tried to assassinate character through organised way....(*Interruptions*)....

It appears that the basis of this no-confidence motion in the same which was adopted during the last general elections. It seems that the same reactionary, communal force are coming forward.

Mr. Speaker : The hon. Member may continue his speech tomorrow. Let us come to Central Hall where we have to honour Dr. Govind Das.

तत्पश्चात् लोक-सभा गुरुवार 22 नवम्बर, 1973/1 अग्रहायण 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Thursday, November 22,1973 Agrahayana 1, 1895 (Saka.)

MGIPRRND—40LSS/73—I-D—490—11-2-74.